

DUE DATE SLIP**GOVT COLLEGE LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

उपरोक्त साविधानिक उपबन्ध स्थिति का स्वयं हा महुत कुछ स्पष्ट कर दते हैं। सविधान में जिन स्वतन्त्रताओं को मान्यता प्रदान की गई है वह उस निर्बंधन साथ कि उनका प्रयोग समन्वीया जनता के हितों व अनुकूल होना चाहिए। सोवियत संघ में न्यायालयों को सविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकार सर्वोच्च सोवियत व प्रेसीडियम को प्राप्त है। ऐसा दिखने में यह निराश कि कान सा कथन समन्वीया जनता के हितों व अनुकूल है प्रेसीडियम के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि न्यायालयों के द्वारा नहीं। यदि प्रेसीडियम अपनी किसी आज्ञा (decree) के द्वारा नागरिकों के वाक् स्वतन्त्रता के अधिकार पर प्रहार करता है तो नागरिकों को अपने अधिकारों का रक्षा करने का कोई उपाय शक नहीं रहता। इसी प्रकार यदि सर्वोच्च सविधान (विधान मण्डल) इस साविधानिक उपबन्ध की आड़ में कोई ऐसा विधि पारित करती है जो नागरिकों के वाक् स्वतन्त्रता के अधिकार का अतिक्रमण करती है तो नागरिकों का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। सोवियत संघ का कोई न्यायालय उसे सविधान के प्रतिकूल हानों के कारण अवैध घोषित नहीं कर सकता। प्रेसीडियम जो सविधान की व्याख्या करने की शक्ति रखता है, स्वयं ही सर्वोच्च सविधान के प्राप्त उत्तरदायी है। इस कारण वह भी सर्वोच्च सोवियत का विरोध नहीं कर सकता।

राजनीतिक स्वतन्त्रताओं पर दूसरा साविधानिक निर्बंध यह है कि उनका प्रयोग समानगामी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिकों को शासन और समाज व्यवस्था के मौलिक स्वरूप के विषय में किसी प्रकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इस निर्बंध के अनेक लाभ हैं। प्रिटेन में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जब श्रम दल (Labour Party) की सरकार बना तो उसने अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। परन्तु उसके कुछ काल बाद ही चर्चिल के नेतृत्व में बनने वाली अनुत्तर सरकार ने श्रम दल की सरकार के द्वारा किए गए अनेक परिवर्तनों का निराकरण कर दिया। इससे अकारण ही बहुत से धन और शक्ति का अपव्यय होता है। शासन का नीति के संबंध में मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होने से इस अपव्यय को रोका जा सकता है। परन्तु इसके कुछ महत्वपूर्ण दोष

सोवियत संघ का शासन



महेन्द्र प्रकाश अग्रवाल, एम० ए०



किताब महल
इलाहाबाद बम्बई

असहमति यत्न नहा कर सकता। परन्तु इन सब मुद्दियों का होना हुआ भा नागरिक विचार अभिव्यक्ति का स्वतन्त्रता से प्रकृत रह सकने हैं। सोवियत संघ में समतावादी को अनेक मुद्दियों प्रदान का गई हैं। प्रत्येक नागरिक का काम पाने का अधिकार दिया गया है। परन्तु उन्हें सामाजिक स्वतन्त्रताएँ किस सीमा तक उपलब्ध हैं यह साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख पर 'प्रावदा' (Pravda) की निम्न उक्ति से स्पष्ट हो जाता है "साम्यवादी देश में बुरा दंग, मरायिका तथा क्रांतिकारी समाजवादियों (Revolutionary Socialists) के साथ हुए प्रसन्नता के पत्रों के साथ ही समाज के लिए उचित दिया गया है। राष्ट्र और प्रेस स्वातन्त्र्य समाजवादी शासन को सुदृढ़ करने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। नागरिकों को समाजवादी शासन प्रणाली को उलटने का विचार करता है जनता का शत्रु है। यदि वह अपने उद्देश्य का पूरा करना चाहेगा उस समय का एक पत्र भी नहीं मिलेगा यह किन्ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के अन्तर्गत न जा सकेगा। उस अपने भाषण का विवरण देने के लिए एक भाषण, एक भी कपड़ा या एक काना भी नहीं मिलेगा।" इसमें स्पष्ट हो जाता है कि साम्यवादी विचारों का विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जनता का शत्रु माना जाता है। साम्यवादी संघ में जनता के शत्रुओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है यह स्पष्ट है। फ्रांसीसी लेखक जे. डब्ल्यू. का मत है कि 'साम्यवादी नागरिकों के नाना "अधिकारों का अर्थ यहाँ है कि वे साम्यवादी शासन द्वारा समर्थित "जनता के कार्यों का प्रयत्न के लिए जा सकते हैं, परन्तु उनका आलोचना नहीं कर सकते।"

साम्यवादी संघ में विचारों का अभिव्यक्त करने की नास्वतन्त्रता नागरिकों का समाजवादी द्वारा प्रदान की गई है जनता में यह कामगारों तथा सामूहिक

¹ Pravda Jun 22 1936 (ten days after the publication of the draft of Stalin Constitution)

² 'The new rights of the citizens signify the liberty to sing the praises of all the achievements of the soviet regime but not to criticise them — De Basky Russia under Soviet Rule p 182

प्रकाराक—मिठाव महल ५६ ए, तीरो राट इलाहाबाट ।
मुद्रक—एवश्याम नावसवाल शरण आन प्रेस वलागनाट ।

विभिन्न जातियाँ का सांस्कृतिक मामलों में अधिनायिक स्वतंत्रता देने की नीति का कारण ही सोवियत संघ में कई प्रकार के एकक जनाये गये हैं, यथा संघ गणराज्य, स्वायत्तशासी गणराज्य, स्वायत्तशासी क्षेत्र आदि। मद्यपि इन संघ का समान मात्रा में शक्ति प्राप्त नहीं हैं, परन्तु भाग एव सत्कृति सर्वथी मामलों में इन सबको पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है।

सुरक्षा का समस्या—सन् १९१७ की क्रांति के पश्चात् स्थापित सोवियत समाजवादी गणराज्यों के शासनाधीन केवल आघातारक शत्रुओं का ही सामना करना पड़ा वरन् उन्हें पूँजीवादी देशों की सहायता से भी युद्ध करना पड़ा। पूँजीवादी देशों की सहायता को नजराना सोवियत गणराज्यों को नाट कराने में सफलता न मिली परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न सोवियत समाजवादी गणराज्यों के शासकों यह विश्वास हो गया कि यदि वे परस्पर संगठित नहीं होने तो पूँजीवादी देशों के घर के भीतर उनका अधिक समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखना असम्भव होगा। यह विश्वास उन्हें एक बूझने के निम्न लाया जिसमें उन्होंने परस्पर सन्धिया कर सोवियत संघ का निर्माण किया।

नाति के पूरे महाद्वैतिक नेताओं का विश्वास था कि कृषी क्रांति के पश्चात् यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियाँ होंगी जिनके परिणामस्वरूप सोवियत संघ का पूँजीवादी देशों से भय न रहेगा। परन्तु उनकी यह आशा पूर्ण न हुई। क्रांति के पश्चात् सुरक्षा की समस्या इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि संघ के नेताओं को अपने निकटवर्ती सोवियत गणराज्यों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक हो गया। इसी कारण उन्हें संघवादी का आश्रय लेना पड़ा।

आर्थिक-पुनर्निर्माण तथा आम निर्भरता की आवश्यकता—सोवियत नेताओं का संघ के अर्थ प्रदान करने के लिए प्रेरित करने का तीव्रता

The nation lies perceived that in a hostile capitalist world and with the wave of counter revolution still flowing in unity lies strength the road to survival lies in their success to form a single and hence a strong state —R. K. Mishra *Soviet Federalism* p. 4

प्रस्तावना

सोवियत रूस का शासन प्रणाली का उद्देश्य का सामाजिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक व्यवस्था का ध्यान मरजत हुए समस्त ग्राम्य जन प्रस्तुत करना है। इस पुस्तक का उद्देश्य है। पुस्तक को विश्वविद्यालय के छात्रों तथा विद्यार्थियों के लिए निशुल्क रूप से उपयोग्य बनाने का प्रयास किया गया है।

सोवियत रूस का शासन प्रणाली पर लिखा गया पुस्तक में हमें प्रायः परस्पर पृथक् विरोधाभास मिलते हैं। इसका कारण यह है कि अन्वेषण लक्षकों ने अनेक सामाजिक विचारों के अनुसार सोवियत शासन प्रणाली का प्रस्तावना या न्याय सिद्ध करने का प्रयास किया है। जहाँ एक ओर सोवियत समाजशास्त्रियों ने उच्च सामाजिक जनताविक्रम प्रदान है, जहाँ पाश्चात्य देशों के अनेक लेखकों ने इस पृथक् सामाजिक सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस कारण इस सम्बन्ध में अनपेक्षित भाव से अनेक गद्ग अधिकांश उपाय नहीं है। अनेक नवीन प्रकार के आत्मशक्तिपूर्ण व्यक्तियों का विश्वास न कर इस पुस्तक में सामाजिक तथा उन्हा पर आधुनिक आर्थिक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सोवियत समाजशास्त्र के विभिन्न अर्थों का अन्वेषण तथा सामाजिक से उपाय-ध्यान तुलना का का गण है। सोवियत शासन प्रणाली पर अनेक प्राधिकारों विधानों के प्रथा से उद्भव मा लक्षण गण है, जिससे पाठक उन्हा वास्तविकता के सम्बन्ध में जानकर कर सक।

पुस्तक का मुद्रित्य का आरंभ आर्थिक बनने वाले पाठकों का लक्षण आभार होगा।

प्रकाश

२ अगस्त १९५६

महेंद्र प्रकाश अग्रवाल

शालनाग जाता है।^१ उनके इस कथन में हम सोवियत शासन व्यवस्था में प्रेसीडियम का महत्त्वपूर्ण स्थिति का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

प्रेसीडियम की स्थिति का तुलनात्मक विवेचन—प्रेसीडियम का शक्तियाँ पर एक दृष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेसीडियम ऐसे अनेक कार्य करता है जो अन्य देशों में नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यशाखा, विधानमण्डल, प्रधानमण्डल व उच्च सदन, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। सामान्य सार्वजनिक शासन यंत्रों द्वारा किये जाने वाले कृत्यों हैं, विधानमण्डल व सदन बुलाना तथा उभय विधायित्व करना, नये नियोजन कराना, दायित्व प्रतिनिधित्व तथा सशस्त्र सेनाओं व उच्च अधिकारियों का नियुक्तियाँ करना तथा उनको पदसुत्र करना, पदों तथा उपाधियों को वितरित करना, प्राप्तिवा ज्ञाप्य करना, तथा प्रमाण पत्रों तथा आस्तनपत्रों का प्रेषण करना प्रादि। सोवियत शासन व्यवस्था में ये सब कृत्यों प्रेसीडियम का ही अधिकार हैं। इसी कारण सोवियत लोग प्रोफेसर प्रोफेसिन (Prof Traino) ने प्रेसीडियम के कृत्यों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि अनुच्छेद ४८ में समाज सोवियत व प्रेसीडियम को किये गए कृत्यों उन कृत्यों के समान हैं जैसे कि राज्य मंत्रालय व अर्थात् नरेश या राष्ट्रपति, को किये जाते हैं। परन्तु हमें यह बताना चाहिये कि प्रिडियम व नरेश या प्रमासका व राष्ट्रपति की भाँति सोवियत सदन व प्रेसीडियम का किन्ना प्रकार का अभिप्रायधिकार (veto) प्राप्त नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में राज्य व सार्वजनिक प्रमुख को सौंपे गये अधिकार कृत्यों मन्त्रिमंडल के परामर्श से संपादित होते हैं। प्रेसीडियम का अपने अधिकारों का प्रयोग करने व लिए मन्त्रिपरिषद का परामर्श लेना आवश्यक नहीं है इस कारण यह अन्य देशों में मन्त्रिपरिषद द्वारा किये जाने वाले अनेक कृत्यों में आता है।

^१ "The Presidency or permanent committee is not only the nerve centre of the Supreme Council but also in reality the highest governmental instrument in the USSR" de Basly Ri st t l S r t t P le p 179

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

- १ सावित्रत सङ्घ—देश और निवासा १
 भौगोलिक स्थिति—क्षेत्रफल—जनसंख्या—राज्यनिकाय—
 कृषि—कालखण्ड तथा 'साम्राज्य'—उद्योग धंधा—जनसंख्या—
 धर्म—जाति तथा भाषाएँ
- २ बाल्शेविक क्रांति के पूर्व का रुस ६
 प्रारम्भिक इतिहास—मंगोला का आक्रमण—मास्को के नेतृत्व
 में रुस का एकीकरण—प्रायः महान्—अन्तर्जातीय
 प्रथम के सुधार—दिसम्बरी क्रांति तथा निकोलस प्रथम का शासन—
 अन्तर्जातीय द्वितीय का शासन तथा सुधार—अन्तर्जातीय तृतीय—
 सन् १८५५ की असफल क्रांति— अन्तर्जातीय (१८५५) का घोषणा
 पत्र—प्रथम तथा द्वितीय मन्त्रालय—तृतीय और चतुर्थ मन्त्रालय—
 शासन के अन्य अंग—आधुनिककालीन शक्तिवाद का दुरुपयोग—
 शासन के रूप में सामाजिक जीवन—शासन का उत्कर्षण
 का नाश—प्रथम विश्व युद्ध का रुस का राजनीतिक स्थिति पर
 प्रभाव
- ३ मार्क्सवाद, बाल्शेविक क्रांति तथा सावित्रत शासन व्यवस्था
 का विकास २८
 मार्क्सवाद का मूल—दार्शनिक भावना—ऐतिहासिक
 भौतिकवाद—अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत—मार्क्सवाद का अर्थ तथा
 राज्य सम्बन्धी विचार—अन्तर्जातीय क्रांतिकारों का प्रशासन—मार्क्स
 १८४७ का क्रांति—अन्तर्जातीय सरकार—बाल्शेविक क्रांति—सावित्रत
 विकास की पृष्ठभूमि—सन् १९१८ का संविधान—सन् १८२४ का
 संविधान—सन् १८३६ का (सावित्रत) संविधान

मन्त्रिमण्डल का कार्य होता है। मन्त्रिमण्डल को संसद के बहुमत दल का, या ऐसे कई दलों का चिह्न संसद में बहुमत प्राप्त होता है, समर्थन प्राप्त होने के कारण अगली भाँति पर संसद का अनुमोदन करने में अधिक कठिनाई नहीं होता। सोवियत संघ में भी संसद मन्त्रि-परिषद् का अपने समस्त प्रस्तावों तथा अगली समस्त नीतियों पर सर्वोच्च सोवियत का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। परन्तु यह प्रश्न शायद रह जाता है कि क्या या नातियाँ मन्त्रि-परिषद् सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत करती है वे उसी के द्वारा निर्धारित का हुंदा होता है। क्या मन्त्रि-परिषद् शासन का नात निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है? यदि इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' हाँ तो निश्चय ही सोवियत संघ का मन्त्रि परिषद् अथवा संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों के मन्त्रिमण्डल के समान शक्तिशाली मानी जायगी।

सोवियत शासन प्रणाली के संरक्ष में अधिकृत जानकार अपने मूल आध्यात्मिक सिद्धान्त उन्नीके प्रश्न का उत्तर 'नहीं' देते हैं। उनके मतानुसार सोवियत संघ के शासन का नात के सबब में समा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित करना कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रिय समिति के प्रशास्यिक का कार्य है। मन्त्रि परिषद् को उन सिद्धान्तों के तहत पर कार्य करता है और पान प्रशास्यिक के निर्णयों को औपचारिक रूप दे देता है। आग और निक का कथन है कि निर्णय हाँ बनल औपचारिक दृष्टि से हाँ मन्त्रि परिषद् को समस्त मन्त्र पालिसा माना जा सकता है प्रस्तुत पालिटब्यूरो के तहत उस यह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। 'रूलियन डाउस्टर ने भी इसके समान ही मत व्यक्त किया है। उन्होंने मन्त्रि परिषद् के समस्त का कार्य वगैरे में निश्चय किया है प्रत्यक्ष जा पार्टी के केन्द्र, विगत पालिटब्यूरो, के समस्त हैं, और दूसरे व जा समस्त समस्त नग हैं। द्वितीय मग के मन्त्रियाँ के संरक्ष में उन्होंने लिया

¹ Cert only it is hardly the supreme executive authority in more than formal sense the Polit bureau would leave it no room for such a role — O.B.G. & Zink op cit p 82

² पालिटब्यूरो का स्थान अथवा पार्टी का केन्द्रिय समिति के प्रशास्यिक न ले लिया है।

४ स्तालिन मन्त्रिधान का प्रकृत तथा विशेषताएँ

८२

मन्त्रिधान का लिखित स्वरूप—राय का समावर्तनी आधार—
अनभ्य (18 d) सावधानता से समाविक नभ्य—सुन्दर कन्दयुक्त सघन
व्यवस्था—संस्थाकरण का प्रवृत्ति नागरिका के मूल अधिकारों की
निश्चयता—नागरिका के कर्तव्य—साविकत प्रणाली—त्रैद्वान विधान
मन्त्र के द्वारा सत्ता का पूरा समानता—प्रेसोवियम एक अनुभूत
शासन तथा—मन्त्रिधान मासिक प्रधानता—प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के
संरक्षण का उपाय—निश्चित मन्त्रालय—योजनाबद्ध एवं
मुनिवन्तित प्रथम प्रथम—राष्ट्रों का शासन पर कठोर नियन्त्रण
—जनताधिकार के उपाय

५ नागरिकों के मूल अधिकार तथा कर्तव्य

८१

सन् १९२६ का परिमर्दित परिमर्दित—स्तालिन सविधान द्वारा
प्रदत्त नागरिका के मूल अधिकार—काम पाने का अधिकार—भातिक
सुरक्षा का अधिकार—विज्ञान तथा अन्वेषण का अधिकार—शिक्षा
पाने का अधिकार—समानता का अधिकार—धार्मिक उत्सव तथा
धर्म प्रसारण प्रचारक के स्वतन्त्रता—जनताधिकार—साविकत
संस्थाओं में समाविक हाने का अधिकार—व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का
अधिकार—व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार—प्राप्त का
अधिकार—नागरिक के कर्तव्य

साविकत मन्त्रालय (So t t detail m)

८१५

सर्वसाधारण अधिकार सुक्ति—संघर्ष प्रथम उपनाण जन्त
के कारण—साविकत संघर्ष—सर्वसाधारण का संघर्ष अन्त
हाने का अधिकार—सर्वसाधारण से निम्न प्रेषण के अधिकार—स्वतन्त्र
शासन साविकत का प्रवृत्ति—संघर्ष तथा एकका के बीच शासन
विनियम—संस्थाकरण का प्रवृत्ति—सन् १९४४ के संशोधनों का
मन्त्रालय शासन का शक्ति पर प्रभाव—संघर्ष का शक्तिशासन—मान
गल सुद्ध अन्त तन्त्र मन्त्रालय शासन तथा एकका के बीच साम्प्रतिक
संघर्ष—साविकत संघर्ष की सुद्ध अन्त संघर्ष मन्त्रालय मन्त्रालय

सब गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों का किया गया है। सोवियत सब के सब गणराज्यों में मवाधिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या वाले सब गणराज्य रूसी समाजवादी सोवियत गणराज्य (R S F S R) का प्रथम सविधान जून १९१८ में अंगीकृत किया गया था। अन्य सब गणराज्या तथा सोवियत सब का प्रथम सविधान (१९२३) इसी सविधान का अनुरूप थे। सन् १९३७ में सोवियत सविधान ने प्रस्तावित किए जाने के पश्चात् रूसी गणराज्य तथा अन्य सभी सब गणराज्या में उसी के उपबन्धों के आधार पर नवीन सविधान बनाए गये। आनकन उन्हां सविधानों के अनुसार सब गणराज्या का शासन संचालित होता है।

सब गणराज्यों का विधानांग सर्वोच्च सोवियत—प्रत्येक सब गणराज्य में शासन के विधानांग (Legislature) का रूप में एक सर्वोच्च सोवियत कार्य करता है, जिसका निर्वाचन गणराज्य के समस्त नागरिकों द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। सर्वोच्च सोवियत की संसद-सदस्य तथा प्रतिनिधियों का आधार गणराज्य के सविधान के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सविधान में सब गणराज्या की सर्वोच्च सोवियतों को गणराज्या का “राजसत्ता का सर्वोच्च अंग तथा “एकमात्र विधायक अंग बताया गया है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जहां सोवियत सब की सर्वोच्च सोवियत में दो सदन हैं, वहां सब गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतें एकसदनात्मक हैं। सोवियत लेखक सब गणराज्या के लिए द्विसदनात्मक विधानमण्डल का अनामश्यक बताते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न एककों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता नहीं होती।

सोवियत सविधान के अनुच्छेद ६ में सब-गणराज्या की सर्वोच्च सोवियतों की शक्तियां तथा कृत्या का उल्लेख है। सर्वोच्च सोवियत सोवियत सब के सविधान के अनुरूप गणराज्य के सविधान को अंगीकृत करती है तथा उसमें संशोधन करती है। वह गणराज्य के क्षेत्र में अस्तित्व में स्थापित सभी गणराज्यों के सविधानों की पुष्टि करती है और उनका क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित करती है। गणराज्य के आवश्यक तथा राज्तीय आर्थिक योजना पर भी स्वीकृति देती है। सब-गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत गणराज्य के किसी

अध्याय १

सोवियत संघ देश और निवासो

भूमण्डल के सम्पूर्ण स्थल भाग के पन्द्राश में पैना हुआ सोवियत संघ सतार का सब से बड़ा देश है। योगेश का पृथ्वी तथा एशिया का तृतीयांश सोवियत संघ के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है। इसका सीमाएँ पालिटिक सागर से प्रशान्त महासागर तक तथा श्वेत सागर और उत्तर ध्रुव महासागर से कैस्पियन सागर और काल सागर तक फैली हुई हैं। इसका सीमा रेखा की लम्बाई साठ हजार किलोमीटर है तथा उस पर गारह सागर और चारह देश अभिहित हैं। इन्ने अन्य सभी देशों से अधिक परन्तु साथ ही सर्वाधिक अनर्थक, समुद्रतट उन्ल है। इसका कारण यह है कि उत्तर ध्रुव महासागर, ता सोवियत संघ का उत्तर भाग पर स्थित है, यह एक प्रविश्या भाग में प्रकृत बना रहता है। सोवियत संघ के प्रविश्या प्रमुख शहरों में लानिंग्टन (Leningrad) क्रानस्टाट (Cronstadt) रेगा (Riga) प्राप्ति पश्चिम में पालिटिक सागर के तट पर स्थित हैं। दक्षिण में काले सागर पर स्थित आडसा (Odessa) पूर में चारान सागर पर स्थित व्लादावास्तोक (Vladivostok) तथा उत्तर में श्वेत सागर पर स्थित आर्कैजेल (Archangel) सोवियत संघ के अन्य प्रमुख शहरों में हैं।

भौगोलिक स्थिति—सोवियत संघ की उत्तरी सीमा पर उत्तरी ध्रुव महा सागर, दक्षिणी सीमा पर लाक-गणराज्य चीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान आदि राज, पूर में प्रशान्त महासागर तथा पश्चिम में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया आदि देश हैं। दक्षिणी सीमा पर कार्मेथियन, कारथियन, पामार और आल्पाइ पर्वतमालाएँ हैं, ता इस क्षेत्र राज्या से पृथक करती हैं। सोवियत संघ का दक्षिणी सीमा एक स्थान पर भारत का सीमा से बनल साठ मील १ अंतर पर है।

गणराज्यों के मन्त्रालय दो प्रकार के होते हैं—(१) संघ-गणराज्यिक (Union Republican), तथा गणराज्यिक (Republican) संघ-गणराज्यिक मन्त्रालय केन्द्रीय संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों के अनुरूप होते हैं तथा संघ और संघ गणराज्य दोनों की मन्त्रि परिषदों के अधीन होते हैं । गणराज्यिक मन्त्रालय केवल संघ गणराज्य की मन्त्रि-परिषद के हा अधीन होते हैं । सब संघ-गणराज्यों में मन्त्रियों अथवा मन्त्रालयों की संख्या समान नहीं है । फरवरी, १९५७ के संशोधन के पूर्व संविधान में संघ-गणराज्यों के मन्त्रालयों का भा उल्लेख था परन्तु अब अपना आवश्यकतानुसार मन्त्रालयों का संख्या निश्चिन करने का अधिकार संघ-गणराज्यों को दे दिया गया है ।

संघ-गणराज्यों की मन्त्रि परिषदें संघ गणराज्य की पूर्व प्रवर्तित विधियों एवं सचिवन संघ की मन्त्रि परिषद — विनिश्चयों और आदेशों का आधार पर "विनिश्चय और आदेश जारी करता हैं । इन विनिश्चयों और आदेशों ने कार्यशासन का परावृण करना भा उहा का काव है । गणराज्य की मन्त्रि परिषदों को अपने क्षेत्र के स्वामत्तशासी गणराज्य की मान्य परिषदों के विनिश्चयों तथा आदेशों को निलम्बित (suspend) करने तथा प्रत्या, क्षत्रों और स्वामत्तशासी क्षेत्रों का सोपिना की कार्यकारिणी समिति का विनिश्चयों और आदेशों को रद्द (annul) करने का अधिकार दिया गया है । संघ गणराज्यों के मन्त्री राज्य प्रशासन की उन शाखाओं का निदेशन करते हैं जिनका संघ-गणराज्य के क्षेत्राधिकार में आना है तथा आदेश और अनुदेश (instructions) जारी करते हैं । यह आदेश और अनुदेश उन अपने मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार का सामाज्य र अन्वयन हाना चाहिये तथा सोपिन संघ तथा संघ-गणराज्य का विनि सचिवन संघ तथा संघ गणराज्य की मन्त्रिपरिषदों के विनिश्चयों और आदेशों, एवं सोपिन संघ र संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों के आदेशों और अनुदेशों पर आधारित हाना चाहिए । संविधान के इन उपबन्धों से यह स्पष्ट हा जाता है कि संघ-गणराज्यों का "संप्रभुता सभाय में किनी सामित है ।

संघ-गणराज्यों के कार्यवाह्य तथा विधानागतों के वाच मन्बध— उपर्युक्त सांविधानिक उपबन्धों पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि संघ

यूराल पर्वतमाला (Ural Mountains) को सोवियत रूस के योरोपीय और एशियाई भागों के बीच की सीमा माना जाता है। यह पर्वत माना अनुसंधानी नहीं है इसमें ऐसे अनेक दर्रे हैं जिनसे एक भाग से दूसरे भाग में जाया जा सकता है। यूराल पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर की ऊँचाई लगभग ६ फुट है। यह शिखर पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में है।

क्षेत्रफल—सन् १९४६ में लगाये गये अनुमान के अनुसार सोवियत रूस का पूर्ण क्षेत्रफल ८,७८,७ वर्गमाइल है।^१ अन्य देशों के क्षेत्रफल से तुलना करने पर हम पाते हैं कि सोवियत रूस संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग द्वादश गुना, भारत से आठ गुना और युक्त राज्य (United Kingdom) से लगभग सौ गुना बड़ा है। इसके आकार का अनुमान हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ६ मील प्रति दिन की गति से चलने वाली रेलवे ट्रेन को सोवियत रूस की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक पहुँचने में दस दिन लगेंगे। यह एक रोचक तथ्य है कि सोवियत रूस की पूर्वी सीमा पर सूर्य पश्चिमी सीमा की अपेक्षा ६ घंटे पहले उदय होता है।

जलवायु—सोवियत रूस के बृहत्कार का ध्यान में रखने पर उसके विभिन्न भागों में भिन्न जलवायु होना आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होता। उत्तरी भाग टुंड्रा (Tundra) में वर्ष भर बर्फ पड़ा रहता है। यहाँ वर्ष में दस महीने शीत ऋतु रहती है। रूस विपरीत दक्षिणी प्रदेश में लम्बी ग्रीष्म ऋतु होती है और तापमान बहुत ऊँचा पहुँच जाता है। याना नदी पर स्थित वेस्कोयान्स्क (Veskhojansk), जहाँ जनसंख्या निम्नतम तापमान—६ फो तक पहुँच जाता है विश्व का शीतलतम स्थान है।

सोवियत रूस का अधिकांश भाग में लम्बे तथा कठोर शीत एवं ऊँचे ताप वाली ऋतु पाई जाती है। काल्मिन्स सागर के तट पर स्थित अस्तखान (Astrakhan) में वर्ष में साठ पांच महीने, मास्को में साठे छह महीने तथा श्वेत सागर (White Sea) पर स्थित आर्केंजेल (Archangel) में आठ महीने तक तापमान शून्य से नीचे ही रहता है। इससे हम रूस के शीत की

^१ *The Statesman's Year Book 1955* p 1434

के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर विधियाँ बनाती हैं तथा अपना प्रेसीडियम निर्वाचित करती हैं। स्वायत्तशासी गणराज्यों की सत्ता-च सोवियतों अपने अपने गणराज्यों के लिए मंत्रि परिषदों तथा सर्वोच्च न्यायालयों को भी निर्वाचित करती हैं। सर्वोच्च सोवियत व सत्रावकाश काल में उसके अधिकांश कार्य उसका प्रेसीडियम करता है। स्वायत्तशासी गणराज्यों की मंत्रि परिषदें पूरे प्रवर्तित विधियाँ व आधार पर निश्चय और आदेश जारी कर सकती हैं, परन्तु मंत्र गणराज्यों की मंत्रि परिषदें नहीं निर्वाचित कर सकती हैं। अपना इस विधि के द्वारा स्व-गणराज्यों की मंत्रि परिषदें स्वायत्तशासी गणराज्यों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

स्वायत्तशासी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था

मंत्र गणराज्यों के वास्तविक आधार पर किए गए उपविभागों में स्वायत्तशासी गणराज्यों व पश्चात् स्वायत्तशासी क्षेत्रों (Autonomous Regions) तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों (National Areas) का स्थान आता है। इन उपविभागों की जनसंख्या बहुत कम होती है। प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र में नागरिकों व द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 'श्रमजीवी जन' व सोवियतों का सोवियत (Soviet of Working People's Deputies) होता है जो अपने अधीन शासनांगों के कार्यों का निर्देशन करती है, सामाजिक जीवन को प्रभाव देने का प्रयत्न करता है, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करती है तथा विधियाँ व कानून का अधीक्षण करती है। इन क्षेत्रों की सोवियतों को स्थानीय प्राथमिक तथा सांस्कृतिक मामलों का निर्देशन करने तथा स्थानीय योजनाएँ तैयार करने का अधिकार भी दिया गया है। सोवियत मंत्र तथा स्व-गणराज्यों की विधियाँ द्वारा जो शक्तियाँ इसमें गइ हैं उनकी सीमाओं व अन्तर्गत वह निश्चय अंगीकृत करती है तथा आदेश जारी कर सकती है। 'श्रमजीवी जनता के प्रतिनिधियों की सोवियत क्षेत्र व कार्यपालिका तथा प्रशासनिक अंग कार्यकारिणी समिति, का निर्वाचित करती हैं जिसमें एक समारोह उपसमारोह एक मंत्री तथा कुछ सदस्य होते हैं, यह कार्यकारिणी समिति क्षेत्र का समन्वित व प्रति उत्तरदायी होती है तथा उच्च समस्त अपने कार्यों व समय में आस्था प्रस्तुत करती है। मंत्र गणराज्यों की मंत्रि परिषदें स्वायत्तशासी क्षेत्रों

कठोरता का अनुमान लगा सकते हैं। रूस पर आक्रमण करने वाली सभी सेनाओं को इस कठोर शान्त कारण असमर्थ बूट उताने पड़े हैं। इसी प्रकार सोवियत संघ के आधिकारिक भाग में गमा म १० फा से अधिक तार क्रम रहता है।

सोवियत संघ के कुछ बने गिने प्रदेशों में प्रति वर्ग २ इंच से अधिक वर्षा होती है। मध्य एशिया और उत्तर पूर्वी साइबेरिया में तो वर्षा म आठ इंच से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी भाग में जलवायु भी कमी के कारण बहुधा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्राकृतिक साधन—वर्तमान युग में औद्योगिक क्रांति के कारण प्राकृतिक साधनों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। किसी देश की प्राकृतिक शक्ति के लिए उनका प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक माना जाता है। सोवियत संघ प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से संसार के अत्यन्त समृद्ध देशों में है। यूक्रेन (Ukraine) में पर्याप्त मात्रा में कोयला, लोहा और मंगाना पाया जाता है। यूरेल पर्वत में कोयला, सोना, एस्बेस्टस, पारा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल तथा तल के भण्डार हैं। कनाकस्तान में कागला, तांबा तथा अन्य धातुएँ पाई जाती हैं। पूर्वी साइबेरिया में भी कोयला, लाहा, सोना तथा अन्य धातुएँ पाई जाती हैं। काकशस क्षेत्र में तेल, मँगनाज चूना तथा सीसा मिलता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संसार में अधिक कागल और कोयले लाहे का उत्पादक सोवियत संघ ही है। संसार में सबसे अधिक मँगनीज सोवियत संघ में ही मिलता है। यूरेल पर्वत में अन्य खनिज पदार्थों के अतिरिक्त प्लेटिनम, नाना प्रकार के रत्न भी मिलती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक 'किसी अन्य देश में इतना अधिक प्रकार के खनिज पदार्थ नहीं हैं, और जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ही (सोवियत संघ से) अधिक समृद्ध है।'

'No other land has so great a variety of minerals and only the United States is richer'—George B. Cressey *Asia's Lands and Peoples* p. 290

नष्ट हो सकती है। श्रमिकों की अनुशासनहीनता भी राज्य और समाज की पराजित हानि कर सकती है। इन सब से सावजनिक समाजवादी सम्पत्ति का हानि न होने देना महान्यायवादी का प्रधान कर्तव्य है।

महान्यायवादी का दूसरा प्रधान कर्तव्य, जहाँ कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, नागरिकों, पदाधिकारियों शासन विभाग तथा सावजनिक सम्पत्तियों द्वारा निधि व वायपालन का अधीक्षण करना है। यह कर्तव्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विधियों का समुचित पालन नहीं किया जाता तो राज्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विधियों का उल्लंघन न करना इच्छा में ही किया जा सकता है, बल्कि उनका गलत अर्थ समझने व कारण अनिच्छा से भी हो सकता है। महान्यायवादी तथा उसका विभाग के अन्य पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी कारण से विधियों का उल्लंघन न होने दें और यह ऐसा होता है जो अपराधियों का समुचित दण्ड मिलाने जिससे प्रत्येक मनुष्य को मरिचक म विधियों का अतिक्रमण करने का परिणाम भला भाति अज्ञित हो जाय।

महान्यायवादी का स्थानिक सन्निधान व अन्तर्गत शासन के अन्य सभी विभागों से स्वतन्त्र रहना होता है। इसका कारण यही है कि वह शासन न किसी भाग द्वारा विधियों का अतिक्रमण न होने दे सकें। यह स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु यहाँ हम यह जान रखना चाहिए कि महान्यायवादी शासन के विभिन्न अंगों के प्रभाव से भले ही मुक्त हो परन्तु वह कभी निरस्त पार्टी के समर्थन पर मान सकेगा नहीं है। महान्यायवादी के पक्ष पर ऐसा ही व्यक्ति का नियुक्त किया जाता है जो पार्टी की आज्ञाओं का अक्षर पालन करे। ऐसा न करने पर उस पक्षधर भाग किया जा सकता है। महान्यायवादी के विभाग के समस्त कर्मचारियों का कार्यवाहियों का संचालन तथा निर्देशन धन्ध से होता है, इस कारण यह विभाग वन्द्यकरण में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है।

राजनीतिक पुलिस

सावित्र शासन व्यवस्था का बल राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं हो सकता। राज विरोधी पक्षों एवं कार्यवाहियों

शक्ति सम्पत्ति के भण्डार की दृष्टि से भी सोवियत संघ बहुत समृद्ध है। सोवियत संघ के कोयले के भण्डारों का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। काकेशिया जार्जिया तथा यूराल पट्टनमाला के क्षेत्र में तेल पाया जाता है। सवालिन द्वीप में भी तेल निकाला जाता है। वाल्गा नदी की उपत्यका में भी तेल मिलता है। अन्य क्षेत्रों में भी तेल की खोज हो रही है। शक्ति का तीसरा साधन है जल विद्युत्। सोवियत संघ में तेज धारा वाली नदियों का आधिक्य नहीं है, परन्तु वाल्गा तथा अन्य बड़ी नदियों पर बांध बना कर विद्युत् उत्पादन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। साबेरिया की अगारा नदी से भावनी मात्रा में विद्युत् उत्पादन का जाया है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत संघ में देश के औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक सभी साधना का बड़ा भण्डार है। यही कारण है कि सोवियत संघ ने पिछले वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है।

कृषि कोसोव तथा सोवोव—सोवियत संघ की जनता का एक बड़ा भाग कृषिकाय करता है। यही कारण है कि सोवियत संघ संसार के प्रमुख कृषि प्रधान देशों में है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में गहूँ सोवियत भूमि में ही पैदा होता है। रागी और जौ के उत्पादन में भी सोवियत संघ संसार के श्रेष्ठ सभी देशों में आगे है। चुन्दा जिससे चीनी बनती है, और आलू तथा सब्जियाँ भी सोवियत संघ में सर्वाधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में सोवियत संघ में काफी प्रगति हुई है। वहाँ कई करोड़ भैंसों तथा मुद्गर पाले जाते हैं।

साम्यवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पुराने छोटे-छोटे स्वामियों का स्थान अब बड़े-बड़े सोवोवोव (Sovkhoz) तथा काल्कोव (kolkho) ने ले लिया है। सोवोवोव उन क्षेत्रों का नाम है जिनका प्रबंध राज्य की ओर से होता है और जिनमें उत्पादित अन्न पर राज्य का अधिकार होता है। काल्कोव उन क्षेत्रों को कहते हैं जिनका प्रबंध स्वयंसेवकों का एक सहकारी संस्था द्वारा होता है। काल्कोव राज्य की देख रेख में कार्य करते हैं और अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग उन्हें राज्य को देना पड़ता है। राज्य का अधिकार यह है कि वेक्टर तथा अन्य यंत्र उपकरणों के लिए

प्रदान किये जाते हैं जिसके लिए इन्हें राय को किराया देना होता है। सोव्वाजों में कृषक को पारिवर्त्मिक दिना जाता है कोल्लोजा में उन्हें काम के अनुमान से उत्पादित अन्न का एक भाग दिया जाता है।

उद्योग धरे—लनिन ने एक बार कहा था कि उद्योगों का दृष्टि से जार शान्ती रूप “इङ्ग्लैंड” से चार गुना, जर्मनी से पांच गुना तथा अमरिका से दस गुना पीछे था^१ परन्तु सोवियत शासन में रूस ने औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की है। लोहे तथा स्थापन के उत्पादन में अत्र सोवियत संघ अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है। कृषि के यंत्राकरण के लिए ट्रैक्टर और बरबड़ यंत्र तथा यानायात के साधनों के लिए अन्न आनुया का महती आवश्यकताओं की पूर्ति इसी उद्योग के द्वारा की जाय है। न केवल रूस ही, परन्तु अनेक देशों को यंत्र तथा कच्चे पदार्थों का यन्त्री माना में सोवियत संघ द्वारा निर्यात भी किया जाता है। सोवियत संघ के अनेक उद्योगों में सूत कपड़े का उद्योग, चीनी बनाने का उद्योग तथा कागज और नियासलाइ बनाने के उद्योग प्रमुख हैं।

उद्योग धरों के प्रसार के साथ अन्न-बढ़ नगरीय निर्माण होना आवश्यकता है। सोवियत संघ के प्रमुख नगर मास्को, लेनिनग्राद, मोस्को, लार्जोफ, बार्कु, स्लाव्लिनग्राद, कोय आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं।

जनसंख्या—सन् १९४६ के अनुमान के अनुसार सोवियत संघ की पूर्ण जनसंख्या १६ करोड़ ३२ लाख है।^२ सोवियत संघ के उद्योग क्षेत्र, प्राकृतिक साधनों के भण्डार, शक्ति के स्रोत तथा खानाबोखाने को ध्यान में रखते हुए यह जनसंख्या बहुत अधिक नहीं प्रतीत होती। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, सोवियत संघ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम गुना बड़ा है। प्राकृतिक तथा शक्ति साधनों एवं खानाबोखाने का दृष्टि से भी सोवियत संघ भारत की अपेक्षा बहुत अधिक समृद्ध तथा समुन्नत है। परन्तु वहाँ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का केवल ५४ प्रतिशत है।

^१ V I Lenin as quoted by George B Cressey in *Asia's Land and Peoples* p 291

^२ *The Statesman's Year Book* 1956

सन् १९२६ का जनगणना के अनुसार सावित्र संघ की जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग (११ करोड़ ४६ लाख) ग्रामों में तथा एक तिहाई भाग (५ करोड़ ५६ लाख) नगरों में रहता है। पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या १७२ है। इनमें से मास्को तथा लेनिनग्राद की जनसंख्या क्रमशः ४१ लाख ७ हजार तथा २१ लाख ६१ हजार है। शहरों में पचास हजार से एक लाख तक का जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ६२, एक लाख से पांच लाख तक का जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ७, और पांच से दस लाख तक का जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ६ है। जनसंख्या साठवाँ एक अंश तक घट चुका है। सन् १९२६ की जनगणना के अनुसार सावित्र संघ में पुरुषों की संख्या ५६ करोड़ ६६ लाख थी। नारदाहाद की प्रदत्ता राज के द्वारा लाक-न्याय और शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिये जाने तथा जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि होने के कारण सावित्र संघ का जनसंख्या निरंतर बढ़ता जा रहा है। राज की ओर से भी जनसंख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

धर्म—क़्रायि (१९१७) - पूर्ण रूप में प्रथोथोक्स चर्च (Orthodox Church) का राजाश्रय प्राप्त था। मास्कोवाणी अनाश्रय-राज्य हाल में इसी कारण ना-धार्मिक माने - पश्चात् प्रथोथोक्स चर्च का भी राजाश्रय से वंचित कर दिया गया। यह प्रणाली २३ जनवरी १९१८ का एक प्राणति के द्वारा का गई। जनमान सावित्र संघिधान समन्त नागरिका की धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता तथा धर्म विरोध प्रचार का स्वतंत्रता का मान्यता प्रदान करता है।^१

सावित्र संघ में मुक्त चार धर्मों के अनुयायी हैं। ये धर्म हैं—इसाई धर्म, इस्लाम, जैद धर्म और बहूय धर्म। इसाई धर्म के मानने वाले के धर्मों में विभाजित हैं जैसे प्रथोथोक्स चर्च के अनुयायी, प्रोटेस्टेंट, लूथरानी, कैथोलिकानी, यूनान कथार्थिक क़्रायि। यद्यपि अब प्रथोथोक्स चर्च का प्राण्य

^१ Freedom of religion & worship and freedom of anti religious propaganda is recognised for all citizens —Article 124 of the Constitution of the U. S. S. R

समाप्त हो गए हैं परन्तु उनके अनुयायी अभी भी पर्याप्त संख्या में हैं। मास्को तथा अखिल रूस का पट्रिआर्क (Patriarch) उनका प्रथा धर्माधिकारी है। इस्लाम का अनुयायी का संख्या ईसाइयत का सर्वाधिक है। इनमें मुख्यतः मुन्तान हैं। बौद्ध धर्मावलम्बियों की मुख्य संस्था केन्द्रीय बौद्ध परिषद है, जिसका प्रथम एक लामा है। यहूदियों में भी सोवियत संघ में अनर्क सम्प्रदाय हैं।

बाल्यकालिक शक्ति का पश्चात् रूसी साम्राज्य में धर्म विरोधी आन्दोलन की लहर दौड़ गई थी। उस समय धर्माधिकारियों के साथ निन्दनीय व्यवहार भी किया गया था और विरजा के स्थान पर सहाय (म्यूजिम्) आदि भी बना लिए गए थे। ग्राम भी साम्यवादी दल (Communist Party) का सम्बन्ध होना किन्हीं ऐसे शक्त के लिए समझ नहीं है जो पूर्णतः पण शैलीश्वरवादी न हो। परन्तु राज्य की ओर से अब पहले की अपेक्षा कुछ अधिक उत्पन्न शक्ति का पालन किया जा रहा है। सन् १९३६ के संविधान ने धर्माधिकारियों का राजनातिक अधिकार प्रदान कर दिए हैं, जो उन्हें पिछले संविधानों द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे।

कृतिया तथा भाषा—सोवियत नेता नारशाही रूस को जातिवादी का कारण बनाने का नाम से समझित करते हैं। इसका कारण यह है कि नारशाही रूस में विभिन्न जातियों के लोगों का लड़कन रूसी साम्राज्य के अन्दर रहने के लिए विवश किया जाता था और उनका शासन किया जाता था। क्रांति के पश्चात् जातिवादी की समस्या का अन्त नहीं हुआ था क्योंकि वर्तमान सोवियत संघ में लगभग वह सभी प्रदेश सम्मिलित हैं। उन र जात का प्रमुख था परन्तु सोवियत शासन ने जातिवादी की समस्या का दूसरे प्रकार में सुलभ करने का प्रयत्न किया है। निरन्तर साम्राज्य के अन्दर सोवियत शासन प्रणाली में सभी जातियों को अपनी भाषा और संस्कृति के विकास का प्रयत्न प्रदान किया गया है। यद्यपि कि संविधान में सोवियत संघ के प्रत्येक एकक (Unit) को संघ से पृथक् होने का अधिकार भी दिया गया है।^२ व्यवहार में इस अधिकार का प्रयोग कदा तक समझ है इस पर हम आगे विचार करेंगे।

The prison of peoples

^२ The right freely to secede from the U S S R, is reserved to every Union Republic - Art 17 of the Constitution of the U S S R

सोवियत संघ की जनता का एक बड़ा भाग स्लाव (Slav) जाति के लोगों का है, जो कार्पेथियन पर्वत माला के उत्तर पूव से पूर्वी योरोप के विभिन्न भागों में फैल गए थे। प्रारम्भ में इनका जीवन खानाबदोशों जैसा था। रूस के महान रूसी (Great Russians), यूक्रेन के लघु रूसी (Little Russians) और बेलोरूस (Byelorussia) के श्वेत रूसी (White Russians) इन्हीं स्लाव जातियों के हैं। सोवियत संघ का अन्य जातियाँ मंगोल, फारसी, तथा तुर्क जाति-समूह मुख्य हैं। स्लाव जातियों के लोगो में पोल (Poles) भी हैं। परन्तु इनमें अधिकांश रोमन कैथोलिक हैं, जब कि उपरोक्त तीनों प्रकार के रूसी अर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी हैं। उत्तर और उत्तर पूव में फिन जाति (Finns) के लोग हैं, परन्तु अब उनका संख्या अधिक नहीं है। जर्मन और यहूदी भी सोवियत संघ के कुछ भागों में रहते हैं। सोवियत संघ में १६६ जातीय समूहों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है परन्तु, २, से अधिक संख्या वाले समूहों का संख्या ५ है।^१ उपरोक्त जाति समूहों का अपनी अपनी भाषाएँ हैं। १६३६ की जनगणना के अनुसार लगभग ७८ प्रतिशत जनता स्लाव जातियों की थी और शेष २२ प्रतिशत अन्य जातियों की।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलन के सिद्धान्त के अधार पर धारों में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का स्थापना हुई थी। उस समय एक राज्य एक राज्य के सिद्धान्त का बहुत प्रचार हुआ। परन्तु सोवियत नेताओं ने राष्ट्रीयता और अथवा जातियों के स्वतंत्रता के सिद्धान्त का स्वीकार करत हुए भी एक राज्य एक राज्य के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। सन् १९२३ में स्थापित सोवियत समाजवादी गणराज्य में एक राष्ट्र बनाया गया है। सोवियत नेताओं ने जातियों की समता को हल करने के लिए क्या उपाय किए, इस पर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे।

अध्याय २ क्रांति के पूर्व का रूस

प्रारम्भिक इतिहास—। उस समय पश्चिमी यूरेश में पवित्र रोमन साम्राज्य का उदय हो रहा था, उस समय जतमान रूस के प्रदेश में मध्य एशिया से आये हुये स्लाव जातियाँ के एतानादोश लोग निवास करते थे। यह लोग एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते थे इस कारण इनमें मुझ सामाजिक तथा राजनैतिक संगठन का अभाव था। नवो जनाङ्गल में स्कैन्डिनेविया निवासी (Norsemen) इस प्रदेश में आकर बसने लगे। सन् ८२८ में क्रांतिकारी राजकुमारों ने तीन छोटे छोटे राज्यों की नींव डाली। कालान्तर में इन तीनों राज्यों का रूसक (Rusik) नामक राजकुमार ने, जो उल्लेख तीना राजकुमारों में से ही एक था एक में मिला लिया और एक स्लाव राज्य की स्थापना की। इस राज्य का राजधानी काव् (Kiev) नगर था जो डानेपर (Dnieper) नदी के तट पर स्थित है।

काव् (Kiev) राज्य का रूस के अन्य समा राज्यों पर काफी समय तक प्रभाव रहा। इस राज्य का सम्बन्ध शीघ्र ही कन्स्तान्टिनोपल (Constantinople) में स्थापित हो गया, जो उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का राजधानी थी। वहाँ से ईसाई धर्म प्रचारका का रूस प्रदेश में आना प्रारम्भ हुआ गया। उन्होंने यहाँ के अधमिश्रणशी तथा अनेक देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। यद्यपि तरहवीं शताब्दी में ततार आक्रमणों के समय तक काव् का अन्य राज्यों पर प्रभाव बना रहा, परन्तु किसी संगठित तथा सशक्त राज्य की स्थापना नहीं हो सकी।

मंगोलों का आक्रमण—सन् १२२४ में जेङ्गु खान (Jenghiz Khan) के मंगोल दला ने रूसी प्रदेश पर आक्रमण किया। स्लाव सेनाएँ उनके सामने नहीं टिक सकीं और पराजित हुईं। सन् १२३७ में दूसरा तातार आक्रमण हुआ और इस बार आक्रानक ने रूस के समस्त मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।

लगभग दो शताब्दियों तक रूस पर मंगोलों का प्रभुत्व रहा। आक्रमण के समय मंगोलों ने अत्यन्त क्रूरता से काम लिया परन्तु शासन में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। उन्हें उबल अन्न कर प्राप्त करने की ही उद्युक्तता रहती थी। मास्को का ड्यूक उनका कर एकत्र करने वाला प्रथम अधिकारी था। उसने इस स्थिति से लाभ उठा कर अपने निकटवर्ती राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। सन् १२८८ में एक बड़े युद्ध में मास्को के राजा ड्यूक ने मंगोलों को पराजित कर दिया। मंगोलों का साम्राज्य उस समय प्रायः पूर्णतः टूट चुका था और उनकी शक्ति का हास हो चुका था। पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य का उत्तरी प्रदेश में तैतार शासन का रण रूपा अग्रगण्य भी नाट हो गया।

मास्को के नेतृत्व में रूस का एकिकरण—रूस में ग्रामी भी बहुत से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों थे परन्तु उस समय तक मास्को के शासकों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। मंगोलों पर विजय होने के कारण मास्को के ड्यूक को रूस की एकता की याकदा रखने वाले सभी वर्गों का नेतृत्व प्राप्त हो गया। साथ ही साथ यावसा विमान के कारण बहुत से जमींदार सामंत तथा धर्माधिकारियों की सहायता भी उसे प्राप्त हो गई थी। सन् १४५३ में कन्स्टान्टिनोपल (Constantinople) पर तुर्कों (Turks) ने अधिकार कर लिया। उस समय मास्को का शासक वसिलो द्वितीय (Vasil II) था जिसने कई भीषण युद्ध लड़ कर दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सन् १४६२ में इवान तृतीय (Ivan III) मास्को का शासक हुआ और उसने योरोप के अन्य शासकों को सूचित किया कि उसका राज्य बाइजन्टीन साम्राज्य (Byzantine Empire) का उत्तराधिकारी है। इवान चतुर्थ ने, जिसे इवान भयंकर (Ivan the Terrible) भी कहते हैं, जार (Tsar) का खिताब प्राप्त किया। जार शब्द सीज़र (Caesar) शब्द का अपभ्रंस है। मास्को के शासन करने निकटवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार कर रहा। मनरा के राज्यों में 'सालहरी' शताब्दी के अंत तक मास्को रूस बन गया था और उसका शासक जार। उनका राज्य क्षेत्र में यूरेन और वोल्गा की उपरका (Volga Valley) सम्मिलित थे, और यह कस्बिया सागर और काल्बेरिया तक फैला हुआ था।^१ बाइजन्टीन साम्राज्य

^१ 'By the end of the sixteenth century Moscow had

के नाट हो जान के बाद रूस का चच भी बाह्य प्रभाव से पृथग्रूपेण मुक्त हो गया था। इस समय तक उसका पास बहुत सी भूमि एकत्र हो गई थी और इस कारण उसके हित राजसत्ता के हित के साथ सन्नद्ध हो गए थे। इसका पारंगम यह हुआ कि वह मास्को के शासकों के प्रभाव में आ गया।

सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम में सार्वबेरिया की विजय के लिये मास्को के शासकों ने अपनी सनाएँ भनीं। सन् १७२६ तक मास्को की सनाया ने लगभग समूचे सार्वबेरिया पर आधिपत्य कर लिया और इस प्रकार रूस का सीमा रेखा प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) तक पहुँच गई। सार्वबेरिया में पोलैंड और स्वीडन आदि ने रूस पर आक्रमण किये परन्तु उन्हें विजय प्राप्त करने में सफलता न मिली। सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में मजलिस्की द्वारा विद्रोह करने के प्रयत्न किये गये। इसी कारण इस समय को 'प्रशान्ति का समय' (Time of Troubles) कहा जाता है। परन्तु वह विद्रोह सफल नहीं हो सका और रूस की राजनीतिक स्थिति में कोई प्रत्यय नहीं हुआ।

पीटर महान (Peter the Great)—सन् १६८६ में सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की। वह एक महानाकांक्षी युवक था जो रूस की गतता का अग्रय योरोपीय देशों की श्रेणी में लाकर स्वयं एक महान शक्ति का शासन चलायाना चाहता था। वह जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा करने के लिये एक प्रबल तथा सुसंगठित सेना होना आवश्यक है। इस कारण उसने सैनिकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि का और उन्हें अनुशासित रह कर कार्य करना सिखाया। उसने जनसत्ता के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया। इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के समय रूस के पास २, ०, ०, ०, ० सैनिकों की युवा शक्ति सना तथा ५, ०, ०, ०, ० नौसैनिक थे। स्वाम्मन के शासक चार्ल्स की

become Russia and its princes tsars Their dominions included the Ukraine and the Volga valley and stretched as far as the Caspian Sea & Siberia 1—William Bennet, Munro and Morley *Ancient Governments of Europe* (4th Ed) p 634

सना से पाटर की सेना का युद्ध हुआ और उसमें विजय के फलस्वरूप रूस का कई प्रदेश प्राप्त हुये ।

पाटर ने राल्टिक क्षेत्र में सेंट पाटर्सबर्ग (St Petersburg) नामक नगर का निर्माण किया और उसी का अपना राजधानी बनाया । उसने अनेकों महत्वपूर्ण मुद्धार किये और रूस को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिये स्कूल, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय बनवाये । रूस के औद्योगिकरण के लिये भी उसने पूर्ण प्रयत्न किया और विशेषा उद्योगों तथा कृषिकारियों का रूस आने के लिये प्रोत्साहित किया । उसके मुद्धार करने में महत्वपूर्ण तथा जानक थे कि अब बाल्शेविक नेता भी उस क्रांतिकारक शासक मानने लगे हैं । परन्तु सामान्य जनता का उसका मुद्धार अधिक प्रभावित न कर सका । उसने एक जगह बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया । उसने राजसत्ता तथा धर्माधिकारियों के अधिकार का स्थिति न उलटने देने के लिये अर्थशास्त्र के पूर्ण अन्वेषण कर लिया और स्वयं उसका प्रधान बन गया । उस रूस में पूर्ण एकतन्त्र (A tocracy) स्थापित हो गया । सन् १७२१ में पाटर ने स्वयं का सम्राट (Emperor) घोषित किया जिस से रूस के शासक का सम्मान और अधिक बढ़ गया ।

द्वितीय महान्—पाटर की मृत्यु के पञ्चात् अठारहवीं शताब्दी में रूस की शासन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु रूस सम्राट का विस्तार बढ़ता ही गया । रूस का सम्राट कैथरीन महान् (पीटर महान् की पत्नी) के समय में रूस का काले सागर (Black Sea) का हिम विहान बंद प्राप्त हुआ । रूस के शासक बहुत समय से ऐसे बंद को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे थे । कैथरीन महान् के शासन काल में ही रूस को पार्लियामेंट के विभाजनों में उसके राज्य क्षेत्र का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ परन्तु राज क्षेत्र में विस्तार होने के साथ ही नए संस्थाएँ उत्पन्न हो रही थीं । इतने उच्च साम्राज्य का समुचित शासन सरल कार्य न था ।

अलेक्जेंडर प्रथम के मुद्धार—उत्तरवीं शताब्दी के प्रथम वर्ष (१८०१) में अलेक्जेंडर प्रथम (Alexander I) रूस का शासक बना । वह उत्तर विचारों वाले युवक था और रूस से निरंकुश शासन का अंत कर एक संवैधानिक राजतन्त्र (Constitutional monarchy) का स्थापना करना चाहता था । रूस

में निवाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान प्रवर्तित करने की भी उसकी योजना थी।^१ उसक शासनकाल (१८११-१८२५) में संविधानिक सुधार की कई याजाएँ बनाई गईं, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना स्पेरान्स्की (Speransky) का योजना है। यह योजना सन् १८१६ में प्रस्तुत की गई थी। स्पेरान्स्की की योजना शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धान्त पर आधारित थी और इसमें सम्राट को त्वावनिर्माण काम में सहायता देने के लिये जनता द्वारा निर्वाचित राज्य परिषद (State Council) तथा शासन के प्रत्येक विभाग के लिये एक मंत्री की व्यवस्था का गइ था। सन् १८११ और १८११ में राज्य परिषद का स्थापना तथा मन्त्रालयों के पुनर्गठन के रूप में स्पेरान्स्की की योजना के कुछ भागों का कार्य रूढ़ भी दिया गया। परन्तु नेपोलियन के विरुद्ध पुनः युद्ध आरम्भ हो जाने तथा स्पेरान्स्की के पदच्युत किए जाने के कारण प्रस्तावित सुधारों का अधिकांश भाग प्रयत्न में न किया जा सका। राज्य परिषद के संस्था की स्वयं सम्राट नामांकित करता था तथा वह एक संसदीय तथा प्रस्तावों का मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस कारण इन सुधारों से रूस के शासन के एकत्रतामय स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। सन् १८११ में उसका कारण यही है कि तब जनता के वाद अचञ्छे रूप में प्रकट हुए। मन्त्रिमंडल परन्तु महान् परिवर्तन हो गया था।

दिसंबर क्रांति (December 11st Revolution) तथा निकालस प्रथम का शासन—ग्रोर्नोव प्रथम के पश्चात् निकोलस प्रथम (Nicholas I) रूस का तब राजा। उसक शासन काल (१८२५-१८५५) के प्रारम्भिक वर्षों में ही असफल दिसम्बरी क्रांति हुई। उस क्रांति के प्रयत्नों का नेतृत्व आभिजात्य वर्ग के तथा उत्तरवादी विचारों के व्यक्तियों के हाथ में था। इस विद्रोह का दूरता के साथ दमन किया गया। जार निकालस के शासन-काल में उत्पन्न प्रतिक्रियावादी का ही प्रधानता रही। उस काल में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ और वह था स्पेरान्स्की के द्वारा 'रूसी साम्राज्य की विधियाँ की संहिता' का संकलन। पेत्रर्सकी के शासन में, "देश के इतिहास में प्रथम बार यह अभि

^१F. A. Ogg and Harold Zink, *Modern Foreign Governments* p. 797

निश्चित करना सम्भव हो गया कि बालन में साम्राज्य का शासन किन विधिर्षा के अनुसार संचालित होता है'।^१

निकोलस प्रथम ने काले सागर का पूरा उपयोग करने लिए १८५२ में टर्की से युद्ध आरम्भ कर दिया। युद्ध का कारण टर्की के सुलतान की अर्धों डाक्स ईसाई प्रजा की रक्षा बनाया गया। इसी युद्ध को क्रिमियन युद्ध के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ईंग्लैंड और फ्रांस रूस के इस पन्ते हुए प्रभुत्व को सहन नहीं कर सकते थे, इस कारण उन्होंने टर्की के सुलतान की सहायता के लिए अपनी सनाएँ भर्ना। सन् १८५५ में निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई। सन् १८५६ में पेरिस में संधि हुई जिसमें काले सागर में युद्धपोता (Warships) के ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस प्रकार रूस का भूमध्य सागर की ओर विस्तार रोक दिया गया।

अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन तथा उसके सुधार—सन् १८५५ में अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के जारशाही सिंहासन पर आरोहण हुआ। उसके शासन काल (१८५५-१८८१) में रूस ने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। सन् १८६४ में तुर्का और किर्गिज़ सरदारा के पारस्परिक वैमनस्य का लाभ उठा कर रूस ने ताराकन्त (Tashkent) पर अधिकार कर लिया। चार-पाँच सन् १८६८ में रूसी सेनायाँ नान्गाय की राजधानी समरकन्त पर अधिकार कर ली। उसके पश्चात् नांगारा के खान ने समरकन्त का पूरा प्रांत रूस का दे दिया।

उन्हीं रूसी साम्राज्य के क्षेत्र में निरन्तर विस्तार हो रहा था वहाँ आन्तरिक परिस्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जाता था। रूसी राजनीतिज्ञ यह अनुभव करने लग गये कि अन्त सुधार का अधिक समर्थन न मिले स्थगित नहीं किया जा सकता। क्रिमिया के युद्ध (Crimean War) में रूस की पराजय के पश्चात् सुधार का घोषणा किया जाना आवश्यक समझा गया। सन् १८६१ में अलेक्जेंडर

“ For the first time in the history of the country it became possible to ascertain what actually were the laws governing the Empire ” Michael T. Florinsky *The Govt & Politics of the U S S R in Governments of Continental Europe* edited by Shotwell

र द्वितीय ने कृषका की अददासता (Serfdom) का अत करने की घोषणा का। वी कृत्य के कारण उसे 'उद्धारक तार' (the Tsar Emancipator) क नाम से संबोधित किया जाता है। कृषका का एक निश्चित परिमाण म भूमि देने की व्यवस्था की गई परन्तु इसने बत्ले में उह तर्मागत को प्रतिकर क र म धन देना होता था। इन सुगत स जहा एर त्रार तर्मागत म त्रसता का भागना फल गई वहा दूसरी त्रार कृषका को भा त्रार निराशा हुई। उनर पास तर्मागत को प्रतिकर देने क लिए न नहा था त्रार इस कारण उहें सुगत से विशय लाभ नर्ता हुआ।

त्रलेक्जेंर क अन्य प्रमुख सुधार स्थानाय स्वशासन सस्थाओं का पुनगठन, न्याय त्रस्था में सुधार, त्राय त्रय का एकाकरण, विश्वविद्यालया का त्रारिक सगठन क सभ्रध में स्वायत्तता त्रिा जाना आदि थ। परन्तु जिस सुधार का सर्वाधिक माग थी वह स्वीकृत नर्हा किया गया। अलेक्जेंर द्वितीय जनता द्वारा निर्वाचित विधान सभा स्थापित कर अपना एकतयीय सत्ता को सीमित करने का सदैव विरोधी रहा। साम्राज्य क त्रधिकारी उन्मत्तावानी त्रिचारा स इतने भयभीत थे कि व समाचारपत्र म 'सविधान त्रार' 'सस' शब्द को भी सेंसर कर देते थे।^१

त्रार त्रलेक्जेंर क द्वारा किय गये सुधार महत्त्वपूर्ण तथा प्रगतिवादी हान हुये भी जनता का सतुष्ट न कर सक। त्रारशाहा क प्रात जनता क हृदय म सझाव त्रारण करने क स्थान पर त्रनका त्रिल्लुल उजटा ही प्रभात हुआ। त्रनक कारण उन्मत्तावानी आन्दोलन (Liberal movement) का धग त्रार भा अधिक त्र गना। मनरी क मतानुसार "कृषका क उद्धार का एक परिणाम नह हुआ कि कृषका क नगरों का जाने का प्रोसाहन निला त्रहा कन मचूी पर तथा त्रौद्योगिक त्रारि क प्रारम्भिक धरों की नू तापूर्ण काय का त्रशात्रा म काखाना म काम निज जाता था। काखाना क त्रही श्रमिक त्राल्शेविकों क सत्ता प्राप्त करने क साधन बने।^२ जनता में पैदा निराशा त्रार त्रसतोर सन् १८८१ म

^१ Sergius A. Korff *Autocracy and Revolution in Russia* p 7-8

^२ W B Munro and M Aycarst *The Governments of Europe* p 637

अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या का कारण बना। उसका शासन-काल के अन्तिम वर्षों में रूस में निहिलिस्ट (Nihilist) दल का जार बहुत बड़ा था। जारशाही पुलिस ने दमन से निहिलिस्टों का गुप्त सत्याग्रह को समाप्त करने का प्रयत्न किया। स्वयं अलेक्जेंडर द्वितीय पर जम फेंक कर उनकी हत्या करने वालों को निहिलिस्ट माना जाता है।

अलेक्जेंडर तृतीय—अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के पश्चात् अलेक्जेंडर तृतीय उसका उत्तराधिकारी बनकर मजबूत हुआ। उसने समस्त उत्तरादासी आन्दोलनों (Liberal movements) का कुचनने तथा पूर्णरूपण निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। अलेक्जेंडर तृतीय ने अपनी मृत्यु के दिन सुधार की एक योजना पर अपनी स्वाकृति दे दी थी। इन योजनाओं को “लारिस-मेलिकोव संविधान (Lois Melikov Constitution)” कहा है, क्योंकि इसका निर्माता काउन्ट एन डी लारिस मेलिकोव था। उस योजना में एक ऐसा परामशान्ता परिषद् का बनाने का प्रस्ताव था जिसके कुछ सदस्य जार द्वारा नामांकित किये जाते तथा कुछ अन्य स्थानाय संस्थाओं द्वारा चुने जाते। यह परिषद् बस परामशान्ता होना और इसका निश्चय को मानना सम्राट के लिये आवश्यक न था। परन्तु अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद उसका उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर तृतीय ने इस योजना का प्रवर्तन नहीं किया। उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह समस्त आधिकारी तथा उत्तरादासी आन्दोलनों का उन्मूलन कर पूर्णरूपण एकतन्त्र शासन बनाए रखेगा और अपने सम्पूर्ण शासन काल में वह अपने निश्चय पर अटिग रहा। उसने अपने शासन-काल में अपने साम्राज्य की स्थितियों में भिन्न सभी जातियों का रूसीकरण (Russification) करने का भी प्रयत्न किया।

सन् १९०५ का असफल क्रांति—सन् १९०५ में अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र निकोलस द्वितीय (Nicholas II) ने उसका स्थान लिया। उसका विचार अपने पिता के समान ही था। उसने अपने पिता की प्रतिक्रियाशील नीति का ही पालन किया और सुधार के लिए आन्दोलन करने वालों का अत्यास दमन किया। इस नीति के परिणामस्वरूप जनता का असंतोष बढ़ने लगा और प्रतिजारी संस्थाओं का कार्यवाहियों भी और अधिक

न गइ। निकोलस द्वितीय ने सन् १९४ में जापान के साथ अपने मित्रों का तय करने व सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसे दृढ़ विश्वास था कि जापान युद्ध में रूस के सामने नहीं टिक सकता। परन्तु युद्ध का परिणाम उसकी आशा के विपरीत हुआ। पराजित जार को जापान से सधि करने के लिए विवश होना पडा जिसमें उस दक्षिणी मन्चूरिया और कोरिया में अपने समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। सखालिन् द्वीप का आधा भाग रूस ने जापान को दिया। यह सधि जारशाही के लिये अत्यन्त लज्जाजनक थी और इससे उसने सम्मान को गहृत ठेस लगी।

जनवरी १९५ में जब कि रूस जापान युद्ध जारी था पाटर्सबर्ग व एक नये कारखाने व श्रमिकों ने हड़ताल की। घ लाग तुलूस बना कर जार के 'शर' प्रसार व सामने अपनी मार्गा को प्रस्तुत करने के लिये गये। परन्तु जारशाही पुलिस ने उन पर गाली चलाई जिसमें नैक्रड श्रमिक हताहत हुए। इससे जनता व सभी मार्गा में तीव्र असंतोष की भावना गायत हो ग। क्रक जो अभी तक जार का जनता का हितचिन्तक समझत थ, जार के विरोधी हो गय। समस्त रूस में विद्रोह की एक लहर लौड गई और श्रमिकों और क्रक ने स्थान स्थान पर हड़तालें और आन्दोलन किये। इसी समय पोतेम्किन (Potemkin) नामक युद्ध पात (battleship) व नाविका ने विद्रोह किया। रूसी साम्राज्य की राजधाना सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों की सोवियत (Workers Soviet) का स्थापना का गई। इसी व अनुरूप सोवियत या परिषद अन्य स्थानों पर स्थापित का गइ। इस समय तक आ गेलन का नेतृत्व मार्लोविक नेताओं के हाथ में आ चुका था। सेंट पाट्सबर्ग की सभ्यता का सभापति नास्का था। जार ने विद्रोह का दमनने का पूण प्रयत्न किया परन्तु जापान व पराजित होने के कारण उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुका थी। ऐसी स्थिति में उमने कुछ सुधारों की घोषणा कर स्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न किया।

३० अक्टूबर का घोषणापत्र^१—३ अक्टूबर, १८५ का जार ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसमें कई सांविधानिक सुधारों का उल्लेख किया

^१ उस समय रूस में जा सवत् (calendar) प्रचलित था उसक अनुसार यह

गया था। इस घोषणापत्र के द्वारा जनता की मूल स्वतन्त्रता का प्रत्याभूति प्रदान की गई थी। यह मूल स्वतन्त्रताएँ अकारण बन्दी न बनाये जाने की स्वतन्त्रता, विचारों की स्वतन्त्रता, समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, एकत्र होने का स्वतन्त्रता तथा संगठित होने या संघ बनाने की स्वतन्त्रता थीं। घोषणापत्र में एक द्विसप्ताहिक विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। इसके उच्च सदन के आधे सदस्यों को जार द्वारा नामांकित किया जाना तथा आधे को अग्रयत्न रूप से निर्वाचित किया जाने की व्यवस्था की गई थी। निम्न सदन जिसका नाम राय ड्यूमा था, व सदस्यों का निर्वाचन जिला सभाओं के द्वारा किया जाता जो पुरुष-मतदाताधिकार के आधार पर चुनी जातीं। घोषणापत्र में यह नियम स्वीकृत किया गया था कि कोई विधि (law) राय ड्यूमा के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगी तथा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्राट् द्वारा नियुक्त अधिकारियों की कार्यवाहियों पर नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार दिया जायेगा जिससे उनकी कार्यवाहियाँ विधि के अनुकूल हों।

सन् १९५ और १९६ में उत्तराक्त घोषणापत्र को प्रवर्तित करने के लिये आवश्यक विधियाँ बनाई गईं, तथा पूर्ण प्रवर्तित विधियाँ में संशोधन किये गये। अन्तर्जातीय समय में प्रातिमार्ग अन्तर्दल भाँटा शिथिल हो कर समाप्त हो गया। अभी रूस की जनता में वह राजनीतिक चेतना और सगन्धि हो कर कार्य करने का भावना नहीं था जो क्रांति को सफलता प्रदान करती है। अक्टूबर १९५ के घोषणापत्र पर विचार प्रकट करते हुये मारा ने लिखा है कि "सन् १९५ में रूस अत्यन्त राजनीतिक विमोह की उस स्थिति तक पहुँच गया था जहाँ" का सन् १९५ में मन्ना काटा के द्वारा प्राप्त हुआ था।"

घोषणा १७ अक्टूबर को की गई। राष्ट्र में रूस में भी अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष स्थापित कर लिया गया।

१ 'Russia in 1905 had at least reached the stage in political development attained by England in 1215 with Magna Carta' — W. B. M. and Morley Aycarst *The Conquests of Europe* p. 639

प्रथम तथा द्वितीय ड्यूमा—अक्तूबर १६ ५ व घोषणापत्र व अनुसार सन् १८ ६ म प्रथम राय ड्यूमा के निर्वाचन कराए गए। राय ड्यूमा म सभी सत्स्य निर्वाचित थ। यद्यपि खिथा का मताधिकार नहीं टिया गया था परंतु पुरुषा की एक बड़ी संख्या का मताधिकार प्राप्त हो गया था। समाजवादी विचारों व उग्र टल सन् १६ ५ व सांविधानिक सुधारों स सतुष्ट नहीं थ, उस कारण उन्होंने निर्वाचन का प्रायकाट किया। प्रथम ड्यूमा न अधिकांश सत्स्य सांविधानिक प्रजातन्त्रवादी (Constitutional Democrats) दल व थे, परंतु कुछ सत्स्य उग्र विचारों वाले भी थ। म १६ ६ म इसका प्रथम सत्र हुआ और इसने एक ऐसे विधेयक पर सन्चार करना आरम्भ किया जिसके द्वारा नवी जमादारियों का समाप्त कर भूमि का कृषकों म वितरित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ड्यूमा ने मंत्रिमण्डल व कार्यों व सम्भव म एक सप्ताह का प्रस्ताव पारित करने का प्रयत्न भी किया। इस समय तक रूस और जापान म संधि हो चुकी थी, और इस कारण जिस दस्तावेज कारण चारों न सांविधानिक सुधारों की घोषणा की थी वह अंग समाप्त हो गया था। जार ने जून १६ ६ म ड्यूमा का भंग कर दिया और उस प्रकार उस में सांविधानिक शासन का प्रथम प्रयोग ही असफल रहा।

प्रथम ड्यूमा व विघटन न पश्चात् पुन निर्वाचन कराए गए। उ समाजवादी और क्रान्तिकारी दल ने, जिन्होंने पिछले निर्वाचन का प्रायकाट किया था, इस बार निर्वाचन म भाग लिया। इस परिणामस्वरूप ड्यूमा और जार व बीच की खाई और गहरी गई। निर्वाचन व कुछ ही माह पश्चात् जून १६ म जार ने द्वितीय ड्यूमा का भी भंग कर दिया। जार तथा उग्र मंत्रियों को यह विश्वास हो गया कि अब तक निर्वाचित सम्प्रदाय नियमों म परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक ड्यूमा व साथ कार्य करना असंभव है। उसी कारण जिस दिन द्वितीय ड्यूमा को भंग किया गया उसी दिन जार की सरकार ने एक नई विधि का प्रस्ताव किया जिसमें निर्वाचन तथा मताधिकार सम्बंधी नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

जून १६०७ के निर्वाचन नियमों तथा तृतीय और चतुर्थ ड्यूमा—निर्वाचन सम्बंधी नए नियमों व द्वारा मताधिकार को बहुत अधिक सीमित कर

लिया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया कि ड्यूमा में जार व समर्थकों का बहुमत हो। निर्वाचन सम्बन्धी इस नई विधि को प्रवर्तित कर जार ने अक्टूबर १९५ के घोषणापत्र का अतिक्रमण किया था, क्योंकि घोषणा में कहा गया था कि प्रत्येक विधि ड्यूमा की स्वीकृति से बनाई जावेगी। इस विधि को प्रवर्तित करने के साथ ही जार की सरकार ने क्रान्तिकारी तथा सामाजिक जनतन्त्रवादी दलों के गृह से सदस्यों को निर्वासित कर लिया।

निर्वाचन सम्बन्धी नई विधि को प्रवर्तित करने से जार का उद्देश्य पूरा हो गया। सन् १९०७ में तृतीय ड्यूमा के निर्वाचन में जारशाही के समर्थकों को बहुमत प्राप्त हुआ। अनुमान किया गया है कि इस निर्वाचन में करल १५ प्रतिशत नागरिकों को मतदाधिकार प्राप्त था^१। निर्वाचन विधि की बदिलता के कारण चुनाव और अभिकर्त के वास्तविक प्रतिनिधित्व का निर्वाचित होना अत्यंत दुष्कर था। तृतीय और चतुर्थ ड्यूमा में क्रमशः पैंतानीस और पैंतानीस धमाधिकारी (electors) चुने गए थे। यह बहुत नयी संस्था है। यह सभी प्रशासनिक जारशाही के समर्थक थे क्योंकि पिछले काफी समय से जारशाही और धमाधिकारियों में परस्पर गठन-घटन था। तृतीय और चतुर्थ ड्यूमा में जार की सरकार का किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं किया और उसका अन्धानुबल कार्य किया। इस कारण इन दोनों ने पूरे पांच पांच वर्ष कार्य किया था कि उनका निश्चित कार्यकाल था।

जारशाही शासन के अन्त्य अंग—सन् १९०५ के सामाजिक परिवर्तनों के पश्चात् रूस के शासन का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझने के लिए ड्यूमा के अतिरिक्त शासन के अन्त्य अंगों तथा उनसे जुड़े शक्तियों का समझना आवश्यक है। यद्यपि इन परिवर्तनों ने जार की शक्तियों पर पर्याप्त प्रतिरोध लगा दिया था परन्तु अभी भी शासन में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। अप्रैल १९०६ में अक्टूबर १९०५ के घोषणापत्र के अनुसार संशोधित व परिवर्तित मूल विधियाँ (Fundamental Laws) में उल्लेख था “रूस के सम्राट में सर्वोच्च एकवर्ती शक्ति निहित है। उसकी आज्ञाओं का न केवल भय के कारण बल्कि अन्तःकरण

^१ Florinsky M T *op cit* p 676

से मानने की आज्ञा स्वयं ईश्वर ने दी है ।^१ प्रत्येक विधेयक पर उसके विधि का रूप लेने व पूर्व सम्राट का स्वीकृति आवश्यक थी । मूल विधियां म सशोधन प्रस्तापित करने का अधिकार वरुण सम्राट को ही था । विधान मण्डल ऊ उच्च सदन, राज्य परिषद (State Council), ने प्राथमिक सदन सम्राट द्वारा नामांकित किए जाते थे । इस अतिरिक्त सम्राट को विधान मण्डल व दोनों सदन व सत्र बुलाने, उन्हें स्थगित करने तथा उन्हें विघटित करने का अधिकार भी प्राप्त था । इस सम्बन्ध में वरुण यही प्रतिबन्ध था कि यदि म एक बार उनका सत्र बुलाना जाना आवश्यक था ।

राज्य व उच्च अधिकारियों तथा मंत्रियों को सम्राट स्वयं नियुक्त करता था । मंत्री वरुण सम्राट व प्राप्त उत्तरदायी होते थे विधान मण्डल व प्रति नहा । वैदेशिक सम्बन्ध, युद्ध तथा शान्ति का घोषणा करना तथा अन्य देशों से सन्धियां करना, ये सब सम्राट व परमाधिकार (prerogatives) थे । सम्राट को आपत्कालीन स्थिति (State of Emergency) की घोषणा करने का भी अधिकार था । ऐसा घोषणा व पश्चात् नागरिक स्वतंत्रताएँ निलम्बित (suspend) हो जाती थी ।

सन् १८६४ में अलेक्जेंडर द्वितीय ने न्याय व्यवस्था सम्बन्धी बहुत म महत्वपूर्ण सुधार किए थे जिनके द्वारा न्यायाधीशों को पचास स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी । परन्तु धीरे धीरे न्याय व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए जिनमें सन् १८७४ व सुधारों का प्रभाव वास्तव में सीमा तक नष्ट हो गया । सन् १८८८ में एक विधि व द्वारा कृषक द्वारा किए जाने वाले हुत से छोटे अपराधों व सन्ध में विचार करने का अधिकार न्यायाधीशों से छीन कर राजकीय अधिकारियों को दे दिया गया । यह अधिकार सन् १९१२ में विधान मण्डल व दोनों सदन द्वारा पारित विधि द्वारा न्यायाधीशों को वापस लिया गया ।

आपत्कालीन शक्तियों का दुरुपयोग—अलेक्जेंडर द्वितीय की क्रांति

^१ "To the Emperor of all the Russias belongs the supreme autocratic power To obey his commands not merely from fear but according to the dictates of one's conscience is ordained by God himself —Art 4 of the Fundamental Laws

कारिया द्वारा हटा किये जाने (१८८९) के पश्चात् से रूस में "आपराधिक उपाय (exception l mea u es) का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। इनके अन्तर्गत प्रशासनीय अधिकारियों को अत्यंत विस्तृत अधिकार दे दिये जाते थे। एक विशेष राजनातिक पुचित ओब्राना (Okbrana) का संगठन किया गया था जिस का कार्य गुप्त राजनातिक कार्यवाहियों का पता लगाना तथा अपराधिकारियों को ढूँढ निकालना था। अस्तुत यह पुलिस जारशाही द्वारा किये जाने वाले दमन का प्रमुख साधन थी। "आपराधिक उपायों से संबंधित विधि पहले कमल तान वर्ष के लिये प्रवर्तित की गयी थी परन्तु वह फिर सदेन ही लागू रहा। प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उसका नवीनीकरण कर दिया जाता था। उनका नगर या प्रांत विशेष सरलण के अन्तर्गत शासित होता था ता नागरिका का प्रशासनीय प्रक्रिया में सामवेरिया को निरासित किया जा सकता था किन्ती विशेष नगर में उनका निरास पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था, किन्ती विशेष उपमाया के करने से रोका जा सकता था, उन्हें पुलिस की देख रेख में रखा जा सकता था और केवल शका के आधार पर उन्हें पन्दा बना जा सकता था या उनकी तलाशी जा जा सकती थी।" सन् १६ ५ में सामाजिक शासन की स्थापना किये जाने के बाद भी आपराधिक उपायों का प्रयोग जारी रहा। फेब्रुअरि १९१७ में अन्तर्कालीन स्थिति ही सन् १६ ५ ३ १६१४ के समय के रूस की सामान्य स्थिति थी। २

जारशाही रूस में सामाजिक जीवन

जनता का ध्यानिक वर्गीकरण—जारशाही रूस का एक विशेषता यह थी कि जनता को विभिन्न वर्गों द्वारा चार वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। इन वर्गों का निर्माण स्वयं जारशाही ने द्वारा किया गया था और वहाँ इस विभाजन के लिए सत्य प्रयत्नचालन रहती थी। प्रत्येक वर्ग के

^१ Harper S N, *The Government of the Soviet Union* p 14

^२ A state of emergency was the normal regime in the Russia of 1905-1914 — M T Florinsky *op cit* p 673

नागरिका न कुछ निश्चित अधिकार और कर्तव्य होत थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में यह वर्गीकरण शिथिल होता जा रहा था और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ता जा रहा थी जो किसी वर्ग में गढ़ा रखे जा सकते थे। परन्तु तारशाही वर्ग व्यवस्था को बनाए रखने में ही अपना हित समझती थी और उस कारण उस प्रत्याह्वन देता थी।^१ १९१७ की जगत तक क्रिया द्वारा इस वर्गीकरण का मान्यता प्राप्त थी। जनता को निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त किया जाता था —

- १ आभिजाय वर्ग (the nobility)
- २ प्रशासिकारी वर्ग (the clergy)
- ३ नगर निवासी (burghers)
- ४ सामान्य या कृषक (the peasantry)

आभिजाय वर्ग—आभिजाय वर्ग तारशाही रूस का सर्वाधिक प्रभावशाली तथा समृद्ध वर्ग था। राज्य न उच्च पदा पर अधिकतर इसी वर्ग न लोगों का नियुक्त किया जाता था। यद्यपि सन १८६६ में कृषक न “उद्धार के पश्चात् उन्हें भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, परन्तु अधिकांश भूमि पर आभिजाय वर्ग न लोग ही अधिकार था। इस वर्ग न लोगों का दो भाग में विभाजित किया जा सकता है (१) वे जिन्हें वंश परंपरा से इस वर्ग में सम्मिलित माना जाता था, तथा (२) वे जिन्हें व्यक्तिगत रूप से इस वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया था। उच्च राजकीय पदों पर पहुँच जाने से आभिजाय वर्ग की सन्ध्या प्राप्त हो जाती थी। स्थानीय सन्ध्या तथा राज्य स्तरीय निर्वाचना में आभिजाय वर्ग के व्यक्तियों के मत का अधिक महत्व होता था। इस वर्ग के व्यक्तियों का श्रेय देश गृह से विदेश अधिकार प्राप्त थे जो अन्य वर्गों के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं थे।

^१ Tsarism rested on a system of legal classes that had its roots in the past but was consciously fostered as part of the policy of self defence of autocracy’—S N Harper op cit p 16

धर्माधिकारी वर्ग—जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है रूस में अर्थोशकस चर्च को राजाज्य प्राप्त था। चर्च के पास पर्याप्त संपत्ति तथा भूमि एकत्र हो गई थी। इस कारण धर्माधिकारियों के अहत भी जारशाही और आभिजात्य वर्ग के हितों के साथ सन्तुष्ट हो गये थे। यह वर्ग जिन्ना चार और उसकी सरकार के अधिकारियों के निकट होगा जाता था उनका ही जनसाधारण से इसका सम्बन्ध टूटता जाता था। धर्माधिकारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे।

नगर निवासी वर्ग—नगर निवासी वर्ग का आशय ऐसे लोगों से था जो नगरों में रहने थे तथा छोटे व्यवसाय करते थे कर्षालया में कार्य करते थे अथवा दस्तकारी के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुत से ऐसे श्रमिकों का भी इस वर्ग में सम्मिलित माना जाता था जिन्होंने श्रमों से अपना पूरा सम्बन्ध निच्छेद कर लिया था। परन्तु रूस के औद्योगिक विकास के साथ कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती ही जाती थी। ये श्रमिक नगरों में रहते अर्थात् ये परन्तु यह नगर निवासी वर्ग का सदस्य नहीं माना जाता था। इन्हें अपने संगठन बनाने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था।

कृषक वर्ग—श्रमिक, परन्तु संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग, कृषक ही था। रूस कृषि प्रधान देश है इस कारण इस वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक ही है। सन् १८६१ में अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा प्रवर्तित सुधारों के परिणामस्वरूप कृषकों का अर्थशास्त्र का अर्थ अर्थ ही गया था, परन्तु उन्हें अभी भी अन्य वर्ग के लोगों से हानि समझा जाता था। कृषक अधिकतर अशिक्षित और दुर्गा ज्ञान यत्न करने थे और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्कूलों में भर्ती के समय उनके बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था और कुछ विद्यालयों में प्रवेश करने पर ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाता था। निर्वाचनों में वे अन्य वर्गों से अलग मतदान करते थे। सन् १९५५ के सुधारों के द्वारा उनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। परन्तु फिर भी उनका वैधानिक अनयोग्यताओं (legal disabilities) का पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ।

बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव—अपने जन्म के वर्गकरण सम्बन्धी स्थिति सन् १९१७ तक रूस नहीं की गई थी परन्तु उसका प्रभाव सन् १९६६ में किया गया

सामिधानिक परिवर्तना के कारण बहुत कुछ समाप्त हो गया था। उनके द्वारा दो मुख्य अधिकार जा जेवल उच्च वर्गों का ही प्राप्त थे अथ वर्गों को भी प्राप्त हो गए। ये अधिकार थे—अपना निवास स्थान चुनने एवं देश में स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार तथा राजसत्ताओं में प्रविष्ट होने का अधिकार। शिन्ता के प्रसार और प्रजातांत्रिक विचारों के प्रचार के कारण तीसरा शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक रूस में एक नए वर्ग का सृष्टि हो चुकी थी। यह था बुद्धिजायी वर्ग (the Intellectuals)। इस वर्ग में सभी वर्गों के व्यक्ति थे। बुद्धिजायी वर्ग जारशाहों, उगाकरण प्रणाली तथा उच्च वर्गों के पत्नियों के शिक्षाधिकार का विरोधी था। राजनीतिक दलों के नेता अधिकतर इस वर्ग के ही होते थे।

जारशाहों की बलपूर्वक रूपांतरण का नाति—रूसी साम्राज्य के विस्तार में जार का सरकारी समर्थन एक अद्वितीय समन्वय प्रणाली का प्रतीक था। यह समन्वय विहित न्याय के निवासियों के प्रति अमान्यता बाने वाली नाति से सम्बन्धित था। यदि हम स्वतंत्र रूसिया और लघु रूसिया का भाग भर रूसिया में ही गिना जा रूसी साम्राज्य की लगभग आधा प्रजा भर रूसी थी। जारशाहों ने अल्पसंख्यकों के प्रति अतृप्तपूर्वक रूपांतरण का नाति अमान्यता। अल्पसंख्यकों का सम्बन्धि भाषा, धर्म और परम्पराओं का कुचल कर उन्हे रूसी भाषा, रूसिया के धर्म और रूसी सम्बन्धन अमान्यता के लिए विवश किया जाता था। यन्त्रिया के प्रति जार का संस्कार का नीति निशय रूप में कमर थी। उन्हे अन्धिमि और अन्धिमि पश्चिमा रूस के कुछ क्षेत्रों का छाँट कर अथ किसी क्षेत्र में बसने की आजा नहीं दे जाती थी। कवल कुछ बड़े यन्त्रिया जारों, विशार्या, और चिकित्सक आदि ही इस नियम के अमान्यता थे। यन्त्रिया का इतनी यातनाएँ दी जाती था कि उन्हे मृत्यु से यन्त्रिया रूप छोड़ कर अन्धिमि चले गए। अथ जातिया और बमानलम्बिया का स्थिति भी बहुत शान्तिपूर्ण थी। सन् १९५५ के अमान्यता में प्रमुख भाग लेने के कारण जारशाही संस्कार में उतक बात भर रूसिया में और भाग बुरा अमान्यता किया। जितना ही जार की सरकार रूसीकरण के द्वारा साम्राज्य के एकीकरण का प्रयत्न कर रही थी उतना ही वह विपन्नता का अथ अमान्यता होता जा रहा था।

प्रथम विश्व युद्ध का रूस की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव

१ जुलाई, १९१४ का रूस युद्ध में प्रविष्ट हुआ। क्या जाता है कि जार की सरकार को यह विश्वास था कि युद्ध में प्रवेश करने से जनता में देश प्रेम की भावना को जागृत किया जा सकेगा और पिटुभूमि की रक्षा करने के लिए वह जारशाही से अपने विरोधों का भुला देगा। उस समय तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि रूसी साम्राज्य के विघटन के लक्षण स्पष्ट दीप्त रह रहे थे। राज्याधिकार का प्रभाव उत्पन्न रहा था और स्थान स्थान पर क्रमिकता का हस्तान्तरण और आजादी का आन्दोलन हो रहे थे। जारशाही जिस प्रकार अपने आपत्कालीन प्रतिकार का दुर्न्याय कर रही थी उसका रूसी ने विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था। तथापि गलतभावनाय है कि उस समय रूसी ने अधिकार सन्तुष्ट जार के गन्धर्व प्रजुगार नहीं किया। जारशाही की उपपृथक रूसीकरण की नीति के कारण साम्राज्य का समाप्त हो रूसी जातशा में घोर असन्तोष फैला हुआ था। तथा कारण से यह कहा जाता है कि जार ने अपने सिंहासन को प्राप्ति की लपटों से बचाने के लिए ही युद्ध में प्रवेश किया।

युद्ध के प्रारम्भिक काल में जार की सामाजिक जनतन्त्रवादी दल के राज्याधिकार गुट — अनिश्चित जनता के अन्तर्गत सभी भागों का पूर्य समर्थन प्राप्त हुआ। देश के सभी भागों और जनता के सभी वर्गों में देशभक्ति की भावना प्रबल हो उठी। परन्तु वह उत्साह थोड़े ही काल में निरुत्पन्न हुआ। युद्ध में होने वाली जन जन का अपार क्षति वर्तमान का रूसी साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय और युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली अकाल की स्थिति से जनता में घोर असन्तोष उत्पन्न हुआ। जार जनता के विरुद्ध में इस स्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं था। जार रूसी ने भा सामाजिक मुद्दों और संसदीय शासन स्थापना करने का नाग प्रस्तुत का। सन् १९१५ की अगस्त में जार निकोलस स्वयं अपना का सर्वोच्च कमान्डर बन गया और उसके राजधानी से चले जाने के बाद उसकी पत्नी (जारिना) ने शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया। वह एक

अभिनि कक, ग्रग सपुविन (Gregory Rasputin) स हुव प्रदिक् प्रभावि या त्रर न देवु (man of God) मानती या । अरुन र हुद्रा कि ऐना विकट परिस्थि में शेष का मलविक शासक सपुविन न । जनता का प्रकृत त्त हा त्रर सुद में ल्ने वाना सनाई मा सुद का सन्नि ववने का समता कने । नावस, कातातास त्रर प्रेसाचार र कारण प्रकृत त्तित जनता क कट त्र हा ग । फलु त्रर र क हुद्रा मा प्रभव न । त्ने शासकवता में किना प्रका का सुार वन स त्र न्का वर तिा द्वार अन्तनकताता र त्तन क हा त्रना प्रान लन ना तिा । ११७ व प्रान्त में जनता र अरुन न त्तना त्र ना पाए कर तिा या कि त्ररशास शासन त्र भविष में किना प्रकार का शुभ श्रे न्ना त्र र था । त्रन हा प्रश्न श्रे या कि त्रन त्रगविकारा किम हाना चाणि ।^१

इस प्रश्न त्र उत्तर का निरूप माच त्रर नवंबर १८१७ का रूतिा द्वारा हुद्रा ।

^१ By 1917 there was no question whatever as to the fate of the Tsarist regime. The only question was as to who should be its heir — W B Munro & Morley Ayeast: *The Governments of Europe* p 641

अध्याय ३

माक्सवाद, बोलशेविक क्रांति तथा सोवियत शासन व्यवस्था का विकास

जिस समय समस्त विश्व का १० वं प्रथम महायुद्ध के परिणाम का उच्चकोटा पृथक प्रतीति कर रहा था उस समय एक ऐसी नया घटा जिसने समा देर-नियमितता विशेषतः राजनीति का राज अनी प्रार आकर्षित किया। यह घटना था रूस की राजशाहिक क्रांति। राजशाहिक क्रांति से न केवल रूस का राजसत्ता ही परिवर्तित हो राज समाज व्यवस्था में भी ग्राह्य परिवर्तन हुआ। रूस क्रांति मुख्य क्रांति सिद्धता समा क्रांति का म भिन्न था। रूस क्रांति का नेतृत्व राजशाहिक राज ने किया। एक सिद्धान्त काल माक्स (Karl Marx) और फ्रेड एंगिल्स (Fredrick Engels) द्वारा प्रतिपादित विचारों पर आधारित था। क्रांति - पञ्चाय राजशाहिकों ने देश में जिस शासन-व्यवस्था का स्थापना का यह भा माक्सवादी सिद्धान्तों का वास्तविक करने का प्रयास था। रूसी राजशाहिक क्रांति तथा सोवियत शासन व्यवस्था का अन्त आरम्भ करने - पूर्व माक्सवादी सिद्धान्तों से परिचित होना आवश्यक है। यहाँ अति संक्षेप में हम उस पर विचार करेंगे।

माक्सवाद के मूल तत्व—काल माक्स (१८१८-१८८३) द्वारा लिखित जनक ग्रंथों में न केवल विचारों का अन्त करने वाले न ग्रंथ प्रस्तुत हैं। य ग्रंथ हैं—

(१) 'दि कैपिटल (The Capital) तथा (२) 'मनाफेस्टा आर दि कम्युनिस्ट पार्टी (Manifesto of the Communist Party)। द्वितीय ग्रंथ काल माक्स और फ्रेडरिक एंगिल्स दोनों ने मिल कर लिखा था। यह प्रथम ग्रंथ ('दि कैपिटल') से पूर्व लिखा गया था, और इसमें माक्स व द्वारा का ग्रंथ इतिहास की व्याख्या और माक्स और एंगिल्स द्वारा सन्निहित विश्व का

समस्याओं का हल का सङ्घन म उल्लेख है। 'ति कैपिटल माक्स की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसे उस प्रथम काटि क दाशनिका म स्थान तिलाग। इस ग्रथ में माक्स क विचार का सविस्तार बखन है।

माक्सवादी दशन क तीन मूल तत्व हैं जिन पर माक्स क सग्न सम्पधी विचार आधारित हैं। य तत्र हैं —

- (१) द्वद्वा मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism)
 - (२) ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism), तथा
 - (३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value)।
- इन सिद्धान्तों का यहा सङ्घन म स्पटीकरण किया जा रहा है।

(१) द्वद्वा मक भौतिकवाद—काल माक्स द्वद्वा मक पद्धति (Dialectical method) का प्रयोग करने वाला प्रथम विचारक नहीं था। उसका पूर्व हागल (Hegel) ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया था। परन्तु माक्स ने हागल की द्वद्वा मक पद्धति का प्रयोग भिन्न उद्देश्य से किया। माक्स का विचार था कि भौतिक पदार्थ ही उस चरचर जगत या प्रकृति का मौलिक आधार है। पदार्थ ही अग्रिम सत्य है। उसका रुधन है कि पदार्थ तत्र के विकास क गत हा चेतना तत्र उपर होना है। यह भौतिक पदार्थ को प्राथमिक मद्दत देता है और चेतना का द्वितीय। मनुष्य का चेतना का निमाण उसकी भौतिक परिस्थितिया करता हैं, न कि भौतिक परिस्थितिया का निमाण चेतना करता है।^१ माक्स क अनुसार ससार की प्रत्येक वस्तु गतिमान है प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन का हस्य यह है कि प्रत्येक वस्तु म कुछ अग्ने निमित्त निरोधी त्व (Inherent contradictions) हात हैं। उन निरोधी तत्र क बीच निरंतर सघष होना रहता है। इस सङ्घन क परिणाम स्वरूप एक नए तत्व का सृष्टि होनी है। परन्तु इस नए तत्र म भी निरोधी तत्व निहित रहते हैं, जिसस पुन यहा चक्र चलता रहता है। उस प्रकार

^१ 'It is not the consciousness of men that determines their being but on the contrary their social being that determines the r consciousness' —K. Marx *Selected Works* Vol I p 269

द्वन्द्वान् वस्तुओं का निहित सघर्षों का अन्तन है। विरोधी तन्त्रों का सङ्घर्ष ही विकास है।^१

द्वन्द्वान्क भौतिकशास्त्र हम जतलाता है कि सभार म कई प्राकृतिक घटनाएँ एकाकी नहीं होती। सभी प्राकृतिक घटनाएँ परस्पर सम्बद्ध और अन्यायश्रित होती हैं। यदि ऐसा है तो हम इतिहास की हर एक सामाजिक व्यवस्था और प्रत्येक सामाजिक गत का उन धितियों के दृष्टिकोण से रेखाचित्र चाहिए जिनमें व सम्बद्ध है। उदाहरणार्थ पूँजीवादी व्यवस्था आज अत्यन्त हानिकर और अस्वाभाविक व्यवस्था प्रतीत होती है, परन्तु वह सामन्तवादी व्यवस्था के आगे का आवश्यक चरण था। मार्क्स का विचार था कि सामन्तवादी व्यवस्था में निहित विरोधी तन्त्रों ने पूँजीवादी व्यवस्था को स्थान दिया। परन्तु पूँजीवादी व्यवस्था स्वयं अपने निहित विरोधी तन्त्रों के कारण समाजवादी व्यवस्था का स्थान देकर लुप्त हो जाएगी।

(२) ऐतिहासिक भौतिकशास्त्र—मार्क्स ने न केवल द्वन्द्वान्क भौतिकशास्त्र के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया बल्कि उसमें आगे पर इतिहास की व्याख्या भी की। इसी व्याख्या को इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Materialistic interpretation of History) कहते हैं। मार्क्स का विचार था कि समस्त इतिहास में उत्पात्कीय शक्तियाँ (Productive forces) और उत्पात्कीय सम्बन्ध (Productive relations) का द्वन्द्वान्क संघर्ष ही चल रहा है। उत्पादन के साधनों का निरन्तर विकास होता रहता है और इस कारण व संघर्ष परिवर्तनशील रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन यान्त्रिकी की पद्धति में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। काल-काल में शान्ति में सामाजिक सम्बन्धों का उत्पात्कीय शक्तियों के प्रतिरोध होता है। नई उत्पात्कीय शक्तियों को पुराने सम्बन्धों पर मनुष्य अपने उत्पादन

^१ It is popular meaning dialectic is the study of the contradiction within the very essence of the things. Development is the struggle of opposites —Lenin as quoted by J. Stalin in his *Essay on Historical and Dialectical Materialism* p. 14

का पद्धति को बदल देते हैं और अपनी उत्पादन पद्धति को बदलने पर, अर्थात् अपने आर्थिकोपाजन के रास्ते को बदलने पर, वे अपने सार सामाजिक सम्बन्धों का उद्धार करते हैं। भाष की मित ने तुम्हें पेंनीमानथा वाले समाज का उद्धार।^१ समाज की विधियों (laws) और व्यवस्थाओं में हम सामाजिक-सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब देखने को मिलता है। इस कारण उत्पादक शक्ति या हाथ-निहाल का गति को निश्चय करती है।

अब हमें देना कि उत्पादक शक्ति या हाथ-निहाल पर उत्पादक शक्ति या हाथ-निहाल का निर्माण होना है। प्रारम्भिक काल से लेकर वर्तमान काल तक न समाज का विवचन कर माक्स ने इस प्रकार न पांच सम्बन्धों का उद्धार किया है। य सम्बन्ध हैं—

प्रारम्भिक समाज दासता का युग, सामन्तशाही, पेंनीमानथा समाज और समाजशास्त्र व्यवस्था।

प्रारम्भिक समाज में मनुष्यों में सम्पत्ति का भावना प्रधान थी। उस समय उत्पादक शक्तियाँ (उत्पादन के साधन) पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना था और और इस कारण समाज में गैर सङ्घर्ष नहीं था। उस समय न शोषण था और न शक्ति। परन्तु कुछ मनुष्यों समाज के कुछ शक्तियों ने उत्पादक शक्ति पर अधिकार कर लिया। धार्मिक शक्ति में 'मनुष्य के पतन (Fall of man) का नैतिक उल्लेख मिलता है यह कुछ बँटा हुआ घटना है। उत्पादन के साधनों पर कुछ शक्तियों का अधिकार हाथ-निहाल का यह परिणाम हुआ कि समाज में मनुष्यों के बीच एक युग का युग था। गैर सङ्घर्ष का प्रारम्भ हुआ था हाथ-निहाल है। एक युग सामन्तशाही युग प्रारम्भ है जिसमें उत्पादक शक्तियों पर वैयक्तिक स्वामित्व और भाष प्रतिक्रिया हुआ गया। सामन्तशाही युग के लक्षणों का युग प्रारम्भ। एक युग में पेंनीमानथा उद्धार के साधनों के स्वामी हैं और शक्ति शक्तिगत रूप में स्वतन्त्र हाथ-निहाल भाष पेंनीमानथा का हाथ-निहाल नम वचन तथा शोषण के कारण का उद्धार करने के लिए विवश हैं। पेंनीमानथा के ऐतिहासिक विकास के लिये उस एक युग का उद्धार ले जा रहे हैं जिसके नाम समाजशास्त्र व्यवस्था का युग प्रारम्भ। काल माक्स

^१Karl Marx, *The Poverty of Philosophy* p 92

और एगिल्स ने लिखा है कि 'तब तक व सभी समाज का इतिहास तब तक का इतिहास है। उनका निश्चित मत है कि वर्तमान पूँजीवाद स्वयं अपने विनाश के साधन एकत्र कर रहा है। पूँजीवाद का पतन और खवहारा तब की विजय होना अवश्यम्भावी है।

मार्क्स के द्वन्द्वमक भौतिकवाद को मान लेने से जो उपासिकाएँ (corollaries) हमारे सामने आती हैं, उन पर स्टालिन ने अपने एक निबंध में प्रकाश डाला है। उनमें से मुख्य उपासिकाएँ निम्नलिखित हैं —

(१) इतिहास कुछ राजनीतिक घटनाओं की कहानी नहीं है। उसकी गाथा कुछ निश्चित विधियों द्वारा स्थिर होता है और ये विधियाँ उतनी ही दृढ़ हैं जितना वैज्ञानिक विधियाँ।

(२) इतिहास एक विज्ञान है और उसकी निश्चिता निर्दिष्ट है, तथा उन विधियों का अध्ययन कर उन्हें समझा जा सकता है, इसलिए इतिहास की भावी गति के सम्बन्ध में भा भविष्यवाणी की जा सकता है।

(३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त—पूँजीवाद के विकास उसका वर्तमानस्था और उसके पतन पर मार्क्स ने द्वन्द्वमक भौतिकवाद और उसके द्वारा की गई इतिहास की व्याख्या द्वारा प्रकाश डाला है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त वह सिद्धान्त है जिसके द्वारा मार्क्स ने पूँजीवादी वर्तस्था के आधार पर प्रकाश डाला है।

मार्क्स के मतानुसार किसी वस्तु का मूल्य इस तथ्य द्वारा निर्धारित होता है कि उसके बनाने में सामाजिक आवश्यकता का पूर्ति की दृष्टि से कितना समय (Socially necessary labour time) लगता है। परन्तु प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में माननीय तम के अतिरिक्त कुछ उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। उन उपकरणों के साधनों पर जिस वर्ग का अधिकार है वह पूँजीपति

'The history of all hitherto existing society is the history of class struggle — K. Marx & F. Engels *Manifesto of the Communist Party* p. 45 (According to Engels 'history of all hitherto existing societies has no other written history')

ग है। उत्पादन व साधना का स्वामा होने व कारण पूँजावति शक्तिशाला हाना है, और श्रमिक वग उनक अभाव व कारण दान और असहान। श्रमिक वग व पास वनए एक वस्तु हाती ह निसका विक्रम कर वह जाविकागवन करत हैं। यह वस्तु हे श्रम। बाल्शन में उनका श्रम हा प्रत्यक वस्तु का उपयोगिता वग कर उसक मूल्य में वृद्धि करता है। परंतु पूँजावति उह उनक श्रम का पूरा मूल्य नहीं देते। वे उहें वनल उतना हा मनदूय देते हैं नितने में वे जीवित रहने व लिए अनिनाय आनश्यकताया का पूर्ति कर सक। यह श्रमिक का असहायानस्था व कारण सम्भव हाता हे क्याकि नाशन रहने व लिए श्रमिका का इतना कम मनदूय पर भा वान कग्ना पडता है। मार्क्स क मता नुसार उत्पादित वस्तु क विनिमय मूल्य (Exchange Value) और श्रमिक का नित्ये गये पारिश्रमिक का अन्तर हा अतिरिक्त मूल्य ह ता पूँजावति लय हान कर जाता हे। पूँजावति द्वारा इस अतिरिक्त मूल्य का इस प्रकार हान कर जाना श्रमिक वग का शापण हे। परंतु प्रत्येक पूँजावति इस प्रकार का शापण करने क लिए बाध हे। यदि यह ऐसा न कर ता वह प्रत्येक पूँजावति स प्रतिपादित न कर सकगा और इस प्रकार स्वयं अपना नाश करगा। पूँजी पति का उद्देश्य सामाजिक आनश्यकता का पूर्ति करना नहा वरन् स्वयं अधिक्त श्रमिक लाभ पाना हाता है। इस कारण वह ऐसे पणायों का उपादन करता ह नितने उस अधिनाशिक लाभ हा। इसी कारण है कि पूँजावति सामाजिक आनश्यकता का वस्तुओं का उत्पादन न कर शकाना का उत्पादन करत हैं, यदि ऐसा करने से उहें अधिक लाभ हाता है।

मार्क्स के राज्य तथा क्रांति सम्बन्धी विचार

राज्य—मार्क्स क पूरा समा प्रमुख राजनैतिक विचारक यह मानत आए थ कि राज नागरिकों क हित क नित्ये बना और इस कारण उत बने रहना चाहिने। परंतु मार्क्स ने इस सवमान्य विचार का भा विम्वार और भाविप्रय नित्य कर लिया। हम इसक पूरा उल्लेख कर चुक हैं कि मार्क्स क मतानुसार राजाशक्ति में परिवर्तन होने पर सामाजिक जीवन में भा परिवर्तन हाता रहता है। राज और शक्ति क सम्बन्ध भा इस नित्ये क अन्तर्गत नहा हैं।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऐंटी डूब्लिंग (Anti-Duhring) में एंगिल्स ने लिखा है कि राय स्वाभाविक सस्था नहीं है। इसका प्रादुर्भाव तभी होता है जब समाज परस्पर विरोधी तत्वों में विभक्त होता है जिन्हें दूर करने की उसमें शक्ति नहीं होती। उस प्रकार राय वग संघर्ष द्वारा उत्पन्न होता है। जब समाज से वर्ग संघर्ष का अन्त हो जायगा तो राय भी नाश हो जायेगा। एंगिल्स के मतानुसार राय सदैव "दमन का साधन" होता है जिसका प्रयोग समाज का शक्तिशाली वर्ग शक्तिहीन वर्ग के विरुद्ध करता है। कम्युनिस्ट मनिफेस्टो में मार्क्स और एंगिल्स ने राय को 'बुनरा वर्ग की कार्यकारिणा समिति (Executive Committee of the Bourgeoisie)' की सशक्त दाहिनी ओर बताया है।

समहारा वर्ग की क्रांति—मार्क्स के अनुसार किसी ऐसे समाज में जो विरोधी वर्गों में विभक्त है प्रजातन्त्र की स्थापना होना असंभव है। वर्तमान पूँजीवादी देशों में जिस अवस्था को प्रजातन्त्र कहा जाता है वह मार्क्स के मतानुसार प्रजातन्त्र नहीं है। जैसा ऊपर कहा गया है, राय सदैव शक्तिशाली वर्ग के हाथ में दमन का साधन होता है। इसलिये पूँजीवादी व्यवस्था वाले देशों में पूँजीपतियों के हाथ में ही राय का वास्तविक शक्ति रहती है। परन्तु उस तथ्यात्मक प्रजातन्त्र में समहारा वर्ग (Proletariat) को कुछ सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनका उपयोग वह अपने को संगठित कर अपना शक्ति वृद्धि करने में और अग्रिम संघर्ष में विजय प्राप्त करने की तैयारी करने के लिये कर सकता है। पूँजीपतियों से यह आशा करना मूल्यवाना है कि वे कभी स्वच्छा से अपनी स्थिति में परिवर्तन स्वीकार कर लेंगे। इसलिये मार्क्सवाद्या का यह निश्चित मत है कि शक्ति के प्रयोग में ही वर्तमान अवस्था का अन्त कर समाजवाद की स्थापना का जा सकता है। मार्क्स और एंगिल्स ने लिखा है—“साम्यवादी अपने विचारों और उद्देश्यों का छिपाने से धृष्टता करते हैं। वे खुले रूप में घोषणा करते हैं कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को शक्तिपूर्वक नाश करने से ही होगी।

“The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social

पँजीवादी व्यवस्था स्वयं ही क्रान्ति का माग प्रशस्त करती है। इस व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि सारी सम्पत्ति सिद्ध कर कुछ व्यक्ति-याँ व हाथ में आ जाता है और इस कारण अधिकांश लोग निवृत्त हो जाते हैं। माक्स व अनुसार सप्तहारा वग के प्रत्येक ट्रान्जिशन का बुरी तरह दमन किया जाएगा जिससे उसका सदस्यां में एकता स्थापित होगी। बने-बने कारखानों में हताश श्रमिक एक साथ कार्य करते हैं और इस प्रकार पँजीवाद् ने स्वयं उई अपना साम्राज्य करने की सुविधा प्रदान कर दी है। यही श्रमिक एक दिन पँजीवाद् की कब्र खाने वाले सिद्ध होंगे। जब वह यह समझ पायेंगे कि पँजीवादी व्यवस्था में उनका दशा कभी नहीं सुधर सकता तो वे सशस्त्र क्रान्ति करेंगे। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप पँजीवाद तथा उसका साथ ही शोषण की समाप्ति होगी।

सप्तहारा वग का अधिनायकत्व—क्रान्ति के पश्चात् समाज और शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा इस पर भाँ माक्स ने अपने ग्रंथों में प्रकाश डाला है। क्रान्ति के पश्चात् के काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—सक्रांति काल और साम्राज्य काल। सक्रांति काल में समाज और शासन व्यवस्था का स्वरूप सप्तहारा वग का अधिनायकत्व होगा। इस अधिनायकत्व का होना इस लिये आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धावादी और क्रान्ति विरोधी शक्तियाँ पुनः अपना सर उठाने का प्रयत्न करेंगी। उनके ऐसे सभी प्रत्यर्थाँ को पूरी तरह निरस्त कर पँजीवाद् के समस्त तत्वों का उन्मूलन करना होगा। उत्पत्ति के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होगा। रोग सधय की समाप्ति हो जाने के कारण शासकान वग और शासितवर्ग के हितों में कोई विरोध शेष न रह जाएगा और इसी कारण इस व्यवस्था का सप्तहारा वग के जो कि ऐसे समाज का एक मात्र धर्म होगा, अधिनायकत्व का सश्र दी गई है। इस समाज का यह सिद्धांत होगा कि 'जो कार्य नहीं करता वह खाना भी न पाय। बवल वृद्ध, बालक और अग्रहीन या अक्षय्य व्यक्ति हाँ बिना काम किये भोजन पाने के अधिकारी होंगे। इस समाज और पँजीवादी समाज में एक महत्वपूर्ण अंतर यह होगा कि इसमें वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया

जाएगा, मुनाफा कमाने के लिये नहीं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन (Over production) की समस्या, जो कि पूँजीवादी व्यवस्था का एक आवश्यक परिणाम तथा लक्षण है, उत्पन्न ही न होगा।

राज्य को माक्सवादी सैन्य ही शासकीय ढंग का अधिनायकत्व मानते रहे हैं। पूँजीवादी अर्थसंस्था साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होने तक राज्य का यही स्वरूप विद्यमान रहेगा। एंगिल्स के शब्दों में “जब तक सवहारा को राज्य की आवश्यकता है उसे उसकी आवश्यकता स्वतंत्रता का हस्त में नहीं है, वरन् अपने विरोधियों का कुचलने के लिये है। जब स्वतंत्रता की प्राप्ति सम्भव हो जायेगी तब राज्य समाप्त हो जाएगा। जब तक शोषण की पूरा समाप्ति नहीं हो जाती और सवहारा ढंग के सभी विरोधी समाप्त नहीं हो जाते तब तक स्वतंत्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज की स्थापना तथा राज्य की समाप्ति—सम्राज्य काल का अर्थ उस समय होगा जब पूँजीवादी व्यवस्था और पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तिम अवशेष भी मिट जायेंगे और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव शेष न रहेगा। समाज में व्यक्तियों में साहचर्य की भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण राज्य के नियंत्रण की कान आवश्यकता शेष न रहेगी। ऐसी व्यवस्था में राज्य स्वतः लुप्त हो जाएगा। माक्स ने साम्यवादी समाज का जो चित्र अंकित किया है उसमें उसकी भाषा बहुत कुछ स्वप्नशीलीय विचारकों (Utopian thinkers) जैसी हो गई है। माक्स के अनुसार उस समाज का आधार यह सिद्धान्त होगा प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार^१ अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति अपना योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा।

सम्राज्य काल के अन्त होने और तत्पश्चात् राज्य के लुप्त होने में कितना समय लगेगा इस सम्बन्ध में न तो माक्स ने ही कोई निश्चित उत्तर दिया है और न उसके अनुयायियों ने। आधुनिक सोवियत प्रवक्ता इस सम्बन्ध में यही

^१“From each according to his ability to each accordi g t his needs —K. Ma in his Critique of the Gotha Programme

कहते हैं कि जब तक सत्तारक समाज देशों में समाजवाद व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाता तब तक समाजवाद लुप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह बतलाने है कि पूँजीवादी समाज सदैव समाजवादी समाज का नष्ट करेगा पुनः पूँजीवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस कारण समाजवादी समाज को भी आत्मरक्षा के लिये शक्ति साधना करना आवश्यक है।

एक प्रश्न शेष रह जाता है कि समाजवाद का कोई उत्तर नहीं दिया। यह यह कि बगहान या समाजवादी समाज के लिए ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुसार कौन सा अवस्था आता। मार्क्स ने समाजवाद के विकास के लिए कहा है कि समाजवादी समाज अपना समन्वयपूर्ण स्वरूप लेगा, क्योंकि उसमें बगहान के लिए कोई निहित अवसर नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन

प्रथम इंटरनेशनल—मार्क्स ने 1848 का एक वर्ष समाजवाद के लिए रूप देने का सफल प्रयास सबसे प्रथम रूप में किया गया परन्तु उसमें प्रथम ही कुछ असफल प्रयत्न किए गए थे। सन् 1848 में मार्क्स और एंगेल्स के प्रयत्नों से लन्दन में 'जर्मन वर्कर्स एजुकेशनल सोसाइटी' का स्थापना हुआ। ऐसा ही संस्थाओं का स्थापना पेरिस और ब्रुसेल्स में भी की गई। सन् 1848 में लन्दन में इनका एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। यह इंटरनेशनल कम्युनिस्ट लीग का स्थापना का गई। कुछ ही माह पश्चात् 'जर्मन' और 'फ्रांस' में इस संस्था का अवैध घोषित कर लिया गया। इस पश्चात् सन् 1848 में स्विट्जरलैंड के जनेवा नगर में प्रथम इंटरनेशनल (First International) का स्थापना हुआ। इस संस्था में पारस्परिक मतभेद बहुत अधिक था।

सन् 1848 में फ्रांस और प्रुशिया (Prussia) के युद्ध के समय पेरिस में क्रान्ति का प्रयत्न किया गया। इस प्रयत्न में प्रारंभ में कुछ सफलता मिली और पेरिस कम्यून का स्थापना हुई, परन्तु शीघ्र ही इस आन्दोलन का कुचल लिया गया। शेष प्रथम इंटरनेशनल में मार्क्सवादीयों और अव्यवस्थावादीयों में विरोध इतना अधिक बढ़ गया कि सन् 1849 में अव्यवस्थावादीयों को इससे निकाल दिया गया। सन् 1856 में प्रथम इंटरनेशनल का अन्तिम बैठक हुई।

द्वितीय अंतरनेशनल—सन् १८८६ में एगिन्स क नेतृत्व में पेरिस में अन्तर अंतरनेशनल का स्थापना हुआ। अन्तु उस भा आन्तरिक मतभेद उत्पन्न हो गये। जिस समय प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय अंतरनेशनल ने महायुद्ध का साम्राज्यवादी युद्ध अग्नि किये और मनतूरी से युद्ध कागों में भाग न लेने की अपात्र की गई। परन्तु देश प्रेम का भावना अन्तर्राष्ट्रीयता का भावना न अधिक अचर्या सिद्ध हुए और सभा देशों व सन्तानवादी ग्लों और अन्तिम अन्तर्गतों ने अपनी सरकार का साथ दिया। उनल लेनिन और उसके बाल्शविक अनुयायों हा महायुद्ध का विरोध करते हैं। उस प्रकार द्वितीय अंतरनेशनल स्वतः ही भंग हो गई।

उसके पूर्व रूस में लेनिन व अधिक प्रभुता के फलस्वरूप माक्सवादी बाल्शविक दल के रूप में संगठित हो चुके थे। पहले ये रूसी समाजवादी जनताधिकारिक दल के एक गुट के रूप में कार्य करते थे, परन्तु सन् १९१२ में उन्होंने अपना संगठन बना लिया। उस वर्ष प्राहा (Prague) में अन्तर्राष्ट्रीय समिति (Bolshevik Central Committee) की स्थापना हुई और प्राहा (Prague) नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। बाल्शविकों के मुखरन के रूप में उस पत्र ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उसके प्रारंभिक संपादकों में जसफ स्टालिन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है।

मार्च १९१७ की क्रांति तथा जारशाही का अन्त—पिछले अन्तर्राष्ट्रीय में हम प्रथम विश्व युद्ध के रूस का राजनैतिक स्थिति पर प्रभाव का उल्लेख कर चुके हैं। सन् १९१७ के प्रारंभिक महीनों तक यह निश्चित हो चुका था कि जारशाही का पतन अवश्य-भावी है। परन्तु जारशाही का लम्बे समय तक इतना शीघ्र यथायक गिर जायगा यह किसी का आशा नहीं थी। सन् १९१७ की मार्च में विद्रोह का प्रारंभ पेत्रोग्राद (Petrograd) की हस्तगत हो हुआ। इससे पूर्व खाद्य की कमी के कारण पेत्रोग्राद का जनता को मिलने वाले राशन में और कमी कर दी गई थी जिससे कारण जनता में भाषण प्रसृत उत्पन्न हो गया था। जारशाही ने सत्ता का भाति दमन का आश्रय लिया।

हस्ताक्षरों का दमन करने के लिये उनका बुनाया गया, परन्तु सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके पृष्ठ हथियारों, निस्सक अधिकारों सम्बन्धी चारशाही के समर्थक थे, चार का आगामी सत्ता का सूचना था परन्तु उसका जमाना का उल्टा ही परिणाम हुआ। चार ने हथियारों का भंग करने का धारा करवा। सैनिकों के विद्रोह के कारण हस्ताक्षरों के अन्तर्गत ने चार परको लिये और शासन ही यह दूसरे नगर में भाग गया। दूसरे नगर में भी सैनिकों ने विद्रोह जनता का साथ दिया, निस्सक परिणाम स्वरूप बिना अधिक रक्तपात के ही चारशाही का अन्त हो गया। १२ मार्च (वर्तमान रूसी सन् १९१७ के अनुसार २७ फरवरी) को हथियारों ने एक अस्थायी समिति नियुक्त की। कुछ ही दिनों में इसमें एक नवान सरकार की स्थापना हो गई। निस्सक प्रधान प्रिंस ल्योव (Prince Lvov) था। अस्थायी सरकार के प्रधान प्रिंस ल्योव की प्रथम कार्यालय पर गण। चार निकोलोव द्वितीय ने राज विराजित पाग कर करने भ्रान्त रूप हथियारों का प्रस्ताव उत्तराधिकार प्रेषित किया। परन्तु जनता चारशाही से इतना ऊपर चुका था कि वह अब किसी चार को अपना शासक स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं था। इस कारण यह निश्चय किया गया कि इसकी शासन प्रणाली का निष्पत्त करने का साथ जनता द्वारा निर्वाचित सावियत उनका सौभाग्य था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस समय लेनिन विदेश में था और स्तालिन साइबेरिया में निवासित था। प्रथम सरकार पर उदार (Liberal) नेताओं और अनुशासकों का प्रभुत्व था न कि बाल्शेविकों का।

अस्थायी-सरकार ने देश का युद्ध समाप्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया, ता कि जनता की कठिनाइयों का मुक्त कारण थी। यद्यपि चारशाही का अन्त हो चुका था, परन्तु समय पर कौन शासन करगा इस प्रश्न का निष्पत्त होना अभी शक्य था।

अस्थायी सरकार तथा पेत्रोग्राद सावियत में सघष—क्रान्ति के प्रारम्भिक दिनों में ही पेत्रोग्राद सैनिक तथा श्रमिक प्रतिनिधि सोवियत (Petrograd Soviet of Soldiers & Workmen's Deputies) की स्थापना हो गई थी। इसका प्रधान सम्बन्धित जनताधिकार के एक सदस्य तथा जन प्रधान भ्रम दल (Labour Group) का नेता बरन्सकी था। इस सोवियत में

सावियत सघ का शासन

अमिका और सैनिका दाना का विश्वास प्राप्त था, और इस कारण वह अस्थायी सरकार से अपनी मांगें मनवाने में सफल हो जाता था। इस समय रूस पर एक प्रकार का द्वैत शासन था। सावियत तथा प्रस्थायी सरकार दोनों ही आशातित्तिरा निपालते थे और कभी कभी तो इन दाना का प्राप्तिना एक दूसरे की विरोधी होती थी। यद्यपि प्रारम्भ में सावियत में शाल्शेरिका का बहुमत न था, परन्तु इसकी नीति सदैव अस्थायी सरकार की नीति से अधिक उग्र रही। यही कारण था कि माच से अकतूर तक ँ काल में सावियत और अस्थायी सरकार में सत्ता हस्तगत करने के लिए निरन्तर सङ्घर्ष चलता रहा। अस्थायी सरकार का दुबलता का ज्ञान हमें ँसी तथ्य से हा जाता है कि अपने आठ मास के सङ्घिप्त जीवन काल में ँसकी रचना में छ बार महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तुलाई में अस्थायी सरकार के प्रधान पद का काम भार करेन्सकी के हाथ में प्रा गया जो ँसक (पत्र) पैत्राप्त्रा सोवियत का उपायक्त तथा अस्थायी सरकार में न्याय मंत्री था।

अप्रैल १९१७ में लेनिन स्विट्जरलैण्ड में रूस पहुँच गया। विश्वास किया जाता है कि ँसकी ँस यात्रा का प्रबंध तमनी का सरकार द्वारा किया गया था। उसने रूस में आते ही युद्ध का अंत करने और जनसत्ता सोवियतता को लिए जाने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर लिया। शाल्शेरिक दल के प्रमुख पत्र प्राप्त्र का प्रकाशन पुन प्रारम्भ हुआ। लेनिन रूस में ससदीय प्रजातन्त्र स्थापित किए जाने का प्रयत्न विरोधी था और माक्स के सिद्धान्त के आधार पर रूस में सोवियत समाजवादी शासन स्थापित करना चाहता था। प्रारम्भ में उसे अपने ही दल के सन्स्था का सामना करना पडा। उसकी तत्कालीन नीति का विरोध करने वालों में स्यालिन का नाम उल्लेखनीय है। परन्तु वारे धारे उसे समर्थन प्राप्त होने लगा। तुलाई में शाल्शेरिका ने विद्रोह का सन्ना हस्तगत करने का असफल प्रयास किया। उनका विद्रोह टना लिया गया और ँनके नेताओं का भूमिगत हो जाना पना। लेनिन फिलाल चलता गया। परन्तु जारशाहा का अन्त होने पर जिस सुख स्वप्न के कार्यान्वित होने का कल्पना रूस की जनता ने की था वह अभी भी स्वप्न मात्र ही था। करेन्सकी की सरकार न तो देश की आर्थिक ँयस्था में कोई आमूल परिवर्तन करने को हा प्रस्तुत थी और न मित्र

राष्ट्र का साथ छोड़कर जर्मनी से पृथक् संधि करने को। रूस के कृषक जमींदारी का अंत और भूमि का अपने बीच पुनर्वितरण चाहते थे। बाल्शेविक उह 'रोटी, भूमि और शांति' देने का वादा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अस्थायी सरकार ने देश की भारी शासन प्रणाली का निगम करने के लिए सविधान सभा बनाने की घोषणा की। ऐसी घोषणाओं से जनता सतुष्ट नहीं हो सकती थी। परिणाम हुआ नवम्बर क्रान्ति तथा बाल्शविक शासन की स्थापना।

बाल्शेविक क्रान्ति—माच की क्रान्ति के पश्चात् वाक् स्वातय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सघ बनाने तथा सभा करने की स्वतंत्रता आदि जो सुनिपाएँ रूस में नागरिकों को उपलब्ध हो गई थी, बाल्शविकों ने उनका परा उपयोग किया। उन्होंने सोवियत सभा प्रतಿನिधित्व बनाने का धार प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें रूस के दो प्रमुख नगरों की सोवियत सभाओं का नियत तथा मास्को सोवियत में, बहुमत प्राप्त हो गया। उन्होंने प्रथम दल के सन्स्था को बड़ी सत्ता में लेना में भी भरती कराया। उनके द्वारा जनता की आकांक्षाएँ प्रतिबन्धित होती थी, इस कारण जनता भी उनकी धार आकर्षित हुई। ७ नवम्बर, १९१७ का सोवियत की अग्निलक्ष्मी का प्रसङ्ग हुआ। रूस का प्रथम बाल्शविक बहुमत प्राप्त था। इससे पूर्व ही कृषक ने भूमि के पुनर्वितरण के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। बाल्शेविक दल के नेताओं ने समझा कि यही समय है जब वे अपने स्वप्ना को साकार कर सकते हैं। लेनिन और उसके सहकारी त्रासकी (Trotsky) ने ७ नवम्बर को विद्रोह प्रारम्भ करने का कार्यक्रम बना रखा था। उस दिन बाल्शेविक सेनाओं ने समस्त राजकीय भवनों और महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। जनता ने उह मुक्तिदूत समझ कर उनका साथ दिया। करसकी के अतिरिक्त उसकी सरकार ने सभी सन्ध्य पन्दी बना लिए गए। करसकी बच कर भाग निकलने में सफल हो गया। जिस प्रकार माच में जारशाही का अंत करने के लिए अधिक रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उसी प्रकार अस्थायी सरकार का भी बिना अधिक सघप के अंत हो गया। अबल मास्को, पेत्रोग्राद तथा कुछ अन्य बड़े नगरों में ही युद्ध हुआ।

करेन्सकी की सरकार के पतन के पश्चात् रूस में एक नए शासन की

स्थापना की गई। इस सरकार को 'जन कमिस्सार परिषद' (Council of People's Commissars) का नाम दी गई। इस सरकार का अग्रदूत लेनिन ने, पर राष्ट्र मंत्रिपरषद जासकी ने और उपराय मंत्रिपरषद स्तानिन ने ग्रहण किया। सोवियतों का काब्रस ने एक प्रस्ताव पारित कर रूस का नवीन नाम रूसी समाजवादी सङ्घाय सोवियत गणराज्य (Russian Socialist Federated Soviet Republic) घोषित किया।

सोवियत शासन व्यवस्था का विकास

सांविधानिक विकास का प्रारम्भ

नवम्बर की बाल्शेविक क्रांति के परिणामस्वरूप राजसत्ता सोवियतों के हाथ में आ गई। बाल्शेविकों में शासन व्यवस्था के भागी स्वरूप के सम्बन्ध में कम्युनिस्टों तक कोई निश्चित विचार नहीं था। कुछ बाल्शेविक विश्व के समाजशास्त्र में क्रांति होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ अन्य बाल्शेविकों का यह विचार था कि शासन का वर्तमान स्वरूप प्रस्थायी है, तथा शान्ति के व्यवस्था स्थापित हो जाने पर देश की भागी शासन व्यवस्था का निश्चय जनता के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन के द्वारा किया जायेगा।^१ विदेशों में भी तरह-तरह के विचार प्रचल रहे थे। कुछ लोगों का विचार था कि रूस में साम्यवादी शासन स्थापित होने से अन्य देशों में भी साम्यवाद का प्रसार होगा, जबकि कुछ लोगों का मत था कि सोवियत शासन का शीघ्र ही अन्त हो जायेगा।

सोवियत सरकार के प्रारम्भिक कार्य—शासनात्मक होने के पश्चात् बाल्शेविकों ने समस्त भूमि के समाजीकरण की घोषणा कर दी। सभी गेरे कृषक जमींदारों की भूमि तथा उनका पशुधन और यंत्रों आदि पर राज्य ने अधिकार कर लिया। भूमिहीन कृषकों में भूमि वितरित करने के लिए भी वायदा में व्यवस्था की गई थी। 'सर्व परिणामस्वरूप कृषकों की बहुत जमीन सत्ता सोवियत बाल्शेविकों के पक्ष में आ गई। जन कमिस्सार परिषद ने एक सप्ताह के भीतर ही समस्त बेहूत और उद्योग व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। सोवियत सरकार ने युद्ध उद करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। सरकार ने

^१ Munro & Aycarst *Governments of Europe* p 649

रूसी सेना के प्रधान सनापति को युद्ध रन्द करने की आज्ञा दी, परन्तु उसने उसे मानने से इनकार कर लिया। तब लेनिन ने सैनिकों को अपने अधिनारिया के विरुद्ध विद्रोह कर उन्हें अपनी मनाने तथा युद्ध बन्द करने की अपील की। यह एक साहसिक कृत्य था, परन्तु लेनिन का आशा सत्य सिद्ध हुई। सैनिक युद्ध नहीं करना चाहते थे रूसी जनता का तरह वे भी शान्ति चाहते थे। त्रासनीय नेतृत्व में सोवियत सरकार के प्रतिनिधि जर्मन प्रतिनिधियों से सन्धि प्राप्त करने के लिए ब्रेस्त लिटोवस्क (Brest Litovsk) नामक स्थान पर मिले। जर्मनों का संधि की शर्तें इतनी कड़ी थी कि बाल्शेविक नेता उन्हें स्वीकृत करने का तैयार न थे। परन्तु लेनिन ने उन्हें स्वीकृत करने पर राज किया। उसने अपने एक वक्तव्य में कहा— सन्धि जर्मनों की शर्तों का बाल्शेविक सरकार हटा दी जाय तथा हम युद्ध के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, अन्यथा नहीं। बाल्शेविक कन्द्रीय समिति ने उसकी सम्मति मान ली और सोवियत सरकार और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने ब्रेस्त लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर कर लिए।

नारशाही के पतन के बाद अस्थायी सरकार ने देश का भागी शासन व्यवस्था का निर्णय करने के लिए सन्धिमान सभा का आयोजन किया था। नवम्बर, १९१७ में इस सभा का निर्वाचन भी हुआ। ५, जनवरी, १९१८ को इस सविधान सभा का प्रथम बैठक हुई। इस सभा में बाल्शेविक अल्पमत में थे। सविधान सभा ने सोवियत शासन को वैधानिक मानना ही स्वीकार नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस सभा की दूसरी बैठक ही नहीं हो सकी ६ जनवरी को सविधान सभा का नव बाल्शेविक सैनिकों के अधिनार में था।

गृह युद्ध तथा धर्मशक्ति हस्तक्षेप—मई १९१८ में इस सभा बाल्शेविकों के विरोधियों ने सोवियत शासन के विरुद्ध विद्रोह कर लिया। सोवियत शासन के विरोधियों ने मित्र राष्ट्र (Allied Powers) की सहायता से श्वेत सेना (White Army) संगठित की। बाल्शेविकों ने भी ग्रासकों के कुशल नेतृत्व में लाल सेना का संगठन किया। इन श्वेत और लाल सेनाओं में भीषण संघर्ष हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध से निवृत्त होने पर सोवियत सेनाओं में लड़ने के लिए अपनी सेनाएँ भेजीं।

मित्र राष्ट्रों ने चारा शर से रूस की नाकेबन्दी की जिससे किसी अन्य देश से सोवियत शासन को सहायता या महायुद्ध में मित्र सत्र। उसी समय पार्लैमेंट की सेनाओं ने भी रूस पर आक्रमण कर लिया और कीवू नगर पर अधिकार कर लिया। सोवियत शासन के लिए यह समय उड़ी कठिनाई का था। एक युद्ध प्रारम्भ होने तथा विदेशी सेनाओं के रूस की भूमि पर पतंगपथ करने का यह प्रभाव होने लगा था कि रूस के नगरों का जनता भूय स मर जायेगी। कृषक के पास जो साधन था वह उसे देना नही चाहत थे और किसी अन्य देश से किसी प्रकार का सहायता पाना समय नहीं था। ऐसी एकदम परिस्थिति में लेनिन ने एकात्मक स फायदा उठाने वाला विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने का घोषणा का। सरकार ने यह आश्चर्य जारी कर दी कि व्यक्तिगत उपयोग से अधिक समस्त साधन अनिवार्य रूप से निश्चित दरा पर सरकार का देना होगा। सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप कृषक भी सोवियत शासन के विरोधी हो गए। बालशोवक नेताओं पर स्थान स्थान पर आक्रमण किये गये। अगस्त १९१८ में जन लेनिन एक जन सभा में भाषण दे रहा था, उस पर एक स्त्री ने गोला चला दी। लेनिन धायन हुआ परन्तु वह सोवियत शासन की जल्द ही करने के लिए जीवित बच गया।

उन सत्र कठिनायियों और अमुविधाओं के बावजूद भी सोवियत शासन अपने विरोधियों का दमन करने और विदेशी सेनाओं को रूस की सीमा से बाहर जाने के लिए प्रवृत्त करने में सफल हो सका। इसके अन्तर्गत कारण थे। यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने रूस में अपनी सेनाएँ भर्जी, परन्तु वे एक युद्ध से निवृत्त होने ही दूसरे युद्ध में पूर्णतः कूटने की प्रस्तुत न थे। अतः मित्र राष्ट्रों में पारस्परिक द्वेष अतना अधिक था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते थे। उनमें से कोई दूसरे की शक्ति और प्रभाव बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। महायुद्ध ने उनकी अर्थ व्यवस्था का उस्त कर दिया था। एक अन्य कारण यह भी था कि सभी देशों के अन्तर्गत सोवियत शासन की ओर सहानुभूति उत्पन्न थे। इन कारणों से विदेशी सरकारें सोवियत शासन का अन्त करने के लिए युद्ध करने को प्रस्तुत न थीं। अतः सोवियत सरकार ने सभी क्रांति विरोधी तत्त्वों का पूरा तथा दमन किया और लाल सेना विजय पर विजय प्राप्त करती रही। उन

१९२२ के नवम्बर मास तक यह युद्ध का अन्त हो चुका था और वैश्विक सेनाएँ रूस से वापस बुला लाई गई थीं। परन्तु यह आवश्यक हो गया था कि नए प्रायः उद्योग धंधा, कृषि और यातायात के साधनों का पुनर्निर्माण के लिए एक नई नीति का अनुसरण किया जाय। लेनिन की नवीन आर्थिक-नीति इसी प्रायश्चित्त का परिणाम थी।

नवीन आर्थिक नीति (N E P)—माघ १९२१ में लेनिन ने पार्टी की ११वाँ कांग्रेस के सम्मेलन पर नवीन आर्थिक नीति उपस्था की। इस नीति में युद्धकालीन साम्यवाद (War Communism) का त्याग किया गया था और कृषकों को अपनी उपज का आधा भाग खुले बाजार में बचने का अधिकार दिया गया। एक निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने और उस उत्पादन कार्यों में प्रयोग करने की पुनः छूट दी गई। सोवियत शासन के प्रारम्भिक काल में धन का माध्यम को समाप्त करने के जो प्रयत्न किए गए थे उन्हें स्थगित कर दिया गया और करों का हटाने का प्रयास किए गये। सन् १९२१ में इस नवीन नीति का उद्देश्य कृषक और जनता के अर्थवर्गों का संतुष्ट कर उत्पादन बढ़ाने में उनका सहयोग प्राप्त करना था। अन्त में इस नीति का सोवियत शासन तथा साम्यवाद का असफलता का द्योतक माना गया और इसे 'पँजाप' की ओर वापसी का कारण माना गया। यद्यपि यह नीति सोवियत शासन और जनता की सम्पत्ति बचाने का अन्त न कर सकी, जैसा यह कर भी नहीं सकती थी परन्तु इसने आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार किया। उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई।

पंच वर्षीय योजनाएँ तथा कृषि का सामूहिकरण—सन् १९२४ के जनवरी मास में लेनिन का मृत्यु हो गई। उसके दो प्रमुख सहकारी थे—त्रात्सक और स्तालिन। सोवियत शासन की नीति का सम्बन्ध में इन दोनों में तीव्र मतभेद थे। त्रात्सक विश्व के अन्य देशों में क्रान्तिकारी आन्दोलनों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी सहायता करने के पक्ष में था। स्तालिन 'एक देश में समाजवाद' की स्थापना करने के पक्ष में था। स्तालिन पार्टी का प्रधान माना था

और इस कारण अपने दल न सन्स्था में उसका पचास प्रभाव था। वह कसकी गुट का न कबच सरकार और पाटा में, नरन् दश उ हा निष्कां उ म्ने में सफल हुआ।^१ तम से सन् १८५३ में प्रचना मृ यु क समय तक निरन्तर सावित्र शासन का सूत्रधार स्तालिन ही रहा।

सन् १८२८ में प्रधान पंच नवीन राजना पर काम आरम्भ हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश का त्वरित प्रौद्योगिकरण था। इस योजना क सफलता पूरक कामान्वित किये जाने पर द्वितार और तृतार पंचनवीन योजनाएँ कागन्तित की गन्। इन योजनाओं ने सोवियत सच का सकार क प्रमुख औद्योगिक दशा का प्रेरी म ला सन् मिया और उस न्म समय न्ना मिया कि न्मना न भाषण प्रारम्भण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सन्।

देश क औद्योगीकरण क साथ हा कृषि क सामूहाकरण (Collectivisation) और यीकरण (Mechanisation) का प्रारंभ स्तालिन का प्दान गया। बिना सामूहीकरण न मन्त्रकरण समय न था यह दोनों एक दूसरे स सम्बद्ध थ। इस कारण नवीन प्राधिक नीति क समय ना सुविधाएँ दी गई थीं उनका अन्त कर मिया गया और समस्त कुलक (Kulaks) का अन्त कर मिया गया। (कुलक ऐसे कृषका का नाम था जो धना थ और अन्य गरीब कृषकों का शोषण करते थ) सरकार की कृषि न सामूहाकरण की नीति क फलस्वरूप सन् १९२८ तक लगभग ६ प्रतिशत कृषक सामूहिक-कृषि व्यवस्था क प्रसंगत कार्य करने लगे थ। अनुमान किया जाता है कि कुलका का कुच सररा पचास लाख क लगभग थी और उनमें से कई हजार शासन का नाति का विरोध करने क कारण मारे गये। कृषि क सामूहीकरण तथा उद्योगा क यन्त्रानकरण क परिणामस्वरूप सावित्र सच में समाजवादी राज स्थापित करने का लक्ष्य पूरा किया जा सका। स्तालिन सविधान इस लक्ष्य क प्राप्त किए जाने की घोषणा ही था। स्तालिन ने सर्वोच्च सोवियत क समस्त भाषण देते हुए सावित्र सच क नवीन सविधान क प्रारंभ में कहा था— यह एक ऐसा लेखपत्र होगा जो न्म

^१ त्रासकी रिदेशा में जा कर स्तालिन की नीति के विरोध में प्रचार करता रहा। सन् १९४१ में मक्सिको क एक नगर में उसकी हत्या कर दी गई।

राज का सिद्ध करेगा कि जो राज समाविष्ट समाजवादी प्रणाली के रूप में प्राप्त की जा चुकी है, दूसरे देशों में भी उसका प्राप्त करना बिल्कुल संभव है।^१

सन् १९१८ का संविधान

समाविष्ट संघ का वर्तमान संविधान सन् १९२९ में प्रवर्धित हुआ था। परन्तु इसके पूर्व दो अन्य संविधान प्रवर्धित हो चुके थे। यद्यत् सन् १८८० तथा सन् १८२३ के संविधान। यद्यपि काल इन संविधानों के अन्तर्गत में हून समाविष्ट शासन-प्रणाली का प्रारम्भ नहीं हुआ, परन्तु यह हमें शासन-प्रणाली का विकास समझने में सहायक होता है। इस दृष्टि से यहाँ उनसे प्रमुख लक्षणों और अन्तर्गतों का उल्लेख किया जा रहा है।

बाल्शाविक क्रान्ति के पश्चात् लगभग प्रायः माह तक इस में कोई संविधान नहीं था। इस काल में शासन का संचालन जन कमिटी-परिषद् की आधिपत्या द्वारा होता था। परन्तु बाल्शाविक नेताओं ने संविधान का प्रावधान और मन्त्र का संनभ्य। बाल्शाविक गणराज्य के कारिणा समिति ने संविधान के प्रावधान का निमाण करने के लिए एक प्रायोगिक विधुक्त किया। इस आयोग ने लोनिन का देव देव में का किया और इसके प्रमुख गणराज्य में स्थापित और सुधारित भाष्य। इस आयोग द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रावधान के अन्तर्गत में समाविष्ट संघ का क्षेत्र का अनुसन्धन प्राप्त होने पर सन् १९१८ में प्रवर्धित कर लिया गया। इस संविधान के अन्तर्गत में समाविष्ट संघ का क्षेत्र (Russian Socialist Federated Soviet Republic) का मूल विधि का संवैधानिक गणराज्य था।^२ उस समय समाविष्ट शासन का क्षेत्र (Russia proper) तक ही सीमित था।

बाल्शाविक क्रान्ति के पश्चात् इस संघ का संवैधानिक-प्रणाली में पहली परिवर्तन हो गये थे। पहले समाविष्ट संघ का शासन प्रणाली प्रवर्धित शासन प्रणाली

^१ Joseph Stalin's speech before the eighth Congress of Soviets of the U S S R.

^२ For the text of this Constitution, see H. L. McBain & L. Rogers, *New Constitutions of Europe* pp 380-400

ये और शोषक और शासक शासिन। लेनिन की इच्छानुसार रूस में सवहारा वग व अधिनायकत्व की स्थापना हो चुकी थी। सन् १९१८ के संविधान द्वारा इन परिवर्तनों को तथा सोवियत शासन द्वारा समय-समय पर प्रवर्तित आन्दोलनों को सांविधानिक रूप दे दिया गया। सवहारा वग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों, जैसे धमाधिकारी, मध्यवर्गीय जनता, समृद्ध कृषक आदि तथा ऐसे सभी व्यक्ति जो दूसरों के काम पर स्वयं काम उठाते थे, का मताधिकार से वंचित रखा गया। नारशाही से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों तथा जार की पुलिस के कर्मचारियों को भा राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। उस समय यह-युद्ध जारी था और पेंजीवार्थियों के द्वारा पुनः सर उठाने का प्रयत्न किया जा रहा था, इस कारण ऐसे सभी वर्गों को तिनसे सोवियत शासन का विरोध किए जाने की सम्मानना थी, सशक्ति दृष्टि से देखा जाता था। अर्थोडॉक्स चर्च का राज्य में सम्बन्ध समाप्त कर दिया गया और शिक्षा व्यवस्था का भी धर्म निरपेक्ष बनाया गया। संविधान के साथ ही एक प्रस्तावना (Preamble) सलग थी जिसका नाम 'सामिक तथा शोषित जनता के अधिकारों का धारणा' था। इसमें उल्लिखित अधिकार कमल कामजीवी वर्ग को ही प्राप्त थे।

शासन के प्रधान अंग में वैधानिक ण्ट से अखिल रूसी सोवियतों की कांग्रेस (All Russian Congress of Soviets) सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। संविधान के अनुसार समस्त राजसत्ता इसी संस्था में निहित थी। यह संस्था विधानमण्डल के रूप में कार्य करती थी और इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष और वर्गीय निर्वाचन प्रणाली के अनुसार होता था। इस सदस्य प्रांतीय कांग्रेसों के द्वारा चुने जाते थे। प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य जिला कांग्रेसों के सदस्यों के द्वारा, जिला कांग्रेसों के सदस्य ग्राम या नगर सोवियतों के द्वारा और ग्राम या नगर सोवियतों के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति में निर्वाचित किए जाते थे। निर्वाचन की दृष्टि से नगरवासी मतदाताओं और ग्रामीण मतदाताओं में भेद किया जाता था। अखिल रूसी सोवियतों की कांग्रेस के सदस्यों की संख्या इस आधार पर निश्चित की जाती थी कि २५, नगरवासी मतदाताओं तथा

१ The Declaration of the Rights of the Working and Exploited People

१२५, प्राचीण मतदाताओं पर एक सन्धि हो। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप नगरवासी मतदाताओं का, जिनमें अधिकांश भारखानों में काम करने वाले श्रमिक होते थे, कांग्रेस में प्रभुत्व प्राप्त हो जाता था।

सोवियतों की कांग्रेस एक वन्द्य कार्यकारी समिति का निर्वाचित करती थी। यह सोवियतों की कांग्रेस के सत्रारंभ काल में उसके कार्य भी करती थी। कार्यकारी समिति एक जन कमिश्नर परिषद् (Council of People's Commissars) को नियुक्त करता थी। यह परिषद् ही सोवियत शासन का वास्तविक कार्यालय था, क्योंकि यह कार्यकारी समिति अपनी सभी सत्त्व सत्त्व के कारण अनन्तर कार्य नहीं कर सकती थी। इस सत्त्व अन्तर्गत शासन विभागों के प्रमुख हातों के द्वारा अपने अपने विभागों के कार्यों का प्रशासनिक करत थे। ये वन्द्य कार्यकारी समिति के प्रति उत्तरदायी होते थे।

यद्यपि शासन में रूस की सभी गणराज्यों को शामिल किया गया था, परन्तु व्यवहार में यह एक एकीकृत राज्य था। रूस के राज्यत्त्व में अनेक 'स्वायत्तशासन' (autonomous) एकात्मता का निर्माण किया गया था जिन्हें बहुत ही शांति से छोड़ा गया था परन्तु राज्य महत्त्व के सभी प्रश्नों पर वन्द्य सरकार का पूर्ण नियन्त्रण था। सन् १९२८ के संविधान में सोवियतों को अत्यधिक महत्त्व दिया गया था। उसके प्रथम अनुच्छेद में ही घोषणा की गई थी—'रूस को आमका संसदीय प्रारंभ के प्रातनिधियों (deputies) की स्वायत्तता का गणराज्य घोषित किया जाता है। सभी स्थानीय तथा वन्द्य प्राधिकार इन सोवियतों में निहित हैं। रूस गणराज्य का इन्हीं स्वायत्तता का संघ माना जाता था।

सन् १९२४ का संविधान

सोवियत संघ का निर्माण—यह युद्ध तथा वैदेशिक हस्तक्षेप के समाप्त

१ 'The Russian Socialist Federal Soviet Republic, although expressly termed a federation is and has always been essentially a unitary state —Sydney and Beatrice Webb, Soviet Communism A New Civilisation (1934 Ed.) p 55

हाने पर रूसी साम्राज्य के कई युरोपिय क्षेत्रों में नए राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके अपने संविधान थे और अपनी सरकारें। इन नए राज्यों के संविधानों का आधार रूसी समाजवादी संघाय सोवियत गणराज्य का संविधान था और इनके शासक भी साम्यवादी विचारों में निर्यात रखते थे। सन् १९२२ में एक संधि के द्वारा रूसी गणराज्य, यूक्रेन स्वतंत्र रूस (White Russia) तथा ट्रांस्काशिया एक सूत्र में बंध गये। इस संधि ने सोवियत समाजवाद गणराज्य संघ (U S S R) का जन्म दिया। पूँजीवादी राज्यों के आक्रमण का भय, सामूहिक आर्थिक आयातन की आवश्यकता तथा कम्युनिस्ट पार्टी का सा राज्यों में प्रभाव हा के मुख्य कारण थे जिन्होंने उस संघ का निर्माण समभव बनाया। सोवियत संघ के निर्माण के बाद एक औपचारिक संविधान की आवश्यकता अनुभव का गई। सन् १९२३ के प्रारम्भिक काल में सोवियत संघ का कन्वन्स कार्याकारिण समिति ने संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। संशोधित अवस्था में इस प्रारूप का चारों राज्यों ने स्वाकार कर लिया और ६ जुलाई सन् १९२४ को इस प्रवर्तित कर दिया गया।* २१ जनवरी, १९२४ को सोवियतों के द्वितीय अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका अनुसमर्थन कर दिया। सन् १९२४ में रूसी गणराज्य के क्षेत्र में से उजबेक (Uzbek) तथा तुर्कमान (Turkman) नामक दो नवान गणराज्यों का स्थापना का गई। इस प्रकार सन् १९२६ में ताजिक (Tadzhik) गणराज्य का स्थापना की गई। इन नवान गणराज्यों के निर्माण के फलस्वरूप सोवियत संघ के एकका (Unit) का संरचना सात हा गई।

शासन के मुख्य अंग माजियता की कांग्रेस—सन् १९२४ का संविधान रूसी गणराज्य के संविधान के आधार पर बनाया गया था। संविधान के अनुसार राज का समस्त सत्ता प्रदिल्ल राष्ट्रीय सोवियतों की कांग्रेस में निहित था। सन् १९१८ के संविधान के उपस्था के समान ही इस संविधान में भा कांग्रेस के निर्वाचन के लिये अप्रत्यक्ष राति की व्यवस्था थी। कांग्रेस का संस्य

For the text of the constitution see W. E. Rappard and other *Source Book on European Governments* Pt V pp 88 106

संस्था निश्चित करने के लिये ग्रामीणों और नगरवासियों में जो विभेद विद्यमान थे, उनको मिटाने के लिये सविधान म किया गया था, उसे इस सविधान म भी कायम रखा गया था। सोवियतों की कांग्रेस की सदस्य-संख्या बहुत अधिक होती थी। सन् १९३१ में कांग्रेस की पूर्ण सदस्य संख्या २,४३ तथा सन् १९३५ में यह ३,००० के लगभग थी। सन् १९२४ के सविधान की एक धारा के अनुसार कांग्रेस का वष म कम से कम एक सत्र होना आवश्यक था। सन् १९२७ के एक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कम से कम दो वष म कांग्रेस का एक सत्र आवश्यक होना चाहिये। 'यन्हार म इस उपबंध का अधिकतर पालन नहीं किया जाता था।' का सत्र सत्र सत्र की अधि कम एक दिन थी, और सत्र सत्र का ११ दिन। 'यन्हार म कांग्रेस की समस्त प्रायश्चित्त और कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। कांग्रेस अपने सत्र म केवल अपने समस्त प्रस्तुत प्रारम्भिक का सत्र-सम्मति स अनुमोदन करता था और केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के संस्था का निर्वाचित करती थी।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति—केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का सोवियतों का कांग्रेस का ही एक अंग माना जाता था। यद्यपि इसका नाम कार्यकारिणी समिति (executive committee) था, परन्तु 'सर्व कार्य विधायक (legislative) तथा कार्यपालिका सम्बन्धी दोनों ही थे। अन्य देशों के विधान मंडलों का भावित्व इसका सत्र होता था, जिन्हें सत्र सोवियत (Soviet of the Union)^१ तथा जातिक सावधान (Soviet of Nationalities) का सत्र कहा जाता था। सत्र सोवियत की संस्था संस्था निर्मित क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती थी। लगभग १,००० निर्वाचकों पर एक सत्र का अनुमान रखा जाता था। सन् १९३३ में इसका संस्था संस्था ६२७

^१ नवम्बर और चतुर्थ कांग्रेस क्रमशः मई १९२५ और अप्रैल १९२७ में हुई (अन्तर-१२५ ११ माह)। प्रथम और सत्रम कांग्रेस क्रमशः मार्च १९३१ और जनवरी १९३३ में हुई (अन्तर-३२५ और १ माह)।

कुछ लेखकों ने इस सोवियतों का सत्र (Union of Soviets) भी लिखा है।

तथा १९३५ म ६ ७ थी। जानिक सोवियत की संसद संसद निश्चित करन क लिये यह आधार निश्चित किना गया था कि प्रत्येक उपराज (constituent republic) क ५, औ प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र (autonomous region) का एक प्रतिनिधि हो। उस संसद की संसद संसद १५ था। यहा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि न ता सोवियत की कांग्रेस के संसद और न केन्द्रा कार्यकारिणी समिति के संसद प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किये जाते थे। सोवियतों का कांसद संसद क निर्वाचन का यही पद्धति था जिसका उल्लेख हम सन् १९१८ क सविधान के अन्तगम कांग्रेस के संसद क निर्वाचन पर विचार करत समय कर चुके हैं। केन्द्रा कार्यकारिणी समिति क लिए प्रशाशिया मी सूची पाठा क नतात्रा क द्वारा कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी और यह कि ना किसी परिपत्रन क मदद हा कांग्रेस क द्वारा अनुमोदित करी जाती था।^१

मानान्वत केन्द्रा कार्यकारिणी समिति की वष म तीन या चार संसद हाना था। पर शासन का नाति पर विचार करनी थी और अपने प्रेसीडियन तथा कमिसार पार्लम क निरचन का अनुसमर्थन करता थी।^२ उसका कार्यभार केन्द्रा प्रेसीडियम द्वारा निश्चित किया जाता था। विधि निर्माण म संसद दानों संसद की शासना समान थी। दोना संसदा म विचार हान की स्थिति म सविधान में एक समाधान समिति (Conciliation Committee) क नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी, जिसके सदस्य दोना संसदा से समान संसद म किये जाते थे। यदि किसी विषय पर दानों सदना म मतभेद नहीं हा पाठा था तो अन्तिम निर्णय करने का अधिकार अखिल सघीय सोवियतों की कांग्रेस का दिया गया था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति कई आयोग नियुक्त करती था जो समय समय पर अपनी प्रार्याएँ संसद सम्मुख प्रस्तुत किया करत थे। उन आयोगों में मुख्य व आय चयक आयोग (Budget Commission) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान आयोग, और शिल्प शिक्षा आयोग।

^१ Florinsky M T The Govt & Politics of the USSR
² in Governments of Continental Europe edited by Shotwell
 p 737

^२ F A Ogg & H Zink Modern Foreign Governments
 p 839

माक्सवादी, बालशेविक क्रांति तथा सोवियत शासन व्यवस्था का विकास ५३

यद्यपि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति लगभग सदैव ही प्रेसीडियम और कमिसार परिषद के निर्णयों का अनुमोदन कर देती थी, परन्तु उनके सम्मेलन द्वारा उगनी तीव्र आलोचना भी की जाती थी। इस आलोचना के पश्चात्काल कभी कभी शासन की नीति में मन्द्यपूर्ण परिवर्तन किए जाते थे।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सत्र बहुत थोड़े समय के लिए होते थे। उसका एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच दो माह से लेकर तरह-तरह का अंतर रहा तथा उसका पूरा कार्यकाल (१८२-१९७) में उसका सत्र कुल १३६ दिन तक चले।

प्रमादियम—केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अपने सत्रावसान काल में कार्य करने के लिये एक अथवा अधिक (प्रेसीडियम) नियुक्त करता था। इस प्रेसीडियम के ६ सम्भव सत्र सोवियत द्वारा ६ सदस्य जातिक सम्मेलन द्वारा तथा ६ सम्भव अन्य दाना सम्मेलन के द्वारा एक संयुक्त प्रावधान में चुने जाते थे। इस प्रकार प्रेसीडियम के सम्मेलनों की पूर्ण संख्या २७ होती थी। सन् १९२८ के सम्मेलन में प्रेसीडियम को ६ सम्मेलन सत्र का समन्वय विभाग, कार्यकारिणी तथा प्रशासनिक प्रशासन का कार्य दिया गया था। नए कर लगाने, गणना तथा पुराने करों में वृद्धि करने जैसी आर्थिक नीतियों पर प्रेसीडियम का पूर्ण स्वायत्त प्राप्ति करना आवश्यक था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सत्रावसान काल में प्रेसीडियम आवश्यकानुसार नियुक्त किया जा सकता था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का सत्र बहुत थोड़े काल के लिये होता था इस कारण, जैसा कि फ्लोरिन्सकी का मत है, सम्मेलनों की कार्यवाही का भार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पर नहीं बरन् उसका प्रेसीडियम का वहन करना पड़ता था।^१

^१ Julian Towster *Political Power in the U S S R* (1917-1947) pp 22) 230

^२ the highest legislative executive & administrative organ in the U S S R — *Constitution of the U S S R 1944*

^३ The brunt of the work of the Congresses of the Soviet devolved not upon the Central Executive committee but upon its residuum — *Florinsky M T op cit p 737*

जन कमिस्तार परिषद्—केंद्रीय कार्यकारिणी समिति एक जन कमिस्तार परिषद् (Council of People's Commissars) को नियुक्त करती थी, जो अन्य राज्यों के मंत्रिमन्त्रालयों के समान सघीय शासन का मुख्य कार्याङ्ग थी। इसकी सदस्य-संख्या सन्निधान द्वारा निश्चित नहीं की गई थी, इस कारण उसमें समय-समय पर परिवर्तन हाथ रहते थे। सन् १९३४ में उसके १५ सदस्य थे। परिषद् के सदस्यों को कमिस्तार (Commissar) तथा उनके प्रशासनीय विभागों का 'कमिस्तारियन' कहा जाता था। सोवियत संघ में राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर राज्य का अधिकार है। इसके फलस्वरूप जन कमिस्तार परिषद् के सदस्यों या कमिस्तारों को न केवल अपने देशों के मंत्रियों के कार्य करने पड़ते थे बल्कि अन्तर्-मन्त्र अथवा अन्तर्-राज्य के निर्देशन भी करना पड़ता था।

जन कमिस्तार परिषद् में दो प्रकार के विभाग थे—ग्रामिण सघीय कमिस्तारियन तथा सघ गणराज्य कमिस्तारियन। ग्रामिण सघीय कमिस्तारियन ऐसे विभागों का नाम था जिनका प्रधान कार्य वे जो पूरवस्था सघीय सरकार के क्षेत्राधिकार में थे उत्तरदायी वैश्विक मामलों वैश्विक व्यापार सुसज्जित थे। ऐसे विभाग जिनके ग्रामीण ऐसे विषय थे जिन पर सघीय शासन एवं एक्को (गणराज्य) का समान क्षेत्राधिकार था सघ गणराज्य कमिस्तारियन कहलाते थे उत्तरदायी, खाद्यान्त आदि, इत्यादि।

सर्वोच्च न्यायालय—सन् १९२४ के सन्निधान में सोवियत संघ में लिये एक सर्वोच्च न्यायालय (Suprem Court) की भी व्यवस्था थी। परन्तु यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सोवियत संघ में शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धान्त का कभी मान्यता प्रदान नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय का सामन्तता का कांग्रेस का ही एक अंग माना जाता था। सोवियत सी कांग्रेस अपने अधिक बड़े-से प्रत्यायोजित कर देती थी। सर्वोच्च न्यायालय का किसी विधि को सन्निधान के प्रतिकूल होने पर अन्तः घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

सन् १९३६ का सविधान (स्तालिन सविधान)

परिवर्तित परिस्थितियाँ—सन् १९२४ से १९३६ तक काल में सोवियत सभ की आर्थिक दशा, सामाजिक व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सन् १९२४ के सविधान के निर्माण के काल में नवान् आर्थिक नीति का काल था, जो अशत पँजागानी व्यवस्था का पुनर्जाति कर सोवियत सभ की अर्थ-व्यवस्था को दृढ़ करने का प्रयत्न किया जा रहा था। उस समय सोवियत सभ की सामाजिक महत्वपूर्ण समस्या थी उत्पादन में वृद्धि करना। सन् १९२८ में प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यात्मक किए जाने से सोवियत सभ के जीवन क्रम में जो काल प्रारम्भ हुआ वह था समाजवादी आन्दोलन पर देश का पुनर्निर्माण और पँजागानी व्यवस्था के अग्रगण्य तत्त्व का पूर्ण अस्त-व्यस्त करने का काल। सन् १९३६ तक उपरोक्त लक्ष्य को बहुत ज़ीदा सामान्य प्राप्त कर लिया गया था। २५ नवम्बर १९३६ को अष्टम सोवियत कायस के समक्ष स्तालिन ने जो भाषण किया था उसमें उसने सोवियत सभ की प्रगति और परिवर्तित स्थिति का निस्तृत चित्रण किया था। देश के औद्योगिकीकरण पर प्रकाश डालते हुए उसने कहा—“सभसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पञ्जीगाने हमार उद्योग के क्षेत्र में निस्तुल ही लुप्त हो चुके हैं जो उपत्ति की समानता पद्धति और यह सिद्धान्त है जो कि हमार उद्योग के हर क्षेत्र में अत्याहत अधिकार रखता है। हमार आज के समानता उद्योग का उत्पादन युद्ध के पृथक् उद्योग से सात गुने से अधिक है। यह कोई मामूली बात नहीं है। कृषि की चर्चा करते हुए स्तालिन ने कहा—“सभी लोग जानते हैं कि कृषि में ‘कुलक’ (समूह उपकरण) प्रेरणा लुप्त हो चुकी है, और पिछले दशकानुसार कृषि प्रक्रियाओं से युक्त छात्र व्यक्तिक कृषक का अर्थ भी अलग-अलग रह गया है। जहाँ हुई भूमि का लेने पर कृषि में इनका भाग २ या प्रतिशत से अधिक नहीं है। और इन सभ परिवर्तना का कारण प्रतीत हुए स्तालिन ने कहा—“सभ मानते हैं कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का जीवन बचाया जा रहा है नाट हो गया है जब कि उपत्ति के उपकरण और साधना पर समान का अधिकार हमार सोवियत समान में अन्तर्गत नीति के रूप में स्थापित हो गया। इस प्रकार सभी

शापक प्रणिया आ समाप्त हा चुका । अर शर है, श्रमिक श्रेणी । अर शर है, कृषक श्रेणी । अर शर है, बुद्धिमान श्रेणी ।

न केवल आन्वयतरिक क्षेत्र म हा, प्रत्युत् अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र म भी सोवियत संघ की स्थिति मुट्टा हुई थी । सन १९४४ म सोवियत संघ राष्ट्र संघ (League of Nations) का सदस्य हो गया था । जर्मनी म नाजी दल का उदय के कारण अर पश्चिमी राष्ट्र अपना मुरना क लिए चिंतित हो उठे थे । असे सोवियत संघ को किसी तात्कालिक आक्रमण का भय न था । रसर क सभी देशों - राजनीति अर यह भला भाति जान गए थे कि रूस म सोवियत शासन की अदृष्टतापूर्वक उम गई हे अर अर उम हटाना अरन्त करिन हे ।

सविधान निर्माण—६ फरवरी १९३५ का सत्रम् सोवियत कांग्रेस ने १८२४ क सविधान म संशोधन करने का निश्चय किया । उक्त निश्चय के अनुसार ३१ सत्रम् का एक आयोग नियुक्त किया गया । अस आयोग का अध्यक्ष स्तालिन था । आयोग का यह आदेश दिया गया था कि यह सविधान म ऐस संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर जिस अर सम-मताधिकार की जगह पर समान मताधिकार, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन और खुले मतदान की जगह गुप्त मतदान की व्यवस्था हा । साथ ही सोवियत संघ की वर शक्तिया क वर्तमान सम्बंध क अनुसार सविधान म परिवर्तन कर उसके सामाजिक और आर्थिक आधार का अर आधक स्पष्ट कर दिया जाए ।

अप्रति सोवियत कांग्रेस ने सविधान आयोग का १९२४ के सविधान म संशोधन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था परन्तु उसने एक नए ही सविधान का प्रारूप कांग्रेस क समक्ष प्रस्तुत किया । स्तालिन ने अपने २५ नवम्बर १९३६ क सोवियत कांग्रेस क समक्ष दिए गए भाषण म यह घोषणा की कि "नए सविधान का प्रारूप, जितना माग हमने तथ किया है, जो वस्तुएँ हम पा चुके हैं, उनका सक्षर हे । यह केवल प्राप्त उद्देश्य का वर्गनिक अरकन मात्र हे ।

जून १९३६ म सविधान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया था, जिस पर उम पर सामंजसिक बात चिदा किया जा सने । राजकीय आकडा क अनुसार सविधान पर विचार करने क लिए ५२७ समाएँ हुई जिनमें २ कराड ६५ लाख लोगों ने भाग लिया । सविधान क प्रारूप में लगभग १५४,

माक्सवाद्, नाल्शेनिक क्राति तथा सोवियत शासन यवस्था का विकास ५७

सशोधन प्रस्तावित किए गए, परन्तु इनमें से केवल ४३ सशोधन माने गए। फ्लारिन्सकी के मतानुसार वस्तुतः यह सभी सशोधन शाब्दिक थे। स्वातंत्र्य सशोधन में केवल एक सशोधन कुछ औपचारिक महत्त्व का था जिसके द्वारा सोवियत (Soviet of Nationalities) के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई।^१ इस सशोधन को मानने का परामर्श स्वयं स्तालिन ने सोवियत कांग्रेस के समक्ष अपने भाषण में किया। अस्तित्वगत सशाधना में से कुछ में द्विसत्तनात्मक व्यवस्था समाप्त करने, प्रेसीडियम के अध्यक्ष का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित करना, धार्मिक पूजा के अनुष्ठान का निषेध करने से प्रारम्भिक काल में सोवियत संघ में सशोधन होने का अधिकार न मिल जाने की मांग की गई थी। सोवियत की अग्रिम (विशेष) कांग्रेस ने इस दिशा तक सविधान के प्रारूप पर विचार किया और उन्मत्त पश्चात् कुछ सशोधना के साथ उसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया। सन् १९२७ के प्रारम्भिक काल में इसे प्रवर्तित कर दिया गया और १२ दिसम्बर १९३७ को नए सविधान के अन्तर्गत प्रथम सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुआ।

अध्याय ४

स्तालिन सन्धिधान की प्रकृति तथा विशेषताएँ

सोवियत प्रपत्ता तथा स्वधिवत्ता पुनः पुनः यह घोषणा करत हैं कि सोवियत सन्धिधान अन्य दशा न सन्धिधानास पूरगत भिन्न हे। साथ ही वे यह भी दावा करत हैं कि सोवियत सन्धि एक नए प्रकार का राज्य हे। उस कारण सोवियत शासन प्रणाली का अध्ययन प्रारम्भ करने क पूर्व यह आवश्यक हे कि हम सोवियत सन्धि क वर्तमान सावधान का प्रकृति तथा उसकी विशेषताओं पर विचार करें।

सन्धिधान का लिखित स्वरूप—सोवियत सन्धि का सन्धिधान एक लिखित सन्धिधान हे अर्थात् शासन क विभिन्न अंगों, उनक कृत्या एवं कार्यक्षेत्र तथा नागरिकों क मूल अधिकार आदि का एक लेखपत्र में उल्लेख हे, और उसकी अन्य विधियाँ स अधिक महत्ता समझी जाती है। परन्तु उसमें कवल उरमुक्तता का ही उल्लेख नहा हे। उसमें सोवियत राज्य क स्वरूप, सोवियत राज्य की सामाजिक दशा सोवियत सन्धि क राजनीतिक तथा आर्थिक आधार आदि का भी स्पष्ट उल्लेख हे। उसमें भूमि (lands) तथा पेंनापनिंग का सत्ता क उन्मूलन तथा सन्धिद्वारा न अन्विष्टता की विजय का अंकन हे। उसक साथ ही सोवियत सन्धि क सन्धिधान में नागरिकों क उन अधिकारों का उल्लेख हे जा उह वर्तमान में प्राप्त हैं। उसमें किसान आने वाले युग में नागरिकों का प्राप्त होने वाले अधिकारों का उल्लेख नहा हे। उसी कारण सोवियत लेखक सोवियत सन्धिधान का सामाजिक शक्तियों क वास्तविक पारस्परिक सन्धि की वैधानिक अभिव्यक्ति मानत हे। यदि ऐसा नहा हे ता सन्धिधान कर्तव्य कल्पना मान होगा।

सन्धिधान क प्रारूप पर अष्टम् सोवियत कांग्रेस क समझ लिय गये अपने भाषण में स्तालिन ने कार्यक्रम और सन्धिधान का अंतर स्पष्ट किया था। उन्होंने

कहा या कि कार्यक्रम का संप्रथ मुद्रणना भविष्य से हाता है और सविधान का प्रतमान मे । इसका कारण यह है कि कार्यक्रम मे उन वस्तुआ का उल्लेख हाता है जो अभी विद्यमान नहा है, निह कि भविष्य मे प्राप्त करना है । इस प्रकार सविधान मे उन वस्तुआ का उल्लेख हाता है ता कि विद्यमान हैं जा कि अब तक पाई और जाती जा चुका हैं । इस कारण स्लानिन ने सन् १६ ६ क सविधान को 'विजित क्षेत्र (Conquered territory) अर्थात् राज्य म स्थापन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था का औपचारिक बरण बतलाना था ।'

अपि सोवियत संघ का सविधान लिखित है और सोवियत प्रजात उम सामाजिकता का प्रतिनिधित्व प्रता है परन्तु उसका संप्रथ म यह निश्चित रूप म कहा जा सकता है कि कमल सामाजिक उद्योग का अययन करने से ही एक सक्ति सोवियत संघ का शासन प्रणाली म पृथक पारचित नहा हो सकता । इनक लिये उम विभिन्न शासनाग म कमकरण तथा अनेक ऐसी संधाआ क कार्य से परिचित हाता हागा जिनका सविधान मे कदा उल्लेख भी नहा है । एतान किहा हए तक प्रत्येक देश का शासन प्रणाली क संप्रथ म कदा जा सकता है परन्तु सोवियत संघ क संघ म मे इसका सत्यता संपादिक है ।

राज्य का समानवाद आधार—जहा परले बतलाना गया है, सोवियत सविधान क प्रथम अनुच्छेद म हा सोवियत संघ को समानता तथा हाता का समानताणी राज प्राप्ति किा गया है । प्राग क अनुच्छेदों म समानताणी कि अर्थ को तादक रट किा गया है । सविधान क चतुथ अनुच्छेद क अनुसार सोवियत संघ का आर्थिक आधार मानवता प्रथम तथा उद्योग क साधना प्रार उद्योग का समानताणी मानिय है ता कि पर्वोत्थान अथ-व्य-व्या क उन्मूलन उद्योग क साधना तथा उन्करण क सक्तिगत स्वामित्व का समाप्ति प्रार मनुष्य द्वारा मनुष्य क शरण क अत किा जान क परिणाम न्याय तथापुनर्थापित हुआ है । अनुच्छेद छे क अनुसार मूनि उसका प्रतिन संपत्ति न, न, कारणाने, पदरिा सान म, न, न, त

राज्य यातायात, बैंक, संचार राज्य मंत्रालय सगठित इन्डस्ट्रियल उद्योग (राजकीय फार्म यंत्र डॉक्टर स्टेशन आदि) तथा समस्त म्युनिसिपल उद्योग और नगरों के आर्थिक विकास के रहने योग्य मकानों का अधिकार भाग, राज्य की सम्पत्ति हैं प्रत्येक मन पर समस्त नगरों का स्वाभाव है।

राज्य की सम्पत्ति के अतिरिक्त समानवर्ती सम्पत्ति का दूसरा रूप सहकारी समितियाँ प्रत्येक सामान्य फार्मों का सम्पत्ति है। सामूहिक फार्मों तथा सहकारी समितियों के सामाजिक उद्योग उन पशु और मन उनके द्वारा उत्पादित मनुष्य, तथा उनका सामाजिक भाग प्राप्ति मनका सामाजिक समानवर्ती सम्पत्ति हैं।^१ सामूहिक फार्मों द्वारा प्राप्ति भूमि वह अपने उपयोग के लिये निःशुल्क तथा प्रचरित मन के लिये अर्थात् सभ के लिये, प्राप्त है।^२

राज्य के समानवर्ती प्रसार का यह प्रर्थ लगाना कि सोवियत सभ में वस्तु-संपत्ति पर धारा का प्रणत अंत कर दिया गया है, अमगत होगा। समानवर्ती अर्थ पर धारा का माथ ८ जो कि सोवियत सभ की प्रमुख अर्थ परस्था है निम्न प्रकार प्रकृत रूप में प्रकृत तथा काँग्रेस का अपने मन पर अवलंबित तथा निम्न दूर के भ्रम का उपयोग किये बिना छोटे परिमाण में अतिगत अर्थ परस्था की छूट दी गई है।^३ निम्न नागरिकों के अपने भ्रम से अर्जित आय तथा अर्जन रहने के घर घर के समान तथा वैयक्तिक उपयोग तथा सुविधा का मनुष्यों पर अधिकार तथा उनके वस्तु-संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने के अधिकार का सरक्षण करती है। इस सिद्ध होता है कि सोवियत सभ भी वस्तु-संपत्ति रखने का छूट दी गई है।

समानवाद तथा साम्यवाद का सिद्धि में अन्तर—सोवियत सभ में समाज के विकास की वर्तमान स्थिति का समानवाद का सिद्धि कहा जाता है। इसी कारण सोवियत सभ का वर्तमान अर्थ-सभ का आधार यह सिद्धान्त है—‘प्रत्येक से अपनी योग्यता के अनुसार, तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार।’^४ परन्तु साम्यवाद का अर्थसा में एक दूसरा ही सिद्धान्त आधार

^१ अनु ७

^२ अनु ८

^३ अनु ६

^४ अनु १

From each according to his ability to each according to his work. —Art 12 of the Constitution

होगा। वह सिद्धान्त है—“प्रत्येक से उसका सामर्थ्य के अनुसार, तथा प्रत्येक का उसकी आवश्यकता के अनुसार।” सोवियत की समस्या में न तो वैयक्तिक सम्पत्ति होगी, और न काय के बदले में पारिवारिक पान का व्यवस्था। उस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपना सामर्थ्य के अनुसार समाज का हित करेगा और समाज प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। य मनुष्य और एंगिलिस द्वारा प्रतिपादित समाज की आदर्श व्यवस्था है। सोवियत प्रवक्ताओं का दावा है कि सोवियत संघ की वर्तमान व्यवस्था उमा समस्या का दिशा में बना हुआ पग है।

अनन्य सविधानों में मराधिक नम्य सविधान—राय शास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त ने सविधान का अनन्य (Rigid) और नम्य (Flexible) नामक दो वर्गों में विभक्त किया है। अनन्य और नम्य सविधानों में भेद का आधार सविधान में संशोधन करने का पद्धति का माना जाता है। प्रा स्ट्रॉग के मतानुसार जिस सविधान में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार विशेष पद्धति (साधारण विधि प्रदान की पद्धति में भिन्न पद्धति) के आवश्यकता पड़ती है वह अनन्य सविधान कहा जाता है। मनुष्य के अनुसार जिस सविधान में संशोधन करने का पद्धति सामान्य विधि प्रदान पद्धति में भिन्न नहीं होती उस नम्य सविधान कहा जाता है।

यदि हम सोवियत संघ के सविधान पर निर्धारित कसौटी के आधार पर विचार करें तो निश्चय ही हमें यह मानना होगा कि सोवियत संघ का सविधान अनन्य है। सोवियत संघ के सविधान के अनुच्छेद १४६ में सविधान में संशोधन करने की पद्धति का उल्लेख है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है ‘सोवियत संघ का सविधान केवल सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदन में कम से कम दो तिहाई बहुमत से अंगीकृत निश्चय के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। सर्वोच्च सोवियत साधारण विधि का सामान्य बहुमत से ही पारित कर सकती

१ From each according to his capacity to each according to his needs

२ Strong C F Modern Political Constitution is p 63

है, इस कारण सविधान म सशोधन करने की पद्धति विधि निमाण पद्धति स स्पष्टतया भिन्न है।

सधामक शासन प्रणाली वाले मभा राया न सविधान प्राय अनम्य होते हैं। इसका कारण यह है कि उनम सशासन करने न लिये सघ म सम्मिलित होने वाले एकका (Units) का मत जानना आवश्यक हाता है। सयुक्त राय अमरिका, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रलिया न सविधाना तथा भारतीय सविधान क अधिकारा भाग म सशोधन करने के लिये सघ में सम्मिलित होने वाले एकका की स्वीकृति प्राप्त क्रिया जाना आवश्यक है। परंतु सोवियत सघ म सविधान क अनम्य होने का य कारण नहा है। जैसा कि प्रनुच्छेद १४६ से जिसका हम अभी उल्लेख कर चुक हैं, स्पष्ट है, सोवियत सघ न सविधान में सशोधन करने के लिये एकका का स्वाक्रात प्राप्त करना तो दूर रहा, उनका मत जानना भी आवश्यक नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सशोधन क लिए नौ निहाई बहुमत का उपबंध सविधान का अन्य विधिया स अधिक महत्ता देने क लिये ही रखा गया है।

सोवियत सघ क सविधान की नम्यता (flexibility) का अनुमान हम नसा तथ्य स लगा सकते हैं कि सविधान क प्रवर्तित किये जाने से त्रय तक समाच सावियत के प्राय प्रत्येक सघ (session) म ही उस म सशोधन किय गये हैं।^१ उनमें से कुछ सशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण ह। यहा यह ध्यान रचना आवश्यक है कि सोवियत सविधान की नम्यता का कारण केवल साविधानिक उपग्र ही नहां हैं। इसका एक प्रमुख कारण सर्वोच सावियत म कम्युनिस्ट पार्टी का प्रागान्य है। यदि सोवियत सघ म भी ससनीय (Parliamentary) शासन होता तथा सभी राजनीतिक दला का निनाचन म खुल कर भाग लेने का स्वतंत्रता होती ता भी सावियत सविधान इतना ही नम्य सिद्ध होता यह सदेह जनक है। ना कुछ भी हो यह निश्चिन रूप स कहा ना सकता है कि अनम्य काटि क सविधाना में हाते हये भी सोवियत सविधान नगरार में अत्यधिक नम्य सिद्ध हया है।

मुफ्ट के द्रयुक्त सघीय यररा—सविधान के प्रनुच्छेद १३ के अनुसार सोवियत सघ समान सोवियत समाजवादी गणराशों का स्वेच्छा क

^१ Julian Towster op cit p 26

आधार पर निर्मित सघ राज्य है। इस सघ में सोल्ह सघ-गणराज्य (Union Republics) हैं। इन गणराज्यों को क्षेत्रीय विभा में पूरा स्वायत्तता (autonomy) प्राप्त है। फरवरी १९४४ के संविधान द्वारा उन्हें अपना सनाएँ रखने तथा विशेषा से प्रत्येक सघ रखने का भा अधिकार दे दिया गया है। न केवल इतना ही, बल्कि सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रत्येक सघ-गणराज्य का अपना उपरा सविधान सघ से संबंध विच्छेद करने का भा अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा अन्य सघों के एकता का प्राप्त नहीं है। बल्कि यह ऐसे अधिकार हैं जो एक सघ-राज्य (Federal State) में नहीं प्रयुक्त एक राज्य-मंडल (Confederation) में ही एकता का नियत जा सकते हैं।

सघ-गणराज्यों के अतिरिक्त सविधान सघ के सविधान में स्वायत्तशासी राज्यों का स्वायत्तशासी प्रदेशों तथा राज्य क्षेत्रों का भा सघ के एकता के रूप में मान्यता प्रदान का गई है। जाति-सविधान (संघीय सविधान के द्वितीय खंड) में इन सभी का प्रतिनिधि भवन का आकार है। परन्तु इनका वास्तविक प्रतिष्ठा, अधिकार और कर्तव्य समान नहीं हैं। जहाँ यह मान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त निम्न श्रेणी के सघ-गणराज्यों से प्रकृत नहीं है। उदाहरणार्थ, संघीय सघ-गणराज्य में १ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा ६ स्वायत्तशासी प्रदेश हैं। निम्न श्रेणी के एकक जित सघ-गणराज्यों के क्षेत्र में होते हैं व उसा के संरक्षण में कार्य करते हैं। सघ-गणराज्यों में प्रजातन्त्र का स्वायत्तशासी गणराज्यों का मात्र-परिष्कार के निर्माण तथा प्रादेशों का रूप करने का अधिकार प्राप्त है। निम्न श्रेणी के एकक कुछ नियम शर्तें पूरा करने पर उच्च श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं तथा सघ गणराज्यों तक का रूप ले सकते हैं। सविधान सघ में उक्त जहाँ जहाँ जाति-सघ तथा प्रादेशों के जाति-सघों की प्रयत्ना भाग्य सञ्चालन का उक्त रूप का पान्थ स्वरूपता प्राप्त है।

संविधानिक उक्त १ के अनुसार सघ में सम्मिलित होने वाले एकता के प्रयत्ना स्वायत्तता तथा इतने महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त जाने पर भा उपरा सघ सविधान सघ इन सघों में है जहाँ सत्ता का अधिकारिक कन्द्राकरण है।

इसका एक प्रमुख कारण यह है कि सोवियत संघ के आर्थिक जीवन का निधारण तथा निर्देशन सघीय शासन की राष्ट्रीय आर्थिक योजना द्वारा किया जाता है। प्रभा आर्थिक पद्धत - संघ में संघ पर आत्रित रहने के कारण संघ के षकों की स्वतन्त्रता सविधान के अनु द्वा तक हा सीमित र जात है। सोवियत सविधान में संघ गणराजों को संघ से अलग होने का अधिकार प्रवश्य दिया गया है परन्तु उसका प्रयोग की सम्मानना इसा तथ्य से पष्ट है कि सन् १९२७ के 'शुद्धाकरण' में अनेकों पक्षियों का 'सोवियत संघ को विघाटन करने का प्रयत्न करने के अपराध में दण्डनीय भागी हाना पडा।' फरवरी १९४४ के संशोधन के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रभाक प्रहार में प्रयोग नहीं हुआ है। वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत संघ में सर्वत्र प्रान्त प्रभा के साथ एकता के अधिकारों पर नल देने वाले पक्षियों को राज्य विरोध का प्रमाण के लिए दण्ड पाने की हा सम्मानना अधिक है। सविधान द्वारा प्रवृत्त इन अधिकारों के होते हुए भी वह काना प्रचुक्ति न हाता कि सोवियत संघ एक सुदृढ़ युक्त संघ राज्य है।

राज्य की प्रवृत्ति—संघ के प्राधकाश सघीय शासन वाले देशों का प्रवृत्त संघ के आधिकारिक कन्द्राकरण की आर रहा है। संयुक्त राज्य अमरिका में सर्वत्र राजाज्य द्वारा सविधान का उचार यादवा के द्वारा सघीय शासन के अधिकार क्षेत्र में प्राश्चयजनक वृद्धि हुई। स्विट्जरलैंड में यह वृद्धि सन् १८४८ के सविधान में समय पर समय किए गए संशोधनों के द्वारा हुई। सोवियत संघ में इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। सन् १९२४ के

At first glance the most conspicuous difference (with the U S) might seem to be the right of secession of the union republics though for all its ideological appeal this right can scarcely be regarded as a matter of practical politics. There is to be noted in this connection the fact that many of those charged with treason and counter-revolution in the purges of 1937-38 were accused of working to dismember the Soviet Union.—Harper & Thompson
op cit pp 52-53

सविधान में कृषि, आर्थिक मामले, न्याय, लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा व विभागों को एककों के अनन्य (exclusive) क्षेत्राधिकार म रखा गया था। सन् १९३६ तक इनमें से केवल अंतिम दो ही उनके क्षेत्राधिकार म रह गए। स्तालिन सविधान क द्वारा तथा उसके बाद के कई संशोधनों के द्वारा भी सोवियत शासन क क्षेत्राधिकार म पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस कारण यह कहना उचित ही है कि सोवियत सभ म भी अन्य सभा की भांति सामान्य प्रवृत्ति सत्ता क कन्द्रीकरण की ही रही है।

—नागरिकों के मूल अधिकारों की विशिष्टता—सोवियत सभ क सविधान क दशम अर्ध-अध्याय का हम सोवियत नागरिकों क अधिकारों तथा कर्तव्यों का घोषणा पत्र कह सकते हैं। इसम उन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है जिनकी सविधान प्रत्याभूति करता है। सविधान में नागरिकों क अधिकारों का घोषणा पत्र सम्मिलित होना काइ नवीन बात नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस (चतुर्थ अध्याय) जापान तथा भारत आदि अन्य अनेक देशों के संविधानों में भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है। परन्तु सोवियत सभ के सविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के अधिकारों की यह एक विशेषता है कि उनमें न केवल राजनीतिक अधिकार ही हैं, वरन् सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। सविधान न केवल नागरिकों क अधिकारों का प्रत्याभूत (guarantee) मान ही करता है, वरन् उनको उरबाधक न होने आवश्यक व्यवस्था भी करता है। उदाहरणार्थ, जहाँ सविधान में नागरिकों के अधिकारों की समानता की घोषणा की गई है, वहाँ साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण और उनका अधिकारों का उपहारण न कर सके। पूँजावादी देशों के सविधानों से सोवियत सविधान की तुलना करता हुए स्तालिन ने कहा था कि (पूँजावादी देशों क सविधान) नागरिकों की समानता का बात करते हैं परन्तु वे इस भूल जाते हैं कि मानिक और धर्मक भूखानों और कृषकों के बीच कैसे राजनीतिक समानता हो सकती है जब कि समाज म एक के पास धन और राजनीतिक शक्ति है और दूसरा उन लोगों से वंचित है जब कि एक शासक है और दूसरा शोषित।

मालिन सविधान में उल्लिखित नागरिकों के मूलाधिकारों पर निरस्त विचार हम एक स्वतंत्र अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल कुछ विशेष महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। सोवियत सविधान में सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार (Right to work) दिया गया है। सविधान में इस अधिकार का अर्थ काम (employment) पाने का अधिकार तथा अपने काम के गुण और मात्रा के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार बताया गया है। प्रत्येक नागरिक को निराम और अयकाश पाने का अधिकार भी दिया गया है। ब्रह्मचर्य, अस्वस्थता अथवा काम करने के अयोग्य व्यक्ति का जीवन निराह के लिए आवश्यक भत्ता दिया जाता है। समस्त नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है तथा सातवाँ त्रेणा तक शिक्षा पर नागरिकों का कुछ व्यय नहीं करना पड़ता। नागरिकों का धार्मिक उपासना तथा धर्मविरोधी प्रचार करने की स्वतन्त्रता है। श्रमिक जनता के हितों के अनुकूल तथा समाजवादी व्यवस्था को बढ़ा देने के लिए नागरिकों को भाषण देने तथा सभा करने, जलूस निकालने और प्रदर्शन करने, साप्ताहिक सभाएँ बनाने का तथा समाचार पत्र प्रकाशित करने का स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं। किसान नागरिकों को न्यायवादी (Procurator) अथवा न्यायालय के स्वायत्त के अभाव में प्रजा नहीं बनाया जा सकता। सविधान में नागरिकों के निवास-स्थानों का निरापेक्षशीलता (Inviolability) तथा पत्र-व्यवहार की गोपनीयता को मान्यता प्रदान की गई है।

स्त्रियाँ तथा पुरुषों में एक निमित्त जातियों के नागरिकों में किसी प्रकार का भेद मान्य करना सविधान द्वारा अपरमिष्ट ठहराया गया है। सोवियत संघ के सभी नागरिकों के उल्लिखित अधिकारों का पूरा उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त अधिकारों पर कुछ ऐसे निबंध लगे हैं जिनके कारण इन अधिकारों के उपयोग पर पत्रांत प्रभाव पड़ता है। इन निबंधों का आगे उल्लेख किया जाएगा।

नागरिकों के कर्तव्य—सोवियत सविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें केवल नागरिकों के अधिकारों का ही उल्लेख है, प्रत्युत उनके प्रधान कर्तव्यों का भी उल्लेख है। यद्यपि सोवियत संघ के नागरिकों के दो

क्तय सविधान म गिनाए गए हँ उनम कोई नवानता नहीं है, परंतु सविधान में स्थानादय जाने क कारण उनकी महत्ता गूट गई हँ। इनका यत्ति ग्रन्थ कुछ उपयोग न भी हो तत्र भी यह नागरिका म ग्रपने को समाज का एक ग्रम समझने का निचार तथा ग्रपने त्रार समाज क हितों क परस्पर परक होने का भाव अवश्य उच्यत करते हैं।

सविधान म उल्लिखित नागरिका के मुख्य कर्तव्यों में प्रथम सविधान का अनुसरण करना, विधियों का पालन करना, श्रम संबंधी अनुशासन बनाए रखना ग्रपने सार्वजनिक कृत्यों का इमानदारी से पालन करना, तथा समाजवादी नैतिकता (socialist intercourse) क नियमों का आदर करना है। प्रत्येक नागरिक का यह कृतव्य घोषित किया गया हँ कि वह समाजवादी सर्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे क्योंकि यही देश की शक्ति त्रार धन तथा नागरिका की समृद्धता एवं सस्कृति की स्रोत है। देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पुनीत कृत्य माना गया है त्रार इसक लिए प्रत्येक नागरिक का सब का सेना म नैतिक सेना करना सम्मानित कृत्य घोषित किया गया है। इन कर्तव्यों को पूरा न करने वालों का जनता का शत्रु तथा कठोर दंड का भागी बताया गया है।

प्रत्येक ररस्थ सोवियत नागरिक का यह कृत्य है कि वह काम करे। सविधान म श्रम को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान का विषय घोषित किया गया है। सविधान म इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है कि “जो काम नहीं करता, वह भोजन पाने का भी अधिकारी नहीं हँ।”

सोवियत प्रणाली—सविधान क द्वितीय अनुच्छेद के अनुसार सोवियत सघ का राजनीतिक आधार श्रमजीवी जनता क प्रतिनिधिया (Working-People's Deputies) की सोवियते हैं। यहा यह जान लेना आवश्यक है कि सोवियत किसे कहते हैं। रूसी भाषा म परिषद् (Council) को ही सोवियत कते हैं। रूस म श्रमजीवी जनता की प्रथम सोवियत अर्थात् परिषद् सन् १९५ का क्रांति क समय बनी थी। उसक पूर्व रूस में कोई श्रमिक सघ नहीं थे। बर किसी कारणाने में हड़ताल या अन्य कोई आन्दोलन होता था तो मिल मालिका से बातचीत करने के लिए मजदूर अपने प्रतिनिधि चुन लेते थे। इस

प्रथा का एक दुष्परिणाम यह होता था कि विभिन्न मिलों के मजदूरों में एकता स्थापित न हो पाती थी। सन् १९५५ में आइवानोवो वोज़नेसेन्स्क (Ivanovo-Voznesensk) में कपड़े के कारखाना में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल की। उस समय की स्थिति का चित्रण करते हुए पाकोवस्की ने लिखा है 'हर एक मिल मालिक कहता था—“मैं अपने मजदूरों के साथ बातचीत करने को प्रस्तुत हूँ, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं।’ परन्तु आइवानोवो वोज़नेसेन्स्क के मजदूरों ने हड़तालियों की एकता को तोड़ने वाली पँजीपतियों की इस प्रिय चाल को भाप लिया। उन्होंने समस्त हड़तालियों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने के लिए लगभग सौ प्रतिनिधि चुने और कहा कि समस्त मजदूरों के इन प्रतिनिधियों से ही सम्भूत की सारी बातचीत की जाय, जैसा एक वर्ग दूसरे वर्ग से करता है। उस प्रकार रूस के मेहनतकशा के प्रतिनिधियों की सबप्रथम सोवियत की स्थापना हुई।^१ इसी उदाहरण का अन्य औद्योगिक नगरों के मजदूरों ने अनुकरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९५५ की समाप्ति तक प्रायः प्रत्येक औद्योगिक नगर में श्रमिकों की सावियत बन गई। सन् १९५५ की क्रांति असफल रही। नारशाही ने सोवियतता का अद्वैतानिक घोषित कर दिया, परन्तु नाल्शेविक नेता अधिकाधिक स्थानों में श्रमिकों और कृषकों की सोवियतें स्थापित कराने में प्रयत्नशील रहे।

सन् १९१७ में क्रांति आरम्भ होने के साथ ही समस्त रूस में फिर से सोवियतों की स्थापना हुई। इस बार न केवल श्रमिकों की सोवियतें बनीं, बल्कि कृषकों और सैनिकों की भी सोवियतें बनीं। फरवरी क्रांति के बाद रूस में दो राजशक्तियाँ थीं। वन्द में करेन्सकी के नेतृत्व में सांविधानिक तथा प्रजातन्त्रात्मक शासन चालने वाले लोगों की सरकार थी और नगरों तथा ग्रामों में श्रमिकों, कृषकों और सैनिकों की सोवियतें थीं। मार्च १९१७ में पेत्रोग्राद में हुए एक सम्मेलन में एक अखिल रूसी कांग्रेस का संगठन करने का निश्चय किया गया। जून में उस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और अक्टूबर में द्वितीय। द्वितीय अधिवेशन के समय ही रूस में नाल्शेविक क्रांति हो गई। देश का प्रशासन चलाने के लिए द्वितीय कांग्रेस ने एक जन कमिसार परिषद का निर्माण

^१Pok ovosky, *Br ef History of Russia* p 153

क्रिया। सन् १९२४ में सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ (U S S R) का निर्माण होने पर अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का स्थान अखिल सघ सोवियत कांग्रेस ने ले लिया।

सन् १९२४ के सविधान के द्वारा सोवियतों की एक उत्तरोत्तर व्यवस्था (Hierarchy) निर्मित की गई। निम्नतम सोवियतों अर्थात् नगर तथा ग्राम सोवियतों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष तथा खुले मतदान के द्वारा किया जाता था। निम्न सोवियतों उच्च सोवियतों के सदस्यों को निर्वाचित करती थीं और उच्च सोवियतों उच्चतर सोवियतों के सदस्यों को। इस उत्तरोत्तर व्यवस्था की चोटी पर अखिल सघ सोवियत कांग्रेस (All Union Congress of Soviets) थी। यह कांग्रेस एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को निर्वाचित करती थी, जो वास्तव में सोवियत सघ के विधान मंडल के रूप में कार्य करती थी।

सन् १९३६ के सविधान ने द्वारा सारियता की पद्धति तो जैसी की तैसी रही, परन्तु उनके सगठन की प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये। अब निम्नतम स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक की सोवियतों के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं।^१ सन् १९२४ के सविधान में कृषकों की तुलना में नगरों के श्रमिकों को सारियत कांग्रेस में अधिक प्रभावशाली प्रतिनिधित्व दिया गया था परन्तु सन् १९३६ के सविधान ने इस विषयता का अन्त कर दिया। प्रथम सविधान में सोवियतों के चुनाव व्यवसाय के आधार पर कराने की जो व्यवस्था थी उसका भी सन् १९३६ के सविधान ने अन्त कर दिया। अब सोवियतों का चुनाव प्रादेशीय आधार (Territorial basis) पर होता है।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार न केवल सोवियत सघ और सघ-गणराज्यों के ही, प्रत्युत् स्थानीय सोवियतों के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी अत्यन्त

^१ Members of all Soviets of Working People's Deputies are chosen by the electors on the basis of universal equal and direct suffrage by secret ballot — Art 134 of the Constitution of U S S R

महत्त्वपूर्ण हैं। इसी कारण माजिन सविधान में उन्हें 'राज्य शक्ति' की स्थानाप सरथाएँ कहा गया है। "स्थानीय सोवियतें अपने क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का निर्देशन करती हैं और आवश्यक बनाती हैं, सर्व-जनिक व्यवस्था के उत्पन्न विभिन्न प्रकार के पापन तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है एवं देश की प्रतिरक्षा की सामर्थ्य (Defensive Capacity) को बढ़ाने में योग देती हैं।"

प्रत्येक स्थानीय सोवियत एक कार्यकारिणी समिति निर्वाचित करती है, जो अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इस कार्यकारिणी समिति में एक सभापति, एक उप-सभापति, एक मंत्री तथा कुछ सदस्य होते हैं। निम्न स्तरियों की कार्यकारिणी समिति-उच्च स्तरियों की कार्यकारिणी समितियों के प्रति भी उत्तरदायी होती हैं। इसी उत्तरोत्तर व्यवस्था के द्वारा शासन में एकसूत्रता (Co-ordination) लाई जाती है।

केन्द्रिय विधान मंडल के द्वारा सत्ता का पूरा समानता—सोवियत संघ के केन्द्रीय विधानमंडल (सर्वोच्च सोवियत) में दो सदन हैं। एक सदन का नाम है संघ सोवियत (Soviet of the Union) और दूसरे का जातिक सोवियत (Soviet of the Nationalities)। दोनों सदनों का निर्वाचन सोवियत संघ के समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से, एक ही समय पर तथा समान कार्यकाल के लिए किया जाता है। जबल दोनों सत्तों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन क्षेत्र निश्चित करने की पद्धति में प्रन्तर है; संघ सोवियत के निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। परंतु जातिक सोवियत के निर्वाचन क्षेत्र एक दूसरी ही पद्धति से निश्चित किए जाते हैं। सविधान में यह निश्चित कर दिया गया है कि प्रत्येक संघ गणराज्य, स्वायत्तशासी गणराज्य स्वायत्तशासी प्रदेश तथा राष्ट्रीय क्षेत्र जातिक सोवियत के किन्ने सत्तय निर्वाचित करगा। इसी आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिभाषन किया जाता है।

सविधान में सर्वोच्च सोवियत के दोनों सत्तों का समान अधिकार प्रदान

किए गए हैं। कोई विधि तभी अंगीकृत समझी जाती है जब उभे सर्वोच्च सचिवों के दोनों सभों में समान बहुमत से पारित कर दिया जाए। दोनों सदनों को विधियाँ के समपात करने में समान अधिकार प्राप्त हैं।^१ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सर्व साधारण तथा जातिक सोशियल में समापति जारी जारी में करत हैं।^२ दोनों सभों में किसी प्रश्न पर मतभेद होने का दशा में एक समानान्वयण (Conciliation Commission) नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। परन्तु, यदि किसी भाँ दशा में दोनों सभों में मत विवाद का अन्त नही होना तो प्रेसीडियम दोनों सदनों को विघटित कर नया निर्वाचन करायागा। दोनों सभों में नया निर्वाचन प्रणाली तथा शाक्तियों का दृष्टि से ही साम्य है, परन्तु उनकी संख्या में अधिक अंतर नहीं है। वस्तुतः, सचिवान्वयण प्रणाली पर भाषण के समय स्तालिन ने एक सचिवान्वयण का समर्थन किया था जिसमें यह व्यवस्था जोर देकर की माग की गई थी कि सर्वोच्च सोशियल के दोनों सभों की संख्या में समान होना चाहिए। स्तालिन ने अपना मत व्यक्त किया कि दोनों सभों की संख्या में समानता होने में राजनीतिक लाभ स्पष्ट हैं, क्योंकि दोनों सभों की समानता पर जोर देता है।^३ प्रथम सर्वोच्च साधारण में सर्व साधारण तथा जातिक सोशियल की संख्या में समानता (क्रमशः १६६ तथा ५७४) थी। परन्तु बाद में निर्वाचित सर्वोच्च साधारण में दोनों सदनों का संख्या में अंतर बढ़ाया गया। सन् १९४६ में निर्वाचित सर्वोच्च साधारण में सर्व साधारण तथा जातिक सोशियल की संख्या क्रमशः ६८२ तथा ६५७ थी।

यद्यपि सदार में अधिकांश प्रजातांत्रिक शासन वाले देशों में द्विसदनात्मक विधान प्रचलित है परन्तु दोनों सभों में जोर देकर समानता सोचियल सर्व में दे वैसी व्यवस्था करनी पाना दुर्लभ है। ब्रिटन में लोक सभा (House of Lords) कमंस सभा द्वारा पारित विधियों को बनने कुछ काल के लिए अन्तर्गत कर

^१ अनुच्छेद ३६

^२ अनुच्छेद ३८

^३ अनुच्छेद ४५

सकती है। सयुक्त राज्य अमेरिका में यद्यपि विधि निर्माण में दोनों सभों के अधिकार समान हैं, परन्तु दोनों सभों को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी विशेष शक्तियाँ के अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण हाँ अमेरिका की सिनट (Senate) प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई है। भारत की ससद के दोनों सभनाम प्रथम सभ, लोक सभा, निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उस सभ परिषद से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। फ्रांस की ससद का द्वितीय सभ तो और भी अधिक शक्तिहीन है क्योंकि सविधान में स्पष्ट लिखा है कि 'अंग्रेजी राष्ट्रिय सभा (निम्न सभ) ही विधियों को पारित करेगी। वह अपने इस अधिकार को प्रत्यायुक्त नहीं कर सकती।' फ्रांस की ससद का द्वितीय सदन, गणराज्य परिषद (Council of the Republic) केवल विचार करने वाली परिषद है जो राष्ट्रीय सभा के समक्ष अपने सुझाव रख सकती है। इस तुलनात्मक निवचन से हम इसी परिस्थिति पर पहुँचा हैं कि विधानमालक दोनों सभों के बीच जितनी अधिक समानता सोवियत सभ में है उतनी अन्य किसी देश में नहीं।

प्रेसीडियम एक अनुपम शासन संस्था—सोवियत सभ की सर्वोच्च सारियत का प्रसीडियम सोवियत शासन की स्थायी रूप से कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों द्वारा एक सयुक्त बैठक में किया जाता है। रचना की दृष्टि से प्रेसीडियम में एक अध्यक्ष, दोलह उपाध्यक्ष, एक मंत्री तथा पन्द्रह अन्य सदस्य होते हैं।^१ अपने समस्त कार्यों के लिए प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है।

स्तालिन ने सविधान के प्रारूप पर भाषण देते हुए प्रसीडियम को सारियत सभ का सामूहिक अध्यक्ष (Collective President) बताया था अर्थात् पार्ष्वात्य गणतंत्रों में जो कार्य राष्ट्रपति के द्वारा संपादित किए जाने हैं वही कार्य

^१ The National Assembly shall vote the laws. It may not delegate this right — Art 13 of the Constitution of the French (Fourth) Republic

^२ अनुच्छेद ४८

सोवियत सभ में प्रेसीडियम को सौंप गए हैं। इस दृष्टि से हम प्रेसीडियम को शासन का कार्याङ्ग (Executive) कह सकते हैं। परन्तु सोवियत सविधान में शासन के एक अन्य अंग को कार्याङ्ग घोषित किया गया है। यह अंग है मन्त्रिपरिषद् जो कि सोवियत सभ की वास्तविक कार्यपालिका है। यद्यपि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रेसीडियम के कार्य केवल कार्यपालिका संबंधी कार्य तक ही सीमित नहीं हैं। सर्वोच्च सोवियत के विराम काल (Recess) में प्रेसीडियम आह्वानिया (decrees) और अज्ञापना (Ordinances) जारी कर सकता है जो कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियाँ के समान ही प्रभावी होती हैं। यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के अगले सत्र में इनको विधि का रूप लेने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, परन्तु यह अनुमति सदैव ही प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से प्रेसीडियम को विधानांग (Legislative organ) भी कह सकते हैं। अतः, प्रेसीडियम को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जैसे सोवियत सभ की विधियाँ का निबन्धन (Interpretation) करना, क्षमादान करना, तथा सोवियत सभ तथा सभ-गणराज्यों की मन्त्रिपरिषदों के विषयों को विधि के अनुरूप न होने पर रद्द करना, आदि। इस कारण इसे एक न्यायिक समिति (Judicial Committee) भी कहा जा सकता है। व्यवहार में प्रेसीडियम अपनी अधिक शक्तियाँ का प्रयोग करता है कि अन्य देशों की किसी शासन सभ्यता से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

विधानांगिक प्रधानता (Legislative Supremacy)—सोवियत सविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत सभ में शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है। अनुच्छेद ३२ में कहा गया है कि सोवियत सभ की विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग अनन्य रूप से (Exclusively) सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद ६४ में सोवियत सभ की मन्त्रिपरिषद् का सर्वोच्च कार्यकारिणी तथा प्रशासनीय सभ्यता घोषित किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद १४ में सोवियत सभ के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक सभ कहा गया है। परन्तु सविधान के समस्त उपरोक्त की गहराई तक पृथक् विवेचना करने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत सभ में

शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को कभी मान्यता नहीं दी गई। मार्क्सवादी लक्ष्य सदा से शक्ति पृथक्करण के प्रबल प्रोत्साहक रहे हैं और उस समय में राज भी उनसे मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सोवियत सभ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त अंगीकृत नहीं किया गया है यह तथ्य तभी से स्पष्ट हो जाता है कि सविधान में मन्त्रि परिषद्, प्रशासन तथा सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचन की प्रवस्था है। मन्त्रि परिषद् तथा प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति अपने सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं। यद्यपि सविधान में विधि बनाने का अधिकार केवल सर्वोच्च सोवियत को दिया गया है परन्तु प्रशासन एवं मन्त्रि परिषद् भी समय-समय पर आसिया विनिश्चय तथा प्राणें जारी कर सकते हैं जो विधि का समान ही प्रभावी होती है। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि प्रेसीडियम के कृत्यों में कार्यकारी सचिव, विधायी तथा न्यायिक तीनों ही प्रकार के कृत्यों सम्मिलित हैं। यह तथ्य भी इसी परिणाम की ओर गीत करता है कि सोवियत सविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मान्यता नहीं दी गई है।

साविधानिक उपस्था (Provision) के अनुसार सर्वोच्च सविधान, अर्थात् विधान मन्त्र ही सोवियत शासन का सर्वप्रधान अंग है। इस ऊपर उल्लेख किया गया चुका है प्रेसीडियम और मन्त्रि परिषद् उसके प्रति उत्तरदायी हैं तथा उसके द्वारा बनाए हुए विधि का अनुसार कार्य करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के समान उन्हें सर्वोच्च सविधान के निष्कर्षों पर विक्षा प्रहार का अभिपेक्षाधिकार (Veto) प्राप्त नहीं है। सोवियत सभ के सर्वोच्च न्यायालय का सविधान का निर्वाचन (Interpretation) करने की शक्ति भी नहीं दी गई है। सर्वोच्च साव्यत के विक्षा निष्कर्ष का सविधान के प्रतिफल होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय उन्हें वाधि नहीं कर सकता। सविधान में सर्वोच्च सोवियत की इस मनप्रधानता का स्पष्ट शर्षा में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद ५ के अनुसार सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत सविधान सभ की राजसत्ता की सर्वोच्च संस्था है। इस कारण हम सोवियत सभ की गिनती उन देशों में कर सकते हैं जहाँ के सविधानों में विधानमालिक प्रधानता के सिद्धान्त को अंगीकृत कर लिया गया है।

सद्धान्तिक दृष्टि से विचार करने पर हम सोवियत सभ की शासन प्रणाली

का त्रिभुज संसदीय (parliamentary) प्रणाली के अनुरूप पाते हैं। परन्तु यहार म दोष म महान् अंतर हैं। संसदीय शासन प्रणाली के लिए संसद तथा देश में विरोधी पक्ष का होना आवश्यक माना जाता है परन्तु सोवियत संघ तथा उसकी सर्वोच्च सोवियत म कोई विपरीत राजनीतिक पक्ष नहीं है। इसी कारण सांसदीय प्रणाली से कमपासिता पर सर्वाधिक सोवियत का पूर्ण नियंत्रण होता हुआ भी, यहार म वह अत्यन्त उत्तम निर्णय का अनुभवजन्य (sacrificion) करने वाली संस्था सिद्ध हुई है।

प्रतिष्ठ प्रजातंत्र के अकारणों का व्यवस्था—वर्तमान संघ के विभिन्न आचार और निशान जनतंत्र के कारण प्रयुक्त प्रजातंत्र (Direct democracy) को अत्र भूतकाय की प्रकृति प्रकृतता का रहा है। यान संसार के किसी भी प्रजातंत्र म शासन प्रणाली प्रयुक्त प्रजातंत्र के अकारण पर नहीं चलाया जाता। स्विट्जरलैंड के कुछ कैन्टन म अगो भी प्रयुक्त प्रजातंत्र शासन प्रणाली का प्रचलन है, परन्तु वहाँ म अत्र इसकी संकल्पना के प्रति शक्यता का कोई है। संसार के सभी प्रजातंत्राम म अशासन जनतंत्र की प्रातिनिधिक प्रणाली अंगीकृत कर ली गई है। कुछ संघों के सर्वोच्चाना म प्रयुक्त प्रजातंत्र के उपकरण (Instruments)—नाक निर्णय (Referendum) उद्घम (Initiative) तथा प्रत्याखन (Recall)—की व्यवस्था की गई है। इन उपकरणों के द्वारा जनता का अपन प्रतिनिधियों के कर्तव्यों पर नियंत्रण रखने का अंतर लया जाता है।

सोवियत संघ के संविधान में लोक नियंत्रण तथा प्रशासन का ही व्यवस्था है अक्षर की नकल। सांसदों के अनुच्छेद के अनुसार सर्वाधिक सोवियत का प्रशासनिक स्व विवेकानुसार या किन्हीं एक सर्व संस्थाओं की मांग पर संघ की मन्त्रिमंडल (लोक मन्त्रिमंडल) का संचालन करता है। यहाँ पर यान संघ का यादृश्यक है कि सोवियत संघ म नागरिकों का मांग पर लोक नियंत्रण कथन चाली की व्यवस्था नहीं है। १ मई १९३७ म संविधान के अंतर्गत होने म अत्र तक सोवियत संघ म लोक नियंत्रण का यादृशिक प्रयोग नहीं हुआ है।

१ स्विट्जरलैंड के संविधान में ३, ० स्थित नागरिकों को संघ प्रशासनिक द्वारा प्रातिनिधिक भी विधि पर लोक निर्णय का मांग करने का

सोवियत सभ के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह अपने किसी प्रतिनिधि के कार्य से असंतुष्ट हों तो वे उस प्रत्यावर्तित (recall) कर सकते हैं। किसी प्रतिनिधि को प्रत्यावर्तित करने का निम्न निवाचकों के बहुमत द्वारा किया जाना चाहिए।

✓ निर्वाचित न्यायालय—विभिन्न राज्यों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं। ब्रिटेन में न्यायाधीशों का नियुक्त लॉर्ड चान्सेलर (Lord Chancellor) द्वारा का जाता है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कान्ग्रेस द्वारा की जाने का व्यवस्था है।^१ वहाँ प्रतिबंध यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुसमर्थन सिनेट (Senate) द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ देशों के संविधानों में राज्यों के विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ स्विट्स सभय न्यायालय के सदस्यों का निवाचन सभिय विधानमण्डल के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में न्यायाधीशों के चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है। सोवियत सभ के संविधान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने तथा निम्नतम न्यायालयों (People's Courts) के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है। सोवियत सभ का सर्वोच्च न्यायालय पर विशेष न्यायालय सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सभ-गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय सभ गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।^२ प्रदेशों, क्षेत्रों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों के न्यायालय उनकी 'भ्रम चीनी जनता के प्रतिनिधियों की सोवियतों' (Soviets of Working People's Deputies) के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।^३ निम्नतम भेरी के न्यायालयों

अधिकार दिया गया है। उनके द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर उस विधि का जनता के समक्ष उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रखा जाता है।

^१ अनुच्छेद १०५

^२ अनुच्छेद १६ तथा १७

^३ अनुच्छेद १८

का लोक-न्याय (People's Courts) कृत हैं और वे जिसे क नागरिकों द्वारा स्वव्ययक, प्रत्यक्ष तथा समान मताधिकार के आधार पर चुने मन्तन व द्वारा निवाचित किए जाते हैं ।

न्यायाधीशों के चयनता या विधानमन्ल द्वारा निवाचन क्रिय जाने का प्रश्नानी क विरुद्ध मुख्य तक वहा दिया जाता है कि इसके द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन भी राजनातिक दलवर्दी के आधार पर होता है प्रशयियों का योग्यता के आधार पर नहीं । परन्तु सोवियत संघ में केवल एक राजनातिक दल है । वहा प्रत्येक न्यायाधीश के लिये यह एक गुण समझा जाता है कि वह मार्क्सवादी सिद्धांत का ज्ञान हा और पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) क नियम का ह्तापूर्वक कामाहित करने की क्षमता रखता हो । ऐसी स्थिति में राजनातिक दलवर्दी का प्रश्न ही नहीं उन्ता । केवल उहाँ शक्तिया का न्यायाधीश-पद पर निवाचित होना समभव है ता पार्टी द्वारा समर्थित हा ।

योजनाबद्ध एवं सुनिश्चित अर्थ-व्यवस्था — ज्ना अन्य देश का अर्थ-व्यवस्था पद्धति पर आगारित होने व कारण अनिश्चित हाज है वहा सोनिश्चित सध का अर्थ-व्यवस्था पूर्णरूपण निश्चित तथा योजना-बद्ध है । उपायान्न वृत्तिक मन्त क चिर नहीं रहने सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाता है । वहा कारण है कि सोवियत संघ में अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होने वाली मन्ती की स्थिति कभी पूर्ण आने पाती । वहा नौन सी वस्तु कितना मात्रा में उत्पादित का जानी चाहिए, इसका नियम करना संघ का काम है । सविधान क अनुच्छेद ११ में स्पष्ट उल्लेख है कि सोवियत संघ के आर्थिक जीवन का निधारण तथा निर्देशन संघ की राष्ट्रीय आर्थिक योजना द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक समृद्धि में वृद्धि करना, महानतकश जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक सारों में उत्तरात्तर

१ If the judge is a poor Marxist who does not know the party decision is unable to fight strongly enough for the party decisions and lets himself be led by local organisations he is no good — Kalina's Speech at the tenth anniversary celebration of the Supreme Court

वृद्धि करना, सोवियत संघ की स्वतंत्रता को बचाना और उसकी प्रतिरक्षा शक्ति (defensive cap city) को अधिक शक्तिशाली बनाना है। यह इसी नियंत्रित तथा योजनाबद्ध प्रथनीति का परिणाम था कि जिस समय संसार के अन्य सभी देश आर्थिक संकट के परिणामों का सामना कर रहे थे, उस समय सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के आर्थिक विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा था।

पार्टी का शासन पर कठोर नियंत्रण—सोवियत शासन और सोवियत संघ का कम्युनिस्ट पार्टी में कोई प्रत्यक्ष संबंध न होते हुए भी पार्टी का शासन के प्रत्येक अंग पर कठोर नियंत्रण रहता है। यह तथ्य सोवियत नेता स्वयं स्वीकार करते हैं। स्टालिन ने स्वयं कहा है—‘पार्टी यह खुले रूप में स्वीकार करती है कि वह शासन का पर्यवेक्षण करती है तथा उसका सामान्य निर्देशन करता है।’^१ अतः यह सिद्ध हुआ है कि हमें सोवियत संघ में ‘सर्वहारा के अधिनायकत्व’ (Dictatorship of the Proletariat) का अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकत्व ही समझना चाहिये। सोवियत संघ का वर्तमान संविधान पार्टी की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार करता है। संविधान में पार्टी का समाजवादी प्रणाली को सुदृढ़ तथा विकसित करने के लिये किये जाने वाले संघर्ष में अग्रणी जनता का नेतृत्व करने वाला वर्ग (Vanguard), तथा अग्रणी जनता की सभी राजकीय और सार्वजनिक संस्थाओं का नेतृत्व करने वाला संगठन कहा गया है।^२ कम्युनिस्ट पार्टी ही एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सोवियत नागरिकों का संगठित होने का अधिकार दिया गया है तथा जिसे निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी नामांकित करने का अधिकार दिया गया है। यद्यपि संविधान में अन्य भी ऐसी संस्थाओं के नाम उल्लिखित हैं जो प्रत्याशियों का नामांकित कर सकती हैं, परन्तु वे सभी अराजनीतिक संस्थाएँ, हैं उदात्तरणार्थ नैतिक संघ, सहकारी संस्थाएँ, युवक संगठन तथा सांस्कृतिक

^१ The party openly admit that it guides and gives general direction to the government Stalin as quoted by Ogg & Zink *op cit* p 812

संस्थाएँ।^१ सोवियत प्रवक्ताओं तथा लेग्ना के अनुसार राजनैतिक दला का नाम किसान वर्ग विशेष व हिता का पोषण और संरक्षण करने के लिये होगा है। इसलिये निम्न देशों में अनेकों विरोधी हिता वाले वर्ग होत हैं वरन् उन वर्गों का संरक्षण करने वाला अलग अलग राजनीतिक दल भी होत है। “सोवियत संघ में अब केवल दो वर्ग हैं — श्रमिक और कृषक, जिनका हित एक दूसरे का विरोधी नहीं है वरन् एक दूसरे का सहायक हैं। इसीलिए सोवियत संघ में अनेक राजनीतिक दला की जरूरत नहीं और इसीलिये इन दलों का स्वतन्त्रता का भी प्रश्न नहीं उठता।”^२

सोवियत संघ में शासन पर पार्टी का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विधानमण्डल का सभी संस्य या ता पार्टी के संस्य होत हैं या पार्टी द्वारा समर्थित होते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका तथा राज्यपालिका का विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित होने का कारण उनका संस्य भी पार्टी का विश्वासपात्र व्यक्ति ही होते हैं। शासन का समा उत्तरदायी पत्नों पर मास्सवाट में पूर्ण आस्था रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है। पार्टी की सभी शाखाएँ अधिकारियों का कार्यों पर दृष्टि रखती हैं और पार्टी की नीति का तनिक भी प्रतिकूल जाने की दशा में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड सकता है।

अनैतांत्रिक केन्द्रवाद—सोवियत संघ में शासन पर पार्टी का प्रभाव का एक ऐसा तथ्य है जिसके विषय में दो मत नहीं हो सकते। सामंतीय शासन प्रणाली वाले देशों के नागरिक यह नहीं समझ पाते कि विरोधी दल का प्रभाव में प्रजातन्त्र का अस्तित्व किस प्रकार समझ हो सकता है। इसी कारण सोवियत संघ का प्रायः अनैतांत्रिक शासन व्यवस्था या अधिनायकतन्त्र वाले देशों में लागू जाता है। परन्तु सोवियत नेता अपने देश की शासन प्रणाली को जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद (Democratic Centralism) के नाम से संबोधित करत हैं। जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद का अर्थ यह बताया जाता है कि किसी विषय

^१ अनुच्छेद १४१

^२ Stalin *On the Draft Constitution of the U S S R* p 41

पर नीति निर्धारित किए जाने के पूर्व जनता तथा समस्त संस्थाओं का उस पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। जनता का मत जानने के पश्चात् शासन की सर्वोच्च संस्थाएँ नीति के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करती हैं। यह निर्णय जनता की इच्छा के अनुरूप ही होता है। इसका कारण यह है कि जनता को सोवियतों में अपने प्रतिनिधियों को जो कि प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय करते हैं, प्रत्यावर्तित (recall) करने का अधिकार दिया गया है। किसी प्रश्न पर निर्णय किए जाने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं चलने दिया जाता। इसे हम अपने मत के अनुसार सोवियत शासन प्रणाली का गुण अथवा दोष मान सकते हैं।

अध्याय ५

नागरिकों के मूलाधिकार तथा कर्तव्य

संविधान सभियत की एक प्रमुख विशेषता उसमें उल्लिखित नागरिकों के मूलाधिकार तथा कर्तव्य हैं। संविधान में नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख कराने की परिभाषा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है। अन्य प्रमुख देशों के संविधानों में भी अधिकार पत्र (Bill of Rights) सम्मिलित किया गया है। प्रथम मंगसुद्ध - पश्चात् निर्मित जर्मनी का वेमर संविधान (Weimar Constitution), तथा प्रसिद्ध नवगणतन्त्र के संविधानों में भी नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख है। अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान में भी नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख है। अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र एक स्थान पर नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं है परन्तु उसमें उनका अनुच्छेदों में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों का मूल मूल अधिकारों से समान ही है। संविधान सभ के जर्मनी संविधान के अनेक भागों में हमें पश्चात् यन्त्र देश के संविधानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। संविधान सभियत का दृष्टान्त अर्थात्, जिसमें नागरिकों के मूलाधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं में से एक है। परन्तु ऐसा हाथ हूए भी संविधान के अधिकार पत्र (Bill of Rights) का अन्तिम विशेषता है। देखा कि अधिकार पत्र हमें जर्मनी एक संविधान देश के संविधान में हा मिल सकता है। कर्तव्यों के सम्बन्ध में संविधान के अधिकार पत्र की इसी विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है 'संविधान सभियत संविधान सभियत नागरिकों का ऐसा अधिकार और ऐसा कर्तव्य प्रदान करता है जो कि जर्मनी देश में न मिल सकता है और न पाई जा सकता'।

है।^१ फ्रेडरिक आग आर हेराल्ड जिंक न भी सोवियत संविधान के अधिकार पत्र का 'इतिहास के सर्वाधिक असाधारण अधिकार पत्रों में से एक माना है।^२ स्तालिन संविधान में उल्लिखित नागरिकों के अधिकारों की इस विशिष्टता के कारण उनका कुछ विस्तार के साथ अध्ययन आवश्यक है।

सन् १९२६ को परिवर्तित परिस्थिति—सन् १९१८ में प्रवर्तित सोवियत संघ (R S F S R) के संविधान तथा सन् १९२४ में प्रवर्तित सोवियत संघ (U S S R) के प्रथम संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख नहीं था। सन् १९१८ के संविधान में प्रस्तावना के रूप में 'समजीवी तथा शोषित जनता के अधिकारों का घोषणा प्रबन्ध सम्मिलित थी, परन्तु उसमें नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख नहीं था जिन्हें सामान्यतः मूल अधिकारों के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस घोषणा में भूमि सन्निवृत्त पदार्थों, वनों, कारखानों, रेलों आदि के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई थी तथा यह कहा गया था कि सब कृषक भूमि का 'याचित' ढँडवार के आधार पर उपयोग कर सकेंगे। सोवियत शासन को उस समय भीषण आंतरिक उपद्रवों का सामना करना पड़ा था। ऐसा स्थिति में संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकारों का प्रत्याभूति किए जाने की आशा नहीं की जा सकती। सन् १९२३ में सोवियत संघ के प्रथम संविधान के निर्माण के समय यद्यपि गृह-युद्ध तथा बाह्य दशों के हस्तक्षेप का अन्त हो चुका था परन्तु क्रांतिकारी (Counter Revolutionary) शक्तियाँ पुनः पनपने की संभावना थी। सन् १९३६ में स्तालिन संविधान के निर्माण के समय तक स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था। शासनाङ्ग हल अपने समस्त विरोधों पर पूर्ण विजय पा चुका था और समस्त क्रांतिकारी विरोधों का अन्त किया जा चुका था। इसीलिए स्तालिन संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख कर तथा उनमें ऐसे अनेक

^१ The Stalin Constitution grants Soviet citizens rights and liberties that do not and cannot exist in any of the capitalist countries — V K spinshy *op cit* p 148

^२ 'One of the most extraordinary bills of rights known to history — F A Ogg & H Zink *op cit* p 852

अधिकार सम्मिलित कर ता अन्य देशों में नागरिका का प्राण नहीं है, यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सोवियत संविधान अन्य सभी देशों व संविधानों से अधिक जनताधिकारिक है।

स्तालिन संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूलाधिकार

स्तालिन संविधान में नागरिका के निम्न मूलाधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का उल्लेख है संक्षेप में वह निम्नलिखित हैं —

- १ काम पाने का अधिकार
- २ विश्राम तथा अवकाश का अधिकार
- ३ भौतिक सुरक्षा का अधिकार
- ४ शिक्षा पाने का अधिकार
- ५ समानता का अधिकार
- ६ धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार का स्वतंत्रता
- ७ नागरिक स्वतंत्रताएँ
- ८ सावजनिक संगठन बनाने का अधिकार
- ९ वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार

सोवियत नागरिका व मूलाधिकारों को हन उनका प्रकृति व आधार पर तान मांगा में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं (१) आर्थिक अधिकार, (२) सामाजिक अधिकार तथा (३) राजनातिक अधिकार। स्तालिन संविधान द्वारा प्रदत्त राज नातिक तथा सामाजिक अधिकार अन्य देशों के नागरिकों के अधिकारों व समान ही हैं। उनका विशेषता यह है कि उनका साथ कुछ ऐसे प्रतिष्ठा संबद्ध कर लिए गए हैं ता इन अधिकारों का उपयोग गति पूरा रूप में नही ता एक बहुत बड़ा सामा तक अवश्य नष्ट कर देते हैं। परन्तु सोवियत संविधान व अधिकार-पत्र का विशिष्टता उसका आर्थिक अधिकार है। ये अधिकार किसी असाम्यवादा देश के संविधान में नहीं पाए जाते। कुछ लंबक इन अधिकारों का सकारात्मक (positive) अधिकार व नाम से मा समोधित करत हैं। टाउ म्पर व मतानुसार नया संविधान व अधिकार-पत्र में सोवियत संघ में निष धात्मक स्वतंत्रताओं का दृष्टि से पारचा व अनन्यता का अनुकरण किया है,

परंतु रचनात्मक स्वतंत्रताओं को स्थान देकर इसने अन्य देशों का माग-रक्षण किया है।^१ अधिकार-पत्र में प्राथमिक अधिकारों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से पहले स्थान दिया गया है यह तथ्य समाजवादी सिद्धान्तों के अनुरूप ही है। समाजवादीयों का निश्चित मत है कि आर्थिक अधिकारों की अनुव्यवस्था में राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार व्यर्थ रह जाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि अब सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां के संविधान में प्राथमिक अधिकारों का उल्लेख है, अन्य कम्युनिस्ट देशों के संविधानों में भी इनका उल्लेख किया गया है।^२

काम पाने का अधिकार

संविधान में इस अधिकार की व्याख्या करते हुए इसका अर्थ यह बताया गया है कि सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक को रोजगार पाने तथा अपने कान का माता और शिशु के अनुसार पारिश्रामिक पाने का अधिकार है। यह अधिकार राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था व समाजवादी संगठन, सोवियत समाज की उत्पादक शक्तियों की निरंतर वृद्धि आर्थिक संकट की समाप्ति की समाप्ति तथा बरोजगारी व उन्मूलन के द्वारा सुरक्षित बनाया गया है।^३ इस अधिकार को किस सीमा तक कामाब्धित किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर हमें कार्पिन्स्की व इस दफ्तर से मिलता है कि सोवियत युवक यह जानता ही नहीं कि बरोजगारी क्या है।^४

^१ In the Bill of Rights of the new constitution the Soviet Union has followed the Western democracies with regard to the negative freedoms while it has proceeded in the introduction of positive freedoms. Julia Towster, *ibid* p. 382.

^२ देखिए लोक गणराज्य चीन (People's Republic of China), के संविधान के अनुच्छेद ६१ तथा ६३।

^३ अनुच्छेद ११८

V. K. Puri, *ibid* p. 140

नागरिकों के मूलाधिकार तथा कर्तव्य

अक्तूबर क्रांति के समय बॉल्शेविक दल के कार्यक्रम का आधार प्रोलेटरीय को समान पारिश्रमिक दिए जाने का सिद्धान्त था। लेनिन ने अक्तूबर क्रांति के समय स्वयं अपने एक भाषण में कहा था कि क्रांति के पश्चात् एक प्रशासक (administrator) का एक कुशल श्रमिक से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। युद्ध कालीन साम्यवाद के काल (१९१८-२१) में इस सिद्धान्त को कायम देने का प्रयत्न भी किया गया था। परन्तु नवीन आर्थिक नीति के अंगीकार जाने पर इस सिद्धान्त के स्थान पर एक अन्य सिद्धान्त को अंगीकृत कर लिया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम की मात्रा और गुण के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। स्तालिन संविधान में भी इसी सिद्धान्त को मान्यता दी गई है और इसका इन शब्दों में उल्लेख किया गया है—‘प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। इस सिद्धान्त का अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार कार्य करे तथा अपने काम के गुण और मात्रा के अनुसार पतिवर पाए। नवीन आर्थिक नीति के काल से पारिश्रमिक की असमानता में निरंतर वृद्धि होती रही है। तृतीय महायुद्ध के पश्चात् अल्पतम तथा अधिकतम पारिश्रमिक का अंतर पचास गुना तक हो गया था।^१ सोवियत प्रवृत्ता वर्तमान व्यवस्था को समाजवाद के साम्यवाद की ओर प्रगति के काल की व्यवस्था बनलाते हैं। साम्यवादी अवस्था में पारिश्रमिकों का यह अंतर समाप्त हो जायगा।

संविधान के संविधान में उल्लिखित नागरिकों का काम पाने का अधिकार वास्तविक है यह इसी तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि सन् १९३३-३३ के आर्थिक संकट के काल में जब समस्त विश्व में बेकारों की संख्या बढ़ रही थी सोवियत संघ में किसी श्रमिक को काम पाने में कठिनाई नहीं आती थी।^२ यह वह समय था जब देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

^१ Lenin as quoted by Harper & Thompson in *Government of the Soviet Union* p 174

^२ Harper & Thompson, *Ibid* p 176

^३ “All during the 1930s when unemployment was a world phenomenon the Soviet worker had no difficulty in

औद्योगीकरण की महती योजनाओं का कार्यान्वित किया जा रहा था। सन् १९२६ में सोवियत सघ में बेकारी का उन्मूलन कर दिया गया और तब से अमिका और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। सन् १९२८ में उनकी संख्या एक करोड़ पन्द्रह लाख थी। सन् १९३५ तक, अर्थात् सात वर्ष के समय में ही उनकी संख्या दोगुनी हो गई। सन् १९४४ तक यह संख्या तीन करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी थी।^२ यह देश के द्रुत गति से किए गए औद्योगीकरण, उत्पादन के साधनों पर समाज के नियंत्रण तथा अर्थ-व्यवस्था के समाजवादी आधार पर संगठित किए जाने के कारण ही संभव हो सका। द्वितीय महायुद्ध का समाप्ति के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूँजीवादी व्यवस्था वाले अन्य देशों में युद्ध सामग्रियों का उत्पादन करने वाले कारखानों का उन्मूलन किए जाने या उनमें छूटनी किए जाने के कारण बेकारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। सन् १९४७ के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में बेकारी की संख्या ५७ लाख तक पहुँच गई थी। परन्तु सोवियत सघ में ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि युद्ध काल में जो कारखाने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सामग्रियों का निर्माण कर रहे थे उन्हें शांति काल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री उत्पादित करने वाले कारखानों में परिणत कर दिया गया। अपने अतिरिक्त सोवियत सेना के सभी विद्युत् (discharged) सैनिकों का तुरन्त ही उपयोगों या सामूहिक फार्मों आदि में काम दे दिया गया। इससे हमें विदित होता है कि सोवियत सघ में प्रत्येक नागरिक को जीवन निवाह के लिये काम मिलाना सरकार का उत्तरदायित्व है।

काम पाने का अधिकार का एक दूसरा रूप भी है, जिससे परिचित होना हमारे लिए आवश्यक है। जहाँ राज्य नागरिकों को काम पाने का अधिकार प्रदान करता है वहाँ वह उनका ऊपर पर्याप्त नियंत्रण भी रखता है। उनकी विचरण की स्वतंत्रता बहुत सीमित है। अधिकांश पूँजीवादी देशों में संविधानों

obtaining work on the other side his difficulty consisted in his increasing inability to refuse it —Hopper & Thompson
The Government of the Soviet Union p 169

^२ See *Transactions of the State Constitution* p 14

में नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या उसने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। परन्तु सोवियत सघ के संविधान में ऐसा किसी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। श्रमिकों को उनके निवास स्थान उनके काम करने के स्थान पर ही मिलते हैं। जब तक सोवियत सघ में राशनिंग व्यवस्था जारी रही श्रमिकों को उनका राशन काम भी उनके काम करने के स्थान पर ही मिलते थे। उस के अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक को एक काय पुस्तिका (Wage book) दी जाती है जिसमें उसके कार्य करने के स्थान, पारिश्रमिक, तथा कार्य के प्रकार आदि का विवरण दिया जाता है। जब तक पिछले कार्य स्थान के अधिकारी के द्वारा कार्य पुस्तिका में पदच्युति (dismissal) का आदेश का उल्लेख नहीं होता तब तक उनका दूसरे स्थान पर काय नहीं मिल सकता। इस व्यवस्था के कुछ गुण भी हैं और दोष भी। यह श्रमिकों को साधारण स्थिति में एक ही स्थान पर कार्य करने के लिए विवश करती है जिसमें उनका कार्यक्षमता में वृद्धि होता है। इसका प्रमुख दोष यही है कि यह नागरिकों का एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर बसने की स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित कर देती है।

भौतिक सुरक्षा का अधिकार

सोवियत सघ के प्रत्येक नागरिक का वृद्धानस्था, अस्वस्थता या अग्रहीन होने का दशा में पोषिका (maintenance) प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान में इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये तान उपायों—कारखानों और कार्यालयों में काम करने वाले श्रमिकों तथा कर्मचारियों के लिए राजस्व पर सामाजिक बीमा व्यवस्था का प्रावधान, श्रमजापिया के लिये नि:शुल्क चिकित्सा तथा उनके उपयोग के लिए स्नायु कन्द्र (Health resorts) के निर्माण का उल्लेख है।

प्रत्येक सोवियत श्रमजीवी को निवृत्ति आय (Age of retirement) पर पहुँचने पर राज्य की ओर से निवृत्ति वेतन (Pension) दिया जाता है। यह निवृत्ति वेतन निवृत्ति पाने वाले श्रमजीवी की औसत आय का ५ से ६ प्रतिशत तक होता है। यदि वह काम करना चाहे तो इसके अति भी वह काम

कर सकता है। ऐसे श्रमजावा जो अपना कार्य करते समय अगहीन हा जाते हैं, या ऐसे सैनिक जो अपने कर्तव्य का पूर्ति करने में अपनी कार्यक्षमता से वंचित हा जाते हैं, अपनी औसत आय का ५ से १ प्रतिशत तक निवृत्ति वतन पाते हैं। यह व्यवस्था अस्थायी या स्थायी दोनों प्रकार से कार्यक्षमता से वंचित होने वाला क लिए है। ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त कारणों क अतिरिक्त अन्य किसी कारण से अपना वायव्यमान से वंचित हो जाते हैं अपनी औसत आय का दो तिहाई भाग निवृत्ति वतन के रूप में पाते हैं। जिन व्यक्तियों क अपने पारिवारिक किमी अस्वस्थ सदस्य का देखभाल करने क लिए कार्य में अवकाश दे दिया जाता है वह भी इसी प्रकार निवृत्ति वतन पाते हैं। जिन परिवारों में सदस्यों क लिए चिकित्सापचार करने वाला एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार क व्यवस्था क या क्य न कर सकने योग्य सदस्यों को निवृत्ति वतन दिया जाता है। अधिकों और सैनिकों क लिए जिस प्रकार का सामाजिक बीमा व्यवस्था का उल्लेख ऊपर किया गया है, सामूहिक फार्मों में काम करने वाले कृषकों के लिए भी ऐसी ही सुविधाओं का प्रबंध करना उनक सामूहिक फार्मों का कर्तव्य है। यद्यपि निवृत्ति वतन की तर विधि द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं परंतु अच्छा काम करने वालों को उनक कार्य क प्रतिफल के रूप में विशेष दरों पर निवृत्ति वतन दिया जा सकता है। प्रो. हार्पर और थॉम्पसन का कथन है कि इन पारितोषिका क वितरण में विशेष सुविधा या पक्षपात का तब सदैव अनुपस्थित नहीं रहा है। (अर्थात् पक्षपात किए जाने क उदाहरणों में लिए जा सकते हैं।)

सामाजिक बीमा व्यवस्था क साथ ही समस्त श्रमजावों का चिकित्सा चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। समस्त श्रमजीवियों को अपने घर पर, चिकित्सालय में या चिकित्सक की स्वीकृति से स्वास्थ्य केंद्र में उपचार काने का सुविधा प्राप्त है। पेट्रोल ने इस सुविधा का उल्लेख इन शब्दों में किया है "यदि आप एक सोवियत श्रमिक हैं और अपने क अस्वस्थ अनुभव करते हैं तो आप सदैव अपने क्षेत्र के चिकित्सालय का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी तो यह चिकित्सालय आप के कार्यस्थान के ही

संबंध होते हैं। यदि आप का ताप (temperature) है या यदि आप चल नहीं सकते तो आप को चिकित्सक को अपने घर बुलाने का अधिकार है। यदि अस्पताल व उपचार की आवश्यकता हाता है तो चिकित्सालय (clinic) आवश्यक प्रबंध कर देता है और तब आप वहा से मुक्त कर लिये जाते हैं तो आप पुन स्वामन नाम व लिये चिकित्सालय की देख रेख में आ जाते हैं।^१ सन् १९५५ म लोक स्वास्थ्य मंत्रालय क लिए दो अग्रणी नीम करो- स्पय व विनियोग (ppropriation) की व्यवस्था थी।

उप देशों से सावियत सत्र की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की तुलना करके विभिन्न लेखक भिन्न भिन्न परिणामों पर पहुँचे हैं। वहा एक ओर हमें सोवियत लेखकों व अपने देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आतशयक्ति पूरा दावे मिलते हैं वहा दूसरी ओर हम ऐसे लेखकों क कथन भी मिलते हैं जो उस अग्रणी तथा प्रभावहीन बताते हैं। उदाहरणार्थ, हापर और थामसन का कथन है कि बड़े नगरों म भी लोक स्वास्थ्य म संप्रधित सेवाएँ उपलब्ध हैं तथा सदन तुल्य उपलब्ध नहीं होता।^२ एक अन्य लेखक, फ्लोरिन्सकी, का मत है कि नागरिकों को प्राण लाना की दृष्टि से विचार करने पर सोवियत सत्र की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावहीन प्रतीत होता है।^३ पण्डु हम यह जान रखना चाहिये कि बोलशेविक क्रांति क पूरा रूप म तारशाही शासन था। तारशाहीन रूप सत्ता क नाशिक पिछले हुए देशों म था, तथा जनता का एक बड़ा भाग अत्यन्त कल्याणजनक स्थिति म अपना जीवन व्यतीत करता था। ऐसा हीन अवस्था से मुक्ति प्रदान कर उन्हें आधुनिक युग की मान्यताएँ प्रदान करने का प्रयत्न

^१ Pat Sloan *Russia without Illusion* p 133

^२ Public health services are still inadequate even in the large cities however, and are not immediately available — Harper & Thompson *op cit* p 253

^३ Viewed from the standpoint of the benefits received by the citizens the social security program is singularly unimpressive — Florinsky M T *op cit* p 843

सोवियत शासन को ही है। आज भी पूँजीवादी व्यवस्था वाले अनेक देशों में श्रमजीवियों का वृद्धावस्था तथा रूग्णावस्था में अथवा अग्रहान हो जाने पर अत्यन्त कठिन परिस्थितियाँ का सामना करना पड़ता है। उनमें से बहुत से ताँजीविकोपानन का कोई साधन न होने के कारण भिक्षा वृत्ति अपना देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नागरिकाँ, विशेषतः श्रमजीवियाँ के लिये, स्वास्थ्य सेवाओं का उसा प्रबन्ध सोवियत संघ में ही बंसा बहुत कम देशों में है। इस कारण सोवियत संघ में स्तालिन संविधान द्वारा नागरिकाँ का प्रदत्त भौतिक सुखों का अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

विश्राम तथा अवकाश का अधिकार

स्तालिन संविधान में न केवल नागरिकाँ के काम पाने का ही अधिकार दिया गया है बरन् उन्हें विश्राम तथा अवकाश (leisure) का अधिकार भी दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद ११६ की प्रथम धारा में कहा गया है कि सोवियत संघ के नागरिकों का विश्राम तथा अवकाश का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का सुनिश्चित करने के लिए संविधान में जिन साधनों की व्यवस्था की गई है वे निम्नलिखित हैं —

- १ कारखाना तथा कार्यालयों में कार्य करने वाले श्रमजीवियों के लिये आठ घंटे के दिन का नियत किया जाना
- २ श्रम साध्य कार्यों के लिये कार्य दिवस (Working day) का घटा कर सात या छह घंटे किया जाना तथा ऐसी दुकानों में जहाँ श्रम परिस्थितियाँ विशेष रूप से श्रम साध्य हैं कार्य दिवस का चार घंटे नियत किया जाना
- ३ कारखाना तथा कार्यालयों के श्रमजीवियों के लिये पूण पारिश्रमिक सन्धि बार्सिक छुटियाँ का प्रचलन किया जाना, तथा
- ४ श्रमजीवियों के लिये स्वास्थ्य सन्तनों (Sanatoria), विश्राम गृहों, समारणियों (clubs) आदि की विस्तृत व्यवस्था।

यहाँ यह उक्ताने की आवश्यकता नहीं है कि मानवीय शक्ति के विकास के लिए विश्राम और अवकाश का किनना महत्त्व है। सक्षेप में यतना ही कह

देना आवश्यक है कि किसी कार्य के करने में जो शक्ति बचती जाती है उसकी पूर्ति के लिए विश्राम अथवा आराम आवश्यक है। परन्तु बहुत से देशों में आज भी श्रमिकों को इतना अधिक कार्य दिया जाता है कि उन्हें प्रवकाश ही नहीं मिलता। इसके परिणामस्वरूप श्रमिक शीघ्र ही अस्वस्थ और रुग्ण हो जाते हैं जिससे उनकी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। अधिक कार्य करने के कारण उनका जीवन शक्ति भी कम हो जाती है और वे अत्यायु में ही काल व्यतीत हो जाते हैं।

स्वतन्त्र संविधान के निर्माण के समय अमेरिकियों के लिए सात घंटे का कार्य दिवस नियत किया गया था। सन् १९४ में सर्वोच्च संविधान के प्रेरणात्मक की एक आगति के द्वारा यह समय बढ़ कर आठ घंटे कर दिया गया। नित्य महायुद्ध के परिणामस्वरूप सात घंटे का कार्य निवस किए जाने पर स्थान पर संविधान के अनुच्छेद ११ में संशोधन कर स्थानीय रूप से कार्य निवस आठ घंटे का कर दिया गया। सत्रह में एक दिन अमेरिकियों का अग्रगण्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक पूर्ण वतन सहित वार्षिक छुट्टियाँ भी दी जाती हैं। महायुद्ध के काल में सामान्यतः अमेरिका से प्रतिदिन अत्यन्त समय में तीन घंटे अधिक कार्य कराना जाता था, परन्तु महायुद्ध के पश्चात् यह प्रथा समाप्त कर दी गई है। वार्षिक छुट्टियाँ के अतिरिक्त ही श्रमिकों तथा स्त्री कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष २५ दिन तथा उसके पश्चात् २८ दिनों का विशेष छुट्टी मिलती है। शिशुओं का पालन करने वाली माताओं को प्रत्येक साठ तीन घंटे का आधे घंटे का अवकाश दिया जाता है।

संविधान रूप में श्रम की आरंभ संविधान-समर्थित किया गया है, जहाँ सोवियत अमेरिकी एक निश्चित शुल्क लेकर टहर सकते हैं। यद्यपि यह कहना गलत होगा कि प्रत्येक अमेरिकी अपनी शक्तानुसार उनका उपयोग कर सकता है परन्तु यह सत्य है कि लोगों को अपनी शक्ति का उपयोग करने है। अमेरिका भूतकालीन जर्मनियों के मकानों शाह महला, धनी परिवारों के ऊँचे-ऊँचे भवनों तथा उपासना-गृहों आदि को अब विश्राम-गृहों और स्वतन्त्र कर्मियों का रूप दे दिया गया है। अमेरिकियों के मनोरंजन के लिए अग्रिकाश नगरों में 'संस्कृति और विश्राम के उद्यानों (arks for cultur and rest) का प्रबंध किया

गया है। कारखानों में 'रमिका क क्लर्कों का स्थापना की गई है। अत्यधिक अतिरिक्त पुस्तकालयां, वाचनालयां, नाट्यशालायां, संग्रहालयां आदि का भी राय की ओर से प्रबंध किया गया है। जारशाही काल में रमजीबिया की टरापस्था में तुलना करने पर, जब उन्हें चौदह चौदह घंटे तक अस्वास्थ्यप्रद स्थानों में कार्य करना पड़ता था और जब उन्हें अपने प्रकाश का समय उचित रीति से व्यतीत करने की कोई सुविधा नहीं थी, यह परिपतन निश्चय ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है।

शिक्षा पाने का अधिकार

सावियत सभ के प्रत्येक नागरिक का सविधान द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।^१ इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सविधान में निम्न व्यवस्थाओं का उल्लेख है —

- १ सन-यापक तथा अनिनाय प्रारम्भिक शिक्षा
- २ सातवां श्रेणी तक निशुल्क शिक्षा
- ३ उच्च शिक्षण संस्थाओं के अपने अध्ययन में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राय का ओर से छात्रवृत्तियों का प्रबंध
- ४ विद्यालयों में मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना, तथा
- ५ कारखानों, राजकीय फार्मों, मशानों और ट्रेक्टर स्टेशनों, तथा सामूहिक फार्मों में श्रमजीवियों के लिए निशुल्क औद्योगिक (Vocational) बहुशिल्पिक (Technical) तथा कृषि-सम्बंधी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था।

सावियत सभ का शिक्षा व्यवस्था की प्रशंसा न केवल सावियत लेखकों ने ही की है, वरन् विदेशी लेखक भी उससे प्रभावित हुए हैं। हापर और थापसन ने लिखा है^२—'सावियत शासन की सर्वाधिक प्रभावी राजसेवा शिक्षा के

^१ अनुच्छेद १२१

^२ The most effective state service of the Soviet regime has been in the field of education —Harper & Thompson op cit, p 254

क्षेत्र में रहा है। सोवियत सरकार का शिक्षा-व्यवस्था पर 'यथ निरन्तर' उद्गता ही रहा है। सन् १९२६ में शिक्षा-व्यवस्था पर इक्कीस अरब रूबल व्यय किए गए थे। सन् १९५५ में इस मद पर लगभग साठ अरब रूबल व्यय किया गया। शिक्षा-व्यवस्था पर व्यय हुई इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि द्वितीय महायुद्ध में बहुत से विद्यालयों के भवन पणत या अशत नष्ट हो गए थे और उनका पुनर्निर्माण पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय करना आवश्यक हो गया था।

नामक शिक्षा प्रसार क कारण सोवियत संघ में अशिक्षिता का संख्या निरन्तर कम होता गया और आज सोवियत प्रवक्तारों का यह दावा है कि सोवियत संघ में अशिक्षिता का उन्मूलन किया जा चुका है।^१ सन् १९१७ में धाराशाहिक क्रांति क समय जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग (६७%) अशिक्षित था। क्रिया क लिय ता शिक्षा प्राप्त करना और भा कर्मिण था। शिक्षित बच्चों का संख्या १५ प्रतिशत से अधिक नहीं। सन् १९६६ का जनगणना क अनुसार सोवियत संघ में अशिक्षिता का संख्या कम हो १६ प्रतिशत रह गई था। इनमें से अधिकांश पचास वर्ष से अधिक आयु क थे। सन् १९४४ तक सोवियत संघ में उच्च शिक्षा भा नि शुल्क था परन्तु महायुद्धजनित परिस्थितियां क कारण सन् १९४४ में नि शुल्क शिक्षा का सामान्य तरेणी तक ही सीमित कर दिया गया। परन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य विद्यार्थियों का राजस्व छात्रवृत्तियां दा जाती हैं निस्संदेह वे अनाशिक्षिता द्वारा रण सकत हैं।

सोवियत संघ का शिक्षा क स्तर तथा पाठ्यक्रम क पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। तथा सोवियत लक्षक अपना शिक्षा प्रणाली का सर्वाधिक जनवादी और समाज क लिए हितकारक बताते हैं वहा अनेक विदेशी लेखक उन्ने पाठों क सिद्धान्तों क प्रचार का साधन मात्र मानते हैं।^२

^१ Karpin ky op cit, P 169

^२ Cours in th *History* (History of the Communist Party of the Soviet Union) as an immutable feature of school curricular and Stalin's dogmatic political and untruthful and unchangeably

संघ में इतना निश्चित है कि उक्ति का अपने अध्ययन के लिए सामग्री चुनने की जितनी स्वतंत्रता अन्य देशों में है उतनी सोवियत संघ या अन्य साम्यवादी देशों में नहीं है। सोवियत संघ की शिक्षा प्रणाली के समर्थकों को इसे स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, पेट स्लोन ने, जो सोवियत प्रणाली के प्रसिद्ध प्रशंसक हैं, सोवियत प्रणाली को बखान करते हुए लिखा है—“लेनिन और स्टालिन की पुस्तकों का लावा प्रतिया छापी जावेंगी हिटलर और ब्राउन्स द्वारा लिखित पुस्तकों की एक भी नहीं। इसे आप अपने राजनीतिक विचारों के अनुसार अच्छा या बुरा समझेंगे।” इसका कारण यही बताया जाता है कि सामाजिक हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य विचार धारा ही जनता के सामने आना चाहिए। परन्तु यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या राज्य तथा उसके अधिकारियों को ही वैज्ञानिक और अविज्ञानिक, सत्य और असत्य का निर्णय करने का एकाधिकार होना चाहिए।

समानता का अधिकार

सोवियत संविधान में समानता के अधिकार को दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। प्रथम अर्थ के अनुसार स्त्रियों का, जो जारसाही शासन में समानता का सर्वाधिकार प्राप्त और सतत वगैरह थीं, पुरुषों से आर्थिक, शासनीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा अन्य सभी सावजनिक कार्यों के क्षेत्र में समता प्रदान की गई है। द्वितीय अर्थ में सोवियत संघ के समस्त नागरिकों को बिना किसी जाति या राष्ट्रीयता के भेद-भान के उपरोक्त सभी क्षेत्रों में समानता प्रदान की गई है।^२

study groups organised by the Party trade unions and so on. The History indeed is compulsory reading and compulsory source of inspiration for every Soviet citizen. Education under such auspices not an unmixed blessing —Florinsky M T op cit P 844

^२ Books by Lenin and Stalin will be produced in millions of copies, book by Hitler and Trotsky will not be printed at all. This you will consider good or bad according to your politics —Pat Sloan *Resistance without Illusions* p 188

इस अधिकार ने सोवियत संघ के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले पतिव्रता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर दिया है। इस अधिकार के कारण आज सोवियत संघ के स्त्री और पुरुष, पश्चिम और दक्षिण, स्नातक और अज्ञान, ताना और अमनी सभी नागरिक मिल कर राज्य निर्माण का महान योजनाओं को पारस्परिक सहयोग के साथ कार्यान्वित करते हैं।

घर में उपरोक्त अधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सावधानी में आवश्यक व्यवस्था की गई है। स्त्रियों को पुत्रों के समान ही कार्य पाने का अधिकार, अपने काम के घंटों में समान पारिश्रमिक का अधिकार, तथा विराम, अवकाश, सामाजिक बीमा और शिक्षा का अधिकार प्रदान किये गये हैं। राज्य का और से माताओं और शिशुओं के हितों के संरक्षण, अनिवाहित तथा अशिशु शिशुओं को जनने वाली माताओं को राजस्व सहायता, पूर्ण धनन के साथ 'प्रसूति अवकाश' (maternity leave), तथा बड़ा संख्या में प्रसूति गृह, शिशु-गृह तथा शिशु विद्यालयों की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव को अंत करने के लिए किसी प्रकार के अतिरिक्त रूप से नागरिकों के अधिकारों पर उनका जाति या राष्ट्रीयता के कारण निर्बंध लगाना या इस कारण से कोई विशेष मुविधाएँ देना वर्जित कर दिया गया है। ऐसा करना तथा जाति या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव, धृष्टता, तथा अपमान का प्रचार करना वैधानिक रूप में दंडनीय घोषित किया गया है।

जारशाही काल में रूस में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनकी वंशी स्थिति का कारण न केवल समाज की विकृता हुआ दशा थी, बल्कि स्वयं जारशाही विधियाँ भी थीं जिनमें उनसे पति का प्रत्येक आज्ञा का उदात्तरूप पालन करने की अपेक्षा की जाती थी।^२ रूसी साम्राज्य के पूर्वा क्षेत्रों में तो

^१ अनुच्छेद १२३

^२ According to the Tsarist law valid until Feb 1917 demanded that the wife must obey her husband as a head of the family, love and respect him with boundless docility showing the utmost compliance and devotion in the home

स्त्री को पुरुष का पूरा दास माना जाता था और वे पुरुषों के साथ बैठ भी नहीं सकती थीं। याद हम वर्तमान सोवियत नारी की जारशाही रूप की नारी से तुलना करें तो निश्चय ही हमें आश्चर्य होगा। युद्ध-काल में जिस उत्साह के साथ स्त्रियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य किया वह अनुलनीय है। उदाहरणार्थ सन् १९४३ में सामूहिक फार्मों पर किये गये समस्त भाग का तीन चौथा भाग स्त्रियों के द्वारा किया गया था। परन्तु "शांति काल में भी सोवियत नारियाँ समस्त पारिश्रमिक वाली नौकरियों (Wage paying jobs) के ४ प्रतिशत, तथा समस्त कृषि संबंधी पदों के ५ प्रतिशत, स्थानों पर कार्य करती हैं। चिकित्सक जैसे पेशा में, जिसमें अति उच्च कोटि की कुशलता आवश्यक होती है उनकी सराया पुरुषों के समान ही है।^१ अन्य देशों में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र श्रद्धापूर्वक सीमित रहने के कारण राष्ट्र जनसंख्या के लगभग आधे भाग का मयाप्रायः संचित रह जाता है। सोवियत संघ में ऐसा नहीं है। वहाँ राष्ट्र निर्माण के कार्य में स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान भाग वाहन करती हैं।

सोवियत संघ में स्त्रियाँ सभी क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर पाती हैं इसका एक कारण है। राष्ट्र ने उन्हें अपने मातृत्व-सम्बन्धी उत्तरदायित्व का पूर्ण करने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की हैं। सम्भवती स्त्रियों को प्रजनन के पूर्व पर्याप्त छुट्टी दी जाती है। छोटे शिशुओं को दुग्धपान कराने के लिए प्रति साढ़े तीन घंटे पश्चात् माताओं को आधा घंटे की छुट्टी दी जाती है। बालक के पालन पोषण में राज्य स्त्रियों की सहायता करता है। माताएँ अपने बालकों को शिशु-शालाओं में रख सकती हैं जहाँ उनका समुचित पालन पोषण होता है। दो से अधिक बालकों को जन्म देने वाली माताओं को राज्य की ओर से अधिक सहायता दी जाती है। अधिक बालकों का जन्म देने वाली माताओं को अनेक उपाधियों से विभूषित किया जाता है। सोवियत संघ में अधिवाहित माताओं को भी सार्वजनिक सहायता दी जाती है और उन्हें अपने बालकों को शिशु-शाला में पालन पोषण के लिए रखने का सुविधा दी गई है। दूसरे देशों में ऐसा माताओं को समान रूप से देना दृष्टि से देना जाता है। इस अन्तर का सिद्धान्तिन कारण

^१ H P & Thompson op cit p 259

यह है कि सोवियत सभ में विवाह न स्त्री पुरुषा क संयोग का सामाजिक स्वीकृति मात्र माना जाता है उसका कांद् धार्मिक महत्त्व नहीं माना जाता । इसका एक अन्य कारण यह भी है कि सोवियत सभ क शासन की नीति जन सरया म वृद्धि का प्रोत्साहित करने की रही है ।

बारशाही काल में साम्राज्य की समा जातिना और राष्ट्रीयताआ न लागों पर रूसिया की भासा, सस्कृति और प्रयाएँ लाने का प्रयत्न किया जाता था । इसका उल्लंघन करत हुए एक बार स्तालिन ने कहा था 'पिछले समय म जब हमार देश म चार, पजातानिया और भूत्वामिना क हाथ में सत्ता थी, सरकार का यह नीति था कि एक जाति रूसिया का प्रभु जाति बनाया जाय और अन्य सब का अधान और उत्पादित । यह पार्श्विक नीति थी । आज भी अनेक देशा म गार और काल नागरिका म भन् किया जाता ह । अपने को सर्वत्रेष प्रजातन प्रापित करने वाला दश अमरिका भी इस कलन स मुक्त नहा है । परन्तु सामियत सभ म सभी जातिना क नागरिका का समान माना जाता ह । उन्हें अपना भासा सस्कृति तथा परंपराआ का प्रिकसित करने की पूण स्वतन्त्रता दी जाता ह । किसी एक जाति का प्रभु जाति नहा माना जाता । स्त्री का परिणाम यह है कि आज सामियत सभ का विभिन्न जातिना न लागों म पारस्परिक कलह और घृणा न स्थान पर भ्रातृत्न और सहजाग की भासना का प्रिकस हो रहा ह । सामियत सभ की राजतन एकता और सुष्कता का आधार नागरिका की समानता न सिद्धान्त है ।

धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता

बारशाही रूस म, तथा कि इसक पूर उत्तरव किया जा चुका ह, अर्थोडक्स चर्च (Orthodox Church) का राजतन प्राप्त था । अन्य और चर्च क अधिकारिना म एक प्रकार का गन्तव्य था । तसक कारण अन्य धर्मों न अनुयायिना का अनेक कठिनाइया का सामना करना पडता था । उनको उपासित किए जाने न ग्वांरण भा लिय जा सकत है । 'अल्शविज ब्रात' पश्चात् क्रिय ग' प्रथम नावों म स एक अर्थोडक्स चर्च का राजतन स बचित किया जाना था । फरव १९१८ का प्रथाया सामन्त शासन का

एक आज्ञाप्रति में यह घोषणा की गई कि कोई नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी धर्म का पालन कर सकता है, या यदि न चाहे तो वह किसी का न करे। सक्षेप में, प्रत्येक नागरिक का विश्वास का स्वतंत्रता (Freedom of Conscience) प्रदान की गई। तब से आधिकारिक रूप से धर्म न सम्बन्ध में सोवियत शासन की निरंतर यही नीति रही है। स्टाकिन सविधान के अनुच्छेद १२४ में नागरिकों के किसी धर्म को मानने या धर्मापरोधी प्रचार करने की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई है। धर्माधिकार (Religion) जारशाहों के अनन्य समर्थक माने जाते थे और क्रांति के पश्चात् उद्भूत से धर्माधिकारियों ने क्रांति विरोधी तत्वा का साथ भी लिया। इस कारण उन्हें उद्भूत समय तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। परन्तु स्तालिन सविधान में उन्हें भी सामान्य नागरिकों की भांति राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गये।

व्यवहार में सोवियत शासन की धर्म के प्रति नीति में महत्वपूर्ण अन्तर होते रहे हैं। प्रारम्भिक काल में सोवियत शासन ने अर्थोथॉक्स चर्च की सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर लिया और कम्युनिस्ट पार्टी तथा सरकारी संस्थाओं ने पर्याप्त धर्म विरोधी प्रचार किया। सन् १९२५ में धर्म विरोधी प्रचार को और अधिक तीव्र करने के लिये उग्र अनाश्वरवादियों की एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम लीग ऑफ मिलिटेंट एथीस्ट्स (League of Militant Atheists) था। इस संस्था का कार्यक्रम का पश्चात्य देशों में बहुत प्रचार किया गया और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि सोवियत शासन सोवियत संघ से धर्म का अस्तित्व मिटा देने के लिये कटिबद्ध है। सन् १९२६ में अर्थोथॉक्स चर्च के कम्युनिस्ट विरोधी पत्रिका टिचोन (Tichon) की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी काव्कारो—पत्रिका सर्जिनस (Sergius) ने चर्च की काव्कारो सस्था सिनोड (Synod) के साथ एक मयुक्त दस्तावेज में सोवियत शासन के प्रति भक्ति की घोषणा की। इसके बाद भी कम्युनिस्टों का धर्म विरोधी प्रचार जारी रहा। सन् १९२९ में रूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य (R. S. F. S. R.) के सविधान में संशोधन कर नागरिकों का 'धार्मिक और धर्म विरोधी प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार' के स्थान पर 'धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार की स्वतंत्रता का

अधिकार निया गया। इतना अथ यह लगातार जाता है कि धार्मिक प्रचार का वजित कर निया गया। सन् १६३६ क संविधान म भा नागरिका को धार्मिक उपासना का ही अधिकार दिया गया, धार्मिक प्रचार का नहा, जबकि धर्म विरोधा प्रचार का स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता दी गई हे। संविद्यत शासन की धम सम्बन्धी नीति म स्पष्ट परिवर्तन अगस्त, १६४१ क नानी आक्रमण के पश्चात् हुआ जब नागरिका का देश की प्रतिरक्षा क लिये उत्साहित करने के लिये धर्माधिकारिया की सहायता आवश्यक समझी गई। युद्ध प्रारभ होने के समय से हा पणियाक सर्जियस और अन्य धर्माधिकारिया ने अपने अनुयायियों स प्रतिरक्षा म भाग लेने का अनुरोध किया। इसी समय 'लीग आफ मिलिटेड एथास्ट्स' को शान्तिपूर्ण नियमित कर निया गया और उसक मुख्यालय आदि को उसक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी अर्थोगक्स चर्च को दे दिया गया।^१ सन् १६४३ में 'पट्रीयार्केट' (Patriarchate) की पुनर्स्थापना की गई और धर्माधिकारियों की एक सभा म सर्जियस को पणियाक चुन लिया गया। अगले वर्ष जन कमिस्तर परिषद (सोवियत मन्मल) ने दो परिषदों की स्थापना की—प्रथम, अर्थोगक्स चर्च क मामला क प्रबंध क लिये, और इत्ताय अन्य धर्मों से संबंधित मामला की देख-भाल क लिये। महायुद्ध म शासन की सहायता करने वाले अनेक धर्माधिकारिया को सम्मानसूचक उपाधिया तथा पदक प्रदान किये गये। सन् १६४४ में धर्माधिकारिया की शिक्षा के लिये एक संस्था (Seminary) भा स्थापित की गई। युद्ध प्रारभ होने क काल से ही धर्म विरोधा प्रचार में बहुत कमी कर दा गई थी। यद्यपि विचारधारा की दृष्टि से सान्यवादियों ने धर्म के प्रति नाति म कोई अन्तर नहीं हुआ हे, परन्तु उन्हाने अत्र चर्च को संविद्यत शासन का जनता पर प्रभाव सुद्ध करने वाले एक आवश्यक अंग क रूप में अस्तित्व स्वीकार कर लिया है। यथार्थ म, परिवर्तन धर्माधिकारिया की सोवियत शासन क प्रति नीति म हुआ हे, शासन की धर्म क प्रति नीति म नहा।

अर्थोगक्स धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों क अनुयायिया की भी अपनी संस्थाएँ हैं जिनका उल्लेख हम प्रथम अध्याय में कर चुक हैं। यह सत्य है कि

सावियत नागरिका को धार्मिक उपासना की स्वतन्त्रता प्राप्त है, परन्तु सावियत शिक्षा प्रणाली में साम्यवादी मिथान्ता का प्रतिपादित करने वाली पाठ्य पुस्तकों का बाहुल्य हानि के कारण धर्म का प्रभाव अब युवक नागरिकों पर अधिक नहीं है। धर्म का सर्वाधिक प्रभाव कृषक समुदायों में है, परन्तु राय की उपलब्ध सभी साधना तथा विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले भौतिकवादी प्रचार व सम्बन्ध उसका अस्तित्व अधिक समय तक टिका रहेगा, यह संशयामक है।

राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ

किसा देश की शासन प्रणाली व संवर्धन में यह नियुक्त करने के लिए कि वह कितना तक जनतांत्रिक है एक ही निश्चित मापदण्ड है और वह है जनता की उपलब्ध राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ। जिस देश में नागरिक राजनीतिक स्वतन्त्रताओं से वंचित हों उस देश का किसी भी दशा में प्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का तात्पर्य विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं पर नागरिकों को अपना मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता से होता है। अब देशों की भाँति सोवियत संघ के संविधान में भी नागरिकों को कुछ राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं। संविधान में कहा गया है कि “श्रमजाती जनता के हिता व अनुकूल तथा समाजवादी जनस्था का सुदृढ़ करने के लिए विधि (law) नागरिकों की निम्न स्वतन्त्रताओं की प्रत्याभूति करती है

(क) वाक् स्वतन्त्र्य (freedom of speech)

(ख) प्रेस स्वतन्त्र्य (freedom of the press)

(ग) सभा स्वतन्त्र्य (freedom of assembly) उनमें जन सभाएँ करने की स्वतन्त्रता सम्मिलित है

(घ) अड्डों पर तुल्य निकाशने और प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता।

यह नागरिक अधिकार (civil rights) श्रमजाती जनता तथा उनके संगठनों को मुद्रणालय कागज व मन्गार, सार्वजनिक भवन, सड़कें, परिदहन की सुविधाएँ तथा अन्य अधिकारों का प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक उन सामग्रियों का उपलब्ध कर सुनिश्चित किए गए हैं।^१

भी हैं। सोवियत संविधान ने शाब्दिक ढंग में अपने विरोधियों का साम्राज्यीय व्यवस्था का विरोधी प्राप्त कर उन्हें नदी बनाने या उन्हें कठारतन दण्ड देने का एक असीमित अधिकार दे दिया है। प्रति विरोधी (Counter Revolution) कामवाटिया के अपराध में सोवियत संघ में अनगिनत व्यक्तियों को लैबोर शिविर (Labour Camps) की यात्राएँ सहनी पड़ी हैं अथवा प्राणों से हाथ धाना पड़ा है। इनमें सोवियत शासन के अनेक उच्चाधिकारी तथा मंत्री भी थे। यदि पाश्चात्य देशों के कथन पर विश्वास न भाजिया जाय तो भी इतना तो निश्चिन्त रूप से कहा जा सकता है कि इन अनेक प्रश्नों पर पाश्चात्य प्रणाली के जनतंत्रों में नागरिक सहज संति से विचार प्रकट कर सकता है, उन पर सोवियत संघ में प्राचीनता करना सोवियत विरोधी या क्रान्ति विरोधी कृत्य समझा जायगा। इन प्रश्नों में से कुछ प्रमुख हैं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, कृषि का सामूहिककरण, राजकीय विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति, सोवियत संघीय व्यवस्था, साम्राज्य के अधिनायकत्व सम्बन्धी धारणा तथा कम्युनिस्ट पार्टी का प्रशासन। कौन सा कथन या लेख समाजवादी व्यवस्था पर प्रहार करता है, उस कथन का निखार करना शासनाधिकारियों का कृत्य है। ऐसी दशा में प्रायः वाक्-स्वातन्त्र्य या प्रेस स्वातन्त्र्य के अधिकारों का प्रयोग करने का जिन साधनों को साम्य ही नहीं तो आश्चर्य नहीं।

सोवियत नेता और लेखक उस प्रायः बहुत जल देते हैं कि पाश्चात्य प्रणाली के तथाकथित प्रजातंत्र देशों में जनजातियों को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। स्टाकिन ने राय हॉवर्ड (Roy Howard) के साथ एक मंच में अपना मत प्रकट किया था कि मरे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि एक बंकर व्यक्ति को भूत रहता है तथा रोजगार नहीं पा सकता, कि वह "व्यक्तिगत जनतंत्र" का उन्माद कर सकता है। वास्तविक स्वतंत्रता ऐसे स्थान पर ही विद्यमान रह सकता है जहाँ शासन का उन्माद कर दिया गया हो, जहाँ कुछ व्यक्ति दूसरों का उत्पीड़ित न करते हों, जहाँ बकारी और गरीबी का नाम भी न हो जहाँ किसी व्यक्ति को अगले दिन अपना काम, अपना घर तथा अपने भोजन को छोड़ देने का भय न हो। ऐसे समाज में ही वास्तविक, न कि फागन, स्वतंत्रता संभव है। स्टाकिन के इन शब्दों से कोई

फार्मों के प्रमथका, सरकारा कर्मचारिया ग्राप्ति की अकायपटुता या दफ्तरशाह प्रवृत्ति (Bureaucratic tendency) तथा स्थानीय सस्थाग्रा ग्राप्ति क कार्य की आलोचना करने तक हा सीमित ह । समाचार पत्र तथा अन्य पत्रिकाएँ जनता में राजकीय योजनाग्रा प्रवि विश्वास तथा उत्साह उत्पन्न करने क साधन-मात्र हैं । उनमें अधिकारिया तथा प्रमथका का अक्षमता, उनके द्वारा अपनी शक्तियों क दुस्प्रयोग तथा उनकी नाकरशाही प्रवृत्ति क वृत्तान्त तथा इनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना ग्रमश्य मिलेगी परन्तु उनम शासन की किसी महत्वपूर्ण नाति या पार्ता क किसी उच्च नेता का आलाचना बोजने वाले यन्त्रि को निराश ही हाना पड़ेगा ।

सार्वजनिक सस्थाओं में सगठित होने का अधिकार

भाषण तथा प्रस का स्वतंत्रताग्रा प्र समान ही सोवियत सविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार भा प्रतिभवि ह । 'श्रमजीवी जनता क हितों क अनुकूल तथा जनसाधारण की राजनीतिक कर्मशालता तथा सञ्चन सम्बन्धा प्रतिभा को विकसित करने के लिये सोवियत सभ क नागरिका को सावजनिक सस्थाओं में सङ्गठित होने के अधिकार की सविधान द्वारा प्रयाभूति की गई ह । सविधान में 'सार्वजनिक सस्थाओं का आशय स्पष्ट कर दिया गया हे । ये सस्थाएँ हैं श्रमिक सङ्घ (Trade Unions), सहकारी समितिया, तरुण सभ, श्रमिक और सैनिक सङ्गठन, सांस्कृतिक प्रदुशिल्पिक तथा वैज्ञानिक सस्थाएँ तथा सोवियत सङ्घ का कम्युनिस्ट (बाल्शेविक) पाटा । कम्युनिस्ट पार्टी में सगठित होने का अधिकार श्रमिकों तथा अन्य श्रमजीवी वर्गों क स्वाधक क्रियाशील तथा राजनीतिक चेतनायुक्त नागरिका का ही प्राप्त ह । सविधान म कम्युनिस्ट पार्टी को समाजवादी व्यवस्था का सृष्ट जनाने और विकसित करने क लिए किए जाने वाले सपथ में श्रमजीवियों का नेतृत्व करने वाली सस्था, तथा श्रमजीविता की समस्त सार्वजनिक और राजकीय सस्थाओं का मूल कन्द्र कहा गया है ।

उपरोक्त उपग्रन्थों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सविधान निर्माता इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहते थ कि सावियत सङ्घ में बनल एक हा राजनीतिक दल रह सकता है और वह है कम्युनिस्ट पार्टी । स्तालिन ने

संविधान के प्रारूप पर अष्टम कांग्रेस के समक्ष लिए गए मासिक में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि अब—“सोवियत संघ में केवल दो प्रेरिया हैं, मजदूरों और किसानों के हित एक दूसरे के विरोधी नहीं। इसलिए सोवियत संघ में अनेक राजनीतिक दलों का आवश्यकता ही नहीं। और इसलिए इन दलों की स्वतंत्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। सोवियत संघ में केवल एक दल साम्यवादी दल की आवश्यकता है। सोवियत संघ में केवल एक दल, साम्यवादी दल, रह सकता है जो कि सहज ही साथ अमनाबिया और किसानों के हितों का पूरक करता है। हिंसात्मक कार्यवाहियां का उत्पन्न करने के कारण यदि किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, या उसके सदस्यों का बर्तन किया जाता है तो कम्युनिस्ट नेता अनाधिकार तथा नागरिक-स्वतंत्रताओं की दुहाई देने हैं। परन्तु उनके स्फूर्ति के मासिक संघ में विरोधी राजनीतिक दल का अस्तित्व कहा तक सम्भव है यह उक्त वचन से मंलीभाति स्पष्ट हो जाता है।

सोवियत संविधान में नागरिकों का निम्न अनेक अराजनीतिक सस्थाओं में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनके सम्पन्न किये जाने पर किसी राज्य में प्रतिबंध नहीं होता। कानून में सोवियत नागरिकों को सामूहिक सस्थाओं, सहायक समितियों, श्रमिक सङ्घों आदि को सम्मिलित करने का पूरा स्वतंत्रता है। परन्तु श्रमिक सङ्घों का स्थिति पर दो शर्तें लिए देना आवश्यक है। गणराज्यिक शक्ति के पश्चात् शासन द्वारा श्रमिकों के लिए श्रमिक सङ्घों का सन्तुष्ट बनना अनिवार्य कर लिया गया था। परन्तु गणराज्यिक शक्तियों के कारण सन् १९२२ में श्रमिक-सङ्घों की सदस्यता को पुनः वैकल्पिक कर लिया गया। श्रमिक सङ्घों की सदस्यता से श्रमिकों को अनेक लाभ प्राप्त हैं इस कारण वे उनका सन्तुष्ट बनना स्वयं ही पसन्द करते हैं। देश भर में विस्तृत हुए श्रमिक सङ्घों की केन्द्रीय सस्था अखिल सङ्घीय केन्द्रिय श्रमिक सङ्घ परिषद् है। प्रारम्भ में श्रमिक सङ्घों का उद्देश्य के प्रवचन में पर्याप्त भाग रहता था। क्रमशः उनका यह काम समानता हाता गया और उनका प्रमुख काम श्रमिकों के हितों के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों का सम्भालन करना हो गया। सोवियत नीति व्यवस्था का सम्भालन अब श्रमिक सङ्घ ही करते हैं।

यद्यपि उद्योगों के प्रबंधकों से सामूहिक समझौते करने का अधिकार उन्हें अभी भी प्राप्त है, परंतु व्यवहार में राज्य हाथमिर्का के पारिभ्रमिक आदेश निश्चित करता है और श्रमिक संघ उस स्वाकार कर लेते हैं। सोवियत संघ में श्रमिक संघों का कार्य हड़तालें कराना नहीं, राष्ट्रीय-उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों में उत्साह उत्पन्न करना है। हड़तालों पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है परंतु सोवियत संघ के किसी कारणवश हड़ताल होने का समाचार कभी नहीं सुना जाता।^१ सोवियत संघ में हड़ताल प्रायोजित कराने वाले व्यक्ति निश्चित ही 'घनता के शत्रु' घोषित कर लिए जायेंगे।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार

सोवियत संविधान के अनुच्छेद १२७ तथा १२८ में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रयाभूति की गई है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति का निवासा न्यायवाणी (Procurator) या न्यायालय की स्वीकृति के बिना नहीं हटाया जा सकता, तथा किसी नागरिक के निवास स्थान का अतिक्रमण (violation) नहीं किया जा सकता। नागरिकों के पत्र-व्यवहार की गोपनीयता को भी विधि का संरक्षण प्राप्त है।

देश की सुरक्षा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से सभा देशों में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कुछ निर्वेध लगाये जाते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय संविधान में सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकों का नजरबंद (detention) करने का अधिकार दिया गया है। सोवियत संघ में जन १९२४ के संविधान में एक पूरा अध्याय राजनीतिक पुलिस (OGPU) की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में था। संविधान में इस राजनीतिक पुलिस का कार्य प्राति की उलटने के राजनीतिक और आर्थिक प्रयत्न अन्व देशों के भद्रियों की कार्यवाहियों तथा उन्नतियों के विरुद्ध संघ में जातिवादी तन्त्रा का नेतृत्व करना बताया गया था। इसी प्रकार स्तालिन ने अपने एक

^१ 'Strike are not expressly prohibited, but they are very conspicuous by their absence in this workers State
—Hip & Thompson op cit p 88

लेख में 'राजनीतिक पुलिस का अर्थ' का अर्थ सरलतया तथा 'सबड्यारा की नगी तलवार' बताया था। इस का प्रमुख कार्य साक्षिण राय - तथाकथित शत्रुओं का पता लगाना और उन्हें दब देना था। यद्यपि सन् १९२६ के अधिनियम में राजनीतिक पुलिस का कर्ता उल्लेख नहीं है, परन्तु वह आज भी विद्यमान और कार्यरत है। सामान्य मामला पर न्यायालय विचार करते हैं और उनमें दायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है परन्तु सोशियल राय के विरुद्ध भी जाने बाला कार्यवाहियाँ पर राजनीतिक पुलिस के द्वारा विचार किया जाता है। जिन व्यक्तियों पर संदेह होता है उन्हें पढ़ाने की स्वीकृति न्यायवादी (Procurator) से सरलता से मिल जाती है। राजनीतिक पुलिस का औपचारिक दृष्टि से सन् १९४७ के 'राज्य-सुरक्षा' का अनुवाद करने का अधिकार नहीं है परन्तु वह उन्हें बिना किसी सुरक्षा के शिविरों में भेज सकती है। इन शिविरों का मंचालन भी राजनीतिक पुलिस के एक विभाग के द्वारा ही होता है। इन शिविरों में भेजे गये व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। मनोके मत्तानुसार इनमें कई मिलियन (million) व्यक्ति हैं जिनसे राजनीतिक पुलिस (MVD) के अधीक्षण में विभिन्न प्रकार के काम कराये जाते हैं।

साक्षिण लेखक तथा साक्षिण प्रणाली के समर्थक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि राजनीतिक पुलिस केवल साक्षिण राय के विरुद्ध पकड़ करने वाला के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये है। निंदिया का पालन करने वाले और समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले नागरिकों का उसमें भयानक हानि का कोई कारण नहीं है। परन्तु ऐसे अनन्य कार्य का अन्य देशों में विधि-संगत माने जाते हैं साक्षिण सत्र में साक्षिण राय का नोट करने के प्रयत्न माने जायेंगे। और ऐसे सभा कार्यों पर न्यायालय में नहीं, पुनः पुलिस के द्वारा विचार किया जाता है। सन् १९२४ में कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक समिति (Politbureau) के सत्र तथा लेनिनग्राद पार्टी कमरा

गोपनीयता के अर्थ में तब राजनीतिक पुलिस के नाम में कई तरह के परिवर्तन हो चुके हैं। इस संज्ञित तथा समन्वित प्रचलित नामों में हैं
 CHEKA OGPU NKVD और राज्यपाल MVD

क मंत्री किराव (Kirov) की हत्या के पश्चात् गुप्त पुलिस का कार्यवाहिन में विशाल वृद्धि हो गई थी। सन् १९३५ में एक विशेष आन्धि (decree) प्रवर्तित की गई थी जिसके द्वारा अभियुक्तों के वकील रखने के अधिकार तथा न्यायालय द्वारा लिये गए दण्ड के विरुद्ध अपील करने के अधिकार को निलम्बित कर दिया गया था। इस आन्धि के प्रवर्तित किये जाने के पश्चात् ११७ व्यक्तियों पर सोवियत संघ के प्रति द्रोह करने के अपराध में गुप्त रूप से मुकदमा चलाया गया और उन्हें प्राणदण्ड दिया गया। म्बालिन की मृत्यु के पश्चात् सोवियत संघ के आन्धतरिक मामला के मंत्री बरिया (Beria) को सोवियत शासन के विरुद्ध घटयत्र करने के अपराध में प्राणदण्ड दिया गया। इन घटनाओं के कारण विदेशी लोगों का यह विश्वास टूट हो गया है कि सोवियत संघ में संविधान द्वारा नागरिकों के जिस वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रत्याभूति की गई है वह किसी नागरिक को तभी तक प्राप्त रहता है जब तक उस पर सोवियत शासन के विरुद्ध किसी घण्यन में सम्मिलित होने का सदेह नहीं किया जाता। मनरो का मत है कि जिस नागरिक पर शासन का विरोधी होने का सदेह हो उसके लिये कोई सुरक्षा का साधन विद्यमान नहीं है और उसके सांविधानिक अधिकारों की भी अवहेलना की जाती है।

सोवियत संघ में वैयक्तिक स्वतंत्रता के प्रश्न पर विचार करते हुए हम एक तथ्य स्मरण रखना चाहिए और वह यह कि सोवियत शासन को न केवल ऐसे आन्धतरिक तत्वों से ही सावधान रहना पड़ता है जो वर्तमान व्यवस्था का अत करना चाहते हैं बरन् उसे विदेशियों तथा विदेशों की सरकारों के द्वारा सोवियत संघ में निद्रोह की ज्वाला प्रवर्लित करने के प्रयत्नों से भी सशंक रहना पड़ता है। नाल्शेविक क्रांति के तुरन्त बाद रूसी शासन को एक साथ ही आन्धतरिक और बाह्य विरोधियों का सामना करना पड़ा था। सोवियत संघ के सत्रह मोर्चों पर निदेशी सरकारों की सेना से लड़ना पड़ा था। सोवियत

^१ "The simple fact is that no protection exists for the citizen suspected of hostility to the regime and that his constitutional rights are disregarded — Munro & Aycarst, *op cit*, p 674

शासन का स्थापना न लगभग चार दशाने बाद भी आज सोवियत सरकार का उलटने की आशा करने वाला का स्वथा अभाव नहा हे। ऐसी स्थिति में सोवियत नेताओं का सतक रहना स्वाभाविक हे। यह आशा की जा सकती हे कि वाक्य आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह की सम्भावना समाप्त हो जाने पर सोवियत सरकार नागरिकों को अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। डॉक्टर क शर्मा में हम कह सकत हैं कि “पूण चित्र क उज्ज्वलतर पक्षा म एक तथ्य यह भा हे कि माननीय स्वतंत्रताओं का सामिधानिक व्यवस्था विद्यमान हे आर सोवियत सिद्धान्त म उम कभा भविष्य में कावरूप म परिणत हाने से राकने साना कुछ भा नहा हे।”^१

वैयक्तिक सम्पत्ति का सीमित अधिकार —वाल्शविक क्रांति के पून व्यक्तिगत सम्पत्ति (Private Property) का अधिकार नागरिका का एक प्रमुख अधिकार माना जाता था और अनक देश न समिताना म इसका नागरिका न मूलाधिकार क रूप म उल्लेख किया गया था। रूस म सोवियत शासन का स्थापना क पश्चात् साम्यवादी सिद्धांत क अनुरूप व्यक्तिगत सम्पत्ति की सथा का उन्मूलन करने का प्रयत्न किया गया, परंतु इसम सोवियत नेताओं को सफलता न मिल सका। देश न आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन करने क लिए नवान आर्थिक नीति में वैयक्तिक सम्पत्ति न सामित अधिकार को स्वीकार किया गया। स्तालिन सविधान म भी नागरिका क वैयक्तिक सम्पत्ति क सीमित अधिकार को मान्यता प्रदान का गद हे, यद्यपि इसका नागरिका क मूलाधिकारों म उल्लेख नहा किया गया हे। सविधान क अनुच्छेद १ म कहा गया हे कि नागरिका का अपन काम स आय तथा बचन, अपने रहने के मकान तथा घर का पूरक सम्पत्ति, परलू सामान एव वैयक्तिक प्रयोग तथा सुविधा का अन्य मनुष्यों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न अधिकार तथा नागरिका क उत्तराधिकार स सम्पत्ति प्राप्त करने क अधिकार का विधि का सरक्षण प्राप्त हे। सविधान म व्यक्तिगत कृपका तथा कारागारों का प्रवेश उन्नी कने का स्वतंत्रता दा गद हे परंतु इसा शर्त पर कि क निका दूसरे क मन का उपयोग न कर।

स्वाभिन्न सविधान का विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सामंतिव स में समस्त जमीन, जंगल, वन, दल, कानूनों, रेल, जल तथा वायु संचालन को परिवहन के साधन प्राप्ति पर राज का अधिकार है। इस कारण महा वैश्विक संचालन का प्राप्ति प्रत्यक्ष सामंतिव है। परन्तु आगों में प्रन्तर के कारण प्रती मा वहा समुद्र औ निधन का प्रन्तर संघ है। निधन का अधिक है यह निश्चय है कि प्रन्तर आगों से अधिक धन संचित कर सकते हैं।

विदेशी क्रांतिकारियों को आश्रय का अधिकार

नागरिकों के मूल अधिकारों वान प्रदान में हा ऐसे विदेशी नागरिकों का जो श्रमजातियों के हितों का रक्षा करने के लिए, या वैश्विक कार्यों के लिए अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सहाय करने के लिए उद्दिष्ट किए जाते हैं सामंतिव स में आश्रय (asylum) पाने का अधिकार प्राप्ति है। प्रत्येक देशों के प्रसिद्ध कानूनों में प्राप्ति संचालन तक सामंतिव स में रहे हैं और सहाय वग का प्राप्ति का प्रार प्रन्तर करने के उपायों का सिद्धा पाते रहे हैं। इस प्रदान में हम सामंतिव नागरिकों के मूल अधिकारों तथा कर्तव्यों पर ही विचार कर रहे हैं, इस कारण विदेशी नागरिकों का प्रन्तर इस अधिकार का उल्लेख मात्र कर देना ही पर्याप्त है।

नागरिकों के मूल कर्तव्य

सामंतिव स के सविधान का यह एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि संचालन में न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का ही उल्लेख है, प्रत्युत उनका मूल कर्तव्यों का भी बखान है। संव दसति ने वा इस संव १९२६ के सामंतिव सविधान का विशिष्ट लक्षण (Peculiar characteristic) माना है।^१ अन्य सामंतिव देशों के सविधानों में मा अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख प्राप्ति गता है।^२ सामंतिव स के प्रनुसार आशादा रूप में अधिकारों और कर्तव्यों का भी अनन्तता के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन था। उदाहरणार्थ,

^१ Sydney & Beatrice Webb *op cit* p 437

^२ देखिए लोक-संघ के सविधान के अनुच्छेद १ १ ३।

कान काना कवन समतिदान जनता, अथान् अनिका तौर कका का कन या उनक मन का फल भागना सवतिदानिया अथान् पूजाकाया पूजानिया ता कका का अनन्य अधिना था। अवित्र सविधान न इस काना पूर यिति का अत्र नर प्रत्येक कति क प्रधिकार प्रगत कि है तथा उक्त उक्त कृतय निश्चित किए हैं।

सविधान सविधान द्वारा निधाति सविधान नारिका व ना कनिम्नलिखित हैं —

- १ सविधान तथा विधि का पालन करना
- २ मन-सन्ध्या अनुष्ठान का पालन करना
- ३ ग्राम सावजनिक स्वत्वा तथा सनातन नतिकता - निन्दन का पालन करना
- ४ सनातन सामजनिक समति का पालन करना
- ५ सावजनिक सेनिकता
- ६ देश का रक्षा करने के लिए प्रयत्न रहना।

सविधान तथा विधिया का पालन करना—प्रत्येक एक जन नारिका न यह प्राया करता है कि व उक्त सविधान तथा विधिया का पालन करे। अतः, जनता अना स्वयं स विधा सविधान का विधि का पालन करता है, व व उक्त करने विधा व अनुष्ठान मनन्ता है। कि ऐसा नह होता व नारिक किन्ना मन या ताव व काय विधियों का पालन चाहे करें व ऐसा करना प्रयत्न कवन नहा समन्त। सवित्र स का अनन्य (निन्दा तथा कका) का पालन ना जाता है। अवित्र प्रस्ताह ना करता है कि अत्र सविधान स में कवन अनन्यता वा हा रह ग्या है अथवा शासन का शिष्टाचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण सविधान और अना विधि सविधान जनता के विधियों का सारक्षण करता है। ए। विधि में ना कइ नारिक सविधान या विधि का पालन का करता है व समन्त सवित्र जनता तथा सवित्र सनातन विद्वज का का है। सवित्र वा तथा सवित्र वा के हिता में का विधान होने के कारण

समस्त समाज की समृद्ध व परिष्काररूप निश्चित ही समाज व प्रत्येक सत्त्व का हित होगा। इसीलिये प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताया जाता है कि वह सविधान तथा विधियों का पालन कर समाज का समृद्धि का माग प्रशस्त कर।

श्रम सम्बन्धी अनुशासन को पालन करना—जिस प्रकार सविधान और विधियों व अपने हित व अनुकूल न होने पर नागरिक उनका पालन स्वच्छा से अपना कर्तव्य समझ कर नहीं करते, उसी प्रकार श्रमजीवी श्रम सम्बन्धी अनुशासन को पालन करना तब तक अपना कर्तव्य नहीं समझते जब तक व उसे अपने हित व अनुकूल नहीं समझते। पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हानि से श्रमिकों का कोई लाभ नहीं होता लाभ होता है मुट्ठी भर पूँजीपतियों का। इस कारण श्रमिक श्रम सम्बन्धी अनुशासन का स्वच्छा से पालन नहीं करते। व अनुशासन सम्बन्धी नियमों को पूँजीपतियों द्वारा निर्मित शोषण व्यवस्था का एक अंग समझते हैं। परन्तु यह दावा किया जाता है कि सोवियत सच में स्थिति दूसरी ही है। श्रमजीवियों द्वारा अधिक लगन के साथ किये गये कार्य का लाभ अन्ततोगत्वा उन्हीं का होगा। कार्पिन्स्की व मतानुसार 'श्रमजीवाजन अत्र स्वयं अपने प्रभु बन गए हैं, व अपनी समान भलाई के लिए ही काम करते हैं, और इसी कारण अपनी पूर्ण योग्यता के साथ काम करने में उनका हित है।'

सोवियत सच व सविधान व अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम व गुण और मात्रा व अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था व अनुसार अपने काम में अवशय रूप से सलग्न रहने वालों तथा विशेष योग्यता प्रदर्शित करने वालों का पारितोषिक दिये जाते हैं तथा उन्हें सम्मानित किया जाता है। साथ ही और से ऐसे श्रमिकों का अनेक उपाधियाँ दी जाती हैं जिनमें सर्वाच्च हारो आफ सायलिस्ट लेबर है।

अपने सावधानिक कर्तव्य तथा समाजवादी नैतिकता व नियमों का पालन करना—एक ही प्रकार से नागरिकों का जो दायित्व प्रदान किया

जात हैं उनका उठना किंग जाना तथा सम्भव है जब नागरिक अपने कर्तव्य का भला भाति मानन करें। एक व्यक्ति का असावधाना का पारवान अनेका व्यक्ति या सम्पूर्ण समान का सुगतना पब सकता है। इस कारण अनेक सामयिक कृत्यो का भला भाति पालन करना प्रत्येक सोचिनत नागरिक का कृत्य गताना गया है।

समिधान में समाजवादी नैतिकता (Socialist behaviour) का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है इस कारण से इस वाक्य का यथाथ अर्थ बताना कठिन है। सोचिनत लेखका ने मतानुसार 'समाजवादी नैतिकता कि नियमों में काम का अर्थ कृत्य मानना, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोच का अर्थ समाजवादी सावधानिक सम्पत्ति का अनाविक्रमणता (inviolability) तथा समाज के हितों को व्यक्ति के हितों से प्रेष्ठ समझना सम्मिलित हैं। समाजवादी नैतिकता का एक प्रमुख नियम प्रत्येक व्यक्ति में भ्रातृत्व तथा सहायता का भावना विद्यमान होना है।

सामयिक समाजवादी सम्पत्ति का संरक्षण—सोचिनत सच में उपादन के सभी प्रयुक्त सामानों पर राज्य का स्वामित्व है। इस कारण बहाली प्रतिक्रिया सम्पत्ति समाजवादी सावधानिक सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सारे समाज का समान अधिकार होने के कारण प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इस सम्पत्ति को हानि से बचाए। सोचिनत समिधान में ऐसे व्यक्ति का जो समाजवादी सावधानिक सम्पत्ति का हानि पहुँचाने का शत्रु गताना गया है। सोचिनत सच का विधिगत में ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः कठोर दण्ड का व्यवस्था का गत है। एक अमेरिका पत्रकार के बचन के अनुसार सोचिनत सच के एक जन-न्यायालय में एक व्यक्ति का गत समाचार पर (p. 22), जिनका मूल्य लगभग दो पत्र था और जिन्हें राज्य का सम्पत्ति माना गया था चुपने के प्रयत्न में एक वर्ष का कठिन-अन सम्पत्ति का दण्ड दिया गया था।^१

नैतिक संवा—न्यायिन समिधान में नैतिक संवा का प्रत्येक सोचिनत नागरिक का सम्मानित कर्तव्य गताना गया है। सितम्बर १९३८ में न्यायिन

सर्वव्यापक सैनिक सेवा विधि (Universal Military Service Law) के द्वारा प्रत्येक पुरुष नागरिक के लिये यह प्रावधान कर दिया गया है कि वह सोवियत संघ की सायुध सेना (Armed Forces) में सेवा करे। सायुध सेना का मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर देश का चिकित्सा पशु चिकित्सा तथा बहुशिल्प सम्बन्धी शिक्षण प्राप्त स्त्रियाँ का संग्रह भी प्राप्त कर सकता है। अन्तरह या उन्नास वर्ष की वय प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक स्वस्थ पुरुष नागरिक को सैनिक सेवा के लिये बुलाया जाता है प्रारंभ उम्र कम से कम दो तथा अधिक से अधिक चार वर्ष तक सक्रिय सैनिक सेवा करना पड़ता है।

दश का प्रतिरक्षा प्रत्येक नागरिक का पुनात कर्तव्य—संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह पुनात कर्तव्य है कि वह देश का प्रतिरक्षा करे। मातृभूमि के प्रति द्रोह करने वाले अर्थात् अस्वामी भक्ति (Allegiance) की शपथ का अतिक्रमण करने वाले शत्रुओं से मिलने वाले राष्ट्र की सैनिक शक्ति को हानि पहुँचाने वाले तथा शत्रुओं को भेद देने वाले का हानतम अस्वामी करने वाला व्यक्ति माना जाता है तथा उस विधि के अनुसार कथरतम दण्ड दिया जाता है। 'मातृभूमि के प्रति द्रोह करने के अस्वामी में दण्ड पाने वालों में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक उच्चतम नेताओं तथा प्रमुख शासनाधिकारियों के नाम सम्मिलित हैं। समय-समय पर सोवियत संघ में "शुद्धाकरण (Purges) की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे समस्त तंत्रों का नष्ट कर दिया जाता है जो सोवियत राज्य के शत्रु माने जाते हैं। इस "शुद्धाकरण प्रणाली का अनेक लेखकों ने सोवियत शासन के द्वारा अपने विरोधियों का अन्त किए जाने का एक रास्ता ही माना है।

काम करने का कर्तव्य—सर्व नागरिकों के लिये कर्तव्य माने अर्थात् में काम करने के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु एक अन्य स्थान पर काम करना प्रत्येक स्वस्थ नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। वस्तुतः यह कर्तव्य काम करने के अधिकार का पूरक है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो कोई काम नहीं करता वह भाजन करने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शासन का तन्त्र अन्त ही सकता है अब प्रत्येक व्यक्ति अस्वामी सामर्थ्य के अनुसार काम करे।

अध्याय ६

सोवियत सघवाद

(Soviet Federalism)

सोवियत सविधान का विश्वतांत्रा पर विचार करत समय हम देख चुके हैं कि सविधान में सोवियत सघ का एक सघान-राज (Federal State) कहा गया है। जब हम सघवाद (Federalism) के सम्बन्ध में माक्स एंगिल्स और लेनिन के विचारों पर दृष्टि डालते हैं तो हम उसीके तथ्य पर आश्चर्य महसूस करना स्वाभाविक है। एंगिल्स ने प्रोलेटारियत में कहा है कि स्वहारा बग (Proletariat) केवल राज के एनामक तथा अविभाजन गणराज रूप का ही उपयोग कर सकता है।^१ स्वयं लेनिन ने सन् १९११ में लिखा था—‘हम मिदानीय सघवाद का विरोध करते हैं। यह आर्थिक बंधना (Ties का शिथिल करता है यह एक राज के लिए अनुसुक प्रणाली है।’^२ सन् १९१७ का क्रान्ति के पूर्व वास्तविक नेता सघवाद का ‘अविवेकपूर्ण ग्राह्य (Babbling ideal) का सघ से संबंधित किया करते थे। उनका विचार था कि सघवाद आर्थिक विकास के माग का अवबद्ध करता है और इसलिये सघवाद का उपयोग के लिए सर्वथा अनुसुक है। ऐसा स्थिति में पहले रूस गणराज (R. S. F. S. R.) तथा बाद में सोवियत सघ (U. S. S. R.) के संविधानों में सघवाद का अनामक ताना आस-बसक हा है।

“The proletariat can use only the form of the one and indivisible republic.”—Engels as quoted by Lenin in his State & Revolution p 60

“We are against federation on principle it weakens the economic ties it is an unfit type for one state.”—Lenin as quoted by Julia Tawster in op cit p 62

संघसाद एक अस्थायी व्यक्ति—यद्यपि माक्स और एंगिल्स ने संघसाद न सिद्धान्त का प्रबल विरोध किया है और उस समाजवादी व्यवस्था के लिए आनन्दकर बताया है परन्तु उन्होंने कुछ निश्चय परिस्थितियों में संघसाद व्यवस्था का एक अस्थायी या अन्तकालीन युक्ति (D vice) के रूप में अपनाए जाने का समर्थन भी किया है। उनके मतानुसार संघसाद व्यवस्था उसी समय अपना जाना चाहिये जब यह एक न राजतन्त्र, एकान्त राज का और प्रगति में रुकावट हो। इस सिद्धान्त के आधार पर माक्स ने अल्बिन देशा के संघसाद राज के निमार्ण का समर्थन किया था। लोनिन ने बाल्शविक प्रगति के पश्चात् माक्स और एंगिल्स के इस सिद्धान्त का प्रागल्भिक और रूसी सर्वांग गणराज्य को एक एकामक, प्रजातान्त्रिक, कन्द्राजित साम्यवादी राज के निमार्ण के लिए उन्मत्त गण निश्चित पत्राचार। स्टाकिन जा १९२८ का अन्तकालीन सरकार में जातिवादी के मन्त्री (Commissar of Nationalities) के, ने भी स्विडन और अमेरिका संघ के उदाहरण दे कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस प्रकार के स्वतन्त्र राजा से राजमन्त्र और संघसाद राज के अन्त संघसाद व्यवस्था होत हुए भी वधाय में एकान्त राज बन गये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत नेता बाल्शविक संघसाद राज नहीं, एक एकान्त राज स्थापित करना चाहते थे, परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें संघसाद को एक अस्थायी युक्ति के रूप में अपनाने के लिए विवश किया।

संघसाद व्यवस्था अपनाए जाने के कारण—हम हमार सम्बन्ध के प्रश्न आता है कि बाल्शविक नेताओं के संघसाद व्यवस्था निर्धारण में इस परिवर्तन के क्या कारण थे ऐसा कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने उन्हें संघसाद के अन्तकालीन समाजवादी राज्य के लिए संघसाद व्यवस्था प्रमाणात् करने के लिए विवश किया। इस प्रश्न का उत्तर हमें बाल्शविक प्रगति के पश्चात् रूसी साम्राज्य की दशा का अध्ययन करने में मिलता है। इस पुस्तक के आरम्भिक अध्यायों में हम उस पर विचार कर चुके हैं। संक्षेप में, निर्माण के बाद के कारणों ने साम्यवादी समाजवादी संघसाद व्यवस्था प्रदान करने में प्रेरित किया।

- १—जारशाही साम्राज्य की विभिन्न जातियों का महान् रुसियों (Great Russians) के प्रति अविश्वास।
- २—पूँजावाली देशों के प्रहार का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के लिए महान् शक्ति की आवश्यकता।
- ३—सोवियत राज्य के आर्थिक विकास के लिए पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता।

जातियों की समस्या—जारशाही के काल में रुसी साम्राज्य की रुसेतर (Non Russian) जातियों का विषय प्रकार उन्पीड़न किया जाता था, इस पर लिखने अध्यायों में प्रकाश वाला पाठ्य पुस्तक है। उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराओं, प्रथाओं आदि को निन्दित कर किम प्रकार उनका रूसीकरण (Rusification) करने का प्रयास किया जाता था, यह यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। जारशाही शासन की इस नीति के परिणाम स्वरूप साम्राज्य की समस्त रुसेतर जातियाँ शान्तिशील रुसियों की दासता से अपने को मुक्त करना चाहती थीं। सन् १९१७ के क्रान्ति ने उन्हें ऐसा करने का अवसर प्रदान किया। विचार धारा की दृष्टि से रुसियों से कोई विभिन्नता न होत हुए भी भूतपूर्व जारशाही साम्राज्य की रुसेतर जातियाँ ने रुसियों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने में ही अपना कल्याण समझा। उन्हें यह विश्वास न हो सका कि रूस के नवीन शासन उस धृष्ट नीति का पूणरूपेण परित्याग कर सके, जिसके कारण उनका भाषा, संस्कृति और सभ्यता का अन्त होता जा रहा था। इसी कारण जारशाही साम्राज्य की साम्राज्य पर स्थित ऐसे प्रदेशों में जहाँ रुसेतर जातियों के लोग निवास करते थे, स्वतंत्र सोवियत समाजवादी गणराज्यों (S S Rs) की स्थापना हुई।

लेनिन ने रुसेतर जातियों के इन मनोभावों को समझने में कभी त्रुटि नहीं की। उन्हें सतुष्ट रखने के लिए क्रान्ति के अनेक वर्ष पूर्व से वह 'राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन कर रहा था। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मार्क्सवादी राज्यान्तरे के कट्टर विरोधी हैं और स्वयं लेनिन ने अनेक स्थानों पर समाजवादीयों को प्रत्येक प्रकार के राज्यान्तरे का शत्रु कहा है। सन् १९१९ में लेनिन ने घोषणा की थी कि 'मार्क्सवादी' का किसी भी

प्रकार व, यहा तक कि सनाधिक "याग्य", "विशुद्ध", "परिशाधित तथा सम्य प्रकार व राष्ट्रवाद स समन्वय नर्हा किया जा सकता। "न स्पष्ट उक्तिों को यान में स्पष्ट हुए लेनिन द्वारा 'राष्ट्रा व ग्राम निरक्षय' के अधिकार का समान किये जाने में विरोधभास प्रतीत होता है। परन्तु इसका कारण तत्कालीन परिस्थितियों को यान में रजन से स्पष्ट हा जाता है। रूसी साम्राज्य व विघटन को रोकने का एकमात्र उपाय था, उसकी विभिन्न जातियां में रुसिया व प्रति विश्वास उत्पन्न करना। यह विश्वास तभी उत्पन्न हो सकता था जब समस्त रूसतर जातिया को रुसिया से पूर्णरूपण समानता, तथा सांस्कृतिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाय। सोवियत नेताग्रा ने न्सी उपाय का अवलम्बन किया। उन्होंने रूसी साम्राज्य की सभी राष्ट्रीयताग्रा को ग्राम निरक्षय का अधिकार प्रदान किया जिसम रुसियों से अपना पूर्ण सम्पन्न विच्छेद करने का अधिकार सम्मिलित था। सन् १९१८ व सविधान म रूसी गणराज्य का 'स्वतंत्र राष्ट्रा का स्वतंत्र संघ (A free Union of Free Nations) घोषित किया गया। सन् १९२४ तथा १९२६ व सविधानों में भी संघ व पच्छाजात स्वरूप (voluntary character) तथा विभिन्न गणराज्या तथा जातिया की समानता पर बहुत बल दिया गया है।^१

सोवियत नेताग्रा ग्रा विभिन्न जातिया व प्रति अपनाई गई इस नीति को अपूर्ण सफलता मिली। न्सी नीति का यह परिणाम है कि आज सोवियत संघ में अनेकों जातिया व लोग सम्मानपूर्वक जीवन यतात करते हैं तथा अपनी भाषा व संस्कृति का अनाधित विकास करने म समर्थ हो सके हैं। सोवियत संघ व नागरिका म एकता तथा भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करने तथा उसे नान्ये रजने एवं पारस्परिक सहयोग व आधार पर आर्थिक विकास व ग्रा देश का शक्ति का मुक्त बनाने में न्सी नीति का अत्यंत महत्वपूर्ण योग है।

The Constitution of 1924 declared the U S S R to be a voluntary association of peoples enjoying equal rights (See Part I). According to the Stalin Constitution the U S S R is a federal state formed on the basis of a voluntary union of equal Soviet Socialist Republics. See Art. 13.)

अवपूर्ण कारण देश का शीघ्रातिशय आर्थिक पुनर्निर्माण किए जाने तथा आम निभरता (Self sufficiency) का स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। महायुद्ध, गृह युद्ध, तथा प्रायः हस्तक्षेप ने परिणामस्वरूप सोवियत गणराज्य की अर्थ व्यवस्था अस्त-वस्त हो गई थी। आर्थिक पुनर्निर्माण की कोई महती योजना जनता के हार्थिक सहयोग के बिना पूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि विभिन्न क्षेत्रों और जातियों के लोगों को संघ प्रकार से आश्रय कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाय। इसका एकमात्र उपाय उच्च स्थानांतरण तथा सांस्कृतिक मामलों में अधिक अधिक स्वतंत्रता देना ही था। साथ ही पञ्जाबानी देशों का आर्थिक नाकाम्य के कारण यह भी आवश्यक था कि ऐसे अधिक से अधिक क्षेत्रों को सोवियत संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाय जो प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से संपन्न हों। यूक्रेन की लोहे और कोयले के खानों, तथा काकेशस के तेल-भण्डार के बिना सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति आज का स्थिति से भिन्न होती, यह निश्चय है। इन क्षेत्रों का सोवियत संघ में सम्मिलन उसके सही स्वरूप के कारण ही सम्भव हो सकेगा।

सोवियत संघके एकक

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (U S S R) में निम्नलिखित १६ पूर्ण एकक हैं —

- १ रूसी सोवियत संघाय समाजवादी गणराज्य (The Russian Soviet Federative Socialist Republic)
- २ यूक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (The Ukrainian S S R)
- ३ बेलारूसी " (The Byelorussian S S R)
- ४ उजबेक " " (The Uzbek S S R)
- ५ कजाक " " (The Kazak S S R)
- ६ जॉर्जिया " (The Georgian S S R)
- ७ अज़रबाइजान " " (The Azerbaijan S S R)
- ८ लिथुआनिया " " (The Lithuanian S S R)

६	मोल्दोविया	सोवियत समाजवादी गणराज्य	(The Moldavian S S R)
१	लेटविया	" "	(The Latvian S S R)
११	किर्गिज	" "	(The Kirghiz S S R)
१२	ताजिक	" "	(The Tadzhik S S R)
१३	तुर्की	" "	(The Turkmen S S R)
१४	अर्मेनी	" "	(The Armenian S S R)
१५	एस्तोनिया	" "	(The Estonian S S R)
१	करेनो फिनिश	" "	(The Karelo Finnish S S R)

उपरोक्त एकका को संविधान में संघ गणराज्य कहा गया है। प्रथम संविधान - निर्माण (१९२४) के समय सोवियत संघ में केवल चार एकक अर्थात् संघ गणराज्य थे। इनके नाम थे रूसी संघीय गणराज्य, गदालोह्सी गणराज्य, यूक्रेन गणराज्य, तथा ट्रांस काकेशस संघीय गणराज्य। सोवियत संघ का निर्माण के पश्चात् कुछ ही वर्षों में उसकी मध्य एशिया सीमा पर रूसी तान प्रशासक संघ गणराज्यों का पद दे दिया गया और उस प्रकार उजबेक, तुर्की, एज ताजिक संघ-गणराज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १९२६ के संविधान के निर्माण के समय सोवियत संघ में दो अन्य एशिया प्रदेश, कज़ाख तथा किर्गिज को संघ गणराज्यों का पद दे दिया गया तथा ट्रांसकारेशियन संघ का तान एकका में विभक्त कर दिया गया। इस प्रकार संघ-गणराज्यों की संख्या ग्यारह हो गई। द्वितीय महायुद्ध के काल में सोवियत संघ के राज्य क्षेत्र में एक वृद्धि के परिणामस्वरूप तीन नवान गणराज्यों का निर्माण हुआ, तथा दो स्वायत्तशासी-गणराज्यों को संघ-गणराज्यों का पद दे दिया गया। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप संघ गणराज्यों की संख्या सन् १९४५ में १६ हो गई।

संघ-गणराज्यों की सीमाओं में परिवर्तन—सोवियत संविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया गया है कि किसी संघ-गणराज्य के क्षेत्र में उसकी भौतिक कृषि के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत भारतीय संविधान में संघीय संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा किसी राज्य का नाम या क्षेत्र बदलने का अधिकार दिया गया है।

परन्तु हम यहाँ यह बात साँची चाहिए कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट गणराज्य का सन्तुलित प्रभाव के कारण यदि कभी पार्टी का उच्चतम नेताओं में सघ गणराज्यों के सन्तुलन में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की जाये तो ऐसा करने में कठिनाई न होगी। उदाहरणार्थ, सन् १९२६ में ट्रान्स्काउशियन सघ के तीनों गणराज्यों को बिना किसी कठिनाई के सघ गणराज्यों की धोखी में सम्मिलित कर लिया गया था।

सघ गणराज्यों का सोवियत सघ से अलग होने का अधिकार— सन् १९२४ के सविधान का भाग सन् १९३६ के सविधान में भी प्रत्येक सघ गणराज्य को अपनी इच्छानुसार सोवियत सघ से अलग होने का अधिकार दिया गया है।^१ किसी अन्य सघीय शासन वाले देश के सविधान में हम उसका समरूप उपग्रह नहीं मिलता। सोवियत ने सघ गणराज्यों के इस अधिकार को बहुत महत्व देते हैं और इसे सोवियत सघ के संवैधानिक स्वरूप (voluntary character) का प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। इस अधिकार का सामूहिक प्रयोग कहा तक समय है उस समय में लेखकों के विभिन्न मत हैं। अमेरिकी पश्चाय लेखकों का यही मत है कि इस अधिकार का प्रयोग किया जाना असंभव है। लेनिन ने लिखा है कि समाजवाद के हित साँची के ताम निष्पत्ति के अधिकार से अधिक उच्च हैं।^२ इस वाक्य से सोवियत नेताओं द्वारा प्रतिपादित 'ताम निष्पत्ति के अधिकार का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। विद्वानों का सामूहिक अनुभव भी यही सिद्ध करता है कि इस अधिकार का प्रयोग किया जाना असंभव ही है। सन् १९३७-३८ के "गुट्टीकरण" (pp ६९) में जिन राज्यों को कानिनिरोधी कार्यवाहियाँ के लिए दान्त किया गया था उनमें स आर्मेनिया के विरुद्ध सोवियत सघ को विरुद्ध करने के लिए कार्य करने का आरोप लगाया गया था। उन परिस्थितियों में अनेक यूरेन गणराज्यों, कानिनिरोधी तथा मध्य एशिया गणराज्यों के कम्युनिस्ट पार्टी संगठन के सम्बन्ध

The right freely to secede from the U S S R is reserved to every union Republic — Art 17 of the Soviet Constitution

^१ Lenin's quoted by Towle op cit p 61

ये। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट कर देता है कि सोवियत संघ स अलग होने का अधिकार प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं।

संघ गणराज्यों से निम्न श्रेणी के एकक—यद्यपि संघ-गणराज्य का ही सोवियत संघ का मुख्य एकक (constituent units) माना जाता है, परन्तु सोवियत संघ का केन्द्रीय विधान मन्त्रालय द्वितीय सत्र, जातिक सोवियत, में अन्य निम्न श्रेणी के एकक को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य जातिक सोवियत का ११ सत्र प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र ५ सदस्य, तथा प्रत्येक राज्य क्षेत्र १ सत्र प्रतिनिधित्व करता है। इन एककों की शक्तियाँ और पद समान नहीं हैं। स्वायत्तशासी गणराज्यों को अपना मन्त्रिपरिषद् रखने का अधिकार दिया गया है परन्तु उन्हें संघ-गणराज्य का समान सोवियत संघ से सम्बंध निरुद्ध करने का अधिकार नहीं दिया गया है। प्रत्येक व उस संघ-गणराज्य को जिसके क्षेत्र में व अग्रस्थित हैं, संरक्षणात्मक हाँ होते हैं क्योंकि उनकी मन्त्रिपरिषद् के निर्णय का संघ-गणराज्य की मन्त्रिपरिषद् निलम्बित कर सकती है। तथा संघ-गणराज्य का सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम उन्हें रद्द कर सकता है संघ-गणराज्य पर अपने क्षेत्र में प्रस्थित सभी स्वायत्तशासी गणराज्य का आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का भी उत्तरदायित्व हाँता है। स्वायत्तशासी गणराज्य का संघ-गणराज्य की मानि किर्चा निर्णय पर स्वतंत्र शक्ति भाँ प्राप्त नहीं है।

स्वायत्तशासी गणराज्य की श्रेणी स निम्नतर श्रेणियों में स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र आते हैं। इनकी शक्तियाँ स्वायत्तशासी गणराज्य में भी अधिक सीमित हैं और उन्हें अपना मन्त्रिपरिषद् रखने का अधिकार भाँ प्राप्त नहीं है। संघ-गणराज्य का मन्त्रिपरिषद् इनका मन्त्रिपरिषद् का विनिश्चय का रद्द कर सकती है।

स्वायत्तशासी गणराज्य, स्वायत्तशासी क्षेत्र और राष्ट्रीय क्षेत्र का विभाजन कम सदस्य वाला जातियाँ का स्वायत्तता प्रदान करने का नियम किया गया है। अनेक स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र का जनसंख्या तो कमल कुछ हजार हाँ है। अधिकांश स्वायत्तशासी गणराज्य तथा स्वायत्तशासी क्षेत्र रूसी गणराज्य

में ही हैं। रूसी गणराज्य में १२ स्वायत्तशासी गणराज्य, ६ स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा १ राष्ट्रीय क्षेत्र हैं। अत्यंत सघन गणराज्यों के स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों की संख्या इस प्रकार है। अजरबैजान गणराज्य—१ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा १ स्वायत्तशासी क्षेत्र जार्जिया गणराज्य—२ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा १ स्वायत्तशासी क्षेत्र उजबेक गणराज्य १ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा ताजिक गणराज्य—१ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा क्षेत्रों की संख्या में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। पिछले महायुद्ध के काल में पान स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा क्षेत्रों को देशद्रोहिता के झण्डों के लिये विघटित कर दिया गया था। रूसी गणराज्य के अतिरिक्त प्रत्येक किसी संघ गणराज्यों में राष्ट्रीय क्षेत्र नहीं हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों की पद्धति—स्तालिन सविधान के प्रारूप पर जिस समय सोवियत कांग्रेस में विचार किया जा रहा था उस समय एक संशोधन के द्वारा सविधान में यह उपबंध जोड़ देने का अनुरोध किया गया था कि उपयुक्त आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के तल पर पहुँचने के पश्चात् स्वायत्तशासी गणराज्यों को संघ गणराज्यों के रूप में परिणत किया जा सकता है। स्तालिन ने संशोधन के इस प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य को उपयुक्त आर्थिक और विकास के तल पर पहुँचने के पश्चात् स्वायत्तशासी गणराज्य बनाया जाना संभव नहीं है। स्तालिन ने किसी स्वायत्तशासी गणराज्य को संघ गणराज्य के रूप में परिणत किये जाने के लिये तीन शर्तों का आवश्यक बताया था।

१ स्वायत्तशासी गणराज्य को सोवियत संघ की सामाजिक पर स्थिति होना चाहिये अर्थात्, उसे सब ओर से सोवियत संघ के प्रदेशों से घिरा नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा न होगा तो संघ गणराज्य बनने के बाद वह गणराज्य सोवियत संघ से अलग होने के अधिकार को प्रयोग न कर सकेगा।

२ जिस जगह के नाम पर किसी सोवियत गणराज्य का उसका नाम दिया गया है उसे उस गणराज्य में सुगठित प्रजासत्तव्य होना चाहिए।

३ गणराज्य की जनसंख्या बहुत कम न होना चाहिये। कम से कम उसका जनसंख्या दस लाख अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह

सोचना गलत होगा कि कोई अन्य जनमर्यादा और अल्प सेना वाला गणराज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में अधिक समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा।^१

यन्हार में कई बार स्वायत्तशासी गणराज्यों का गणराज्य के रूप में परिणत किया गया है परंतु यह पदानात किंस विचार के आधार पर की गई यह धनाना कर्त्ति है।^२

संघ तथा एककों के बीच शक्ति वितरण

संघीय शासन तथा एककों (units) के बीच शक्ति वितरण संघीय संविधानों का एक विशिष्ट लक्षण है। यह वितरण सामान्यतः तीन प्रकार से किया जाता है। कुछ संविधानों में केवल संघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख है, तथा अशेष शक्तियाँ एकका को प्रदान की गई हैं। इसके विपरीत संघीय संविधानों में एककों की शक्तियाँ स्पष्ट की जा सकती हैं और शेष शक्तियाँ संघ को प्रदान की जा सकती हैं। तीसरी पद्धति के अनुसार संघ और एकका दोनों की शक्तियाँ संविधान में स्पष्ट रूप में निरूपण कर दिया जाता है तथा अशेष शक्तियाँ दोनों में बाँटी एक का प्रदान की जाती हैं। सोवियत संघ के संविधान में इनमें से प्रथम पद्धति का अनुसरण किया गया है। उच्चतम अल्प संघीय शासन की शक्तियाँ का उल्लेख है और शेष शक्तियाँ को संघ गणराज्य के लिए सुरक्षित रखा गया है।

संघीय शासन का शक्तियाँ—सोवियत संविधान के चौदहवें अनुच्छेद में संघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघीय शासन के क्षेत्राधिकार में निम्न विषय आते हैं—

(१) वैदेशिक सम्बन्धों में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करना, अन्य राज्यों से संधियाँ करना तथा उन्हें रद्द करना तथा संघ गणराज्यों के वैदेशिक राज्यों से सम्बन्धों को निश्चिन्त करने वाली सामान्य प्रक्रिया निर्मित करना।

^१ St lin *On the Draft Constitution* pp 2^c

^२ According to Florinsky 'the tiny Caucasian and Asiatic Republics were bought into existence by the whims of Moscow' See Florinsky *op. cit.* p 74

(२) युद्ध तथा शांति सम्बन्धी प्रश्न ।

(२) सोवियत सभ में नवान गणराज्य को सम्मिलित करना, सम्मिलित गणराज्यों का सीमाओं में परिवर्तनों की पुष्टि करना, तथा सभ गणराज्यों के अन्तर्गत नवान प्रदेशों द्वारा स्वायत्तशासी गणराज्यों एवं स्वायत्तशासी क्षेत्रों का निर्माण का पुष्टि करना ।

(४) सभ सविधान के कार्यपालन पर नियंत्रण रखना तथा सभ गणराज्यों के सविधानों की सहाय सविधानों से अनुकूलता का सुनिश्चित करना ।

(५) राज्य एकधिकार (State monopoly) के आधार पर वैदेशिक व्यापार का संचालन करना ।

(६) राज्य का सुरक्षा का सुनिश्चित करना सामंन्त सभ की प्रतिरक्षा का संगठन करना, सभ सायुध सैनिकों का निर्देशन करना तथा सभ गणराज्यों के सैनिक सभों के सम्बन्ध में निर्देशक सिद्धान्तों को निश्चित करना ।

(७) सोवियत सभ की राष्ट्रीय प्राथिक योजनाओं का निर्माण करना । सभ के सचित आन्वयिक तथा उच्च कार्यकरण का आख्या का अनुमान करना तथा सभ-गणराज्यों और स्थानीय कार्य में करें और सत्त्व की आ का वितरित करना ।

(८) मुद्रा तथा ऋण-व्यवस्था का निर्देशन करना । ऋण लेना तथा देना ।

(९) राष्ट्रीय आर्थिक आकांक्षा का समन्वय-व्यवस्था का संगठन करना ।

(१०) बैंकों श्रौचालिक तथा कृषि संस्थाओं एवं प्रखिल सहाय महत्व के आन्वयिक व्ययसार्थी के प्रशासन का अधीक्षण करना ।

(११) यातायात तथा परिवहन के प्रशासन का अधीक्षण करना ।

(१२) न्याय व्यवस्था तथा न्यायिक प्रक्रिया एवं व्यवहार और दंड संहिताओं के सम्बन्ध में विधि निर्माण ।

(१३) सभ नागरिकता तथा विदेशियों के अधिकारों के सम्बन्ध में विधि निर्माण ।

(१४) अखिल-संघीय चुनाव (macsty) का धारणाई जारी करना ।

(११) निम्नलिखित विषया क मंत्र म मौलिक सिद्धान्त निधारित करना
भूमि व्यवस्था (land tenure) अनिज सपत्ति वना तथा जल का
उपयोग शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य म सघनी विधिया बिनाह तथा
परिवार सघना विधिया ।

इन शक्तिया पर एक दृष्टि डालने स ही हम इस परिणाम पर पहुँचत
हैं कि सोनियत सघ म सघीय शासन का क्षेत्राधिकार अत्यत विस्तृत रना
गना हे । अथ सघ राया म जो विषय सामान्यत एक्का क क्षेत्राधिकार में
हात है उन म सघ म सोनियत सघ म मौलिक सिद्धात निर्धारित करने का
अधिनार सघीय शासन को दिया गया हे । यह अधिकार इतना विस्तृत तथा
अस्पष्ट है कि सघीय शासन मौलिक सिद्धान्त निधारित करने की ग्राह म
इनक सघ म मनचाही व्यवस्था कर सकता हे । इस प्रकार देश के आर्थिक
और सामाजिक जीवन का प्राय प्रत्येक पक्ष सघीय शासन की विधि निर्माण
क्षमता क अन्तगत आ जाता हे । इसी कारण फ्रान्सिस्की ने सघीय शासन
की शक्तिया को असामान्य रूप से 'यापक, विस्तृत तथा अस्पष्ट बताना हे ।'^१

केंद्राकरण की प्रवृत्ति—यहा यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि
स्तालिन संविधान सोवियत नेताओं के चरम उद्देश्य, सत्ता क अधिकारधिक
केंद्राकरण, की आर उठाया गया एक महत्पूर्ण पग था । ऐसी अनेक शक्तिया
जो सन् १९२४ के संविधान म सघ गणराया के क्षेत्राधिकार म थीं इसके
द्वारा सघीय शासन के क्षेत्र म स्थानांतरित कर दी गई । सन् १९२४ के
संविधान म सघीय शासन को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था क सघ म केवल एक
सामान्य योजना तथा आगर निश्चित करने का ही अधिकार था । उसी प्रकार
न्याय व्यवस्था तथा सघीय नागरकता के सघ म उसे मूल सिद्धान्त निश्चित
करन का ही अधिकार था । परंतु नव संविधान म इन सब विषया पर विधि
निमाण की पृथ शक्तिया सघीय शासन को दे दी गई हैं । सन् १९२४ क
संविधान म सघीय शासन का केवल 'सघ गणराया का सीमाओं म परिवर्तन
से संबंधित प्रश्ना पर समाधान (adjustment) करने का हा अधिकार
दिया गया था, परंतु स्तालिन संविधान म उस सघ गणराया की सीमाओं

में परिवर्तन व प्रश्नों पर निषेधाधिकार (veto) दे दिया गया है। वही प्रकार वंदेशक चापार और आन्वन्तरिक और बाह्य ऋणों व सम्बन्ध में सभ गणराया का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। जहाँ पिछले सविधान में सघीय शासन को नेत्रल वंशिक चापार का निर्देशन करने का अधिकार था तथा सभ गणराया को सघीय शासन की आशय आंतरिक तथा वैश्विक ऋण लेने की शक्ति प्राप्त थी, जहाँ अब यह निषेध सघीय शासन व अन्य क्षेत्राधिकार (exclusive jurisdiction) में हैं। इस प्रकार हम ज्ञा परिणाम पर पहुँचते हैं कि स्तालिन सविधान के निर्माताओं की सामान्य प्रवृत्ति सत्ता व केन्द्रीकरण की ओर ही थी।

सन् १९४४ क सशोधना का सघीय शासन का शक्तियाँ पर प्रभाव— प्रथम फरवरी, १९४४ को सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम ने दो आणसिया जारी कीं जिनके द्वारा सभ गणरायों को दो अलग मह ऋण अधिकार प्रदान किए गए। ये प्रविहार निम्नलिखित हैं—

१. विदेशी रायाँ व प्रयत्न सम्बन्ध स्थापित करने, तथा प्रवराणीय कतारों (Agreement) में भाग लेने का अधिकार एवं
२. अपनी वृत्त सभों रखने का अधिकार।

यह अधिकार वतन मह ऋण हैं कि इन्होंने सोवियत सभ को सभ गण के स्थान पर एक संयुक्तमंडल—(Confederation) का रूप दे दिया। परंतु इन अधिकारों पर जो प्रतिबंध लग हैं उनका कारण वनका सारा मह व समाप्त हो जाता है। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है सघीय शासन को इन विषयों के सम्बन्ध में क्रमशः 'सामान्य प्रक्रिया तथा 'निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। वरुण परिणामस्वरूप सभ और एकका व वाल्त्रिक सम्बन्ध में कोई उल्लेखनाय परिवर्तन नहीं हुआ। अधिकांश लेखकों का यही मत है कि सन् १९४४ क ये सशोधन सभ रायाँ को अधिक स्वायत्तता दिय जाने व लिए नहीं, वरन् प्रन्तराष्ट्रीय परिस्थितियाँ व कारण किये गये थे। वनका एकमात्र प्रावहारिक परिणाम यही हुआ कि सोवियत सभ क दो सभ गणरायाँ (जहाँ रूस तथा यूक्रेन) को संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता प्राप्त हो गई और वस प्रकार उस सभा में सोवियत सभ का अपने दो समथक प्राप्त हो गया। सोवियत

संघ में कम्यूनिस्ट पार्टी के सर्व-यापी प्रभाव के कारण, तथा अब तक के अनुभव के आधार पर, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन दोनों संघ-गणराज्यों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोवियत संघ के प्रतिनिधि का ही अनुकरण करगे। न तो अब तक किसी संघ गणराज्य ने अपने पृथक मैन्यु सङ्गठन का ही निर्माण किया है और न किसी वैदेशिक राज्य से प्रयत्न सम्बन्ध ही स्थापित किया है। इस कारण इन संशोधनों को हम कन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का विरोधी नहीं मान सकते।

जुलाई, १९४४ में प्रेसीडियम द्वारा जारी का गई एक अथवा आशक्ति से निश्चित रूप से सघीय शासन की शक्ति में वृद्धि हुई। इस आशक्ति के द्वारा सघीय शासन का विवाह तथा परिवार सम्बन्धी विधियाँ के समग्र में मौलिक सिद्धान्त निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। सोवियत शासन के प्रारम्भिक काल से सन् १९४४ तक पारिवारिक सम्बन्धों पर विधियाँ बनाने का अधिकार संघ गणराज्यों को प्राप्त था। उपरोक्त आशक्ति ने इसे एक समग्रता (Concurrence) विषय बना कर सघीय शासन के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की। यह वृत्ति सोवियत संघ में सत्ता के कन्द्रीकरण की प्रवृत्ति की परिचायक है।

केंद्र का शक्तिशाली बनाने वाले कुछ अन्य तत्व—सोवियत संघ में केंद्र शासन केवल इसी कारण शक्तिशाली नहीं है, कि संविधान में उसे अत्यन्त विलुप्त शक्तियाँ दी गई हैं। इसके अन्य अनेक कारण भी हैं। सोवियत संघ के समस्त एक-समान नहीं हैं। उनमें जनसंख्या तथा भूक्षेत्र की दृष्टि से महान् अंतर हैं। अन्तर्ले रूसी गणराज्य का क्षेत्रफल सोवियत संघ के क्षेत्रफल का लगभग तीन चौथाई भाग है, तथा उसकी जनसंख्या सोवियत संघ की सम्पूर्ण जनसंख्या के आधे से अधिक है। ऐसी स्थिति में केंद्र में उसका प्राधान्य होना स्वाभाविक ही है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि यद्यपि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के द्वितीय सदन में समस्त संघ गणराज्यों का समान प्रतिनिधि भवने का अधिकार दिया गया है परन्तु उसमें भी रूसी गणराज्य के प्रतिनिधि का गहलन रहता है। इसका कारण यह है कि रूसी गणराज्य में अनेक स्वतन्त्रशासी गणराज्य स्थापितशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, जिन्हें

जातिक सोवियत में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस कारण रूसी गणराज्य के क द्वारा अन्य सभी गणराज्यों पर प्रबल प्रभाव रखता है।

सोवियत संघ में वस्तु के साल हाने का एक प्रमुख कारण उसने संविधान के संशोधन तथा निवाचन की पद्धति है। संघीय राज्यों का संविधान संघ तथा एकजोड़ में एक प्रकार का संविधान (Contract) होता है जिसे दोनों पक्षों की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है, तथा दोनों पक्षों में से कोई पक्ष उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। सोवियत संघ के संविधान के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। वहाँ संविधान में संशोधन करने के लिए एकका की सहमति का आवश्यकता नहीं है बल्कि केंद्रीय सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदस्य दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। सांविधानिक संशोधन के द्वारा संघीय शासन के क्षेत्राधिकार में चाहे कितनी वृद्धि की जा सकती है। इसलिए एकको को भी शक्ति प्राप्त है वह सर्वोच्च सोवियत के द्वारा संघ को दी जा सकती है। यद्यपि यह सिद्ध हुआ है कि सांविधानिक संशोधन के लिए सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदस्यों की भागीदारी आवश्यक नहीं है। प्रेसोनियम की शक्ति से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऐसी शक्तियों पर सर्वोच्च सोवियत की स्वायत्ति का बल औपचारिक होता है। इसी प्रकार संविधान का निवचन (Interpretation) करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में यदि केंद्र पर सर्वोच्च सोवियत अपना शक्ति का सीना लाकर कोई ऐसा अधिनियम पारित करता है जो संघ गणराज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सोवियत संघ में उस प्रबंध को लागू करने का सामर्थ्य रखने वाली को संघीयता नहीं है। इस प्रकार संविधान में संशोधन करने का प्रक्रिया तथा उसका निवचन करने की पद्धति यह दोनों ही संघीयता के केंद्राकरण में सहायक हैं।

सोवियत संघ में संघीय शासन का शक्तिशाली बनाने में उन सांविधानिक उपबंधों का महत्वपूर्ण योग है जिनके अनुसार केंद्रीय सर्वोच्च सोवियत का प्रेसोनियम संघ गणराज्यों की मंत्रिपरिषदों के विनिश्चयों को विधिसंगत न

ज्ञान पर टा कर सकता है, तथा सोवियत सङ्घ की मन्त्रि परिषद उनके विनिश्चयों का निलम्बित कर सकता है।^१ सङ्घाय शासन यन्त्रस्था में यह आवश्यक होता है कि किसी प्राधिकारी (Authority) का वह शक्ति प्राप्त हो कि वह विभिन्न एकाओं तथा सङ्घ के उच्च संयुक्तन का भंग न होने दे परन्तु सङ्घीय कार्य-पालिका को हा यह अधिकार दे देने से एकाओं की स्वायत्तता सुरक्षित नहीं रह सकती। यहा यह उल्लेखनीय है कि एकाओं की मात्र परिषद में कन्द्रीय मन्त्रि-परिषद के अनेक प्रतिनिधि रहते हैं जो सांविधानिक दृष्टि से तो सम्भवतः परामर्शदाता मात्र ही होते हैं, परन्तु व्यवहार में सङ्घ-गणराज्य के शासनों पर प्यान नियंत्रण रखते हैं। कन्द्रीकरण इस यन्त्रस्था का स्वाभाविक परिणाम है।

सङ्घीय शासन का शक्तिशाली बनाने में एक अन्य प्राधिकारी तथा उसके विभाग का भी पर्याप्त योग है। यह प्राधिकारी सोवियत सङ्घ का महान्यायवादी (Prosecutor General) है। सोवियत सङ्घ के सभी भागों में उसके विभाग के प्राधिकार तथा कर्मचारी रहते हैं जो स्थानीय तथा सङ्घ-गणराज्यिक अधिकारियों के प्रभाव से सवथा मुक्त हात हैं। वे सब केवल सोवियत संघ के महान्यायवादी के प्रति उत्तरदायी हात हैं जो सर्वोच्च सोवियत के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यह तथ्य ध्यान में रखत हुए कि न्यायवादीयों (Prosecutors) की स्वायत्तता से किछा सोवियत नागरिक को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चन काल के लिए बन्दी बनाया जा सकता है, इस विभाग के कर्मचारियों का महत्त्व बहुत ही जाता है।

सोवियत संघ में सङ्घीय शासन का शक्तिशाली बनाने वाला अन्तिम महत्त्वपूर्ण तत्व कम्युनिस्ट पार्टी का स्वामी प्रभाव है। सोवियत शासन के सभी महत्त्वपूर्ण नीतियां कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च नेताओं अथवा उसके प्रेसीडियम के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न शासनमणों का कार्य तो इन नानियों को कार्यान्वित करना तथा औपचारिक रूप देना ही हाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च नेता सामान्यतः सोवियत शासन में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं इस कारण कन्द्रीय शासन का अधिक शक्तिशाली होना स्वाभाविक ही है।

^१ Articles 41 f and 61

सघीय शासन तथा एककों के बीच वास्तविक सन्ध—सांविधानिक विधि कुछ भी क्यों न हो, सोवियत सङ्घवात् की यथार्थ प्रकृति समझने के लिए हमें सङ्घ तथा एककों के बीच वास्तविक सम्बन्धों पर विचार करना होगा। ऊपर हम सङ्घ तथा एककों के राजनीतिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाल चुके हैं। इस विवचना से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि सोवियत संविधान में समस्त सङ्घ गणराज्यों की समानता तथा “संप्रभुता की प्रत्याभूति की गई है, परन्तु सोवियत सङ्घ में ऐसे अनेक तत्व विद्यमान हैं जिनके कारण सभी महत्वपूर्ण विषयों पर वह केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य है। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का आधार योजनामय आर्थिक नीति होती है। सोवियत सभ में एककों के आय व्ययकों तथा उनकी योजनाओं में एकसूत्रता स्थापित करने का कार्य सघीय शासन द्वारा सम्पादित किया जाता है। अपने इसी अधिकार के अन्तर्गत सघीय शासन एककों की अर्थ नीति का निर्देशन करता है।^१ राष्ट्रीय योजना में एककों के विकास की ओर ध्यान न दिया जाता हो, ऐसी बात नहीं है। सोवियत सभ का मध्य एशियाई भाग द्वारा की गई प्रगति उसका प्रमाण है। परन्तु आर्थिक आयोजन में सम्पूर्ण सोवियत सभ के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष के विकास पर नहीं। इस दृष्टिकोण का फलस्वरूप एक क्षेत्र के साधनों का दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। बरन् सभ में सोवियत सभ की अर्थ-व्यवस्था अपनी ही एकीकृत है जितनी किसी एकीय राज्य की।

सोवियत नेता प्रायः सोवियत सभ के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक स्वायत्तता पर बहुत अधिक जोर देते हैं। बरन् सभ में भी सोवियत सभ की विभिन्न जातियों तथा उसके विभिन्न क्षेत्रों को अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने तथा उसका विकास करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। परन्तु यह स्वतंत्रता भी असांमित नहीं है। सोवियत नेताओं का अंतिम उद्देश्य समस्त जातीय संस्कृतियों का एक समान संस्कृति में सम्मिलन है।^२ सोवियत शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य

^१ देखिए अनुच्छेद ११।

^२ “The national culture must be permitted to develop”

ऐसी समान सङ्कृति का निर्माण करना भी है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा के सम्बन्ध में "सामान्य सिद्धान्त" निष्पन्न करना राष्ट्रीय शासन का एक कृत्य है। यह तब कि जहाँ सोवियत शासन के प्रारम्भिक काल में सोवियत सघ की राष्ट्रीय अनेकता (national diversity) पर विशेष बल दिया जाता था वहाँ अब उसकी राष्ट्रीय एकता पर अधिक बल दिया जाता है, स्वयं यह नहीं है।^१

सोवियत सघ की कुछ अन्य सघों का तुलना—सोवियत सघ के प्रतिरिक्त सघों की यवस्था वाले अन्य प्रमुख देश सयुक्त राज्य अमेरिका, आंग्लिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और भारत हैं। सन्धे में हम यहाँ सोवियत सघों की यवस्था की इन सघों की राष्ट्रीय यवस्था से तुलना करेंगे।

राष्ट्रीय यवस्था का एक प्रमुख लक्षण होता है सविधान की सवप्रधानता तथा उसकी अनन्यता। उपरोक्त सभी देशों के सविधान लिखित तथा अनन्य हैं, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा और प्रसंगता समान नहीं है। जहाँ सयुक्त राज्य अमेरिका और आंग्लिया के सविधानों में सशोधन करने की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल निद्व है, वहाँ स्विट्जरलैंड, भारत और सोवियत सघ में सविधान में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन किए गए हैं। सोवियत सघ के सविधान में सशोधन करने की प्रक्रिया इन सभी देशों के सविधानों से सरल है। जैसा हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, केवल राष्ट्रीय शासन का ही एक अंग, सर्वोच्च सोवियत, एकको का मत जाने बिना ही उसे सशोधित कर सकता है। ऐसी यवस्था उपयुक्त देशों में से अन्य किसी के सविधान में नहीं है। यह तब इस निष्कर्ष

and to reveal all their potential qualities in order to create the conditions necessary for their fusion into a single common culture with a single, common language'—Stalin's speech at the Sixteenth Party Congress

^१ A few years ago the current expression met in Soviet writings was the interests of the peoples (plural) of the Soviet Union. In the last years the term the Soviet People (singular) has come to be used.—Harper & Thompson op cit p 56

की ओर सन्नत करना है कि सोवियत संघ की व्यवस्था इन अन्य सभी देशों की व्यवस्था की तुलना में अधिक उन्नत है।

प्रायः सभी सघीय साम्रधाना में केन्द्रीय विधान मण्डल द्विसदनात्मक रखा जाता है। इसका कारण यह है कि विधान मण्डल के द्वितीय सदन के द्वारा सघीय शासन में संघ में सम्मिलित होने वाले एककों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। परन्तु रचना और शक्तियों की दृष्टि से उपयुक्त संघ सघीय राज्यों के विधानमण्डलों के द्वितीय सदन समान नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सघीय विधान मण्डलों में समस्त एककों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और कनाडा और भारत में असमान। सोवियत संघ के संविधान में जातिक सोवियत में समस्त संघ-गणराज्यों को समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है परन्तु संघ गणराज्यों से निम्नतम स्तर की एककों को भी जातिक भावयुक्त में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह एक विशिष्ट लक्षण है। शक्तियों की दृष्टि से सोवियत संघ की जातिक सोवियत स्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन में है।

संघीय व्यवस्था का एक अन्य प्रमुख लक्षण शक्ति वितरण है। विभिन्न सघीय राज्यों में संघ और एककों के बीच शक्ति वितरण भिन्न सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है। जहाँ कनाडा तथा भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को दी गई हैं, वहाँ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ एककों को प्राप्त हैं। सोवियत संघ में एककों को कुछ ऐसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य संघ राज्यों के एककों का प्राप्त नहीं हैं उदाहरणार्थ संघ से प्रलग होने का अधिकार, पृथक सैन्य संगठन रखने का अधिकार तथा विदेशों से प्रत्यक्ष सम्बंध स्थापित करने का अधिकार आदि। परन्तु यह आश्चर्य है, कहा तक व्यवहृत किए जा सकते हैं, यह कहना कठिन है। इस जितनी शक्तियाँ सोवियत संघ के केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं उतनी अन्य किसी संघ-राज्य में केन्द्र को प्राप्त नहीं हैं। भारत का केन्द्रीय सरकार को संघ राज्यों में समाधिक शक्तिमान केन्द्रीय शासन में गिना जाता है परन्तु सोवियत संघ की केन्द्रिय सरकार को उससे भी अधिक शक्ति प्राप्त है।

सघीय यवस्था का अन्तिम प्रमुख लक्षण न्यायिक प्रधानता (Judicial Supremacy) को माना जाता है। भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि सघीय देशों में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ तो इतनी अधिक हैं कि उसे 'कांग्रेस का तृतीय सदन' तथा 'संविधान का सतुलन चक्र' कहा जाता है। सोवियत संविधान में न्यायिक प्रधानता का सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ विधान मण्डल ही शासन का सर्वप्रधान अंग है। 'स्विट्जरलैंड' के संविधान में भी न्यायिक प्रधानता के सिद्धान्त को अंगीकृत नहीं किया गया है, परन्तु वहाँ विधान मण्डल को संविधान का निराकर न करने देने के लिए एक अन्य यवस्था की गई है। यहाँ मतदाता विधान मण्डल द्वारा पारित किसी भी विधयक पर लोक निर्णय (Referendum) की माग कर सकते हैं तथा लोक निर्णय में उसे रद्द कर सकते हैं। सोवियत संविधान में ऐसी कोई यवस्था नहीं है।

आधुनिक काल में सभी सघ रायों की प्रवृत्ति सत्ता के केन्द्रीकरण की ओर रही है परन्तु सोवियत सघ की शासन यवस्था में यह प्रवृत्ति अन्य सघ रायों से अधिक है। इसका कारण जानना कठिन नहीं है। सोवियत संविधान का निर्माता ने सघवाद का एक अस्थायी एवं अन्तकालीन युक्ति के रूप में अंगीकृत किया था, मूल सिद्धान्त के रूप में नहीं। इस सम्बन्ध में सोवियत सघ के कणधारों के विचारों में अभी भी काँ परितन नहीं हुआ है। केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति उनका इन्हीं विचारों की द्योतक है। सोवियत संविधान में सघीय यवस्था के अपनाए जाने पर भी अनेक ऐसे उपबन्ध मिलते हैं जो इस निष्कर्ष की आर सक्त करते हैं कि सोवियत सघ एक सघनाय न हाकर एक रायमण्डल (Confederation) है परन्तु यवहार में वह सनाधिक केन्द्रीकृत रायों में है।

अध्याय ७

सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत

सोवियत संघ के संविधान के अनुसार सोवियत सभ का राज्य शक्ति का उच्चतम अंग सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत (Supreme Soviet) है।^१ सोवियत सभ का शासन — अन्य अंग इसके प्रति उत्तरदायी हैं। अनुच्छेद ३२ के अनुसार सोवियत सभ की विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग अनन्य रूप से सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही किया जाता है। सभ शासन के क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर विधियाँ बनाने का अधिकार इसमें प्राप्त है।

संविधान की विशेषताओं पर विचार करने समय यह उल्लेख किया जा चुका है कि सोवियत सभ के सहाय विधानमण्डल, त्रयात् सर्वोच्च सोवियत, के दो सदन हैं। इनमें से एक सदन का नाम सभ सोवियत (Soviet of the Union), और दूसरे का जातिक सोवियत (Soviet of the Nationalities) है। सभ सोवियत के सदस्यों का निर्वाचन सोवियत सभ के समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। इसके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जातिक सोवियत के सदस्यों का निर्वाचन भी सोवियत सभ के समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है परन्तु इसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता। संविधान में यह निश्चित कर दिया गया है कि प्रत्येक सभ गणराज्य (Union Republic) स्वायत्तशासी गणराज्य (Autonomous Republic) स्वायत्तशासी प्रांत (Autonomous Province) तथा राष्ट्रीय क्षेत्र (National Region) कितने सदस्य निर्वाचित करेंगे। इसी व्यवस्था के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं।

^१ The highest organ of state power in the U.S.S.R. is the Supreme Soviet of the U.S.S.R. — *Constitution of the U.S.S.R.* Art 30

द्विमन्त्रणात्मक विधानमण्डल ही क्या ?—यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि जब सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का निर्वाचन समस्त नागरिकों द्वारा एक ही साथ तथा एक ही अवधि के लिए किया जाता है तो विधानमण्डल को द्विसदनात्मक बनाने की ही क्या आवश्यकता थी। जब दोनों सदन के संस्थापक सदस्य ही नागरिकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या एक सदन ही पर्याप्त न होता ? इस प्रश्न का उत्तर में सोवियत नेतागण सोवियत संघ के संविधान के अन्तर्गत स्वयं स्थापित की जाति के प्रतिनिधित्व देने के लिए द्विसदनात्मक विधानमण्डल का आवश्यकता पर बल देते हैं। संविधान निर्माण के समय स्वयं स्थापित की जाति के प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव के प्रस्ताव का विरोध किया था।^१ रूसी लेखक कार्पिन्सकी ने द्वितीय सदन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है “सोवियत संघ के नागरिकों के मुख्य हितों का हमारे राज्य की सर्वोच्च सभ में प्रतिनिधित्व सभ सोवियत के संस्थापकों के द्वारा किया जाता है। परन्तु इसका अतिरिक्त सोवियत संघ में निर्वाचन करने वाली विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों के अपने विशेष हितों का कि प्रत्येक जाति के लोगों की विशिष्ट राष्ट्रीय विशेषताओं तथा भाषा जीवन तथा संस्कृति की विशिष्टताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न जातियों के इन विशेष हितों का हमारे राज्य का सर्वोच्च सभ में प्रतिनिधित्व सभ सोवियत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।”^२

अधिकतर सहाय शासन वाले देशों में द्वितीय सदन का निर्माण सभ में सम्मिलित होने वाले एककों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है। उम गिनती में समस्त एककों को द्विसदनात्मक सभ में प्रतिनिधित्व देने का अधिकार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्विट्जरलैंड आस्ट्रेलिया

^१ देविण्ड स्थापित की जाति के प्रतिनिधित्व सभ के समस्त २५ नवम्बर १९३६ को किया गया मासिक।

^२ V. Karpinsky *The Social and State Structure of the U.S.S.R.* p 114

आदि में द्वितीय चर्चा का सगठन इसी आधार पर किया जाता है। परन्तु सोवियत सभ में ऐसा नहीं है। यहाँ न केवल सभ में सम्मिलित एककों को ही बल्कि उनका अन्तर्गत स्थित विभिन्न स्वायत्तशासी गणराज्यों, स्वायत्तशासी प्रान्तों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों का भी जातिक सोवियत के सभस्य चुनने का अधिकार दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत सभ में विधान मण्डल को द्विसदनात्मक बनाने का उद्देश्य न तो इंग्लैंड के लार्ड्स सरीखे किसी बग विशेष को प्रतिनिधित्व देना था और न सभ में सम्मिलित होने वाले एककों को। सैद्धान्तिक दृष्टि से इसका उद्देश्य निश्चित रूप से सोवियत सभ की विभिन्न जातियों को केन्द्रीय विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व देना था। कार्पिन्सका के मतानुसार जातिक सोवियत राष्ट्रीय गणराज्या, प्रदेशों तथा क्षेत्रों की आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देती है। यह सोवियत सभ की सर्वोच्च सस्था में स्वतंत्र सोवियत जातियाँ न लागों के विशेष हितों का पालन निधित्व करती है। स्टालिन विशेष रूप से ऐसी सस्था का निर्माण के लिए प्रयत्नशील था और सन् १९२३ के अपने एक भाषण में भी उसने ऐसी सस्था के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया था।

सर्वोच्च सोवियत की रचना

सभ सोवियत तथा जातिक सोवियत सेना सोवियत सभ के नागरिका तथा निर्वाचित की जाती हैं। १८ वर्ष या उस से अधिक आयु का समस्त नागरिकों को सभ सोवियत तथा जातिक सोवियत दोनों का निर्वाचनों में भाग लेने का अधिकार है। इस नियम का दो ही अपवाद हैं प्रथम, विभिन्न व्यक्ति तथा द्वितीय ऐसे अपराधों के लिये दण्डित व्यक्ति जिनका दण्ड में मताधिकार का बन्धन किये जाने का विधान है निर्वाचनों में भाग नहीं ले सकते। सभ सोवियत (Soviet of the Union) के निर्वाचना के लिए २, जनसंख्या के लिये एक सभस्य (deputy) के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाते हैं। जातिक सोवियत का निर्वाचन सभ-गणराज्यों, स्वायत्तशासी गणराज्यों, स्वायत्तशासी

प्रान्तों और राष्ट्रीय न्त्रा ने अनुसार होता है । प्रत्येक सघ गणराय को २५, प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराय का ११, प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रान्त को ५ और प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र का १ सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार होता है । उस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप "जातियों की सोवियत में १, , जनसंख्या का रूसी गणतंत्र भी उतने ही (२५) प्रतिनिधि भनता है जितने ३, , निर्वाचन वाली आरमीनिया या लिथुएनिया जिसकी जनसंख्या २, , अन्तर्गत है ।" १ यहा यह उल्लेखनीय है कि सघ सोवियत के सदस्यों का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर होने के कारण रूसी गणतंत्र को उसने लगभग आधे स्थान प्राप्त हैं ।

सोवियत सघ का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु २३ वर्ष या उससे अधिक है सर्वोच्च सानियत का सदस्य निर्वाचित हो सकता है । नागरिकों में जाति, राजतता, लिंग, धर्म, शिक्षा, अधिवास, सामाजिक श्रेणी, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा या पूर्व कार्यवाहियों के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता ।

सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का निर्वाचन सर्व-व्यापक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है । सन् १९२३ के संविधान की व्यवस्था में स्तालिन संविधान द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है । सन् १९३७ के पूर्व सोवियत सघ में केवल ग्राम और नगर सानियतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था शेष सभी सोवियतों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता था । निम्न सानियतें उच्च सोवियतों के सदस्य निर्वाचित करती थीं । मताधिकार पर अनेक प्रतिबंध थे । दूसरों के धर्म से लाभ उठाने वाला, निजी व्यापारियों, धर्माधिकारियों, जारशाही के अधीन पुलिस अधिकारियों तथा जार परिवार के व्यक्तिग्रा व्यक्ति को मताधिकार में बन्धित रखा गया था । मतदान गुप्त रीति से न हो कर प्रकट रीति से हाथ उठा कर किया जाता था । साथ ही निर्वाचन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (territorial representation) के स्थान पर जनसांख्यिक प्रतिनिधित्व (Occupational representation) के आधार पर होता था । सन् १९४६ के संविधान के प्रवर्तित होने के पश्चात् सन् १९३७ में सानियतों के निर्वाचन सर्व-व्यापक, समान और प्रत्यक्ष मताधि

कारक आधार पर गुप्त रीति से हुए। अब, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अबल विधिमां ग्रौर विशिष्ट अपराधियों को छोड कर सभ नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। रित्रों को पुरुषों र समान ही निर्वाचित करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है। सोवियत सभ की सेना म सवा करे वाले नागरिकों का भी अन्य नागरिकों क समान ही निर्वाचित करने निर्वाचित होने का अधिकार है। ग्राम और नगर सोवियता स लेकर सविधान सोवियत तक क सम्य नागरिकां द्वारा प्रयत्न रीति से निर्वाचित किये जात-स्ती

सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन—१२ सितम्बर, १९२७ को नू सविधान क अनुसार प्रथम बार सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुआ। सविधान क द्वारा सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल ४ वर्ष निश्चित किया गया हे उस कारण अगला निर्वाचन १९४१ में होना चाहिए था। परन्तु सन् १९४१ क अगस्त माह में नाजी आक्रमण मे उत्पन्न परिस्थिति क कारण निर्वाचन न हो सका। युद्ध की समाप्ति क पश्चात् सन् १९४६ म सर्वोच्च सोवियत क दाना सटना क निर्वाचन कराए गए। तब से निरन्तर चार वर्ष का अवधि क पश्चात् सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हाना हे। वर्तमान सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन फरवरी १९५४ में हुआ था।

सभ सोवियत तथा जातिक सोवियत क निर्वाचन क लिए सोवियत सभ क राज्यक्षेत्र को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सभ सोवियत क निर्वाचन क लिए प्रति तान लाख निवासियों का एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। उस प्रकार सोवियत सभ में उतने निर्वाचन क्षेत्र हैं जितने वहा की पूर्ण जनसख्या की तीन लाख से भाग देने स प्राप्त हाते हैं। जातिक सोवियत के निर्वाचन के लिए प्रत्येक सभ गणराज्य को पचीस निर्वाचन क्षेत्रों म, प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य को ग्यारह क्षेत्रों में तथा स्वायत्तशासी प्रान्त को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्रीय सभ का जातिक सोवियत क निर्वाचन क हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। सन् १९२४ क सर्वोच्च सोवियत क निर्वाचन के लिए कुल १३३१ निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें से ७ सभ सोवियत क निर्वाचन क लिए थे और ६३१ जातिक सोवियत

के निवाचन के लिए। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सभी निवाचन क्षेत्र एक-सदस्यीय होते हैं, अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य निर्वाचित करता है। सोवियत सघ के राज्य क्षेत्र के बाहर स्थल या जलसेना में सेवा करने वाले सोवियत नागरिकों के लिए विशेष निवाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के निवाचनों का संचालन करने के लिए एक केंद्रीय निवाचन आयोग (Central Election Commission) तथा उसके प्रधान अनेक अन्य आयोग नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय आयोग की नियुक्ति सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम (Presidium) के द्वारा निवाचन की तिथि से कम से कम पचास दिन पूर्व की जाती है। यह निवाचन कराने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करता है, इस बात की देखभाल करता है कि निवाचन सम्बन्धी विधियाँ का पण्यरूपण पालन किया जाता है, और निवाचन आयोगों के द्वारा अनियमितताओं का शिकायतों पर विचार करता है तथा उन पर अन्तिम निष्पत्ति देता है।

सर्वोच्च सोवियत के निवाचन का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग प्रयाशिया का नामांकन (nomination) है। संविधान के अनुच्छेद १४१ के अनुसार प्रयाशिया को नामांकित करने का अधिकार सार्वजनिक संगठनों तथा समाजिक संगठनों—कम्यूनिस्ट पार्टी संगठन, श्रमिक संगठन, सरकारी संस्थाएँ, युवक संगठन तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ—का प्राप्त है।^१ निवाचन सम्बन्धी विधियों में कुछ और ऐसा संस्थाओं के नाम जोड़ दिए गए हैं जिन्हें प्रयाशिया का नामांकित करने का अधिकार प्राप्त है। ये हैं श्रमिका, नियोजिता, सैनिका तथा सामूहिक कृषकों तथा अन्य कृषकों की सामूहिक संस्थाएँ। प्रयाशिया से किसी प्रकार की 'सिक्योरिटी' आदि जमा नहीं कराई जाती। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च सोवियत के निर्वाचन में किया गया समस्त कार्य सोवियत सघ में

^१ Candidates are nominated by election districts. The right to nominate candidates is secured to public organisations and societies of the working people Communist Party Organisations Trade Unions Co-operatives Youth organisations and cultural societies —Art. 141 of the Soviet Constitution

राज्य द्वारा बहन किया जाता है।^१ नामांकन निर्वाचन से कम से कम तीस दिन पूर्व होना चाहिए। निम्नलिखित आयोग को यह अधिकार है कि यदि निर्वाचन के नियमों से संबंधित कोई बात पूरी नहीं है तो वह प्रयाशी का नामांकन अस्वीकार कर सकता है। निम्नलिखित आयोग के निम्नलिखित विरुद्ध दोषों की अवधि के भीतर केंद्रीय निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। केंद्रीय आयोग का निम्नलिखित इस सम्बन्ध में अंतिम हाथ है।

सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन सोवियत संघ के सभी भागों में एक ही दिन होता है। निर्वाचन रविवार को ही होता है जिससे जनता मतदान में सुविधापूर्वक भाग ले सके। मतदान केंद्र पर मतदाताओं को मत पत्र दिया जाता है जिस पर समाप्रदाशिया के नाम अंकित रहते हैं। मतदाता को उसके पश्चात् एक एकान्त कमरे में जाकर बसल उस प्रयाशी के नाम के त्रितिरिक जिससे वह मत देना चाहता है अन्य प्रयाशियों के नाम काट देना होते हैं, और मत-पत्र को पटी में बाल देना होता है। मतदान समाप्त हो जाने के पश्चात् मतगणना की जाती है। जिस प्रयाशी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में वाले गए समस्त मतों का पूरा बहुमत प्राप्त हो जाता है, वही विजयी माना जाता है। यदि किसी प्रयाशी का मतों का पूरा बहुमत प्राप्त नहीं होता या यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या का आध से भी कम भाग अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो पुनः मतदान कराया जाता है। किसी प्रयाशी के मतों का पूरा बहुमत प्राप्त न करने की दशा में बसल दो सर्वाधिक मत पाने वाले प्रयाशियों के लिए पुनः मतदान कराया जाता है, सब के लिए नहीं। यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि व्यवहार में पुनः निर्वाचन कराने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रायः सभी स्थानों के लिए एक एक प्रयाशी ही होता है। यदि मतदाताओं का पूरा बहुमत उम्मेदवारों को समर्थन नहीं करता तभी पुनर्निर्वाचन की आवश्यकता पड़ सकती है।

सोवियत संघ में निर्वाचन को एक लोकोत्सव का रूप दे दिया जाता है। यद्यपि प्रायः सभी स्थानों के लिए क्वचन एक ही प्रयाशी उम्मेदवार होता है, परन्तु

^१ Art 11 of the Regulations Governi g Elections to the Supreme Soviet of the U S S R

निर्वाचन व पृथ पर्याप्त प्रचार किया जाता है। प्रचार में प्रयाशियाँ के तीन और उनकी सेवाओं पर प्रकाश डाला जाता है और जारशाही रूस से सोवियत संघ की वर्तमान परिस्थितियों की तुलना कर साम्यवादी ढंग की सेवाओं का विश्लेषण किया जाता है। सन् १९३७ में निर्वाचन व पृथ किए गए प्रचार का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध पब्लिक राहुन जी ने लिखा है "निर्वाचन व वक्तव्य धूम धाम से देश के कोने कोने में प्रचार किया गया था। रशियों का स्तेमाल हुआ था। लागा की सराया में छपने वाले ब्रावदारों में लेख लिख गए। उम्मेदवारों के फोटो व साथ में उल्लूख निकाले गए। ड्रामब और मोटर बसों में रंग प्रियी रोशनिया और साइनबोर्डों से प्रचार किया गया। लेनिनग्राद में तो मैंने देखा कुछ बड़ी इमारतों पर उम्मेदवारों के १ १ हाथ ऊँच-ऊँचे चित्र लगे हुए हैं। उम्मेदवार तथा दूसरे जन-नायक सभाओं में व्याख्यान देते थे। उनका चारखान व बालते फिल्म तैयार करके चौकों और खुला जगहों पर टिपलाये जाने थे। चुनाव के तीन चार दिन पहले से तो लेनिनग्राद में हर पचास गन पर शूट प्रसारक वक्त्र लगा दिए गये थे, और मान्का तथा दूसरी जगहों में होत उसमें वक्त्र चारखानों का ब्राक्कास्ट किया जाता था। सारा नगर इस ब्राक्कास्ट से श्रुतमान हो रहा था।"

सर्वोच्च सोवियत के सदस्य—सोवियत प्रवक्ता सर्वोच्च सोवियत को जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों की संस्था बनाने हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए वे पुन पुन इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सर्वोच्च सोवियत के सदस्य परमाधी सन्नानिधि नहीं होत प्रयुक्त जनता के सभी भागों के प्रतिनिधि होते हैं। फरवरी १९४५ में निर्वाचन में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत के १२२६ सदस्यों में से ५११ अमिक ३४८ कृषक तथा ४०६ कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, परमाधी तथा बुद्धिजीवी (intellectuals) थे।^१ अन्य देशों में प्रशासकीय कर्मचारियों का प्रधान मन्त्र का सदस्य बनने का अधिकार नहीं होता, परन्तु इस प्रकार सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों का एक महत्वपूर्ण भाग ऐसे कर्मचारियों का ही होता है। सन्

^१ राहुन साङ्ख्यान, सोवियत भूमि, भाग २, पृष्ठ ३१।

^२ Ogg & Zink, *Modern Foreign Goals* P 856

१९३७ में निर्वाचित सदस्यों में २७ ऐसे अधिकारी थे तथा ६५ सदस्य सना में कार्य कर रहे थे। सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में स्त्रियों की संख्या भी अन्य देशों की तुलना में अधिक होती है। सन् १९४६ में २७७ स्त्रियाँ सर्वोच्च सोवियत के सदस्य निर्वाचित हुए। यह संख्या सर्वोच्च सोवियत की पूर्ण संख्या का लगभग २ प्रतिशत है। सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में हमें कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिक, कृषक, लेखक, अधिकारी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यवसाय और सभी वर्गों के व्यक्ति मिलते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के अधिकार सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं, परन्तु सभी सदस्य पार्टी के सदस्य नहीं होते। जैसा इसके पूर्व उल्लेख किया गया है सोवियत संघ के संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी के अनिश्चित भी कुछ संस्थाओं को प्राधिकारों का नामांकित करने का अधिकार दिया गया है परन्तु वे सभी राजनीतिक संस्थाएँ हैं जैसे, युवा संस्थाएँ, श्रमिक संगठन आदि। इनके द्वारा नामांकित किये जाने वाले प्रत्याशी भी मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों को मानने वाले होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित होते हैं। सन् १९३७ में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत में पार्टी के सदस्यों की संख्या पूर्ण सदस्य संख्या का ७६२ प्रतिशत तथा १९४६ में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत में ८१ प्रतिशत थी। मनरो के मतानुसार 'सर्वोच्च सोवियत सम्पूर्ण सोवियत संघ के राजनीतिक दृष्टि से विशालपत्र ऐसे लोगों की तात्कालिक सम्मान के योग्य समझ जाते हैं, सूक्ष्म दर्शन हैं।' निर्वाचन के पूर्व प्रत्येक क्षेत्र का कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से विचार विनिमय कर ऐसे प्रत्याशी का नामांकित कराने का प्रयत्न करते हैं जो पार्टी के सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत हों। टाउस्टर का विचार है कि यदि शासन या वर्तमान नेतृत्व के प्रति विरोधाभास करने वाले किन्हीं व्यक्ति का नामांकन हो भी जाये तो अधिक सम्माननीय है कि क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग उस प्रत्याशी का पञ्जीकरण (disfranchisement) करने से इंकार कर देगा। इसका कारण यह

The Supreme Soviets are composed of the politically reliable people of the entire Soviet Union who elect it to direct the country in honor — Manro & Ayea : p 63

कि क्षेत्रीय निवाचन आयोगों के अधिकार सभ्य कम्यूनस्ट होते हैं।^१ मनरो ने प्रयाशिया के गानाकन तथा पजीररख के बाद निवाचन काल में ऐसे प्रयाशियों के, जिनकी कम्यूनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं था, नाम हटाये जाने तथा उनके स्थान पर दूसरा के नाम रखे जाने के उपाहरण का उल्लेख किया है।^२ उपरोक्त कारणों से ऐसे प्रक्रिया का सर्वोच्च सावित्र का सभ्य निवाचन होना निह कम्यूनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं है, असम्भव ही है।

सभ्यों के कृत्य विशेषाधिकार, तथा भत्ते—सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों का सोवियत प्रजातन्त्र जनता के समकक्ष अर्थात् सर्वोच्च सावित्र में जनता के दूत के रूप में उल्लेख करने हैं। प्रत्येक सभ्य का यह कृत्य माना जाता है कि वह अपने निवाचकों का अपने तथा सर्वोच्च सावित्र के कार्यों के बारे में विवरण दे। सभ्य में अपने निवाचकों से अनुरोध सम्पन्न प्रजातन्त्रता तथा उनकी शिकायतों का कठिनार्थी को दूर कराने का प्रयत्न करना उसका प्रधान कृत्य है। सभ्यों का अपने कृत्यों का भली-भांति प्रणय करने के लिये कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सर्वोच्च सोवियत के किसी सभ्य का अपना सर्वोच्च सावित्र का महमति के बदी नहीं बनाया जा सकता, या उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिस समय सर्वोच्च सावित्र का सत्र नहीं रहा हो तब किसी सभ्य को अपनी बनान या उस पर मुकदमा चलाने के लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रेसाभियम की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।^३ प्रत्येक सभ्य सरकार से या उत्तर कृषि मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे प्रश्नों का लिखित या अभिविधित उत्तर तीन दिन का अधिकतम भीतर दिया जाना आवश्यक है। सर्वोच्च सावित्र के प्रत्येक सभ्य का सावित्र सभ्य के

^१ J. Ian Towster *Political Power in the U. S. S. R. 1917* 194, p. 194

^२ Muir & Aycarst *Ibid*, p. 662 also Towster *Ibid* p. 194

^३ अनुच्छेद ५२

^४ अनुच्छेद ७१

सभा रेल तथा जल मार्गों पर निशुल्क यात्रा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

प्रत्येक सभ्य को सर्वोच्च सावित्त का वत्क में भाग लेने पर एक निश्चित दर के अनुसार दैनिक भत्ता मिलता है। इसका अतिरिक्त उन्हें प्रति मास अपने कर्तव्यों का पूर्ति के लिए किए गए व्यय के प्रतिकर के रूप में भी भत्ता मिलता है।

निर्वाचका का प्रत्यावतन का अधिकार (Right to Recall)—सोवियत संघ के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह सर्वोच्च सावित्त में अपने प्रतिनिधिक कार्यों से सतुष्ट नहीं हैं तो वे उसे पुनरावर्तित कर सकते हैं, और उसका स्थान पर दूसरे सदस्य को निर्वाचित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो पश्चात्त प्रजातन्त्र देशों के नागरिकों का प्राप्त नहीं है।^१ संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में भी राजाधिकारियों का जनता द्वारा पुनरावर्तित किए जाने का व्यवस्था है। ओरेगान राज में तो न्यायाधीशों का भी पुनरावर्तित किया जा सकता है। परंतु अमेरिका में भी विधानमण्डल के सदस्यों का पुनरावर्तित करने का अधिकार निर्वाचकों को नहीं दिया गया है। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का यह माना जाता है परन्तु वहां भी निर्वाचकों का प्रत्यावतन का अधिकार प्राप्त नहीं है।

सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल तथा विघटन—सर्वोच्च सावित्त के दोनों सभों का कार्यकाल संविधान द्वारा चार वर्ष निश्चित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद ४७ के अनुसार यदि किसी प्रश्न पर सर्वोच्च सावित्त के दोनों सभना में विनाश उपलब्ध हो जाता है और वे दोनों उस पर एकमत नहीं हो पाते तो सर्वोच्च सावित्त का प्रेषणाधिकार दोनों सभों का विहित कर

^१ The constitutions of bourgeois countries do not in any such provision. There once the elections are over and the successful candidates have taken their seats all relations between them and their constituencies are at an end. —V Karpinsky, *op cit* p 102

उनके नवीन निर्वाचन कराने की आशा देता है। सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल समाप्त होने पर अगला उसका पूरा अनुच्छेद ४७ के अनुसार उसका विघटन किए जाने पर प्रसिद्धि को अग्रिम समाप्त होने या विघटन होने की तिथि से दो माह के अन्दर ही नवीन निर्वाचन कराने का प्राण देना आवश्यक है।

सर्वोच्च सोवियत के दोना सभों के सभना पर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव के कारण संविधान में विघटन के लिए आवश्यक जिस परिस्थिति का उल्लेख किया गया है उसका अन्तर्गत होने की कोशिस भावना नहीं है। सन् १९२७ में लालिन संविधान के प्रवर्तित होने से अगले तक कभी सर्वोच्च सोवियत का विघटित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

सर्वोच्च सोवियत के पदाधिकारी—सर्वोच्च सोवियत के दोना सभ अपने-अपने लिए एक-एक सभापति तथा चार उप-सभापति निर्वाचित करते हैं। सर्वोच्च सोवियत तथा जातिक सोवियत के सभापति अपने-अपने सभना की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तथा उनकी कार्यवाही तथा प्रक्रिया का संचालन करते हैं।^१ संयुक्त सभा (Joint sessions) की अध्यक्षता सर्वोच्च सोवियत तथा जातिक सोवियत के सभापति बारी-बारी से करते हैं।^२ सर्वोच्च सोवियत का सत्र बहुत धीरे-धीरे के लिए होता है। शेष काल में दोना सभों के सभापतियों को अपने-अपने सभना के सभना से सभना स्थापित रखने के लिए तीन लाख रूबल वार्षिक मिले जाते हैं।

ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य अनेक देशों में सभ के इन सदन का अध्यक्ष (Speaker) अत्यन्त सम्मानित तथा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इसका कारण यह है कि जहाँ एक सभ में अस्थिरता उत्पन्न होने की दृष्टि से अनेक कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ दूसरी सभ उन कई महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त करते हैं उदाहरणार्थ यह निर्णय करने का अधिकार कि कोई निवृत्त धन विधायक है अथवा नहीं। सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत के सभों के सभी सभना या तो कम्युनिस्ट पार्टी के सभना होते हैं या साम्यवादी

^१ अनुच्छेद ४४

^२ अनुच्छेद ४५

सिद्धान्तों के समर्थक। इन कारण उनका तर्कों में अवस्था नाए रहने की सम्भवा उचित ही नहीं हाता। तनों सत्नों के अधिकार पृथक् त्पार हान - कारण किंसा सत्न के प्रान्त का त्रिपन का कालत सना के प्रान्त का माध का निशागिकार भा प्राप्त नहीं है।

सर्वोच्च सावियत के सत्र तथा कार्य प्रणाली

सर्वोच्च सावियत के सत्र—सर्वोच्च सावियत के प्रसाधिन को सर्वोच्च सोवियत के सत्र उलाने का अधिकार है। सविधान के प्रनुसार वर्ष में कम से कम दो बार सर्वोच्च सोवियत के सत्र बुलाए जाना प्राशक है। सर्वोच्च सावियत का प्रसाधिन स्वनिवेक सत्र का एक सघ-गणराज (Union Republic) के तारा माग किए जान पर सर्वोच्च सोवियत के प्रसाधाय सत्र भी उा सकता है।^१ नव निशाचन के पश्चात् तान माह का प्राधि के प्रन्तर हा सर्वोच्च सावियत का सत्र उलाना जाना प्राशक है। सर्वोच्च सावियत के नव-निशाचन के माग मा पूव सर्वोच्च सावियत का प्रसाधिन हा ता तक काय कता हा है जब तक नवान प्रसाधिन का निशाचन नहीं हा जाता। इस कारण नव निशाचित सर्वोच्च सोवियत का सत्र मा पूव सर्वोच्च सावियत के प्रसाधिन द्वारा हा बुलाना जाा ह। सर्वोच्च सावियत के तनों सत्नों के सत्र सोवियत सत्र की राजधाना नाम्का में श्रवस्थित क्रेमलिन (Kremlin) भवन में हाते हैं। सर्वोच्च सावियत के दाना सत्नों में दशकों और पत्रकारों के बैठने के विद भी म्यान नियत है। प्रत्येक सदन में सबप्रथम सत्न - किंसा कपातृद सत्न का उद्घाटन-नापण हाता है।^२ उसक पश्चात् तनों सत्न प्राणे तने समानात तथा उपसमानदिना का निशाचित करते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के दानों सत्ना में कोई विराधा ल नहीं हाता वर कारण सदस्य प्रदगोनाकार या गालाकार शियति में नहां शैत। वे सानने मव

प्रनुच्छेद ४६

^१सावियत सघ में ग्रेट ब्रिटन का मांति लीच प्रात सि यून का भारत - सनान राष्ट्रपति के भाण तथा काइ व्याधा नहीं है।

का प्रारंभ मुँह कर इस प्रकार स्थान ग्रहण करते हैं जैसे व किमी संगीतशाला में बैठ हाँ।^१

सर्वोच्च सोवियत के दोना सदना व सत्र एक साथ ही प्रारंभ होते हैं, तथा एक साथ ही समाप्त होते हैं। प्रेसीडियम मन्त्रि परिषद् (Council of Ministers), उच्चतम न्यायालय, तथा सोवियत सत्र के महान्यायवाणी (Procurator General) को निर्वाचित करने व लिए दोना सत्रना की संयुक्त बैठक होती है। जिस समय कोई नया विधेयक या प्रावश्यक प्रस्तुत किया जाता है उस समय भी दोना सत्रनों का प्रस्ताव (move) का भाषण सुनने के लिये संयुक्त अधिवेशन होता है। इसने समय का रचना होता है। महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन (reports) भी दोना सत्रना व संयुक्त अधिवेशन में ही प्रस्तुत किये जाने हैं। परंतु सामान्यत दोना सत्रना व सत्र प्रयोग अलग हाते हैं। संयुक्त अधिवेशन में भा विधेयका पर दोना सत्रना व सत्रस्य अलग अलग मतदान करते हैं। संयुक्त अधिवेशन का अर्थ है, तथा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, दोना सत्रना के समापति प्राय गरी स करत हैं।

सर्वोच्च सोवियत के आयोग तथा समितियाँ—संविधान के अनुच्छेद ५ व अनुसार सत्र सोवियत तथा ताकिक सोवियत प्रमाण समितियाँ (Credentials Committees) निर्वाचित करता हैं, जो अपने अपने सत्रना के सत्रना के प्रमाण पत्र (credentials) का परीक्षण करता हैं। प्रमाण समितियाँ की प्रारणा पर ही सत्रन यह निश्चित करत हैं कि कभी सदस्य के निर्वाचन का प्रमाण कर लिया जाय या उस मान सम्भवा जाय। संविधान में सर्वोच्च सोवियत को यह अधिकार दिया गया है कि उन भी वह आवश्यक समझ वह किसी विषय के अनुसन्धान तथा परीक्षण के लिये आयोगों की नियुक्ति कर सकती है। सभी संस्थाओं तथा अधिकारियों का यह कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह ऐसे आयोगों की मांगों का पालन करें, तथा समस्त आवश्यक सामग्री तथा लेखपत्र आदि उनसे सम्मुख रखें।

^१ They occupy seats in a solid mass facing the stage as in a concert hall —Muro & Aycarst op cit p 663

दोनों सदन अपने प्रथम सत्र में कुछ स्थायी आयोग निर्वाचित करते हैं। दोनों सभना क स्थायी आयोग समान हैं। सक्षर में इनका विवरण निम्न लिखित है —

१ **यवस्थापक आयोग (Legislative Commission)**—स आयोग का कार्य नए विधयका क प्रारूप पर विचार करना तथा स्वयं उनक प्रारूप बनाना है। यह ऐसे विधयका क प्रारूप तैयार करता है जो सर्वोच्च सोवियत के किसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सन् १९८८ में निर्वाचित सभ सोवियत तथा जातिक सावियत क यवस्थापक आयोगों की संस्य संख्या १ थी परन्तु सन् १८४६ में निर्वाचित यवस्थापक आयोगों म १६ संस्य थे।

२ **आय-व्ययक आयोग (Budget Commission)**—स आयोग का कार्य आय व्ययक क प्रारूप पर विचार करना तथा उस पर सभन क समझ अपनी आस्था प्रस्तुत करना है। सन् १९३८ में निर्वाचित आय व्ययक आयोगों की संस्य संख्या १३ था परन्तु १९४६ में यह २७ हा गई।

३ **वर्देशिक कार्य आयोग (Commission on Foreign Affairs)**—जैसा जसक नाम स ही स्पष्ट है, सका कार्य वैश्विक नाति क सम्बन्धित प्रश्ना पर विचार करना तथा सभन क सम्मुख उन पर अपना आस्था प्रस्तुत करना है। सन् १९३८ में निर्वाचित वर्देशिक कार्य आयोगों का संस्य संख्या सङ्घ सोवियत में १ तथा जातिक सोवियत में ११ था। सन् १८४६ में निर्वाचित दोनों सभना क आयोगों की संस्य संख्या ११ था।

उपरोक्त आयोग कार्य की नुविधा क लिए समय समय पर उप आयोगों (Sub Commissions) की नियुक्ति करत हैं। इनक अतिरिक्त सभना म समय समय पर विशेष आयोगों की भा नियुक्ति की जाना है जो महत्वपूर्ण विधयकों पर विचार करत हैं। दोनों सभना की समितिया या आयोग मनि परिष्क नाए प्रस्तुत विधयका में सहायन प्रस्तावित करते रहत हैं। सर्वोच्च सोवियत की आयव्ययक सम्बन्धा समितिया अपने कार्य को विशदतया न्भव देती हैं। प्रत्येक वर्ष आरंभिक में वह महत्वपूर्ण परिवर्तना का नुभाग

देनी हैं। गहुधा गह परिकतन यय बनाने, न कि घटाने, की दिशा म हाने हैं।^१

उल्लिखित समितियों व अतिरिक्त एक अत्र समिति का सक्षेप म उल्लेख कर देना ग्रागर्यक है। यह समिति है सर्वोच्च सानियत की 'कोष्ठ सभस्य परिषद् (Council of Elders)। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 'कोष्ठ सभस्य सम्मिलित होत हैं। यह सर्वोच्च सोवियत के सभा व लिए कार्यक्रम आदि निश्चित करने म योग देती है, तथा बहुत स महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसी परिषद् के नाम से सर्वोच्च सोवियत म प्रस्तावित किये जाते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के कृत्य तथा शक्तियाँ

संविधान के अनुच्छेद २१ के अनुसार सभाच सोवियत उन सभी अग्रि कारा का प्रयोग करती है जो संविधान के चोहमें अनुच्छेद ५ अन्तगत सङ्घीय शासन का दिए गये हैं, जहा तक नि व अधिकार उन सभ्याआ के क्षेत्राधिकार म नहीं आते जा कि सर्वोच्च सोवियत व प्रति उत्तरणी हैं। वे सस्थाए ह सर्वोच्च सानियत का प्रेसीडियम, सावमत सङ्घ का मान परिषद् (Council of Ministers), तथा सोवियत सङ्घ व मन्त्रालय। अनुच्छेद १४ क आधार पर सर्वोच्च सोवियत व निम्नलिखित कृत्य तथा शक्तिया हैं —

- १ युद्ध तथा शान्ति सन्धि की प्रापणा करना।
- २ सोवियत सभ म नवान गणराथा का सम्मिलित करना।
- ३ सभ गणराथा की सीमाआ में परिवर्तना का पुष्टि करना तथा सङ्घ गणराथा का सीमा म नरीन स्वायत्तशात्ता गणराथा, स्वायत्तशासी प्रान्ता, तथा क्षेत्रा आदि व निमाण का पुष्टि करना।

^१ The budget committees of the Supreme Council (Soviet) ordinarily take themselves especially seriously. Indeed they have a reputation for earnestly scrutinising every annual budget submitted by the finance minister and in the case of frequently in the direction of increasing rather than decreasing expenditures' — Ogg and Zink *Modern Foreign Governments*
p 808

- ४ यह निगय करना कि सङ्घ गणराज्या र सविधान सावियत सङ्घ क सविधान क अनुरूप ह या नहीं ।
- ५ बनेशिक तथा सुरक्षा नाति क मूल सिद्धान्ता का निश्चय करना तथा सङ्घ गणराज्या और विदेशा क सम्बन्धों तथा सङ्घ-गणराज्यों क सैनिक सङ्गठनों म एकरूपता लाना ।
- ६ राज्य क एकाधिकार क आधार पर विदेशा व्यापार नीति का निश्चय करना ।
- ७ सोवियत सङ्घ का राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं का निश्चित करना ।
- ८ सावियत सङ्घ क आय-व्ययक तथा नवान कर आदि क प्रस्ताव का अनुमोदन करना ।
- ९ समस्त सङ्घ क लिए महत्व रखने वाले वैज्ञानिक और कृषि सम्बन्धी सस्थाओं, तथा वापारिक सस्थाओं और कारखानों एव परिवहन तथा सञ्चार सुविधाओं आदि का प्रशासन ।
- १० धन तथा ऋण सम्बन्धी प्रणालियों का निश्चय करना तथा ऋण लेने तथा देने क प्रस्ताव का स्वीकृत देना ।
- ११ राज्य नामा सस्थाओं का सङ्गठन करना ।
- १२ भूमि प्राकृतिक माधना, जलाशय आदि क उपयोग तथा शिल्प लोक-स्वास्थ्य, श्रम, विवाह एव परिवार आदि म सम्बन्धित विधिगण क मूल सिद्धान्त निर्धारित करना ।
- १३ न्याय-व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया, तथा दावानी एव पंजीदारी सहिताओं से सम्बन्धित विधिया बनाना ।
- १४ समस्त सङ्घ म सामान्य सम्बन्धी अधिनियम जारी करना ।
- १५ सावियत सङ्घ की नागरिकता तथा विदेशियों क अधिकारों से सम्बन्धित विधिया बनाना ।

इनक अतिरिक्त सर्वोच्च सावियत का अपने प्रेसादियम, मन्त्रिपरिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय का निवाचित करने का अधिकार है । सर्वोच्च सोवियत सोवियत सप क महान्यायवाग (Procurator General) को सान वर्ष का अवधि क

लिए नियुक्त करती है। यह पांच वर्ष की अवधि के लिए विशेष न्यायालय का भी निर्माण कर सकता है। सर्वोच्च सोवियत का सोवियत संघ के संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। इस अधिकार का सर्वोच्च सोवियत अंग तक अनेक बार प्रयोग कर चुकी है। अंत में मेढान्तिक दृष्टि से सर्वोच्च सोवियत को सहाय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद् का संविधान द्वारा उक्त प्रति उत्तरदायी गहराया गया है।

संविधान के अनुच्छेद २२ के अनुसार सोवियत संघ की विधि निर्माण की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही किया जाता है। संविधान प्रस्ताव इस अनुच्छेद पर बहुत जल दान है और सर्वोच्च सोवियत को सोवियत संघ का एक मात्र विधि निर्माण संस्था घोषित करत है। व्यवहार में यह दावा कहा तक सत्य है इस पर हम अभी अग्राह्य में आगे विचार करेंगे।

विधि निर्माण प्रक्रिया (Law making procedure)—सर्वोच्च सोवियत में विधियाँ किस प्रकार पारित (पार) होंगी इस सम्बन्ध में संविधान में विस्तृत उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल इतना ही उल्लेख है कि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों अर्थात् संघ सोवियत तथा जातिक सोवियत का विधि निर्माण का सूत्रपात करने का समान अधिकार है, तथा कानून विधि उसी समय अंगीकृत (adopted) समझी जायेगी जब वह सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन द्वारा संमत यथुक्त से पारित कर दा जायेगा।^१ संविधान ने प्रवर्तित किए जाने से पूर्व तक की कार्य प्रणाली के आधार पर हम विधि निर्माण सम्बन्धी निम्न प्रक्रिया का उल्लेख कर सकते हैं।

यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के सदन का भी विधायक प्रस्तुत करने का अधिकार है, परन्तु व्यवहार में सदन ही विधायक मंत्रिपरिषद् या सर्वोच्च सोवियत के किसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधायक का प्रारूप उस सदन का अनस्थायक आयोग

^१ अनुच्छेद ३८

^२ अनुच्छेद ३९

(Legislative Commission) तैयार करता है, तथा उसका एक प्रतिनिधि वक्ता विधायक का नवाच सोनियत क सवत्र में प्रस्तुत करता है। सामान्यत नवीन विधायक सत्रों क सावगत के दोनों सत्रों के सयुक्त आध वशन में प्रस्तुत किए जाते हैं। सत्रप्रथम प्रस्तावक का भाषण हाजा है। प्रस्तावक क भाषण क पश्चात् दोनों सदन विधायक पर अलग अलग विचार करत हैं। ऐस सभी विधायकों पर जो मन्त्रि परिषद् की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं पहले व्यवस्थापक आयोग विचार करता है और सर्वोच्च सोनियत क सदनों में किसी विधायक पर वात् प्रियात् आरम्भ होने क पूव पहला भाषण व्यवस्थापक आयोग क प्रस्ता का ही होना है। वह विधायक की आयोग क दृष्टिकाण से आलोचना तथा आवश्यक सशोधन प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात् सभा सत्रना का विधायक पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। मन्त्रि परिषद् क द्वारा प्रस्तावित विधायक पर वाद विचार क पश्चात् एक मन्त्री का भाषण हाजा है ता आलोचना का उत्तर देता है, तथा मन्त्रि परिषद् ाण स्वाकृत सशोधनों का उल्लेख करता है। अतिम भाषण व्यवस्थापक आयोग क अयत्न का हाता है। व्यवस्थापक आयोग क अध्यक्ष के भाषण क पश्चात् प्रस्तुत विधायक का प्रत्येक धारा पर अलग अलग मतदान होता है। सशोधन किए जाने क पश्चात् तिस रूप में विधायक स्वाकृत किया जाता है उस उस रूप में सदन ाण पारित मान लिया जाता है। दोनों सत्रों में अलग अलग वसा प्रक्रिया क अनुसार विचार तथा मतदान होता है। एक सदन द्वारा विधायक को स्वाकृत कर लिए जाने पर मन्त्रा दूसरे सत्रन में उसक द्वारा स्वाकृत सशोधनों का उल्लेख कर देते हैं, तिसस दूसरा सत्रन भा उनसे परिचित हा जाता है। उन सशोधना क अनिश्चित भा मन्त्रि दूसरा सदन चाहे तो वह विधायक में कुछ और सशोधन कर सकता है। दोनों सत्रन एक दूसरे क द्वारा किए गए सशोधनों पर विचार करत हैं और यदि क एक ही रूप में विधायक का पारित कर देते हैं ता विधायक का पारित मान लिया जाता है।

दोनों सत्रनों क विवाद—वात् किसी विधायक क अतिम रूप पर दोनों सत्रन एकमत नहीं होने ता सविधान क अनुच्छेद ४७ में उल्लिखित प्रक्रिया क अनुसार प्रश्न का निपटारा कराया जाता है। किसी प्रश्न पर दोनों सत्रना क

असहमत होने की स्थिति में सर्वप्रथम एक समाधान आयोग (Conciliation Commission) का निर्माण किया जाने की व्यवस्था है, जिसमें दाना सत्ता के बराबर प्रतिनिधि हों। यदि यह आयोग किसी समझौते पर पहुँचने में असफल रहता है, या इसका निष्पत्ति किसी एक सत्ता को माय नहा होता, तो उस प्रश्न पर दूसरी बार दोनों सत्ता में विचार होगा। यदि अब भी दाना सत्ता किसी ऐसी निश्चय पर नहा पहुँचते जो उन दोनों को माय हो तो सर्वोच्च सावियत का प्रेसाडियम दोनों सत्तों को भंग कर नए निर्वाचन कराएगा। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यवहार में अभी तक दाना सत्ता के बीच कभी ऐसा गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके कारण सर्वोच्च सावियत को विघटित कर नए निर्वाचन कराने की आवश्यकता पनी हो। सदैव ही दाना सदन विधायका का एक ही रूप में पारित कर दत हैं।

आय व्ययक—जिस प्रक्रिया का उल्लेख अभी हमने सामान्य विषयों के सम्बन्ध में किया है लगभग उन्नी प्रक्रिया का प्रयोग आय व्ययक को पारित करने के लिए होता है। सामान्य विधायका की भाँति आय व्ययक भी सर्वोच्च सावियत में दाना सत्ता में संयुक्त प्रतिनिधित्व में प्रस्तुत किया जाता है। आय व्ययक प्रस्तुत करने का कार्य वित्त मंत्री का है। वित्त-मंत्री के भाषण के पश्चात् दोनों सत्ता अलग-अलग आय व्ययक पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम आय व्ययक आयोग (Budget Commission) में प्रस्ताव का भाषण होता है जो आयोग की शर से आय व्ययक का आलोचना प्रस्तुत करता है तथा सशायनों के प्रस्ताव रखता है। उसके पश्चात् सत्ता में सत्स्था को आय व्ययक पर विचार करने और सशायन प्रस्तुत करने का प्रश्न दिया जाता है। अतः वित्त मंत्री का प्रस्ताव का उत्तर देता है तथा यह जवाब देता है कि कौन कौन सशायन स्वीकृत कर लिए गए हैं। उसके पश्चात् आय व्ययक आयोग के प्रस्ताव का भाषण होता है और सदन के सत्स्थ आय व्ययक में विभिन्न भाग पर अलग-अलग मत देने हैं। सामान्य विधायका की भाँति आय व्ययक का भी दाना सत्ता के द्वारा एक रूप में पारित किया जाता आवश्यक है।

सांविधानिक सशायन—सर्वोच्च सावियत का सोशियल सर्व के सविधान

म संशोधन करने का भी अधिकार है। परन्तु सांविधानिक संशोधन का कोई प्रस्ताव तभी अंगीकृत माना जाएगा जब उसे दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से पारित करे।^१ सोवियत संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल सर्वोच्च सोवियत को ही प्राप्त है और इसका प्रयोग करने के लिए उसे किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी का मत जानना आवश्यक नहीं है।

सर्वोच्च सोवियत के वास्तु विभाग—बाद विभाग (D bat) विधि निर्माण प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। वास्तु विभाग में ही किसी विधयक के मुख्य-लोभा पर प्रकाश डाला जाता है, तथा उसमें वाङ्मनीय संशोधन स्पष्ट हो जाते हैं। सोवियत संघ में भी प्रत्येक प्रश्न पर सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। परन्तु सर्वोच्च सोवियत के वास्तु विभाग अन्य देशों के विधानमण्डल के वास्तु विभागों से भिन्न होते हैं। इसका कारण जानना कठिन नहीं है। सर्वोच्च सोवियत के सभी सदस्य, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है या तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हीन हैं या पार्टी के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले तथा पार्टी द्वारा समर्थित जाते हैं। इसके विपरीत पश्चात्त प्रजातंत्र देशों तथा भारत आदि की संघ में पूरुरूपण विराधी विचारों के सदस्य होते हैं जहां एक ओर ऐसे रुढ़िवादी तथा कर्त्तपथी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक परिवर्तन का विरोध करते हैं वहां दूसरी ओर ऐसे आतङ्गि (E tremi t) सदस्य भी होन हैं जो न्यमान अवस्था में आनून पारिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि पश्चात्त राति के जनतांत्रिक देशों के निवासियों को सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के वास्तु विभाग विचित्र प्रतीत हो।

सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में लिए जान वाले भाषणों में संस्य शासन की नाति के आधारभूत सिद्धान्तों की आलोचना नग्न करत। समानगामी शासन प्रणाली का विरोध करन वाले के लिए संविधान संघ में स्थान नहीं है। वास्तु विभाग में मुख्यत उक्त मंत्रालय के कार्य का आलोचना की जाती है बिमबा

कान उस विधेयक का कामान्वित करना होगा । १ सर्वोच्च सोवियत क सदस्य अपने अनुभव न आगर पर मन्त्रालय की कार्यपद्धता म वृद्धि करने के लिए अपने सुझाव भी देते हैं । सर्वोच्च सोवियत क सर्व विभागा की तुलना सामान्यतः सासनीय वाद विभागा से न कर एक प्रतिनिधि सम्मेलन (Delegates conference) के वाद विभागा से की जाती है । पेट स्लोन ने ऐसी ही तुलना करते हुए लिखा है, "प्रतिनिधि सम्मेलन में सभ्य अपने सगठन या स्थान विशेष की जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं प्रगत और उन्नति का विवरण देते हैं, कार्यकारिणी सत्ता क शासन प्रपथ की प्रटिया की आलोचना करत हैं, उन नई ययस्थाआ और नीति को प्रस्तुत करते हैं जिसस उनका सगठन जनहित में आधक योग्यतापूर्वक काय कर सभ । सावियत सभ की सर्वोच्च सोवियत न आख्याना क निरलेपण स पता चलता है कि आमतौर से आविकारा प्रतिनिधिया क आगवान इसी ढग न होते हैं । कुछ लेखका का नी यह भी कवन है कि सभ्या न भाषण भी पहले से तैयार किये गए हाते हैं । उगाडरणार्थ मनरा का मत है कि "सभ्य भाषण आरभ देते हैं परन्तु उनम उसी प्रकार की सामधान तैयारी न लक्षण प्रटिगोचर आते हैं जैसे कि किमी प्रियाव के लिए किए गए प्रश्न में । उच्च अधिकारिया की आलोचना की जा सकती है और की जाती है परन्तु यह भी पहले से तैयार का हुई तथा पार्श्व क उचाधिकारिया के द्वारा अनुमानित प्रतीत होगी । ३

१ "It is not the text of the proposed legislation that has usually been the centre of attention but the actual work of the commissariat or ministry responsible for carrying it out — Samuel N Harper and R. Thompson *The Government of the Soviet Union* p 136

२ Pat Slo n *How the Soviet State is Run* (हिन्दी अनु), p 22

३ 'D bate, as we know it is unknown Speeches from the floor are made but all but the indications of careful preparation as in an arranged pageant Criticisms of particular high officials can and does occur This too would appear to be prepared and approved beforehand by the high command of the party' — Munro & Aycarst, *op cit* p 663

वैशेषिक नीति सम्बन्धी प्रतिवन्दना (reports) पर सामान्यतः सर्वोच्च सोवियत मन्त्रालय विवाद नहीं होता। सन् १९३७ में नए संविधान के प्रवर्तित होने से सन् १९४७ तक की प्रक्रिया का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस बीच कबल दो वैशेषिक नीति सम्बन्धी प्रतिवन्दना पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। प्रथम मई १९४२ की ऐंग्लो सोवियत सभ पर जिसका दस सदस्यों ने अनुमान किया, तथा द्वितीय फरवरी १९४४ के संशोधन पर जिनके समर्थन में अनेक सदस्यों ने भाषण दिए। “परंपरा के अनुसार, प्रतिवन्दन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् एक प्रसिद्ध सदस्य उठ कर यह प्रस्ताव रखता है कि ‘शासन की वैशेषिक नीति की अत्यंत सुस्पष्टता तथा दृढ़ता को यान में रखते हुए बात विचार नहीं किया जाय तथा एक सक्षिप्त प्रस्ताव में शासन की विशेष नीति का पूरा अनुमान किया जाय। इसके पश्चात् दोनों सदन सम्ममति से विदेश नीति का अनुमान कर देते हैं जैसा कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा अंगीकृत सभी विधियों तथा निष्कर्षों पर होता है।”^१

यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के अत्यधिक सक्षिप्त (औसतन एक सप्ताह) होने के कारण मुख्यतः समितियां तथा आयोगों में ही वाद विवाद होता है। वही कारण अधिकारा संशोधन आयोगों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं।

सोवियत शासन प्रणाली में सर्वोच्च सोवियत का स्थान

यद्यपि सोवियत सभ के संविधान में सर्वोच्च सोवियत को राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग कहा गया है परंतु व्यवहार को ध्यान में रखने पर यह कथन उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। सोवियत सभ के लोगों के अतिरिक्त अधिकारा संशोधन आयोगों का यही मत है कि सर्वोच्च सोवियत में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निष्कर्ष नहीं लिया जाता, बल्कि वह अन्वय किए गए निष्कर्षों का अनुमान कर उन्हें औपचारिक तथा वैधानिक रूप दे देती है। इस परिणाम पर पहुँचने के अनेक कारण हैं, जिन पर हम यहां सक्षिप्त में विचार करेंगे।

उपरोक्त परिणाम पर पहुँचने का सबसे प्रथम कारण सर्वोच्च सोवियत के

^१ Julius and Towler *op cit*, p 262

सत्रों का अल्पमात्र है। सर्वोच्च सावियत क सत्र की औसतन अवधि एक सप्ताह होना है, और एक सत्र में दो सत्र होते हैं। सर्वोच्च सोवियत का सत्र कबल तीन दिन में ही समाप्त हो जाने का उपाहरण दिया जा सकता है। एक सत्र में कुल नितने समय सर्वोच्च सोवियत की बैठक होती है, अन्य देशों में उनका समय कभी कभी एक ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार में लग जाता है। ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि परिषद के अनुसार सामान्यतः वेशिष नानि जमे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भा सर्वोच्च सोवियत में वा विचार नहीं होता। उसे यह सिद्ध होता है कि सर्वोच्च सावियत अधिकतर दूसरे शासनागानि निणया की पुष्टि ही करता है।

सविधान में सर्वोच्च सावियत को ही एकमात्र विधि निमात्री सस्था धारित किया गया है, तथा ये पूरे प्रवक्त किया गया है कि किसी दूसरी सस्था क निणया को विधि नाम से न पुकारा जा सके। यद्यपि सविधान में प्रेसालिम तथा मंत्रि परिषद का क्रमशः 'आज्ञापना (Decrees) तथा 'निणय व आज्ञा देश (decisions and ordinances) जारी करने का ही अधिकार दिया गया है परन्तु व्यवहार में उनमें और सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियां में कोई अंतर नहीं होता। प्रेसालिम द्वारा सर्वोच्च सोवियत क विधान काल में जारी की गई आज्ञाओं का विवरण सर्वोच्च सोवियत क सत्र क समय उस सत्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु सर्वोच्च सोवियत का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व व पश्चात् समय तक लागू रह सकती हैं। उस समय उनमें और विधियां में कोई अंतर नहीं किया जाता। उन आज्ञाओं का विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् न तो सर्वोच्च सोवियत में उन पर वा विचार होता है और न विचार, प्रत्युत् उन क प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उन ही उन्हें अनुमोदित कर दिया जाता है। इस परंपरा को ध्यान में रखने पर सावियत प्रवक्तारों का यह कथन है कि सावियत सभ में सर्वोच्च सावियत ही एकमात्र विधि निमात्री सस्था है, असंगत ही प्रतीत होता है।

'The practice is not to debate or discuss the decrees but to vote their approval as soon as they have been reported upon'—Julian Towster *op cit* p 261

सर्वोच्च सोवियत प्रत्यक्ष विचार का जना किसी सशोधन के जैसा का तैसा स्वीकार कर लेती हो, ऐसी बात नहीं है। फ्रेडरिक आग और हैराल्ड जिन्क का मत है^१ कि इस विषय में कोई सशय नहीं है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर नियम पालिटब्यूरो (कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक समिति)^२ के द्वारा किए जाते हैं, तथा सर्वोच्च सोवियत के द्वारा उनका विरोध या उनमें सशोधन किए जाने की संभावना नहीं है। परंतु सोवियत संघ जैसे बड़े तथा जटिल देश में बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन पर उनके अराजनीतिक अथवा क्रमागत (routine) स्वरूप के कारण पालिटब्यूरो का ध्यान नहीं जाता यहाँ सर्वोच्च सोवियत को कार्य करने का अधिक अवसर हाता है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले सदस्य ऐसे दृष्टिकोण उपस्थित कर सकते हैं जिनकी ओर मंत्रालयों का पहले ध्यान ही न गया हो। ऐसे विषयों में मंत्रि परिषद के द्वारा समय-समय पर अनेक सशोधन स्वीकृत कर लिए जाते हैं।

प्रचारा में सर्वोच्च सोवियत में सभी प्रश्नों पर नियम सशुभमत मत (unanimous vote) में किया जाता है। अन्य देशों के पर्यवहकों का यह एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रतीत होता है। सोवियत प्रणाली का कारण यह प्रकृत है कि सोवियत संघ में वर्गभेदों (class differences) का अंत हो जाने के कारण सर्वोच्च सोवियत के सदस्य विरोधी हत्यों के सरलक तथा प्रतिनिधि नहीं होते। इसी वजह से उनमें किसी प्रश्न पर शीघ्र ही एक मत हो जाता है। परंतु इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत के मतदान को जनता के प्रतिनिधियों की शासन के प्रति आस्था तथा निष्ठा प्रदर्शित करने का एक अवसर माना जाता है। इसी कारण सर्वोच्च सोवियत को विदेशी लेखक सोवियत प्रचार-यंत्रण का एक अंग बतलाते हैं।

^१ Ogg, F A & Zink H *Modern Foreign Governments* pp 859-60

^२ पालिटब्यूरो का स्थान कम्युनिस्ट पार्टी की कन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम ने ले लिया है।

सन् १९२७ से १९४७ तक व सर्वोच्च सोवियत व कमरून की विवेचना कर चूलियन टाउस्टर ने प्रपना मत प्रकृत किया है कि सर्वोच्च सोवियत ने अत्र तक मुख्यतः एक अनुसमर्थन तथा प्रचार करने वाली संस्था व रूप में कार्य किया है। उसका प्रमुख कार्य समय समय पर, अथवा आवश्यकता पाने पर, शासन की नीति को एक प्रतिनिधि सभा के अनुमोदन से विभाषित कर देना प्रतीत होता है।^१ उसका ध्येय व उपाय म अत्र तक सर्वोच्च सोवियत की कार्य प्रणाली म ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ जिससे इस संघ की संस्था प्रभावित हुई हो। अस्तु, सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत की हम प्रान्त या फ्रांस का पार्लमेट से तुलना नहा कर सकते। ससतीय शासन प्रणाली वाले देशों में संसद या पार्लमेट देश की सबशक्तिमान् संस्था होता है जा मन्त्रमण्डल का पद युक्त कर सकती है। यद्यपि यह सत्य है कि सामान्यतः पार्लमेट भी मन्त्रिमण्डल व निष्ठा का ही अंगीकृत कर लेती है परन्तु पार्लमेट तथा मन्त्रिमण्डल के विनिश्चया का अस्वाकृत कर देने तथा उस प्रकार उस परायाग करने व निष्ठा प्रियश करने व उदाहरणा का संस्था अभाव नहा है। सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत के संघ में यह नहा नहा कही जा सकता। इसी कारण उसे प्रिटेन या फ्रांस की पार्लमेट अथवा अमेरिसा की कांग्रेस व समरूप नहीं माना जा सकता।

^१ Though theoretically the sole legislative organ in the Soviet pyramid the Supreme Soviet, like its predecessors — the Constituent Assembly and the Congress of Soviets — has so far operated primarily as a ratifying and propagating body. Its chief purpose appears to be periodically on special occasion demand, to lend the voice of approval of a representative assembly to governmental policy — Julian Towster, *op cit* P 263

अध्याय ८

सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम

संश्लिष्ट संघ का सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम (अध्यक्ष मन्त्र) सोवियत संघ की सारसत्ता का सर्वोच्च स्थायी कृत्यकारी अंग है। इसे ऐसी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो अन्य देशों के सावधाना में राज्य के सावधानिक प्रधान, मन्त्रिपरिषद्, विधान मंडल के उच्च सदन, विधान-मन्त्र, तथा उच्चतम न्यायालय को दी जाती हैं। इसके कृत्यों में कार्यपालिका-संस्था (executive) प्रशासन (administrative), विधायक (legislative), तथा न्यायिक कृत्य सम्मिलित हैं। अन्य किसी देश के संविधान में प्रेसीडियम के समस्त कार्य सस्था नहीं हैं। इसी कारण इन एक अनुक्रम सस्था कहा जाता है।

संश्लिष्ट शासन व्यवस्था में प्रेसाडियम का प्रादुर्भाव—आल्साविक क्रांति के पश्चात् ७ नवम्बर, १९१७ का संश्लिष्ट सोवियत शासन सस्था में प्रेसाडियम की कोई सस्था नहीं था। प्रेसीडियम का प्रादुर्भाव अनाधिकारिक (unofficial) सस्था के रूप में हुआ जिस कन्दार कार्यकारिणा समिति (विधान मन्त्र) ने सस्थापित किया था। यद्यपि जुलाई १९१८ में अंगीकृत रूसी सोवियत संघान सन्मानत्रांग गणराज्य के संविधान में प्रेसाडियम के संश्लिष्ट कार्यों अथवा शक्तियों का उल्लेख नहीं था परन्तु उस समय तक वह कार्य करने लगा था। उस समय वह वहा कार्य करता था जो उसे कन्दार कार्यकारिणा समिति (C E C) के कार्य सौंप जाते थे। रूसी गणराज्य के संविधान के निर्माण के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् प्रेसीडियम को अधिकारक मान्यता प्राप्त हुई। दिसम्बर १९१९ में सप्तम् अक्टूबर रूसी सोवियत क्रांति ने कन्दार कार्यकारिणा समिति के प्रेसाडियम के निम्नलिखित कृत्य बटाए अक्टूबर रूसी कन्दार कार्यकारिणा समिति के सत्रों का संचालन करना, समिति के सत्रों में दिवापर्य सनज्ञा तैयार करना, आशक्तियों के प्रारूपों का समिति के समस्त निचार के लिए सूत्रगत करना समिति के निर्णयों का पालन करना,

जनादान की याचिकाओं पर विचार करना उपाधिया तम पदक देना, तथा समिति के न्यायमान काम में उन कानसार परिषद (Council of People's Commissars) के नियमों की पुष्टि करना अथवा उन्हें निलंबित करना, आदि। यह आधिकार पदान्त महत्वपूर्ण हैं। उक्त गण भां सन्वित कायसों के निष्पत्ती के अनुसार प्रेसीडियम के प्राधकार तथा कृत्या म वृद्धि हुई।

सावित्त सत्र के प्रथम सविधान (१९४४ म प्रवर्तित) के द्वारा प्रेसीडियम का प्रतिष्ठा और शक्तियां म और वृद्धि हुई। इस सविधान म कन्द्रीय कार्य कारिणी समिति के प्रेसीडियम को समिति के सत्रा के बीच के काल म सोवियत सत्र की सत्ता का सर्वोच्च विवायक (legislative), कार्यपालिका (executive) तथा प्रशासनीय अग जताया गया था।^१ प्रेसीडियम म कन्द्रीय कार्य कारिणी समिति के दोना सत्ता के सभापति सम्मिलित होत थे जा जारी जारी से इसकी बैठक की अयच्छना करते थे। प्रेसीडियम का अाप्तिया जारी करने सर्वोच्च न्यायालय के सभापति तथा उपासभापति को नियुक्त करने तथा केन्द्रीय तथा स्थानीय सोवियत सस्थाओं में विगत उत्पन्न हाने पर समायोजना करने की शक्तिया प्राप्त हो गई, तिसम वह सावित्त शासन अवस्था का एक महत्वपूर्ण अग बन गया। यद्यपि सविधान म सविधान का निर्वाचन (interpretation) करने की शक्ति कन्द्रीय कार्यकारिणी सामिति तथा उसके प्रसायिम दोना को ही दी गई था, परन्तु व्यवहार म प्रेसीडियम ही इस शक्ति का प्रयाग करता था।

सन् १९३६ में नवान सविधान के निमाण के समय प्रेसीडियम की अयोगिता के कारण उरो शासन के स्थायी कृत्यकारी अग के रूप में बना रहने लिया गया। यद्यपि प्रेसीडियम की सदस्य-सख्या, सगठन तथा शक्तियों म कुछ परिवर्तन किए गए, परन्तु इन परिवर्तनों से उक्त स्वरूप में कोई विशेष अतर नहीं आया। (नवीन सविधान में विधान-मडल के सदनों के पीठासन पदाधिकारियों (Presiding officers) को सम्मिलित करने की व्यवस्था का अत-कर दिया गया। इसका कारण यह बताया जाता है कि

^१ See Articles 26 & 29 of the Constitution of 1924

क्याकि व सर्वांच सोवियत र सत्ना का सचानन करत हैं जिसक प्रति प्रेसात्रियम उत्तरनायी हे, उहे प्रेसीत्रियम का सत्स्य नहीं होना चाहिए ।

प्रेसीडियम की रचना तथा संगठन—सर्वोच्च सावित्र व दोनों सदन एक सयुक्त नेटर में प्रेसात्रियम का निराचित करते ह । वतमान व्यवस्था क अनुसार प्रेसीत्रियम म एक अत्रत्त सोनह उपाध्यत्त, एक मनी, तथा पन्ह सामान्य सदस्य हने हे । इस प्रकार प्रेसीत्रियम म कुल मिलाकर तैंतीस सदस्य होते हे । यत्रि सत्रिधान में ऐसा कोर् निराध नहीं हे, परन्तु परम्परा के अनुसार प्रेसीत्रियम क सत्स्य सर्वांच सोवियत क सत्स्यों में से ही चुने जाते हे ।^१ उगा यत्ता की सत्सा तनी अत्रिक होने का कारण यह हे कि सोवियत सत्र क प्रत्येक सध गणराज्य (Union Republic) से प्रेसीत्रियम का एक उपाध्यत्त चुना जाता हे । सत्रिधान क प्राप में नवल चार उपात्रत्ता क निवाचन की व्यवस्था थी । परन्तु एक सशाधन में यह माग की गत् कि इस सख्या को त्दा कर ग्यारह^२ कर त्रिा जाए, निसम प्रत्येक सध-गणराज्य से एक उपायात्त चुना जा सत् । इस सशाधन का सन स्लाविन ने समथन त्रिवा और वसे तीकृत कर लिया गया । त्रिात्र महायुद्ध क दौरान म सोवियत सत्र में शालिटक देशों क सम्मिलित हा जाने क कारण सध-गणराज्या का सत्सा सोनह हो गत्, और इसी कारण एक सात्रिधानिक सशाधन क द्वारा प्रेसीत्रियम क उपायात्तों की सख्या त्रत्ता कर सोनह कर दा गई । एक परिषाटी के अनुसार सघाय सर्वोच्च सावित्र क प्रेसीत्रियम क उपाध्यत्त सध-गणराज्यों की सर्वोच्च सावित्र क प्रेसीत्रियमों क अत्रत्त हा होने हे ।^३ सन् १९४६ तक प्रेसीत्रियम क सामान्य सत्स्यों का सख्या चौत्रास थी परन्तु उस वध इसे घटा कर पन्ध्र कर त्रिया गया ।

^१ Julian Towster *cit* p 266

^२ S. K. pin ky of *cit* p 118

^३ उस समय सध-गणराज्या की सत्सा ग्यारह ही था ।

^४ Julian To s *c* *cit* p

संविधान के प्रारूप पर प्रस्तुत किए गए सशोभना में से एक में यह प्रस्ताव रखा गया था कि प्रेसॉयिज्म के अग्रदूत का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत द्वारा नहीं करना देश की सम्पूर्ण जनता द्वारा होना चाहिए। स्टालिन ने इस सशोधन का विरोध करते हुए इसे संविधान का मूल भागना न प्रतिकूल बताया था। स्टालिन ने अपना मत व्यक्त किया था कि “हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुसार सार सोवियत सभ का अग्रदूत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस सम्पूर्ण जनता सर्वोच्च सोवियत न समान आधार पर चुने और जो सभाध्य सोवियत के विरोध में अपने का स्थिर रख सके। सोवियत सभ का अग्रदूत सामूहिक है (अर्थात् सर्वोच्च सोवियत का प्रेसॉयिज्म निम्न प्रेसॉयिज्म का अग्रदूत भा सम्मिलित है), जिसका निर्वाचन समस्त जनता द्वारा न किया जा कर सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया जाता है, और जो सभाध्य सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। इतिहास से प्राप्त अनुभव यह बताता है कि सभाध्य सभ का ऐसा अच्छा सभाध्यक प्रस्तावक है और यह देश का अनभिलाषित घटनाओं से सुरक्षित रक्ता है। सोवियत लेखक ‘अनभिलाषित घटनाओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए नेपोलियन वृत्तान्त का दृष्टांत देते हैं, जो जनता के द्वारा निर्वाचित अग्रदूत न जनता के हाँ द्वारा निर्वाचित विधानमण्डल का प्रवहता की। उनके मतानुसार प्रेसॉयिज्म के निर्वाचन का वर्तमान व्यवस्था सर्वोत्तम है क्योंकि वहाँ इसका द्वारा प्रेसॉयिज्म एक और जनता के प्रतिनिधि न बन गया निर्वाचित तथा उनका प्रति उत्तरदायी होने के कारण समस्त जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ दूसरी ओर इसमें सभी सभ गणराज्य के अग्रदूत के सम्मिलित होने के कारण यह विभिन्न राष्ट्रियताओं के हितों का भी प्रतिनिधित्व करता है।

प्रेसीडियम का कार्यकाल—सामान्यतः प्रेसॉयिज्म का कार्यकाल चार वर्ष होना है, क्योंकि प्रत्येक नव निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत नए प्रेसॉयिज्म को निर्वाचित करता है। नवान प्रेसॉयिज्म न निर्वाचित किये जाने तक पुरानी सभाध्य सोवियत का प्रेसॉयिज्म ही कार्य करता रहता है इस कारण उसका कार्यकाल चार वर्ष से अधिक माह अधिक हो सकता है। यदि सर्वोच्च सभाध्य सभ के दोना सत्रों में किसी प्रश्न पर विवाद होने के कारण उसे विघटित कर दिया जाता है तो नव निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत नए प्रेसॉयिज्म का निर्वाचित करेगा। इस

लिए प्रेसीडियम का वादकाल चार वर्ष से कम भी हो सकता है। उस प्रतिक्रमिक प्रेसीडियम सभाच सावियत क प्रति उत्तरदायी होता है, उसलिय सर्वोच्च सावियत किरी भी समय प्रेसाडियम क सत्स्था में परिवर्तन कर सकता है।

महायुद्ध जनित्र विशेष परिस्थितिया क कारण सन् १९३७ में अनिश्चित प्रेसीडियम सन् १९४ तक कार्य करता रहा परन्तु यह एक अपवाद है।

प्रेसीडियम के अध्यक्ष क कृत्य—सोवियत सविधान म न ता प्रेसाडियम क अव्यक्त की कि हा शक्तिया का उल्लेख है और न उस क कृत्या का। वास्तव में उसे अपने पद के कारण का शक्तिया प्राप्त नहीं है। वह सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित निर्णय तथा प्रेसीडियम की आपत्तियों पर हस्ताक्षर करण करता है, परन्तु उस उन पर को अभिप्रायधिकार (veto) प्राप्त नहीं है वह विशेष क राजदूता क प्रमाण पत्र हए करता है और कुछ आपत्ताक अपसय पर सम्मानपूर्ण पद भी ग्रहण करता है परन्तु वह सत्ता प्रेसीडियम क प्रतिनिध क रूप में ही यह सभ कार्य करता है। यद्यपि उस कभी कभी सोवियत सभ का अध्यक्ष (President) कह कर भी संबोधित किया जाता है परन्तु उसका समस्त प्रभाव पाटा का एक प्रमुख नेता होने क कारण ही होता है अपने उच्च पद क कारण नहीं।

सालिन सविधान क अनुसार निवाचित प्रथम प्रेसीडियम क अध्यक्ष कालिनिन (M I Kalinin) थे जो कम्युनिस्ट पार्टी क उच्च नेतागण म थे। उनकी मृत्यु क पश्चात् सन् १९४६ में सर्वोच्च सावियत ने एन एन श्वरनिक (N M Shv nik) को प्रेसाडियम क अध्यक्ष पद क लिय चुना। श्वरनिक अगिल सथाव श्रमिक सभ की केन्द्रीय समिति के मंत्री थे। सन् १९५३ में उस पद क लिये क इ यारोशिलोव (K E Vo oshilov) चुने गए जो अनेक उच्च पदा पर कार्य कर चुके हैं और पार्टी क प्रभावशाली नेताओं में से हैं।

प्रेसीडियम का मंत्री—सर्वोच्च सावियत क गण हा प्रेसीडियम का एक मंत्री भी निर्वाचित किया जाता है जो प्रेसीडियम क समस्त साचिविक कार्य का अधीक्षण करता है। वह सर्वोच्च सावियत द्वारा पारित विधिया तथा प्रसिद्धि म की आशक्तिया पर भा अपने प्रति-हस्ताक्षर करता है। सम्भवत उसका हस्तान्तर

निधि या आशक्ति की प्रामाणिकता का पुष्टि करने के लिए ही होते हैं। उसके पक्ष का कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं है।

प्रेसीडियम के कृत्य तथा शक्तियाँ

सोवियत संविधान के अनुच्छेद ४६ में सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के कृत्य तथा शक्तियाँ का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार प्रेसीडियम के निम्नलिखित कृत्य तथा शक्तियाँ हैं —

प्रेसीडियम की कार्यपालिका तथा प्रशासनीय शक्तियाँ

(१) प्रेसीडियम सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सत्रों को बुलाना है। अनुच्छेद ४६ के अनुसार वष में सर्वोच्च सोवियत के दो सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं, परन्तु प्रेसीडियम स्वविवेक से अथवा किसी एक सत्र गणराय द्वारा माग किये जाने पर सर्वोच्च सोवियत के असाधारण सत्र बुलाना सकता है।

(२) प्रेसीडियम दोनों सदन में किसी प्रश्न पर अनिरोध (deadlock) हाने का दशा में सर्वोच्च सोवियत को विघटित कर सकता है और नये निर्वाचन कराने की आज्ञा जारी कर सकता है।

(३) प्रेसीडियम स्वविवेक से अथवा किसी सत्र गणराय द्वारा माग किए जाने पर किसी प्रश्न पर राष्ट्रपतीय मतसंग्रह (लोक नियम) करा सकता है।

(४) सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के बीच के काल में प्रेसीडियम सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् के सभासति (अर्थात् प्रधान मन्त्र) का मन्त्रणा पर मन्त्रियों को पदभुक्त कर सकता है तथा नए मन्त्रियों को नियुक्त कर सकता है। प्रेसीडियम की इन आज्ञाओं का पक्ष में सर्वोच्च सोवियत का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। व्यवहार में यह अनुसमर्थन सदेन ही प्राप्त हो जाता है।

(५) प्रेसीडियम विभिन्न प्रकार के पक्ष तथा न्यायियों को स्थापित कर सकता है। सोवियत संघ में नागरिकों को अनेक प्रकार के पक्ष तथा उपाधियाँ देने की व्यवस्था की गई है, उदाहरणार्थ श्रम-वीर (Hero of Labour), शीर माला (Heroic Mother and Order), आदि। परन्तु यहाँ

यह मान रखना आवश्यक है कि ये सब उपाधियाँ वैयक्तिक हैं, वशगत नहीं।

(६) प्रेसिडियम बटक आदि तथा सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान करता है।

(७) प्रेसिडियम निर्यात में सोवियत सभ के प्रतिनिधियों (एम्बेसी) का नियुक्त करता है तथा उन्हें पुनरावृत्ति (recall) भी कर सकता है। सोवियत सभ में विदेशों के राजदूतों के प्रत्यागमन भी प्रेसिडियम के सम्मूह हा प्रस्तुत किए जाते हैं। बहवार में प्रेसिडियम का प्रोसोस उसका प्रत्यक्ष न प्रमाणपत्रों का स्वाकार करता है।

(८) प्रेसिडियम सोवियत सभ की सशस्त्र सेना (Armed Forces) के उच्च अधिकारियों का नियुक्ति करता है तथा उन्हें पदच्युत भी कर सकता है।

(९) प्रासङ्गिकता पद्धति पर प्रेसिडियम पूर्ण या आंशिक सैन्योद्घन (mobilisation) का आदेश प्रवर्तित कर सकता है। प्रेसिडियम सोवियत सभ के किसी क्षेत्र में प्रथम समस्त देश में सोवियत सभ का प्रतिरक्षा के लिए अथवा सार्वजनिक व्यवस्था तथा शांति का सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिक विधि (martial law) लागू कर सकता है।

प्रेसिडियम की विधायना (Legislative) शक्तियाँ

(१) प्रेसिडियम आलोचना (decree) जारी कर सकता है। संविधान में प्रेसिडियम का इस शक्ति पर कानून निबंध नहीं लगाए गए हैं। प्रेसिडियम सभापति शासन के क्षेत्र में जाने वाले सभा विधायक पर आलोचना जा सकता है जो सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभावी होता है। ऐसी आलोचना सर्वोच्च सोवियत के सम्मूह उसका सभ आरम्भ होने पर प्रस्तुत की जाता है और उसका अनुसन्धान होने पर ही अधिक समय तक लागू रह सकती है।

(२) सोवियत सभ के द्वारा का गये अधिनियमों का अनुसन्धान करने तथा उनका निराकरण करने का अधिकार भी प्रेसिडियम का प्रावण है। बहवार में आलोचना करने वाले अधिनियमों को सर्वोच्च सोवियत के सम्मूह हा अनुसन्धान

के लिए रखा जाता है। उदाहरणार्थ अगस्त सन् १९३६ की सोवियत नवन
मंत्रि सलाह सोवियत द्वारा अनुसमर्थित का गयी।

(३) संविधान में युद्ध और शांति की घोषणा करने का प्राधिकार सलाह
सोवियत का लिया गया है परन्तु ऐसे समय में जब सर्वोच्च सोवियत का सत्र
न चल रहा हो, सोवियत सत्र पर सैनिक आक्रमण होने का तथा प्रशासनिक
युद्ध कालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। यदि पारम्परिक गणना में
संबन्धित किसी अन्तरराष्ट्रीय संधि का आभार को पूरा करने के लिए आवश्यकता
पड़ती है तो भी प्रेसीडियम युद्धनालान स्थिति का कारण बन सकता है।

प्रेसीडियम का न्यायिक (Judicial) शक्तियाँ

(१) प्रेसीडियम सोवियत सत्र में प्रवर्तित समस्त कानूनों का निवाचन
(interpretation) करता है।

(२) प्रेसीडियम सोवियत सत्र का मंत्रि परिषद् तथा सत्र-कारणवाची की
निर्धारण में निनिश्चयता तथा उनकी आचार्य को विधिपूर्वक न हटाने का
सम्मान है।

(३) प्रेसीडियम को दत्त पाये हुए नागरिकों का जना प्रदान करने का
शक्ति प्रदान का गई है।

प्रेसीडियम द्वारा अन्तः शक्तियाँ का व्यावहारिक प्रयोग—मन्तान
संविधान में प्रवर्तित होने से पूर्व तक के अनुभव के आधार पर यहाँ कहा जा
सकता है कि प्रेसीडियम अपना शक्ति का पूरा प्रयोग करता रहा है।
रान्ताप सत्र के अनिर्दिष्ट सर्वोच्च सोवियत के प्रशासनिक सत्र प्रेसीडियम
द्वारा कायम रखा गया है। द्वितीय महायुद्ध के काल में प्रेसीडियम ने
अन्तः शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सोवियत का निवाचन स्थगित कर लिया
था। परन्तु सत्र में सर्वोच्च सोवियत के दोनों सत्रों में अन्तः प्रश्न पर
समानता (deadlock) होने के कारण सर्वोच्च सोवियत का निवाचन
करने का अभी तक कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी प्रकार न ता
कभी किसी प्रश्न पर प्रेसीडियम ने स्वयं ही जनमत जानने के लिए लोक
निर्णय (referendum) करने के अधिकार का प्रयोग किया और न कभी

किसी संघ गणराज्य ने लोक निर्णय करने की मांग की। इनक अतिरिक्त प्रेसीडियम ने अपने प्रायः सभी अधिकारों का प्रयोग किया है। प्रेसीडियम ने मंत्रि परिषद् के अख्त की प्राथना पर मंत्रिया की नियुक्तिया का हैं तथा उन्हें पदच्युत किया है अनेकों अध्यादेशों तथा आश्रितियों को रद्द किया है। मेनिक विधि (martial law) की घोषणा की है, तथा उसका अत किया है। मना के सामूहिकरण तथा सैन्यप्रियाजन (demobilisation) के आदेश प्रकाशित किए हैं तथा अनेकों सम्मानसूचक पदां पदों, एवं उपाधिया का संस्थापित तथा वितरित किया है। अपने सेना क उच्चाधिकारियों को नियुक्त तथा पदच्युत किया है विदेशों में सशस्त्र संघ क प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है तथा प्रयासित किया है विदेशों से का गद् सधिया की पुष्टि की है, तथा अपने क्षमादान करने क अधिकार का प्रयोग किया है। व्यवहार में राजनीतिक उप राधा ने त्रिप दड पाने वाला को क्षमादान नहीं दिया जाता।

प्रेसीडियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार आश्रितिया जारी करने का अधिकार है। प्रेसीडियम के द्वारा पिछले वर्षों में जारी की गई आश्रितिया को हम निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं —

१ ऐसे विषया से सम्बंधित आश्रितिया जिन पर आश्रितिया जारी करने का अधिकार प्रेसीडियम का स्पष्ट रूप से संविधान में दिया गया है। इन विषयों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब तक जारी की गई ऐसी आश्रितियों की संख्या बहुत अधिक है।

२ पूर्व प्रवर्तित विधियों को कायान्वित करने अथवा उनका निर्वचन करने वाली आश्रितिया। अभी तक म व आश्रितिया आती है जिनक द्वारा संघां मंत्रि परिषद् अथवा संघ गणराज्यों का मंत्रि परिषदों क निर्णयों तथा आदेशों का विधिवत् न होने पर प्रेसीडियम रद्द करता है।

तीसरे वर्ग में व आश्रितिया आती हैं जो उन विषयों क सम्बंधित होता हैं जिन पर आश्रितिया जारी करने का अधिकार संविधान में प्रेसीडियम को स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है परन्तु जो संघीय शासन अथवा संघीय मंत्रि परिषद — क्षत्राधिकार म हैं। इस वर्ग में आने वाली आश्रितिया की संख्या भी बहुत अधिक है।

स्तालिन सविधान क लागू होने से अब तक प्रेसीडियम ने इतना अधिक तथा इतनी अधिक विषया से सम्बन्धित आज्ञापितिया जारी की हैं, कि कुछ लेखकों ने तो इसक आज्ञापितिया जारी करने के अधिकार का असिमित ही कह डाला है। मनरो क मतानुसार प्रेसीडियम का आज्ञापितिया जारी करने की असामत शक्ति का प्रश्न सन् १९४६ के निवाचन के पूव हुआ, जब इसने एक आज्ञापित क द्वारा सर्वोच्च सोवियत क सदस्यों की अल्पतम आयु १८ वर्ष न बढ़ा कर २३ वर्ष कर दी तथा विदेशों में सेवा करने वाली सोवियत नेताओं क प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की। यह दोनों आज्ञापितिया व्यवहार में सविधानिक सहायन ही थ। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि इन सहायनों का अनुसमर्थन (ratification) उस सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया गया जो इन सहायनों का गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही चुनी गयी थी।^१ डॉक्टर के मतानुसार प्रेसीडियम अपना आज्ञापितिया जारी करने का शक्ति का उपयोग न केवल एनी परिस्थितियों में ही करता हे जब सर्वोच्च सोवियत को बुलाना असभव या कठिन होना है, परन्तु ऐसी परिस्थितियों में भी जब किसी उच्च सोवियत शासनाग क आज्ञापित की आवश्यकता प्रतीत होता है, परन्तु वह इतनी आवश्यक नहीं समझी जाना कि सर्वोच्च सोवियत का बुलाना आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च

^१ The unlimited decree issuing power of the Presidium were demonstrated before the elections of 1946. It issued decree raising the minimum age of deputies to the Supreme Soviet from eighteen to twenty three (Constitutional amendment) and another providing for replacement of Red Army units serving abroad (a constitutional amendment). Both were formally ratified by the Supreme Soviet which had been elected in accordance with these amendments. — Munro & Ayca *sup cit* p 657

^२ This power is being used not only in situations when it is impossible or difficult to convene the Supreme Soviet but also when the occasion seems to call for an edict by the high Soviet even yet do not seem to warrant the convocation of the Supreme Soviet. — Julian Towster *op cit* p 269

सोवियत का प्रसाधारण संघ तब ही बुलारा जाता है जब ऐसा करना अत्यंत आवश्यक होता है अन्य अवसरों पर प्रेसीडियम ही अपनी शक्तियों के द्वारा आवश्यक व्यवस्था कर देता है।

सोवियत शासन प्रणाली में प्रेसीडियम का स्थान—अपनी शक्तियों की व्यापकता और विविधता के कारण सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम का सोवियत शासन व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसकी प्रमुख विशेषता इसका स्थायी इत्यकारा स्वरूप है। सोवियत लेखक प्रेसीडियम को एक प्रतिदिन कार्य करने वाला नरग (daily working organ) के नाम से संबोधित करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी इसकी एक माह में कई बैठकें होती हैं। सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत के संघ अत्यन्त सक्षिप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में शासन के समस्त उपस्थित होने वाली समस्याओं का निदान प्रेसीडियम के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार यह अपनी जनक-संस्था, सर्वोच्च सोवियत से बहुत अधिक क्रियाशील सिद्ध हुआ है।

शासन की नीति निर्धारित करने में प्रेसीडियम की स्थिति अत्यन्त कठिन है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इसका बैठक की कार्यवाही सावजनिक रूप से प्रकाशित नहीं की जाती। सामान्यतः यह अनुशासित किया जाता है कि शासन की आन्तरिक वैदेशिक अथवा प्रतिक्रिया नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निष्पत्तियाँ कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम के द्वारा किए जाते हैं जिन्हें सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम औपचारिक रूप से प्रस्तापित कर देता है। परन्तु यह मान रखना आवश्यक है कि पाठ्य के प्रेसीडियम के अनेक सदस्य सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के भाग लेने में हात हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक प्रमुख मंत्री (First Secretary) निकिता ख्रुश्चेव (Nikita Khrushchev) का प्रेसीडियम के एक सदस्य है। इस कारण प्रेसीडियम का बैठक में भी महत्वपूर्ण निष्पत्तियाँ किये जा सकते हैं। ये बकीचीन प्रेसीडियम का सर्वोच्च सोवियत का मन्त्रालय तथा सोवियत संघ का सर्वोच्च

ऊपर हम प्रेसीडियम का आजतिया जारा करने की शक्ति तथा उसका प्रशासनिक प्रयोग पर विचार कर चुके हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रि-समिधान में विधियां बनाने की शक्ति केवल सर्वोच्च सोवियत का ही दी गई है परन्तु व्यवहार में प्रेसीडियम ही अधिकांश विधियां बनाता है। सर्वोच्च सोवियत तो केवल उसका द्वारा प्रस्तावित आशुतियां का औपचारिक स्वीकृति मात्र प्रदान करती है। प्रेसीडियम द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव से सर्वोच्च सोवियत ने कभी अपनी असहमति व्यक्त नहीं की है।^१ इसी से हम प्रेसीडियम का विधानों की शक्तियों का, जो कि प्रत्येक देश में विधानमण्डल की सराविक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, अनुमान लगा सकते हैं। उसका अनिश्चित सामान्यतः मन्त्रि परिषद् के द्वारा प्रस्तुत विधयों के प्रारूप पर भा प्रेसीडियम के द्वारा विचार किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका द्वारा की गई संधियों का अनुसमर्थन करने की शक्ति विधानमण्डल के द्वितीय सदन, सिनेट (Senate), को दी गई है। परन्तु सोवियत संघ में यह शक्ति प्रेसीडियम को प्राप्त है।

अतः, प्रेसीडियम का कुछ ऐसा शक्तियां प्रदान की गई हैं जो अन्य देशों में देशों में देशों के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती हैं। इनमें प्रमुख हैं सन्निधान तथा विधियों का निवचन करने तथा संधीय मन्त्रिपरिषद् एवं सभ-गणराज्यों की मन्त्रि परिषदों के निष्पत्तियों तथा आदेशों के विधिवत् न होने पर उन्हें रद्द करने की शक्तियां। एक संघीय-राज्य (Federation) में सन्निधान तथा विधियों का निवचन करने की शक्ति का क्या महत्व है, यह यहाँ बताना आवश्यक नहीं है। डी बेसिली ने प्रेसीडियम की इस शक्ति को अभिवेधाधिकार (Right of veto) से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है।^२

^१ 'The Supreme Soviet has never been known to dissent on any measure which has been submitted to it by the Presidium —Harpe and Thompson *op cit* pp 134-135

^२ the Stalin constitution accords to the Presidium a right which in practice may have a much greater importance than that of the right of veto —de Basilly *op cit* p 19

सांसद सभ की सर्वोच्च सांसद व प्रेसीडियम का अर्थ समझना सघटन करने व पूरे हम अति सचेत म सांसद प्रेसीडियम का स्विस सभ परिषद से भी तुलना करग, क्योंकि बहुधा ऐसा सस्थाओं को बना या मन्त्रालयक कार्यपालिका (Plural or Collegiate Executive) कहा जाता है। सोवियत सभ का प्रशासनिक और स्विस सभ परिषद समस्त नष्ट यह है कि यद्यपि दोनों का रचना, संगठन, शक्तिया तथा कृत्या म मन्त्रालय अन्तर है। सांसद सभ का प्रेसीडियम राज्य का सामूहिक अध्यक्ष है न कि शासन का। एक निमित्त स्विस सभ परिषद शासन की सामूहिक प्रमुख है। सोवियत सभ की सरकार (Govt) मन्त्र परिषद है न कि प्रेसीडियम। उनके अतिरिक्त सांसद प्रेसीडियम तथा स्विस सभ परिषद की शक्तिया में भी बहुत अन्तर है। स्विस सभ परिषद न तो इतनी प्राप्तिया जारा कर सकती है और न सविधान का निवचन करती है। इसक अतिरिक्त स्विस सभ परिषद और सांसद प्रेसीडियम म एक मुख्य अन्तर यह भी है कि यद्यपि ऐसा का निर्वाचन विधान मन्त्र व द्वारा किया जाता है, परन्तु तहा स्विड्जरलन्ड में सभिय सभा (विधान मन्त्र) सभ परिषद का पद-त्याग करने व लिए तय नही कर सकती तहा सोवियत प्रेसीडियम स्पष्टतया सर्वोच्च सोवियत क प्रति उत्तरदायी है। उस प्रकार दोनों सस्थाओं में समानता कम और अन्तर हा अधिक हैं।

उपर्युक्त विवेचना से हम उही परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत सभ का सर्वोच्च सोवियत व प्रेसीडियम के समरूप कोई सस्था किसा अन्य देश के सविधान म नहीं है। यद्यपि उस सोवियत सभ का 'सामूहिक अध्यक्ष' कहा जाना है, परन्तु उसकी रचना, शक्तिया तथा कृत्य अन्य सभी सभों के प्रधान से भिन्न हैं।

अध्याय ६

सोवियत सभ की मन्त्रि परिषद्

सोवियत सभ की रास्त्रिक कायपालिका मन्त्रि परिषद् (Council of Ministers) है जिसे संविधान से सोवियत सभ की सरकार तथा सोवियत सभ की राज्यसत्ता का सर्वोच्च कार्यात्मिका तथा प्रशासनिक अंग^१ कहा गया है। यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम को भी, जिस पर हम विद्युत् प्रदान में विचार कर चुके हैं अनक महत्वपूर्ण कार्यात्मिका शक्ति प्राप्त हैं परन्तु मुख्यतः उन ऐसे ही कृत दिए गए हैं जो अन्य देशों में राज्य न्यायिक प्रणाली के लिए जाते हैं। नैदानिक दृष्टि से सोवियत सभ की मन्त्रि परिषद् अन्य कुछ ससदीय शासन वाले देशों के मन्त्रिमण्डल के समरूप है, क्योंकि यह सर्वोच्च सोवियत के द्वारा नियुक्त की जाती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। परन्तु यथाथ में ससदीय शासन वाले देशों के मन्त्रिमण्डल तथा सोवियत मन्त्रि परिषद् में बहुत अन्तर हैं। इस अध्याय में हम मन्त्रि परिषद् की रचना सम्बन्ध शक्तियाँ, तथा सोवियत शासन व्यवस्था में उसका स्थान पर विचार करेंगे।

मन्त्रि परिषद् का पूरा रूप सोवियतसभ—मात्र १९४६ तक सोवियत सभ की वास्तविक कार्यात्मिका को सोवियतसभ (Sovnarkom) तथा जन कमिसार परिषद् (Council of People's Commissars) कहते थे। जन कमिसार परिषद् के नामाङ्क की घोषणा सभ प्रथम सत्र नम्बर १९१७ की एक अधिवेशन के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में जन कमिसार परिषद् का कार्य

The highest executive and administrative organ of the state power of the U S S R is the Council of Ministers of the U S S R —Article 64

^१ Sovnarkom is the abbreviated form of the Russian title *Sobor Narodnykh Komissarov*

संविधान सभा के बुलाए जाने तक देश का शासन चलाना बनाया गया था। इस प्रथम जन कमिस्सार परिषद् का अधिपति रूस का मार्शालिक शक्ति का प्रणेता लेनिन था। जनवरी, १९१८ में जन कमिस्सार परिषद् का नाम से अन्तर्कालीन (Provisional) शब्द हटा दिया गया और इस प्रकार यह सोवियत शासन-प्रस्था का एक आवश्यक अंग बन गई। सोवियत संघ का स्थापना क पश्चात् जुलाई १९२३ में संघ जन कमिस्सार परिषद् का निमाण किया गया। सन् १९२४ में लेनिन की अस्वस्थता के कारण उनके स्थान पर रिक्ताव (Rykov) को जन कमिस्सार परिषद् का प्रधान निर्वाचित किया गया। सन् १९२६ में स्तालिन संविधान में जन कमिस्सार परिषद् को सोवियत संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासनीय संस्था घोषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद ६८ व ६९ में मन्त्रि परिषद् की शक्तियों तथा कृत्या का उल्लेख किया गया है। मार्च १९४९ में इस जन कमिस्सार परिषद् अथवा सोन्गारकोम का नाम 'मन्त्रि परिषद्' तथा इसका सदस्यों का नाम मन्त्री कर लिया गया।

मन्त्रि परिषद् का रचना तथा संगठन—वर्तमान संविधान के अनुसार सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् सर्वोच्च सर्वोच्च सोवियत के द्वारा नियुक्त की जाती है।^१ मन्त्रि परिषद् का निमाण सर्वोच्च सोवियत के दानों सभना के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च सोवियत मन्त्रि-परिषद् के समापति (Chairman) को नियुक्त करती है और उसे अपनी मन्त्रि परिषद् के सदस्यों के नाम प्रस्तुत करने का कहती है। जब मन्त्रियों की सूची सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है तो सर्वोच्च सोवियत के सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तथा विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। यदि सदस्य किसी व्यक्ति के मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति करें तो प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर अलग अलग मतदान करना बा सकता है अन्यथा पूरा सूची पर एक साथ मतदान करना जाता है। जनवरी १९२८ में जन सर्वोच्च सोवियत द्वारा प्रथम सोन्गारकोम की नियुक्ति का जा रही थी, कुछ मन्त्रालयों (Commissariats) का तीव्र आलोचना की गई। इस परिणामस्वरूप अन्तिम रूप से सर्वोच्च सोवियत की स्वीकृति के लिए

^१ अनुच्छेद ७

प्रस्तुत सूची में तीन कमिंसारों के नाम को हटा दिया गया था।^१ सन् १९४६ में स्तालिन द्वारा प्रस्तुत सूची को सर्वोच्च सोवियत ने बिना किसी परिवर्तन के सब सम्मति से स्वीकृत कर लिया। हफ्थनि और जयजयकार के बीच सर्वोच्च सोवियत ने स्तालिन को मंत्रि परिषद् का सभापति तथा सेना मंत्री चुना।

स्तालिन सविधान के अनुसार सोवियत संघ का मंत्रि परिषद् में निम्न पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं —

- १ मंत्रि परिषद् का सभापति
- २ मंत्रि-परिषद् का प्रथम उप-सभापति
- ३ मंत्रि परिषद् के उप सभापति
- ४ मंत्रि-परिषद् का राज्य आयात-निर्यात समिति (State Planning Committee) का सभापति
- ५ मंत्रि परिषद् की निर्माण सम्बन्धी राज्य समिति (State Committee on Construction) का सभापति
- ६ मंत्रि परिषद् का राज्य सुरक्षा समिति (State Security Committee) का सभापति
- ७ सोवियत संघ के राज्य बैंक के प्रशासकीय मन्त्र (Administrative Board of the State Bank) का सभापति
८. सोवियत संघ के मंत्री

सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् की रचना तथा संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। सन् १९१७ में जालशेनिक क्रांति के तुरन्त पश्चात् संगठित जन कमिंसार परिषद् में १ सचिव थे। सन् १९२१ में एक संस्था की गणना १५ तथा मंत्रियों की संख्या १७ थी। इसके कारण था कि एक सदस्य दो मंत्रालयों के प्रमुख थे। इसके पश्चात् जन कमिंसार परिषद् की संख्या कम होकर सन् १९२५ में १ तथा १९३१ में १२ रह गई। स्तालिन सविधान के निर्माण के पूर्व, सन् १९१५ में, इसकी संख्या १५ थी। तीन सचिवों के अनुसार निर्मित प्रथम मंत्रि परिषद् में २६ संस्थाएँ थीं। सुदूर-काल में मंत्रि परिषद् की संख्या में बहुत शीघ्र ही वृद्धि होगी।

कारण इसकी सदस्य संख्या सन् १९४६ में ६८ हो गई थी। इस वृद्धि का कारण सोवियत संघ की सरकार द्वारा की जाने वाली बहुसंख्यक आर्थिक कार्यवाहियां तथा देश की सैनिक आवश्यकताओं में हुई वृद्धि बताई जाती है। जून सन् १९५५ में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रि-परिषद् की सदस्य-संख्या ५८ निश्चित की गई। परंतु इससे पश्चात् भी उसमें अनेक बार परिवर्तन किए गए हैं।

मात्र परिषद् का सभापति (सोवियत प्रधान मंत्री)—सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् के सभापति का बहुधा 'सोवियत प्रधान मंत्री' के नाम से संबोधित किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में प्रधान मंत्री का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होना है और इसी कारण ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को समस्त प्रशासन की धुरी माना जाता है। लार्ड ग्लोव ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री को "मन्निमडल रूपी वृत्तखण्ड का मुख्य प्रस्तर" कहा है।^२ प्रश्न उठता है कि क्या सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् के सभापति का भी वही स्थिति है जो ब्रिटेन या भारत में प्रधान मंत्री की हानी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें विद्यमान दोनों के अनुभव का आश्रय लेना होगा।

नवम्बर १९१७ में बाल्शेविक क्रांति के समय से जनवरी १९२४ तक लेनिन सोवियत संघ का जन कमिसार परिषद् के सभापति रहे। लेनिन ने नवम्बर क्रांति के समय क्रांतिकारी शक्तियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और यही कारण वह अपनी मृत्यु तक जनता तथा पार्टी के सर्वमान्य नेता रहे। लेनिन की मृत्यु के पश्चात् जन कमिसार परिषद् के सभापति का स्थान रिकोव (Rykov) का प्राप्त हुआ। उसके पूर्व सन् १९२२ में स्तालिन को कम्यूनिसट पार्टी का प्रधान-मंत्री पद प्राप्त हो गया था। रिकोव नवम्बर १९२४ तक तथा उनके पश्चात् मोलोटोव सन् १९४१ तक सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् के सभापति रहे। परंतु इस काल में स्तालिन ही सोवियत संघ का सर्वाधिक सम्मानित तथा प्रति

^१ "He is the axis around which the entire administration revolves"

^२ Keystone of the cabinet arch

भ्रित व्यक्ति था। लेनिन की मृत्यु के पश्चात् स्तालिन को त्रात्स्की (Trotsky) क "गामपंथी विरोध और बुध्नारिन क "दक्षिणपंथी विरोध का सामना करना पड़ा। त्रात्स्की का सारियत सघ स निष्कासित होकर निदेशा में अपना जीवन यासन करना पड़ा और अन में उसकी हत्या कर दी गई। रिफोव और बुध्नारिन को भी 'देशद्रोह के अपराध में अपनी जीवन से हाथ घोना पड़ा। सामान्यत यह स्वाकार किया जाता ह कि तब स्तालिन प्रधान मत्री क पद पर आसीन नहीं था तब भी उसे ही जनता, पार्टी तथा राय का सर्वोच्च नेता माना जाता था।^१ इस स्थिति का अत मर् १९४१ में हुआ जब स्तालिन ने सोवियत सघ की मत्रि परिषद् के सभापति का पद ग्रहण कर लिया। अपनी मृत्युपयत स्तालिन मत्रि परिषद् क सभापति और कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महा-मत्री इन दोनों ही पदों पर आसीन रहा। धैर दम्पति का विचार है कि स्तालिन का प्रवल प्रभाव उसक कम्युनिस्ट पार्टी का महामत्री होने क कारण था।^२ यत् तथ्य इस निष्कष की ओर इगित करता है कि सारियत सघ में कम्यु

^१ मत्रि परिषद् का सभापति बनने के पूव स्तालिन की स्थिति का अनुमन हम इस घटना स लगा सकते हैं कि सन् १८३६ में प्रसिद्ध फ्रासीसी उपन्यासकार ऐन्ड्री गाइड (Andre Gide) ने स्तालिन के जन्म स्थान से स्तालिन को तार द्वारा पधा देनी चाही। उस समय गाइड सोवियत सघ में सरकार के अतिथि ध रूप में दौरा कर रहे थे। तारधर क कमचारी ने उनका तार इस कारण स्वीकृत नहीं किया कि उसमें स्तालिन का कवल "आप (you) कह कर सम्बोधित किया गया था। गाइड को बताया गया कि स्तालिन को 'आप, भ्रमनीविया के नेता ('you, leader of the workers) या 'आप जनता के स्वामी (you master of the peoples) कह कर सम्बोधित किया जाना चाहिए। देखिए, (Andre Gide *Return from the U S S R* pp 45-46

^२ The office by which Stalin earns his livelihood and owns his predominant influence is that of General Secretary of the Communist Party — Sydney & Beatrice Webb, *Soviet Communism* Introduction to 1942 edition p x

निम्न पार्टी के महा मन्त्री का पद मन्त्रि परिषद् के सभापति (प्रधान मन्त्री) के पद से अधिक महत्वपूर्ण है।

स्तालिन ने अपनी मृत्यु से कुछ काल पूर्व ही पार्टी के प्रधान मन्त्री पद को त्याग दिया था, और उसके स्थान पर मालेन्कोव (Malenkov) को नियुक्त किया गया था। स्तालिन की मृत्यु के पश्चात् मालेन्काव को ही सोवियत सभ की मन्त्रि परिषद् के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। परन्तु यह व्यवस्था अस्थायी सिद्ध हुई। प्रधान मन्त्री बनने के पश्चात् मालेन्कोव ने पार्टी के महा मन्त्र पद से त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर खुर्चेव को नियुक्त किया गया। मन्त्रि परिषद् के सभापति पद पर नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर ही मालेन्कोव का पद त्याग करना पड़ा। उनका स्थान जन प्रतिरक्षा मन्त्री माशाल बुल्गानिन ने लिया। वर्तमान स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य रूप से मन्त्रि परिषद् और पार्टी के महा-मन्त्री को समान सम्मान दिया जाता है। जन भी माशाल बुल्गानिन विदेश यात्रा को गए, निष्कृता खुर्चेव उनके साथ गए। इन सब परिवर्तनों से भी हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोवियत सभ में कमल मन्त्रि परिषद् का समापति होने से ही कोई व्यक्ति प्रिटेन के प्रधान मन्त्री के समान शक्तिशाली नहीं हो जाता। इसके लिए उसे कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेता भी होना चाहिए।

मन्त्रि परिषद् के कृत्य तथा शक्तियाँ—सोवियत सभ की मन्त्रि परिषद् को सविधान द्वारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिकार तथा कृत्य प्रदान किए गए हैं। सविधान में उल्लिखित उसकी कुछ मुख्य शक्तियाँ तथा कृत्य निम्नलिखित हैं—

१ मन्त्रि परिषद् को पूर्व प्रवर्तित विधियाँ (Laws in operation) के आचार पर तथा उनकी व्यवस्था के अनुसार विनिश्चय और आदेश (decisions and orders) निकालने का अधिकार है। साथ ही मन्त्रि परिषद् विधियों के कार्यान्वयन का भी निरीक्षण करती है।

मन्त्रि परिषद् के विनिश्चय तथा आदेश सोवियत सभ के पूरे राज्य क्षेत्र में मान्यता पाते हैं।

२ मन्त्रि-परिषद् सोवियत सभ के अखिल सघीय (All Union) तथा सभ गणराज्य (Union Republics) मन्त्रालयों एवं अपने अधिकार क्षेत्र की

अन्य संस्थाओं के कार्यों को एकमूर्तता प्रदान करती है तथा उनका निर्देशन करती है।

३ मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रीय आर्थिक योजना तथा राज्य आय-व्यय को कार्यान्वित करने तथा मुद्रा और सार्व प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक पग उग सकती है।

४ मन्त्रिपरिषद् सावजनिक समस्या बनाए रखने, राज्य के हितों का संरक्षण करने, तथा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है।

५ मन्त्रिपरिषद् विदेशी राज्यास संबंधों के विषय में एककों का सामान्य पथ प्रदर्शन करती है।

६ मन्त्रिपरिषद् प्रति वष सैनिक सेवा के लिए बुलाए जाने वाले नागरिकों की संख्या निश्चित करता है तथा देश की सायुध सेना (Armed forces) के सामान्य संगठन का निर्देशन करता है।

७ मन्त्रिपरिषद् आवश्यकता पड़ने पर अपने अधीन आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्रतिरक्षा संबंधी विषयास पर विशेष समितियों तथा केन्द्रीय प्रशासन-संस्थाओं को संस्थापित करती है।

८ मन्त्रिपरिषद् को संघीय क्षेत्र में आने वाले प्रशासनीय और अर्थ व्यवस्था संबंधी विभागों के संबंध में संघ-गणराज्यों की मन्त्रिपरिषद् का विनिश्चयों और आदेशों का निलम्बित (suspend) करने तथा संघीय मन्त्रियों के आदेशों और अनुदेश (instructions) को रद्द करने का अधिकार है।

मन्त्रियों के कृत्य तथा शक्तियाँ—ऊपर मन्त्रिपरिषद् के सामूहिक कृत्यों का उल्लेख किया गया है। परन्तु स्वरूप अतिरिक्त विधान में मन्त्रियों के कुछ कृत्यों तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संक्षेप में वे निम्नलिखित हैं—

१ मन्त्री संघीय क्षेत्र में आने वाले राज्य प्रशासन के विभागों का निर्देशन करते हैं।

२ मन्त्री अपने अपने मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत पृथक् प्रवर्तित विधियों तथा मन्त्रिपरिषद् के विनिश्चयों एवं आदेशों के आधार

पर तथा उन्हें क्रिगन्वित करने के लिए, आदेश तथा अनुदेश जारी कर सकते हैं।

३ मंत्री सर्वोच्च सोवियत के सत्रों द्वारा पृष्ठे गए प्रश्नों का लिखित अथवा मौखिक उत्तर तीन दिन की अवधि के अन्दर लेने के लिए राध्य हैं। बा प्रश्न सोवियत संघ की सरकार से पृष्ठे जाते हैं उनका उत्तर मंत्रि परिषद् का द्वार से तीन दिन की अवधि में लिया जाना आवश्यक है।

संविधान में उल्लिखित इन कृत्या के अतिरिक्त मंत्रिया द्वारा किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कृत्य सर्वोच्च सोवियत के सदना में विधायक प्रस्तुत करना है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयका में से अधिकांश मंत्रि परिषद् या उसने किसी सत्रस्य द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। गरिंक आवश्यक भी मंत्रि परिषद् के द्वारा हा प्रस्तुत किया जाता है।

मंत्रि परिषद् द्वारा अपनी शक्तिया का व्यावहारिक प्रयोग—सोवियत संघ की मात्र परिषद् को संविधान में जो शक्तिया प्रदान की ग हैं उनका उसने पूरी तरह प्रयोग किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि स्तालिन संविधान में विधि निमाण का कार्य केवल सर्वोच्च सोवियत को ही सौंपा गया है, परन्तु मंत्रि परिषद् के द्वारा जारी किए जाने वाले “विनिश्चया और आदेश की बृहत संख्या यही सिद्ध करती है कि वास्तव में मंत्रि-परिषद् ही राज्य-नीति का निर्देशन करती है, न कि सर्वोच्च सोवियत। मंत्रि परिषद् द्वारा जारी किए जाने वाले “विनिश्चय तथा आदेश” यन्हार में सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभावा होते हैं। यद्यपि धैधानिक दृष्टि से वे सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधिना पर हा आधारित होते हैं, परन्तु यथाथ न उनना क्षेत्र अन्तर्गत निस्तृत होता है। उनमें कृषि उद्योग, यानागत, शिक्षा, विधि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण समस्याएँ की जाती हैं। उद्योगों तथा कृषि यानों का उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के सम्बन्ध में नियन्त्रण करना मंत्रि परिषद् का हा कार्य है। यह सामनिक उत्सवा की घोषणा करती है। विभिन्न प्रकार के पारिलोपिक तथा सम्मान प्रदान करती है। सामाजिक नीमा की दरों की पुष्टि करती है, और करो, सामनिक सम्रा के प्रातकर की दर, तथा पारिश्रमिकों

की दरा को निर्धारित करती है। मन्त्रि-परिषद् अपने अधीन काम करने वाले समस्त प्रशासकीय विभागों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है, तथा आवश्यकता पाने पर समितियों तथा आयोग नियुक्त करता है। प्रत्येक मन्त्रालय अपने द्वारा प्रवर्तित समस्त महत्वपूर्ण आचार्यों और अनुष्ठानों को मन्त्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे वह रोक कर सकती है। मन्त्रि-परिषद् ने अपने इस अधिकार का अनेक अवसरों पर प्रयोग किया है।

सन् १९४४ के पूर्व सना तथा वैदेशिक-संबंध पूर्णरूपसे कन्ट्रोल विभाग थे। फरवरी १९४४ में किए गए एक संशोधन के द्वारा संघ-परिषद् को नए अपनी सनाएँ रखने तथा विदेशों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है। परन्तु इन विषयों के संबंध में मन्त्रि-परिषद् का निर्देशन सिद्धान्त निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के प्रयोग के द्वारा मन्त्रि-परिषद् न केवल सघान सना और प्रत्यक्ष-उत्पादन से सम्बंधित विभिन्न उद्योगों के मन्त्रालयों के कार्यों में एकगुंता लाती है वरन् सघ-गणराज्य का सना सम्बंधी नाति पर भी नियंत्रण रखता है। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विदेशी राज्यों को मान्यता प्रदान करना अथवा उस वारस लेना दूसरे देशों में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करना, दूसरे देशों से का जाने वाली सधियों का परीक्षण करना तथा उन्हें स्थापित देना विदेशी-व्यापार सम्बंधी नाति निर्दिष्ट करना तथा वैदेशिक विभाग और वैदेशिक व्यापार से सम्बंधित अधिकारियों के कार्यों का अधीक्षण करना, मन्त्रि-परिषद् के कुछ अन्य मुख्य कार्य हैं।

मन्त्रि-परिषद् का न केवल सघान मन्त्रालयों के विनिश्चयों और आदेशों का रद्द करने का ही अधिकार प्राप्त है वरन् सघ-गणराज्यों की मन्त्रि-परिषदों के विनिश्चयों और आदेशों का भी निलंबित (suspend) करने का अधिकार है। प्रायः सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शासन-नाति के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने का अधिकार सघीय शासन को प्राप्त है, इस कारण मन्त्रि-परिषद् सघ-गणराज्यों के शासन पर भी नियंत्रण रखती है।

मन्त्रालयों का वर्गीकरण

संविधान में कन्ट्रोल मन्त्रालयों का दो वर्गों में विभक्त किया गया है। ये

वर्ग हैं (१) अखिल सघीय मन्त्रालय (All Union Ministries) तथा (२) सघ गणराज्यिक मन्त्रालय (Union Republican Ministries)। अखिल सघीय मन्त्रालय उन विषयों के प्रशासन का संचालन करते हैं, जो अनन्य रूप से (exclusively) सघीय शासन के क्षेत्र में हैं। प्रत्येक अखिल सघीय मन्त्रालय अपने विभाग से सम्बन्धित प्रशासन का निर्देशन सोवियत संघ के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में या तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करता है, या अपने द्वारा नियुक्त निकायों (bodies) के द्वारा करता है। इससे निपरीत मामलयत सघ गणराज्यिक मन्त्रालय अपने विभागों से सम्बन्धित प्रशासन का निर्देशन सघ-गणराज्यों के समस्त मन्त्रालयों के द्वारा करते हैं। वे केवल बहुत सीमित तथा निश्चित कार्यों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ऐसे कार्यों की सूची सर्वोच्च सोवियत संघ प्रेसीडियम के द्वारा अनुसमर्थित की जाती है। फ्लारिन्स्की ने आपल सघाय तथा सघ गणराज्यिक मन्त्रालयों के अन्तर को अशक्त बताया है। सोवियत शासन व्यवस्था के विकास के काल में अनेकों मन्त्रालयों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानान्तरित किया गया है उदाहरणार्थ, सन् १९४४ में वैदेशिक कार्यों तथा राज्य सुरक्षा मन्त्रालयों को अखिल सघीय वर्ग से सघ-गणराज्यिक वर्ग में स्थानान्तरित कर लिया गया था। परन्तु इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बलु स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं आता।

सन् १९३६ में संविधान में केवल आठ अखिल सघीय मन्त्रालयों की, तथा दस सघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों की व्यवस्था थी। इन संख्याओं में तब से अनेक बार परिवर्तन हुए हैं। सन् १९५४ में संविधान में चौबीस अखिल सघीय मन्त्रालयों तथा तेइस सघ गणराज्यिक मन्त्रालयों की व्यवस्था थी।

अखिल सघाय मन्त्रालय—संविधान के अनुच्छेद ७७ के अनुसार निम्नलिखित मन्त्रालय अखिल सघाय मन्त्रालय हैं—

- १ वायुयान उद्योग मन्त्रालय
- २ स्वचालित वाहनों (मोटर्स), जैबटर तथा कृषि इंजीनियरिंग मन्त्रालय
- ३ कागज तथा काष्ठ-कला उद्योग मन्त्रालय
- ४ विदेशी व्यापार मन्त्रालय
- ५ उच्चतर शिक्षा मन्त्रालय

६ भूतन्त्राज्य-परिमाण (Geological Survey) तथा एनर्जि सम्पत्ति के संरक्षण का मन्त्रालय

७ वृषि-पशु मन्त्रालय

८ यंत्र तथा उपकरण निर्माण उद्योग मन्त्रालय

९ वार्षिक पौद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय जलपथ यातायात मन्त्रालय

१ तैल उद्योग मन्त्रालय

११ प्रतिरक्षा उद्योग मन्त्रालय

१२ रेलवे मन्त्रालय

१५ रैनियो इंजिनियरिंग उद्योग मन्त्रालय

१४ संचार मन्त्रालय

१५ मध्य ओटिक यंत्र निर्माण उद्योग मन्त्रालय

१६ यंत्र-उपकरण (Machine Tool) तथा उपकरण उद्योग मन्त्रालय

१७ भवन तथा माग निर्माण यंत्र मन्त्रालय

१८ धातुशाोधन तथा रासायनिक उद्योग मन्त्रालय

१९ पौव निर्माण मन्त्रालय

२ यातायात यंत्र उद्योग मन्त्रालय

२१ भारी यंत्र निर्माण उद्योग मन्त्रालय

२२ रासायनिक उद्योग मन्त्रालय

२३ शक्ति केन्द्र (Power Stations) का मन्त्रालय

२४ विद्युत इंजिनियरिंग उद्योग मन्त्रालय

संघ गणराज्यिक मन्त्रालय—निम्नलिखित मन्त्रालय संघ गणराज्यिक मन्त्रालय हैं—

१ मोटर यातायात तथा राजपथ (Highways) मन्त्रालय

२ आन्तरिक-कार्य (Internal Affairs) मन्त्रालय

३ राज्य नियन्त्रण मन्त्रालय

४ सार्वजनिक स्वास्थ्य मन्त्रालय

५ वैदेशिक कार्य मन्त्रालय

६ संस्कृति मन्त्रालय

- ७ इमारती लकड़ी (Timber) के उद्योग का मन्त्रालय
- ८ प्रतिरक्षा मन्त्रालय
- ९ मांस तथा दुग्ध पदार्थ उद्योग मन्त्रालय
- १० लान्द्र-पदार्थ उद्योग मन्त्रालय
- ११ भवन सामग्री उद्योग मन्त्रालय
- १२ उत्पादित उपभोग्य वस्तुओं का मन्त्रालय
- १३ मीन उद्योग (Fish Industry) मन्त्रालय
- १४ कृषि मन्त्रालय
- १५ रासायनिक पदार्थों का मन्त्रालय
- १६ निम्न मन्त्रालय
- १७ व्यापार मन्त्रालय
- १८ कारला उद्योग मन्त्रालय
- १९ वित्त मन्त्रालय
- २० अलौह धातु (Non fer ous Metal) उद्योग मन्त्रालय
- २१ लौह तथा स्तन उद्योग मन्त्रालय
- २२ न्याय मन्त्रालय

मन्त्रालयों का इस प्रकार का वर्गीकरण सोवियत संविधान में ही पाया जाता है। प्रत्येक संघ-गणराज्य में केंद्रिय सार्व-राष्ट्रिय मन्त्रालयों के अनुसूचित मन्त्रालय होते हैं। उन मन्त्रालयों से निरंतर संबंध बनाए रखते हैं, और उनका सहयोग संकाय करते हैं। कुछ संघीय राज्यों में इस से मिलती जुलती एक संस्था पाई जाती है। इन देशों के संविधानों में संघीय तथा राज्यीय विधायिकाओं की सूची के अनुरूप एक-दूसरों से सूची होती है जिस पर संघ और राज्य दोनों ही विधायिका बना सकते हैं परन्तु दोनों में विवाद होने पर संघीय विधायिका का प्राथमिकता दा जाता है। भारतीय संविधान में ऐसा ही व्यवस्था है। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय संघ की मंत्रि-परिषद् में समस्त मन्त्रालयों में लिए गए विधायकों के लिए अलग मन्त्रालय नहीं हैं। एक ही मन्त्रालय अन्तर्गत ही है कि भारत की सूची में लिए गए विधायक उन विधायिका

के समान नहीं हैं जो सोवियत संघ में सत्र-गणराज्यिक मन्त्रालयों द्वारा शासित होते हैं।

मंत्रि परिषद् के सहायक अंग

प्रशासन तथा अधीक्षण कार्य में सहायता देने के लिए केन्द्रीय मंत्रि परिषद् ने अनेकों समितियाँ, परिषदें, प्रशासन संस्थाएँ आदि नियुक्त की हैं। उन पर विस्तार से विचार करने के स्थान पर हम यहाँ अति संक्षेप में केवल उन निकायों (Bodies) का उल्लेख करेंगे जिन्हें सोवियत मंत्रि परिषद् का सहायक अंग (Auxiliary organ) माना जाता है। ये निकाय हैं—(१) आर्थिक परिषद् (२) राज्य योजना आयोग (Gosplan) तथा (३) सचिवालय।

आर्थिक परिषद्—आर्थिक परिषद् मंत्रि-परिषद् का एक स्थायी आयोग है। मंत्रि परिषद् का सभापति आर्थिक परिषद् का अध्यक्ष होता है। यद्यपि सचिवालय में इस संस्था का कहीं उल्लेख नहीं है परन्तु यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य कार्य समस्त आर्थिक योजनाओं का परीक्षण करना तथा उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रस्तावित करना है। यह वस्तुओं के मूल्यों तथा श्रमिकों के पारिश्रमिक के निर्धारण में भी महत्त्वपूर्ण योग देती है। राज्य की अर्थ व्यवस्था का एकसूत्रता प्रदान करने में इसका पर्याप्त योग होता है। जब तक मंत्रि परिषद् इसके आदेशों को रद्द न करे तब तक संघीय, तथा संघ गणराज्यों के मन्त्रालय एवं स्थानीय अधिकारी उसके आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। उन्हें एक निर्धारित अवधि के अन्दर उसके आदेशों के विरुद्ध संघीय मंत्रि-परिषद् के समक्ष अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

कार्य में सुविधा के लिए सन् १९४४ में आर्थिक परिषद् को छह विभागों में विभाजित कर दिया गया था जिनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष आर्थिक-परिषद् का एक उप-सभापति होता है।

राज्य योजना आयोग—राज्य योजना आयोग—(State Planning Commission), जिसे गोस्प्लान (Gosplan) भी कहते हैं, मंत्रि परिषद् का दूसरा प्रमुख सहायक अंग है। इसका सभापति मंत्रि-परिषद् का भी सदस्य होता है। इसका अधिकार सदस्य प्रमुख अर्थशास्त्री तथा अनुभवी राजकर्मचारी होने हैं। इस

आयोग का मुख्य कार्य राज का अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन कर योजनाएँ बनाना है। इसका सहानता के लिए सभ-सदस्यों में भी योजना आयोग बनाया गया है। यह समस्त मन्त्रालयों से आवश्यक विवरण तथा आकड़े माग सकता है, और उनका उपयोग कर सकता है। यह देश भर के लिए आयाजन के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करता है जिनके आधार पर सभ-सदस्यों के याचना आयोग योजनाएँ बनाते हैं।

सावित्र सभ में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था हाने के कारण राज योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का महत्त्व बहुत अधिक है। विभिन्न याचनाओं का एकसूत्रता प्रदान कर एक सुसंयोजित योजना बनाने तथा योजनाओं का कार्यान्वयन देने वाले अधिकारियों के कार्यों का अध्यात्म करने का समुचित व्यवस्था के अभाव में समानता अर्थ-व्यवस्था से भी नागरिकों का कल्याण नहीं हो सकता है। सर्वोच्च सावित्र के प्रेसीडियम द्वारा जनवरी १९४८ में राज का एक आदेश कि राज योजना आयोग का राज योजना समिति के रूप में पुनर्गठन किया गया है।

सचिवालय—मन्त्रि परिषद् का सचिवालय राज में सहायता देने के लिए राजधानी में एक सचिवालय है। यह मन्त्रि-परिषद् का बैकअप के लिए आवश्यक प्रवृत्त करता है तथा उसके विनिश्चय को प्रकाशित करता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी सचिवालय का प्रबन्धक होता है। प्रबन्धक का सहानता के लिए कुछ सहायक-व्यवस्थाएँ तथा कार्यालय में काम करने वाले कर्मचार्य होते हैं।

मन्त्रि परिषद् का उत्तरदायित्व

सावित्र सभ का मन्त्रि-परिषद् सर्वोच्च सावित्र के प्रति उत्तरदायित्व है। सर्वोच्च सावित्र के सत्रावकाश का मन्त्रि-परिषद् का उत्तरदायित्व सर्वोच्च सावित्र के प्रेसीडियम के प्रति होता है। समिति का यह उद्देश्य सावित्र सभ का मन्त्रि-परिषद् का बहुत कुछ संवत्त शासन वाले देशों के मन्त्रि-परिषद्

(Cabinet) व समरूप बना देता है। परन्तु जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् एक सस्रीय शासन के मन्त्रिमण्डल से बहुत भिन्न है। इस कारण उसने सर्वोच्च सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों पर विचार करना आवश्यक है।

सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् तथा सर्वोच्च सोवियत के वास्तविक सदस्यों को हम केवल सांविधानिक उपबंधों का अध्ययन कर नहीं समझ सकते। इन सदस्यों को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सोवियत संघ में न तो कोई विरोधी राजनातिक दल है, और न बड़ा किसी सांविधानिक विरोधी राजनीतिक दल का अस्तित्व संभव ही है। नागरिकों के संगठन बनाने के अधिकार को इस प्रकार प्रतिबंधित कर लिया गया है कि कोई भी विरोधी दल बनाने का प्रयत्न आमजीवियों के हितों के प्रतिकूल घातक कर देना लिया जायेगा। साथ ही निम्नानुक्रमों में जिन संस्थाओं को प्रत्याशियाँ का नामांकित करने का अधिकार दिया गया है, उनमें एकमात्र राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी है। इस कारण सर्वोच्च सोवियत के सभी सदस्य या तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं या उसके द्वारा समर्थित व्यक्ति होते हैं। निश्चय ही ऐसे सदस्य पार्टी के आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। यही कारण है कि प्रायः सदैव ही मन्त्रि परिषद् की सदस्यता के लिए जिन व्यक्तियों के नाम की सूची सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत की जाती है वह सर्वसम्मति से निर्वाचित हो पाते हैं। जब तक उन्हें पार्टी के नेताओं का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक उन्हें पदच्युत नहीं किया जा सकता। परन्तु जैसे ही वे पार्टी के उच्च नेताओं का विश्वास खो देते हैं उन्हें अपने पद से अलग होना पड़ता है। प्रेसीडियम को जिसमें पार्टी के अनेक उच्च नेता भी होते हैं, यह अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च सोवियत के सत्रावकाश काल में मन्त्रियों को मन्त्रि परिषद् के सम्मति की विचारिश पर मुक्त (release) या नियुक्त कर सकता है। इसी अधिकार के उपयोग के द्वारा अनाइनाय मन्त्रियों का पदभार से मुक्त किया जा सकता है और उनका स्थान अन्य ऐसे व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिन्हें पार्टी के नेताओं का विश्वास प्राप्त है। इसी स्थिति का यह परिणाम है कि सोवियत संघ की मन्त्रि-परिषद् के सदस्य स्वतन्त्र रूप

से अपनी नीति का पालन न कर सदेव पार्टी की नाति की श्रौर श्राप्त लगाए रहत हैं ।^२

मन्त्रिषान में सर्वोच्च सोवियत के सन्त्यों को मन्त्रि परिषद् या उसके किसी सन्त्य से प्रश्न करने का अधिकार निया गया हे । ऐसे प्रश्ना का उत्तर सम्बन्धित मन्त्री द्वारा तीन दिन क श्रदर निया जाना श्रावश्यक हे । सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मन्त्रियों के कायों की श्रानाचना भी कर सकत हैं । कभा कभी यह श्रानोचना इतनी तीव्र होती हे ञि मन्त्री अपनी नीति में परिवर्तन करने का वाय हा जाते हैं । परन्तु यह समझना कि निस प्रकार ब्रिटेन फ्रांस या भारत की ससत् मन्त्रि-मन्त्रों का निमाण श्रौर श्रान कर सकनी हे वैसा सर्वोच्च सोवियत भी कर सकनी हे, असगत ही होगा । श्राग श्रौर कि क मत हे कि सर्वोच्च सोवियत में किसी विषय पर मतान भ अल्प मत पाने पर भी मन्त्रि परिषद् को पत्त्याग करना श्रावश्यक नहा हे ।^३ यक्वहार में, मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव या विधनक प्राय सत् ही सर्वोच्च सोवियत द्वारा सवसम्भति से पारित कर दिए जान हैं । इस कारण सर्वोच्च सोवियत का विश्वास लो देने के कारण मन्त्रि परिषद् या उसके किसी सन्त्य क पदयाग करने का प्रश्न ही सामने नहीं श्राता । श्रब तक जितने नी मन्त्री पदयुत किये

They (Soviet ministers) have little opportunity to try out their own policies with obstructionist and dilatory methods for by unwritten law and open injunction they are required to be extremely alert to the contour and oscillations of the Party line. Formally elected in a body by the Supreme Soviet and individually appointed and displaced by the Presidium of the Supreme Soviet and individually appointed and replaced by the Party centre the members of the Council of Ministers are in fact supersensitive to all changes in high policy —Julian Towster *op cit* p 237

^३ To be sure ministers may be called upon to reply to questions put by the Supreme Council but the Council (Council of Ministers) does not have to resign because of an adverse vote in that body —Ogg & Zink *op cit* p 866

गए हैं व इस कारण पद-युक्त नहीं किए गए कि उन्होंने सर्वोच्च सोवियत का विश्वास खा दिया था प्रयुक्त इस कारण कि पार्टी के उच्च नेताओं का विश्वास उन पर से उठ गया था। इस कारण यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सांविधानिक दृष्टि से मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है, परन्तु व्यवहार में यह उत्तरदायित्व पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के प्रति है। सोवियत सभ की मन्त्रिपरिषद् तथा कम्युनिस्ट पार्टी का सम्बन्ध मालोतोव के उस भाषण से स्पष्ट हो जाना है जो उन्होंने अपने प्रधान-मन्त्रित्व के काल में १६ जनवरी १९२८ को सर्वोच्च सोवियत के सम्मेलन किया था। उन्होंने कहा था—‘सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम, अर्थात् जन कमिसार परिषद्, बाल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा कामरेड स्लानिन की मंत्रणा तथा अनुमोदन लेते रहेंगे। यह हमारे महान् सविधान की शान्दाली और मूल भावना (spirit) दोनों के अनुकूल है।’ मालन्कोव के पदत्याग की घटना जिसका हम मन्त्रिपरिषद् की स्थिति पर विचार करते समय उल्लेख कर चुके हैं, इसी निष्कर्ष का पुष्टि करता है कि सोवियत सभ में मन्त्रियों तथा मन्त्रिपरिषद् का वास्तविक उत्तरदायित्व कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के प्रति (सन् १९५२ के पूर्व पालिट्ब्यूरो के प्रति) होता है।

सोवियत शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् की स्थिति

सोवियत सभ के सविधान में स्पष्ट रूप से मन्त्रिपरिषद् को सभ का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अंग घोषित किया गया है। परन्तु इस उद्देश्य के प्रावधान भी सोवियत सभ की शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् की यथार्थ स्थिति का निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। इसका कारण सोवियत सभ का एककालीय स्वरूप है। संसदीय शासन में शासन की नीति निर्धारित करना

^१ In all important questions we the Council of the People's Commissars shall seek advice and instructions from the Central Committee of the Bolshevik Party and in the first instance from comrade Stalin. This, in spirit and in letter is in conformity with our great constitution.—Molotov's speech as quoted by de Basily in *Russia Under Soviet Rule* from Pravda Jan 20 1938

है कि वे अपनी दक्ष मन्त्रणा देते हैं, प्रारम्भिक योजनाएँ बनाते हैं, ऐसी नीतियों के सुझाव देते हैं जो अंगीकृत की जा सकती हैं, तथा निर्धारित नीतियों का कार्यपालन (Execution) का सञ्चालन करते हैं। इस सीमा तक वे नीति निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। परन्तु प्रत्येक मौलिक कार्यविधि का सबंध में वास्तविक निष्पत्ति, अन्तिम शब्द, पालिटब्यूरो के द्वारा किया जाता है। वह किसी निर्णय का सबंध में पूरा विवरण दे सकती है अथवा उसका सारांश स्वाकृत कर सकती है और उसका सबंध में विस्तृत विचार करने का कार्य मन्त्रि परिषद् की सामान्य बैठक में लिये छोड़ सकती है।¹

वस्तुस्थिति यही है कि सोवियत सभ में अभी महत्त्वपूर्ण नाटिका या तो कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के द्वारा निश्चित की जाती हैं अथवा मन्त्रि परिषद् के उन सदस्यों के द्वारा जो पार्टी प्रेसीडियम के सन्स्य होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के काल में युद्धजनिता परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एक रॉन सुरक्षा समिति (State Defence Committee) का स्थापना की गई थी। उस समिति में स्थापना के समय पांच सन्स्य थे परन्तु बाद में तीन अन्य सन्स्य भी सम्मिलित कर लिए गए थे। यह समिति ही सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर नीति निर्धारित करती थी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इस समिति को विघटित कर दिया गया। परन्तु आज भी महत्त्वपूर्ण विषयों पर निष्पत्ति इस समिति की एक समरूप सस्था के द्वारा किये जाते हैं। ऐसे कुछ लेखकों ने सोवियत सभ के 'अन्तरंग मन्त्रिमन्त्रालय' (Inner Cabinet) के नाम

¹ They render expert advice draw up initial plans and suggest policies that may be adopted and they administer the execution of policies decided upon. But the actual determination the definitive word on all fundamental courses of action lies with the Politbureau which may busy itself with the details of administration or as is apparently often the case adopt the substitute of it leaving its detailed consideration to the plenary session of the Sovnarkom —Julian Towster
op cit p 288

से सन्बोधित किया है। इस 'अतरंग मन्त्रिमडल' में मन्त्रि परिषद् का सभापति तथा उसके उप सभापति, जिनकी सख्या लगभग दस के होती है, सम्मिलित होते हैं। इनमें से अधिकांश पार्टी प्रेसीडियम के भी सदस्य होते हैं। इस कारण यह 'अतरंग मन्त्रिमडल' मन्त्रि परिषद् और पार्टी प्रेसीडियम के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है।

अध्याय १०

गणराज्यों का शासन तथा स्थानीय स्वशासन

सावियत सघ, चैता कि पिछले अध्यायों में उल्लेख किया जा चुका है, एक सघोय रात्र है जिसमें सोलह सघ गणराय सम्मिलित हैं। सघ गणरायों में अनेकों स्वायत्तशासी गणराय, स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। यद्यपि सनस्त सघ से संबंधित महत्वपूर्ण विषया पर केन्द्रीय शासनागों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, परन्तु आन्तरिक क्षेत्र में सघ के उपरोक्त एककों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। स्तालिन संविधान में सघ-गणरायों को संप्रभु राय (sovereign states) कहा गया है, और सघ को वनन संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने का निर्देशन दिया गया है।^१ गणरायों तथा क्षेत्रों की शासन व्यवस्था पर विस्तृत विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। परन्तु इस अध्याय में हम उनकी शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षणों पर विचार करेंगे। स्तालिन संविधान में सघ-गणरायों, स्वायत्तशासी गणरायों, क्षेत्रों प्रदेशों आदि के मुख्य शासनागों का व्यवस्था का उल्लेख है। सावियत के केन्द्रीय सरकार के शासनागों के अनुरूप ही हैं।

सघ गणराज्यों का शासन-व्यवस्था

सघ गणराज्यों का संविधान—प्रत्येक सघ गणराय का अपना अपना संविधान होता है, जिसका निर्माण में गणराय के विशिष्ट लक्षणों का ध्यान रखा जाता है। इस संबंध में स्तालिन संविधान में केवल एक विधान का उल्लेख है और यह यह कि प्रत्येक सघ-गणराय का संविधान संघीय संविधान के पूर्णरूप में अनुकूल होना चाहिए।^२ सघ गणराय के संविधान का अंगीकृत करने तथा उसमें आवश्यकानुसार संशोधन करने का अधिकार

^१ अनुच्छेद १५

^२ अनुच्छेद १६

न्यायाग (judicial organ) के द्वारा किसी नागरिक को दिए गए दंड को क्षमा कर सकती है। फरवरी १९४४ के संशोधन के बाद से संघ गणराज्यों का सर्वोच्च सोवियत अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों में संघ गणराज्य के प्रतिनिधित्व के प्रश्न का निणय करती है तथा गणराज्य के सैन्य संगठन की पद्धति निर्धारित करती है। इन शक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक संघ-गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत को अपना प्रेसीडियम, गणराज्य की मन्त्रि-परिषद्, तथा गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचित करने का अधिकार भी प्राप्त है।

सामान्यतः संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों के वर्ष में चार सत्र होते हैं परन्तु उनमें केवल नाति सम्बन्धी प्रश्नों पर ही विचार किया जाता है। सर्वोच्च सोवियत अपनी अधिकांश शक्तियां अपने प्रेसीडियमों तथा समितियों को प्रत्यावाहित कर देती हैं जो इन्हें उनके सनायकाय काल में प्रयोग करती हैं।

सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम—संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित प्रेसीडियम में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (vice president), एक मन्त्री तथा कुछ सभ्य होते हैं। संविधान में संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों के प्रेसीडियमों की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, वरन् उन्हें निश्चित करने का कार्य संघ गणराज्यों के संविधानों पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः सर्वोच्च सोवियत के सनायकाय काल में प्रेसीडियम ही उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है और आनुरूपता पड़ने पर आश्रयित्व जारी करता है। प्रेसीडियम अपने कार्यों के लिए गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होता है।

मन्त्रि परिषद्—संघ-गणराज्य की राजसत्ता का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अंग इसका मन्त्रि परिषद् होता है जो संघ-गणराज्य का सर्वोच्च सोवियत द्वारा नियुक्त की जाती है तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। सर्वोच्च सोवियत के सनायकाय काल में मन्त्रि परिषद् का उत्तरदायित्व सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के प्रति होता है। मन्त्रि परिषद् में एक सभारति, उपसभारति (vice chairman), राज्य आयोग के अध्यक्ष का सभारति तथा कुछ मन्त्री होते हैं। उपसभारतियों तथा मन्त्रियों का संघ प्रत्येक संघ गणराज्य में भिन्न होता है। संघ

गणराज्यों का कार्य (executive) विधानाग (legislature) के पूरक प्रधीन है। मन्त्रि-परिषद् न केवल विधान मन्त्र (सर्वोच्च सोवियत) द्वारा निर्वाचित ही होती है बल्कि उसके प्रति उत्तरदायी भी रहना पड़ता है। परन्तु वास्तव में, ऐसा कि केन्द्र मन्त्र-परिषद् तथा सर्वोच्च सोवियत के सम्बन्धों के बारे में भी सत्य है, संघ-गणराज्यों का सर्वोच्च सावधानें जबल समय-समय पर अपने प्रेसाडियमों तथा मन्त्रि-परिषदों के निर्णयों की पुष्टि मात्र ही करता है। प्रेसाडियम तथा मन्त्रि-परिषद् का वास्तविक उत्तरदायित्व कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवों के प्रति है। स्थायी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विनिश्चय पार्टी-सचिवों के द्वारा किए जाते हैं। उपरोक्त संस्थाएँ वास्तव में उच्च प्राधिकारिक रूप देती हैं तथा प्रचारित करती हैं। नाति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों के प्रतिनिधि सामान्य विषयों पर प्रेसाडियम तथा मन्त्रि-परिषद् द्वारा विनिश्चय किए जाते हैं तथा 'प्रेस-विज्ञान' और "प्रेस-विज्ञान" के रूप में जारी किए जाते हैं। ये सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियाँ के सम्बन्ध में प्रमाणित होते हैं तथा सर्व ही सर्वोच्च सोवियत द्वारा अनुमोदित कर लिए जाते हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों की शासन व्यवस्था

सोवियत संघ के उप-विभाग (Sub-divisions) में स्व-गणराज्यों के साथ स्वायत्तशासी-गणराज्य आते हैं। ये ऐतद् क्षेत्र हैं जिनमें किछा स्व-गणराज्य का कोई पदाय सम्बन्ध वाला अल्पमत जात निर्वाच करता है तथा अपना स्वायत्तशासी प्रशासन स्थापित करना चाहती है। सोवियत संघ में प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य का अपना संविधान रचना का अधिकार इतने निश्चय के साथ दिया गया है कि उनका संविधान उस संघ-गणराज्य के संविधान से अनुमूल हाना चाहिये जिसके वह भाग है। स्वायत्तशासी गणराज्य उन विधियों पर विधियाँ भी बना सकते हैं जो उनके प्राधिकार में हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों के शासन में संघ-गणराज्यों के शासनानुसंग के रूप में ही होते हैं। प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य में एक नारायण के रूप में प्रत्येक प्रति से चार वर्ष का अवधि के लिए निर्वाचित सर्वोच्च संविधान होता है जिस संविधान में स्वायत्तशासी गणराज्य का 'राजसत्ता' का सर्वोच्च अंग तथा एकमात्र विधायक अंग बना होता है। सर्वोच्च सोवियत स्वायत्तशासी गणराज्य

तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों की कार्यकारिण समिति व विनिश्चयो तथा प्राप्शों का र कर सकती है ।

जिलों, ग्रामों और नगरों का शासन

सावियत संघ के गणराज्यों के पूरे राज्य क्षेत्र को प्रशासनाय मुनिषा के लिए जिलों (Raion) में विभाजित किया गया है । समस्त सावियत संघ में जिलों की पूरा संख्या दान हजार से भा अधिक है । क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का दृष्टि से संघ जिले समान नहीं हैं परन्तु उनका औसत जनसंख्या लगभग पैंतालास हजार है । पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगर जिलों में सम्मिलित नहीं माने जाते । रूसी गणराज्य में व प्रांत (oblast) के अधीन हाते हैं और अर गणराज्यों में संघ गणराज्य में ।

जिले के शासनाय—वधानिय दृष्टि से जिले का सर्वोच्च शासनाय जिला सावियत (Raion Sovet) हाता है जो दा वष का अधधिक लिए निवाचित की जाती है । स्थानिय सविधान के प्रवर्तित किए जाने के पूरा जिला सावियत के संघ नगर और गान सावियत के प्राय निवाचित किए जाते है परन्तु अब वे समस्त नागरिकों प्राय प्रत्यक्ष रति से चुने जाते हैं । सामान्यत एक हजार जनसंख्या पर जिला सावियत का एक प्रावनिधि चुने जाने का व्यवस्था है, परन्तु किसा सावियत में पचास से कम या साठ से अधिक संघ नहीं हो सकते । प्रत्यक्ष सोवियत एक कार्यकारिण समिति तथा कुमु स्यासा सभितिया निवाचित करती है । संघ में जिला सावियत का कम से कम छः अर्कें हाता आवश्यक है । नगर में प्रधिकाश प्रशासनीय कार्य सावियत के प्रवर्तित और कार्यकारिण समिति के द्वारा ही किया जाता है और सावियत अना संघों में उसका अनुमान भाव ही करती है ।

नगर के शासनाय—जिले का भाति प्रत्यक्ष नगर में भा एक अन्तर्जात जनसंख्या प्रतिनिधियों का सावियत हाती है जो नगर के समस्त नागरिकों द्वारा पा वर्ष का अधधिक लिए निवाचित का जाता है । एक लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों का अनेक वार्डों (wards) में विभाजित कर दिया जाता है । इन वार्डों की भा एक एक सावियत हाता है जो वार्ड के नागरिकों द्वारा चुना जाता है । मास्का नगर में ऐतस वार्ड हैं । इत प्रकार नगरों के नागरिक

वार्ड सोवियत और पौर सोवियत (Municipal Soviet) दोनों के लिए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। नगर सोवियतों में कार्यकारिणी समिति तथा अनेक स्थायी समितियाँ निर्वाचित करती हैं। सोवियतों की बैठकों में केवल उनके सदस्य ही भाग लेते हैं, वरन् “विकल्प सभ्य” (alternates) भी उपस्थित रहते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य भारी प्रशासकों को प्रशिक्षित करना है।

ग्रामों के शासनांग—भारत की भाँति सोवियत सभ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामों में निवास करता है। सोवियत सभ में कई लाख ग्राम हैं। इनमें से बहुत से ग्रामों की जनसंख्या बहुत कम है। उन्हे ग्रामों के नागरिक, दो वर्ष की अवधि के लिए, मजदूरियों के प्रतिनिधियों का सोवियत निर्वाचित करते हैं। कम जनसंख्या वाले ग्रामों को ऐसी सभ्यतों द्वारा निर्वाचित करने के लिए परस्पर सम्मिलित कर लिया गया है। नगर तथा जिला सोवियत की भाँति ग्राम सोवियतें अपने पदाधिकारी तथा समितियाँ निर्वाचित करती हैं जो व्यवहार में अधिकांश कार्य करते हैं।

स्थानीय सोवियतों के कृत्य तथा शक्तियाँ—जिला, ग्रामों तथा नगरों की सोवियतों को वैधानिक दृष्टि से अत्यन्त विस्तृत शक्तियाँ तथा महत्वपूर्ण कृत्य सौंप गये हैं। प्रत्येक सोवियत अपने क्षेत्र के लिये अपनी इच्छानुसार प्रबंध करने के लिये स्वतंत्र है। बंदेशिक विभाग के अतिरिक्त न्याय शासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण विभाग स्थानीय शासनों में भी पाये जाते हैं। मास्को सोवियत में निम्न विषयों पर कार्य करने के लिए समितियाँ हैं—निर्माण, रेल निर्माण, विद्यालय, माँग और नदियों के बाँध, स्वाम्य, जल निकास, रेल यातायात, ड्राम कला और सभ्यता, स्थानीय व्यापार, स्थानाध्यक्ष, स्थानीय उद्योग और सहयोग, नाली, निर्यात, हरिवाता और बगीचे, सार्वजनिक-भरण (public feeding) न्याय, पुलिस और ग्राम-सुझाने का विभाग, अनाथ बालक, प्रौढ शिक्षा, भूमिगत रेलवे (Underground railway) सड़कें, मोटर और अश्ववाहन, कृषि, इधन, वायुयान प्रतिष्ठानक रक्षा, रक्षा और अर्थ। सोवियत सभ के अतिरिक्त अनेक विश्व देशों का स्थानीय-संस्थाओं का इतने अधिक विषयों का प्रबंध नहीं करना होता। इसका कारण सोवियत सभ की समाजवादी व्यवस्था है। यद्यपि हम

अपने देश की स्थानीय शासन संस्थाओं की शक्तियाँ स सोवियत स्थानाय संस्थाओं की शक्तियों तथा उनका द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तुलना कर तो हमें आश्चर्यचकित हो जाना होगा।

स्थानाय सोवियता पर नियंत्रण—सोवियत लेबरक तथा न्यायविद् प्रत्येक स्थानीय सोवियत को अपने क्षेत्र में 'सम्रभु (sovereign) बनाता है। इसका कारण स्थानीय सोवियतों की विस्तृत शक्तियाँ हैं। परन्तु यहाँ हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्थानीय सोवियतों पर उच्च शासनागों का कठोर नियंत्रण रहता है। यह सत्य है कि स्थानीय सोवियत अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी भी विषय पर मनचाहा निर्णय कर सकता है परन्तु उसके ऊपर व शासनागों को उससे निर्णयों पर अभिप्रेधाधिकार (Veto) प्राप्त है। उच्च शासनागों व नियंत्रण व अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी स्थानीय सोवियता पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है। निर्वाचन प्रणाली का विशिष्टता के कारण केवल कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध तथा पार्ग द्वारा चुनिष्ठित शक्ति हा सोवियतों के सम्बन्ध निर्वाचित हा सकत हैं। इस कारण कन्त्र द्वारा निश्चित की हुई नीति का स्थानीय सोवियतों द्वारा अनुसरण किया जाना निश्चित ही है। दूसरा बात यह है कि स्थानाय सोवियता की कार्यकारिणी समितियों के अधिकांश सम्बन्ध पार्टी के विश्वासपात्र व्यक्ति होते हैं या पार्टी के प्रत्येक आदेश का पूर्णतः पालन करते हैं। इससे स्थानीय संस्थाओं और उच्च शासनागों में विरोध की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। पार्टी सोवियता की कार्यवाहियों पर अपनी स्थानाय शाखा के द्वारा दृष्टि रखती है और आवश्यकता समझने पर उनकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में परिवर्तन करा देती है।

सोवियत संघ की स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों का देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत शासन प्रणाली विघ्नताकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। परन्तु, वास्तविकता यह है कि स्थानाय शासनागों पर उच्च शासनागों तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण के कारण सोवियत संघ का शासन व्यवस्था में कन्द्रीकरण की मात्रा बहुत अधिक है।

अध्याय ११

सोवियत न्यायपालिका

लास ब्राउस ने न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता को किसी देश के शासन की उत्तमता का सर्वश्रेष्ठ कसौटी माना है।^१ राय शास्त्र व अन्य अनेक प्राधिकारी लेखकों ने भी न्यायपालिका व काम को अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा गभीर मतलाया है। इसलिए यह त्रास्यक है कि सोवियत शासन प्रणाली का अध्ययन समाप्त करने के पूरे हम सोवियत संघ का न्याय व्यवस्था पर भी विचार कर। माहशेविक शक्ति व पश्चात् से अत्र तक सोवियत न्याय व्यवस्था में अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण हम पहले अति संक्षेप में इन परिवर्तनों पर विचार करेंगे और इसके पश्चात् वर्तमान न्याय व्यवस्था तथा उसका विशेषताओं का उल्लेख करेंगे।

न्याय व्यवस्था के दो रूप—सोवियत संघ में न्याय तथा सुरक्षा का अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्भावित माना जाता है। माहशेविक ने लिये सोवियत संघ के पास एक विशाल सेना है। परन्तु माहशेविक के अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा की समस्या सामने आती है। सोवियत संघ तथा समाज व्यवस्था को आंतरिक के शत्रुओं से अपनी रक्षा करनी होती है। प्रथम प्रकार के शत्रु वह व्यक्ति हैं जो शासन द्वारा बनाई गयीं विधियों का पालन नहीं करते तथा समाज विरोधी कार्य करते हैं। इनके कार्यों का कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं होता। दूसरे प्रकार के शत्रु वह व्यक्ति तथा संगठन हैं जो सोवियत संघ के आन्तरिक शत्रुओं से मिलकर अथवा स्वतंत्र रूप से सोवियत संघ की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को उलटना चाहते हैं। इनके कार्यों से शासन का विशेष रूप से

^१ The only test of the efficiency of the government is the efficiency of its justice system —Lord Bryce *Modern Democracies* Vol II p 384

सावधान रहना होता है। इसी कारण उन दोनों वर्गों के अपराधियों के मामलों पर विचार करने तथा दंड देने के लिए भिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है। वैयक्तिक अराजनीतिक अभियुक्तों के मामलों पर सामान्य न्यायालयों में विचार किया जाता है परंतु राजनीतिक अपराधियों को दंड देने का कार्य राजनीतिक पुलिस को सौंपा गया है। यद्यपि राजनीतिक पुलिस को अपराधियों के मुकदमों सुनने का अधिकार नहीं है परंतु वह उन्हें श्रम शिविरों (labour camps) में भेज सकती है जो उसी के द्वारा संचालित होते हैं। स्टालिन सविधान में राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। परंतु आज भी वह एम वी डी (M V D) के नाम से काम करती है।

स्टालिन सविधान के पूर्व सोवियत संघ की रूपरेखा—बाल्शविक क्रांति के पश्चात् जारशाही शासन की समस्त विधियों को रद्द कर दिया गया था। न्यायालयों का यह आदेश दिया गया था कि वह केवल सोवियत शासन द्वारा प्रवर्तित आदेशों को ही विधि मानें तथा प्रत्येक मामले पर 'क्रांतिजनित औचित्यता' (Revolutionary expediency) की दृष्टि से ही निर्णय करें। पूरे दृष्टांतों के आधार पर नहीं। उस समय सुरक्षा का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण था इसी कारण क्रांति विरोधियों के मामलों पर राजनीतिक पुलिस (CHEKA) के विशेष न्यायालयों में अत्यन्त सख्तेप में विचार किया जाता था।

एक युद्ध की समाप्ति तथा नवीन आर्थिक नीति के अपनाए जाने के पश्चात् सोवियत संघ की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता अनुभव की गई। मार्क्सवादी सिद्धांतों को, जिनके अनुसार साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के पश्चात् विधियों की कोई आवश्यकता ही शेष नहीं रहेगी, कार्यरूप देने का प्रारंभिक उत्साह अत्र शिथिल हो गया था। यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक अन्य देशों में पैंजीवाण व्यवस्था है, सोवियत संघ में भी मार्क्सवादी दर्शन को पूर्णरूपेण कार्यरूप नहीं दिया जा सकता। इसी कारण विधियों के संहिताकरण का कार्य आरंभ किया गया। सन् १९२२ में दंड संहिता (Criminal Cod) तैयार की गई। इसके पश्चात् व्यवहार संहिता, भ्रम संहिता, तथा पारिवारिक विधि संहिताओं को भी तैयार कर प्रकाशित किया गया।

नवम्बर १९१७ में ही एक आंगत द्वारा जन न्यायालयों के संगठन की व्यवस्था की गई थी। माक्यवान्नी सिद्धान्तों के अनुरूप 'जन प्रशासन में जन संभाग प्राप्त करने के लिये न्यायाधीशों के साथ जन निगराना (People's Assessors) के बैठने की प्रणाली का आरम्भ उसी काल में हुआ। आज भी यह सोवियत शासन प्रणाली का एक प्रमुख विशेषता है। सन् १९२४ में सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुई। उस निम्न सभ गणराज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर विचार करने तथा नियंत्रण देने का अधिकार प्राप्त गया था। इसे सभ गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के नियुक्त वा पुनर्निर्वाह करने का भी अधिकार था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केंद्रीय कार्यकारी समिति के प्रेसीडियम द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उस न्यायालय ने स्थानिक सभधानों के प्रतिनिधि किए जाने के समय तक कार्य किया। इससे पश्चात् उसका स्थान नव-संविधान के उपपत्रों के अनुसार संगठित सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया।

सोवियत संघ की वर्तमान न्याय व्यवस्था

सोवियत संविधान के नवम् अर्थात् म संविधान के न्यायालयों के संगठन, अधिकार तथा कृत्या आदि का उल्लेख है। संविधानिक उपबंधों के आधार पर अगस्त १९३८ में सर्वोच्च सोवियत ने एक विधि पारित की थी जिसका नाम सोवियत संघ, संघ गणराज्यों तथा स्वायत्त शासी गणराज्यों की न्यायपालिका सम्बन्धी विधि है। इन्हीं के आधार पर सोवियत संघ की वर्तमान न्याय व्यवस्था काय करती है। न्याय व्यवस्था का संगठन एक परामर्श के रूप में किया गया है। मजस नाच नागरिकों द्वारा प्रयत्न रीति से निर्वाचित जन-न्यायालय हैं। उनमें ऊपर क्षेत्रीय न्यायालय हैं। क्षेत्रीय न्यायालयों के ऊपर स्थापनावादी गणराज्यों तथा संघ गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय हैं। न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत संघ में सर्वोच्च न्यायालय है। इन स्थानिक न्यायालयों के आंतरिक कुछ विशेष न्यायालय भी हैं जो अपने निश्चित क्षेत्र में कार्य करते हैं।

उत्तमान न्याय व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्त तथा विशिष्टताएँ— सोवियत संविधान तथा सन् १९३८ की विधि के अनुसार सोवियत न्याय व्यवस्था का प्रथम मौलिक सिद्धान्त विधि के समस्त नागरिकों की समानता है। सोवियत संघ के नागरिकों में किसी भी प्रकार पर न्यायालयों में भेदभाव नहीं किया जाता। योरोप के कुछ महाद्वीपीय देशों में राजकर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा पर विचार करने के लिए प्रशासनीय न्यायालय हैं परन्तु सोवियत संघ में ऐसी को न्याय व्यवस्था नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त न्यायाधीशों की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ यह है कि संघ अथवा एकाई का कोई अधिकारी या शासनांग न्यायालयों की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायाधीश विधि के अनुसार मुकदमों पर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभियुक्तों को अपनी वैधानिक प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वह अपनी वैधानिक प्रतिरक्षा के लिए वकील नियुक्त कर सकते हैं। सोवियत संघ के पूरे राज्य क्षेत्र में न्याय (civil) और दण्ड (criminal) प्रक्रिया की एकरूपता सोवियत न्याय व्यवस्था का एक अन्य विशेषता है। इससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। सोवियत न्यायालयों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से होती है। जो व्यक्ति न्यायालय में प्रयुक्त भाषा न जानने हो वह कार्यवाही को समझने के लिए एक व्याख्याता (interpreter) की सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा न्यायालय में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। केवल कुछ विशिष्ट मुकदमों में ही न्यायालय की कार्यवाही गैरजानकारी रखी जाती है। सोवियत संघ में समस्त न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। जनन्यायालयों के न्यायाधीश नागरिकों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश सोवियतों द्वारा। सोवियत संघ के सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों के साथ 'जन निर्धारक' अथवा सह-न्यायाधीश भी मुकदमों पर विचार करते तथा निर्णय देते हैं। यह प्रथा अन्य देशों की जूरी प्रथा के समरूप है परन्तु इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर भी हैं जिन पर हम आगे विचार करेंगे। सोवियत न्यायालयों के वातावरण में अन्यायकारिता का प्राधान्य रहता है और दूसरे देशों जैसी कानूनी तकड़बती नहीं पाई जाती। अपनी इस विशिष्टताओं के कारण सोवियत न्याय व्यवस्था ने अनेक विदेशी व्यवस्थाओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है।

जन निर्धारक (Peoples Asse sors)—सोवियत सभ के प्रत्येक यानाज्य में न्यायाधीश के साथ जन निर्धारक भी अभियुक्तों के मामलों पर विचार करते हैं तथा निष्पत्ति देते हैं। सामान्यतः किसी मामले पर विचार एक न्यायाधीश तथा दो जन निर्धारकों के द्वारा किया जाता है। जन निर्धारकों का न्यायाधीश के समान ही शक्ति प्राप्त होती है और यदि दोनों जन निर्धारकों का मन एक त्रार है और न्यायाधीश का उनका विपक्ष में तो निष्पत्ति जन निर्धारकों के मन के अनुसार ही होगी।

जन निर्धारकों के निर्वाचन की प्रणाली न्यायाधीशों के निर्वाचन की प्रणाली के समान ही है। न्यायाधीशों की भाँति जन निर्धारक निर्वाचित होने के लिए भी अति अधिकार प्राप्त नागरिक होने के अनिवार्य अन्य किसी ग्रहण (qualification) की आवश्यकता नहीं है। जन न्यायालयों के जन निर्धारक (तथा न्यायाधीश) नागरिकों द्वारा, तथा उच्चतर न्यायालयों के जन निर्धारक सोवियतों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। न्यायाधीशों और जन निर्धारकों में एक मुख्य अंतर यह होता है कि वहाँ न्यायाधीशों का एक स्थायी होता है वहाँ जन निर्धारक सभ में उनका लगभग दस दिन का समय होता है। जन निर्धारक सभ के लिए अनेक शक्ति का एक मण्डल (panel) एक साथ निर्वाचित कर लिया जाता है, और इन्हीं में से जारी जारी से दो व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेते हैं। सोवियत सभ के सर्वोच्च न्यायालय के लिए सर्वोच्च सावियत २५ जन निर्धारकों का एक मण्डल निर्वाचित करता है।

जन निर्धारक सामान्य नागरिकों में से ही चुने जाते हैं और इस कारण वे अभियुक्तों की कठिनाई को भला भाँति समझ सकते हैं। न्यायाधीश जन जीवन से दूर हो जाते हैं, परन्तु जन निर्धारकों के सम्पर्क में यह बात नहीं कही जा सकती। अन्य अनेक देशों में न्यायाधीशों की तथ्य निर्धारण में सहायता करने के लिए जूरी होते हैं, परन्तु उन्हें इतनी विस्तृत शक्ति नहीं प्राप्त होता जितनी जन निर्धारकों को प्राप्त रहता है।

सोवियत सरकार—हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि सोवियत-सभ में अभियुक्तों का अपनी वैयक्तिक प्रतिरक्षा के लिए बकील नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। सोवियत न्यायिक संगठन पर विचार आरंभ करने के पूर्व

दा शब्द सोवियत वकीलों के बारे में भी क० देना आवश्यक है । प्रत्येक न्यायालय के क्षेत्र में एक वकीला का मंडल (Collegium) होता है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक वह व्यक्ति हो सकता है जो वकालत करने की ग्रहता रखता हो । वकालत की शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है । जब किसी वाणी या प्रतिवाणी को वकील की आवश्यकता होती है तो वह अपने क्षेत्र के वकीलों के मंडल से या तो स्वयं अपना वकील चुन लेता है या मंडल से अपने लिए एक वकील नियुक्त करने का अनुरोध करता है । सामान्यतः वकील 'मन्त्र' द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं । वकीला को सराफ वकालत में जा शुल्क मिलता है वह वकीला का नहीं प्राप्त होता वह मंडल का प्राप्त होता है । मंडल प्रति माह वकीला को उनका कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक दे देता है । सामान्यतः यह पारिश्रमिक एक कुशल श्रमिक (Skilled workman) के पारिश्रमिक के बराबर ही होता है । मंडल में अनुशासन बनाए रखने का कार्यमंडल के प्रेसीडियम का सौंपा जाता है ।

उपरोक्त प्रणाली अन्य देशों की पद्धति से सबथा भिन्न है । सक्षेप में इसका कारण यही है कि सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट वकीला को बूना व्यवस्था से सबद्ध मानते हैं । उन्हें वकील नियुक्त करने का प्रथा को विशेष परिस्थितियों के कारण ही नकार करना पडा । यहा यह उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ में वकीला का कार्य बहुत सीमित होता है, क्योंकि वाणी प्रतिवादी और साक्षिण्य सम्बन्ध न्यायाधीश प्रश्न पूछता है और तथ्य जानने का प्रयत्न करता है ।

न्यायिक संगठन

जन-न्याय मालय (People's courts)—सोवियत संघ में व्यवस्था का निम्नतम संगठन सोवियत संघ के जन न्यायालय हैं । डाउस्टर ने उह न्यायालय व्यवस्था का विस्तृत आधर कया है । उनकी कार्य प्रणाली का प्रोलात्की तथा अन्य अनेक विदेशी पर्यवेक्षकों ने हुत प्रशंसा की है ।

प्रत्येक जन न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा दो जन निर्धारक (people's assessors) हात हैं । न्यायाधीश तथा जन निर्धारक दोनों का निर्वाचन द्विले

के समस्त नागरिकों द्वारा मजदूरी, प्रत्यक्ष तथा समान मताधिकार के आधार पर सुव्यवस्था के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीश तथा जननिर्धारक दोनों का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है। जननिर्धारकों का न्यायालय में कार्य करने के लिए नारी शरी से चुनाया जाता है और कोई जननिर्धारक वर्ष में दस दिन से अधिक कार्य नहीं कर सकता। न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिये जननिर्धारकों का प्रतिफल दिया जाता है जो किता भी दशा में उनकी उतने दिनों की औसत आय से कम नहीं होता। जनन्यायालय में निष्पक्ष बहुमत से किए जाते हैं और जननिर्धारकों को न्यायाधीश व समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं। न्यायाधीश तथा जननिर्धारकों दोनों को अपने निराचकों को समय-समय पर अपने कार्य की प्रशंसा देना आवश्यक है।

जनन्यायालयों के निम्नतम न्यायालय होने के कारण उन्हें कवल प्रारम्भिक क्षमताधिकार ही प्राप्त हैं, अपरिणत नहीं। व प्रत्यक्ष और न्यायिक दोनों ही प्रकार के मामले सुन सकते हैं तथा उन पर निर्णय दे सकते हैं। प्रत्यक्ष-सम्बन्धी (civil) मामलों के क्षेत्र में जनन्यायालयों का सम्पत्ति, सम्बन्धी विधि, उत्तराधिकार आदि से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने का अधिकार है। न्यायिक (criminal) क्षेत्र में उन्हें नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठा के विरुद्ध किए गए अपराधों पर विचार करने का अधिकार है। निराचन विधि के अतिक्रमण करने करने वाले अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने, शासन के विभिन्न अंगों में अशान्ति तथा अराजकता का पालन न करने आदि के मामलों में जनन्यायालयों का क्षेत्र में ही विस्तृत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनन्यायालयों का क्षमताधिकार अत्यन्त विस्तृत है। अधिकांश प्रत्यक्ष तथा न्यायिक मामलों पर जनन्यायालय ही विचार करते तथा निष्पक्ष करते हैं।

जनन्यायालयों की कार्यवाही की प्रमुख विशेषता उनकी अनौपचारिकता है। प्रा. लास्की के अनुसार उनमें समकक्ष में सरलता तथा समानता का वातावरण रहता है तथा कानून का सामान्य दैनिक जीवन में पर तथा उसके विपरीत समझने की भावना का अभाव रहता है। यह हमें यह पता है कि कानून

का क्या बनाया जा सकता है।^१ 'यायाधीशा के कार्य पर विचार प्रकट करते हुए प्रो. लास्की ने लिखा है कि "व न केवल दंड ही देते हैं वरन् सामाजिक अयत्नस्थानों को दूर करने का प्रयास करते हैं। व जिस मामले पर विचार करते हैं उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाने का पूरा प्रयास करते हैं तथा पूरे मामले का उससे संबद्ध कर के देखते हैं।"^२

प्रदेश क्षेत्रों स्वायत्तशासक क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों के न्यायालय— प्रत्येक प्रदेश, क्षेत्र, स्वायत्तशासक क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र का एक न्यायालय होता है। इन न्यायालयों का निर्वाचन संबंधित प्रदेश या क्षेत्र की 'श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के द्वारा किया जाता है। इन सभी न्यायालयों का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। प्रत्येक न्यायालय में एक सभापति, एक उप सभापति, सदस्य तथा जन निर्धारक होते हैं। जन निर्धारकों का निर्वाचन भी सोवियतों के द्वारा यायाधीशों के समान अवधि के लिए ही किया जाता है। उपरोक्त सभी न्यायालयों में दो विभाग होते हैं—स्वव्यवहार संबंधी मामलों का विभाग तथा दार्शनिक मामलों का विभाग। ये विभाग क्रमशः स्वव्यवहार तथा दार्शनिक मामलों की सुनवाई करते हैं।

इन न्यायालयों को प्राथमिक तथा अपीलिय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राय की सुरक्षा समाजवादी सम्पत्ति के अपहरण अथवा दुर्व्ययोग से संबंधित मुकदमों की प्राथमिक सुनवाई इन न्यायालयों में हो सकती है। इसी प्रकार के अन्य गम्भीर विषयों से संबंधित मुकदमों की प्राथमिक सुनवाई इन न्यायालयों में हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये सभी न्यायालय जन

^१ There is a simplicity about their work in two spheres of equality and an absence of that sense of the law as something outside and against normal daily life which gives one a new vision of what the law might be made —Prof. Harold J. Laski *Law & Justice in Soviet Russia* pp 19-20

^२ They are resolving social imbalances and not merely inflicting penalties. They relate the cases they try to the economic background they can and cover —Laski, *ibid* p 20

न्यायालयों के विरुद्ध की गई प्रतीला पर विचार करते तथा न्याय देते हैं। इनके समक्ष न केवल वाणी या प्रतिवादी के द्वारा अपील का जा सकता है, बल्कि हीन व गणनीय अथवा न्यायालय के समाप्ति व अनुरोध पर भी ये इन-न्यायालयों के निष्पत्तियों का पुनर्विलापन कर सकते हैं।

स्वायत्तशासक गणराज्या के सर्वोच्च न्यायालय—प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका निर्वाचन पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वायत्तशासी गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया जाता है। समय का दृष्ट से यह बहुत कुछ उपरोक्त न्यायालयों के समान ही होते हैं। इनमें भी न्यायाधीश तथा जन जाधारक दाना कार्य करते हैं। इनका नैसर्गिक अधिकार अतीत तथा प्रारम्भिक दोनों प्रकार का होता है। यह उन मामलों का प्रारम्भिक सुनवाई करता है जिन पर निष्पत्ति करने का अधिकार उन्हें विधि द्वारा प्राप्त होता है। ये निम्न न्यायालयों व निष्पत्तियों के विरुद्ध अपीलों पर भी विचार करते हैं और उन निष्पत्तियों का पुनर्विलापन कर सकते हैं।

संघ गणराज्या के सर्वोच्च न्यायालय—संघ गणराज्य का सर्वोच्च न्यायिक अंग उसका सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका न्यायाधीशों तथा जन निवारकों का निर्वाचन संघ-गणराज्य का सर्वोच्च सोवियत द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है।

संघ-गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय व क्षेत्राधिकार में प्रारम्भिक तथा अतीत दोनों ही प्रकार का क्षेत्राधिकार सम्मिलित है। प्रारम्भिक सुनवाई व निष्पत्तियों के समक्ष समस्त देश-जनहार तथा दार्ष्टिक मामले आते हैं जिनका असाधारण महत्त्व होता है तथा जो विधि द्वारा नैसर्गिक अधिकार में लिखे जाते हैं। ये संघ-गणराज्य के समस्त न्यायालयों व निष्पत्तियों के विरुद्ध अपीलें सुनते हैं और उनका निष्पत्ति करते हैं। इन्हें संघ-गणराज्य के समस्त न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों का अन्तर्गत करने की शक्ति भी दी गई है। ये संघ गणराज्य के महासचिवों अथवा अन्तर्गत समाप्ति के

अनुरोध करने पर निम्न न्यायालयों के निष्णों को पुनर्विलोकित भी कर सकते हैं।

सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय

सोवियत न्यायिक संगठन के शीर्ष पर अवस्थित सर्वोच्च न्यायालय सोवियत संघ का उच्चतम न्यायालय है। यह सोवियत संघ का एक मात्र संघीय न्यायालय है क्योंकि उसके अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करने वाले दौरा-न्यायालयों (circuit courts) की भांति कोई अन्य संघीय न्यायालय नहीं है। सोवियत संघ के अन्य सभी न्यायालय संघ गणराज्यों, स्वायत्तशासी गणराज्यों, क्षेत्रों आदि से संबंधित हैं।

रचना तथा संगठन—सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। संविधान अध्याय सन् १९२८ की विधि में प्रावधानों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यह समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। सन् १९३८ में निर्वाचित न्यायालय में ४५ न्यायाधीश तथा २० जन निर्धारक (People's assessors) थे। सन् १९४६ में निर्वाचित सर्वोच्च न्यायालय में ६८ न्यायाधीश तथा २५ जन निर्धारक थे। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया गया है। इस अवधि के पूर्व किसी न्यायाधीश का तभी हटाया जा सकता है जब उसके विरुद्ध सोवियत संघ के महा-यायवानी (Procurator General) के विनिश्चय तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम की स्वीकृति से दण्ड (crime) प्रपराधा के लिए मुकद्मा चलाया जाव।^१

सर्वोच्च न्यायालय का एक सभापति तथा एक उपसभापति होता है। कार्य का सुविधा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का पांच मंडल (collegiums) में विभाजित किया गया है। इन मंडलों के नाम हैं—(१) दण्ड (criminal), (२) जन-हानि (civil), (३) सेना (military), (४) रेल परिवहन, तथा (५) जल परिवहन मंडल। जन-कार्य मंडल

^१ See Article 18 of the Law on Judiciary (1938)

क्रिया मुक्तम की प्रारम्भिक (original) सुनवाई करता है तो उसमें दा न निर्णायक तथा एक भाषाधीरा बने हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तिया सावित्रत सभ के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उस कुछ अमान्य-सम्बन्धी शक्तिया भी प्राप्त है।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। यह केवल ऐस मामलों का प्रारम्भिक सुनवाई करना है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तथा तिन पर विचार करने का अधिकार इस विधि द्वारा दिया जाता है। खानपान उच्च न्यायाधिकारियों से सम्बन्धित अथवा असाधारण मामलों के मामले ही अपने सम्पूर्ण प्रारम्भिक सुनवाई के लिए आते हैं। इस सभ सम्बन्धी उच्च न्यायालय होने वाले मामलों पर भी प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च न्यायालय सभ के सर्वोच्च न्यायालय को सभ-सम्बन्धी मामलों के सर्वोच्च अपील तथा उच्च विरोध न्यायालयों के अपील निराकरण मामलों का अन्तिम सुनने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय का सैनिक मण्डल (military coll group) सैनिक न्यायालयों के द्वारा रिश्वत मामलों का अपील की सुनवाई कर सकता है। तिन समय न्यायालय में किसी अपील पर विचार होता है उस समय जन निर्णयक उच्च न्यायाधीशों में भाग नहीं लेते।

असाधारण सम्बन्धी अधिकार—उत्तरोक्त प्रारम्भिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय सभ के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्रदान करने का दिव्य शक्तिया प्राप्त हैं। ये क्षेत्राधिकार सभ के समस्त न्यायालयों का न्यायिक पदान और प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के समारम्भ के यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के सम्पूर्ण प्रत्युत क्रिया सुनवाई का सर्वोच्च न्यायालय के पूरा सभ (Plenum) के सम्पूर्ण प्रत्युत कर सकता है। पूरा सभ में न्यायालय के सभी सम्बन्धी भाग लेते हैं। पूरा सभ में सावित्रत सभ के महासभासदों का उचित रहना आवश्यक है तथा सर्वोच्च

शासन का न्याय-मन्त्री भी उपस्थित रह सकता है। न्याय व्यवस्था समधी विधि क अनुसार न्यायालय क पूरा सत्र का दो मास के अन्दर कम से कम एक सत्र हाना आवश्यक है। इस सत्र म असक विभिन्न मण्डलों के निर्णयों पर न्यायालय क सभापति अथवा महान्यायाधी द्वारा अनुरोध किए जाने की दशा म पुन निचार किया जाता है तथा प्रधान न्यायालय को न्यायिक-मदति के सवध म अनुदेश जारी किए जात हैं।

सावियत सभ क सर्वोच्च न्यायालय का तुलनात्मक स्थिति— सोवियत सविधान की विशेषताया पर विचार करत समय हम उल्लेख कर चुके हैं कि सोवियत सविधान म न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धान्त का मान्यता नहीं दी गई है। इसी कारण सोवियत सभ क सर्वोच्च न्यायालय को सविधान का निराचन (interpretation) करने तथा सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियाँ को उसका प्रतिकूल होने पर अवैध एवं रद्द घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सावधान क निवचन करने का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान हम सयुक्त राज्य अमरिका के सर्वोच्च न्यायालय क निर्णयों से लगा सकते हैं। अत तक सर्वोच्च न्यायालय ने काँग्रेस द्वारा पारित लगभग अस्सी विधियाँ तथा राज्य क विधानमण्डलों द्वारा पारित तीन सौ से अधिक विधियाँ को आशिक या पूरा रूप से अवैध घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित की गई विधियाँ म राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 'न्यू डील (New Deal)' से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधियाँ भी हैं। भारत के सविधान म भी देश क सर्वोच्च न्यायालय को सविधान का निवचन करने का अधिकार दिया गया है और पिछले कुछ वर्षों के अपने प्रति सक्षिप्त जीवन म ही भारत क सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार का अनेक बार प्रयोग किया है। परन्तु सोवियत सभ का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित किसी विधि को स्पष्टतया सविधान क प्रतिकूल होने पर भी अवैध घोषित नही कर सकता। सोवियत सविधान में सविधान का निवचन करने का कार्य सर्वोच्च सोवियत क प्रेसीडियम को सौंपा गया है न कि सर्वोच्च न्यायालय को।

न्यायालय का एक प्रधान कृत्य नागरिकों क सविधान द्वारा प्रत्याभूतित (Guaranteed) अधिकारों का संरक्षण करना हाता है। परन्तु सोवियत

रुध म यन्नि विधानमण्डल कोद ऐसी विधि पारित करनी ह तो नागरिका के अधिकारों का अतिक्रमण करती हे वो सचीव न्यायालय उसको अवैध घोषित नहा कर सकता । सावधान म यह भी उपजध है कि किसी न्यायवादी (Procurator) की अनुमति से किसी नागरिक को बना बनाया जा सकता है ।^१ इसी उपर्य क अन्तर्गत सोवियत संघनातिक पुनस भागरित जा वी जा कर अमण्डल में भेज सकती है । सर्वोच्च न्यायालय का ऐस किसी मामले म हस्तक्षेप करने का अधिकार नहा ह । ऐसी स्थिति में सावित्रय सर्वोच्च न्यायालय या नागरिका के मूलाधिकार का सुरक्षा बना माना जा सकता ।

यद्यपि सावित्रय में न्यायाधीशों को स्वतंत्र और केवल विधि न अधीन रखा गया है, परन्तु हमें उस स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझ लेना आवश्यक है । एक सावित्रय न्यायविद (Jurist) क अनुसार 'समाज मामला का पीनशा करने की स्वतंत्रता का अर्थ शासन की सामान्य नीति का पालन न करना बन्नाप नहा है । न्यायपालिका सत्य-सत्ता का एक अंग हे और इस कारण वह राजनीति से प्रथक नहा रह सकती ।^२ उसी न्यायविद न लिखत है कि यह स्पष्ट ही है कि न्यायाशा को स्वतंत्रता उह राजनीतिक अनुदेशों (Political directives) का मानने के कर्तव्य से मुक्त नहा कर देनी । निश्चय ही यह अनुदेश सोवियत विधि न, ना कि समाज क अधिनायकत्व या निर्देशित जनता की अह्व का प्रतिपक करता हे, कभी पतिकूल नहा जा सकती ।^३ न्यायाधीशों का स्वतंत्रता का यह अर्थ जान लेना आवश्यक

^१ See Article 127 of the Soviet Constitution

^२ The independence of Judges n examining concrete cases do s not at all include the duty to follow the general policy of the government. The Judiciary s an organ of state power and the cloze cannot be outside of politics. —Polianky *The State Constitution on the Judiciary & the Procurator's Office* p 83

^३ It is self evident that the independence of the Judges does not release them from the duty to obey political directives which of course also cannot go against the Soviet

हा हमें यह याद रखना आवश्यक है कि "यजहार में न्यायाधीश पद के लिए यही व्यक्ति निर्वाचित होने दूँ जा या तो कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य होत हूँ या ता पार्टी के सदस्य न होने पर भा पार्टी के नेताओं के विश्वासपात्र होत हूँ और चितन चारे में यह निश्चय होता है कि वे पार्टी द्वारा प्रतिपादित नीति का पूर्ण रूप से पालन करगे। इस संबंध में यह तथ्य भी पूरा महत्वहीन नहीं है कि सोवियत संघ की सरकार (मंत्रि परिषद्) का एक सदस्य, न्याय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण मंत्री की कार्यवाही में भाग लेता है और यथा लया के प्रशासन का अधीक्षण करता है। इन बातों पर विचार कर हम वही परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय कभी भी सरकार की नीति, जो कि वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निश्चित नीति ही होती है, के प्रतिकूल काम पग नहीं उठा सकता।

सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय को न तो उतनी विशद शक्ति या ही प्राप्त हैं जितनी संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इन देशों के संविधानों के द्वारा प्रदान की गई हैं, और न वह नागरिकों के अप्रति कारा की पूरा रक्षा करने में ही समर्थ है। उस केंद्रीय शासन के अन्य अंगों से सर्वथा स्वतंत्र अंग मानने के स्थान पर उनका सहायक अंग मानना ही अधिक उचित होगा।

महान्यायवादी (Procurator General)

सोवियत संविधान में न्याय व्यवस्था से संबंधित एक उच्चधिकारी के पद का उल्लेख है जिसे सोवियत संघ का प्रोक्यूरेटर जनरल, अर्थात् महान्यायवादी (Procurator General) कहा गया है। सन् १९४६ के पूर्व इस अधिकारी को अटॉर्नी जनरल (Attorney General) कहते थे। उस पद संविधान में संशोधन कर उसे वर्तमान नाम दिया गया। अन्य देशों के संविधानों में भा उनसे समरूप अधिकारी की व्यवस्था की गई है परंतु सोवियत संघ के मंत्रिमंडल तथा अन्य देशों के उससे समरूप अधिकारियों के कृत्या तथा शक्तियाँ में बहुत अंतर है। सन् १९३३ के पूर्व महान्यायवादी पद संघीय शासन

law that expresses the will of the people the law governed by the dictatorship of the proletariat — *Ibid* p 82

का स्वतंत्र अंग नहीं था वरन् सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित था। जून १९३३ में एक साम्प्रदायिक संस्थाओं के द्वारा सोवियत संघ के महा-न्यायवादी के पद की स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्र रखा गया। स्तालिन संविधान में भी उसकी इस स्थिति को महान्यायवादी का दर्जा है। संविधान के अनुच्छेद २१३ में कहा गया है कि 'सोवियत संघ के सम्पूर्ण मजानना तथा उनके अंगीन संस्थाओं, अधिकारियों तथा नागरिकों के विधि का पूरा पालन करने को सर्वोच्च प्रधीक्षण शक्ति सोवियत संघ के महान्यायवादी में निहित है।' यह उपर्युक्त महा-न्यायवादी के पद के महत्त्व का मन्नाभाति स्पष्ट कर देता है।

नियुक्ति तथा कार्यकाल—सोवियत संघ के महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधान सर्वोच्च सोवियत से द्वारा सात वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। यद्यपि यह ज्ञान समाप्त आशय्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा मन्त्रिमण्डल का जो सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही नियुक्ति किए जाते हैं, मन्त्रिमण्डल मन्त्रों पांच तथा चार वर्ष है।

महान्यायवादी के कृत्य तथा शक्तियाँ—सोवियत संघ के महान्यायवादी का मुख्य कृत्य विभिन्न मन्त्रालयों, अधिकारियों तथा नागरिकों द्वारा विधियों के सम्बन्धित रूप से कार्य पालन का अधीक्षण करना है। यह सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान अभियोजक (Chief Prosecutor) के रूप में कार्य करता है। महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया है कि वह सोवियत संघ की अंती न्यायालय में चलने वाले किसी मामले का सर्वोच्च न्यायालय से पूर्ण सत्र (Plenary) के सम्पूर्ण उपस्थित कर सकता है। उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण सत्र में दर्शाये रहना आवश्यक है। यदि यह सम्भवता है कि किसी न्यायालय द्वारा किया गया कोई न्यायिक गलती या गलत मुद्दा है तो यह सर्वोच्च न्यायालय से उसका पुनर्विचार करके क्विड अन्तुलन कर सकता है। यह शासन के विभिन्न विभागों तथा पदाधिकारियों के कार्य पर भी दृष्टि रखता है जिसमें नागरिकों के अधिकारों का उपेक्षा अथवा आनन्दन नहीं है। महान्यायवादी अवधि नववर्षी के मामलों का जांच करता है तथा जनों के प्रयासों का भी देख-भाल करता है। यदि महान्यायवादी का यह विचार हो जाय कि

किसी मामले में अन्याय हुआ है तो वह न्यायालय से उस मामले पर दुबारा विचार करने को कह सकता है।

महान्यायवादी सभ-गणराज्या, स्वायत्तशासक गणराज्या, क्षेत्रों, प्रेशों आदि ने न्यायवाहियों (Procurators) को पांच बंध की अवधि के लिए नियुक्त करता है। जिलों, नगरों आदि के न्यायवादियों का नियुक्ति सभ गणराज्या के न्यायवादियों के द्वारा का जाती है, परंतु इन नियुक्तियों पर महान्यायवादी की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये सभ न्यायवाह्य उसके अधीन अपने क्षेत्र के न्याय प्रशासन पर दृष्टि रखते हैं तथा न्यायवाहियों पुलिस, न्यायालयों के कर्मचारियों आदि के कार्यों के सम्बन्ध में महान्यायवादी की सूचना देते हैं। न्यायवाहियों को जो भी शक्ति प्राप्त होती है वह महान्यायवादी द्वारा प्रत्यापनित ही होती है।^१

सावियत शासन व्यवस्था में महान्यायवादियों तथा उसके विभाग का महत्त्व—सोवियत सभ के महान्यायवादी का सावियत सभ की सावजनिक सम्पत्ति का अधिकारी सरक्षक तथा ध्वंसनात्मक कार्योंवाही करने वाले नागरिकों एवं पत्राधिकारियों का राजकीय शत्रु माना जाता है।^२ सोवियत सभ में अधिकांश सम्पत्ति का समानिकरण कर लिए जाने के कारण उसका सरक्षा का प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है। न केवल नागरिकों द्वारा हा जाने या अनजाने में सावजनिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाई जा सकती है बल्कि सरकारी कर्मचारियों का म्नाथकृति, असावधानी अथवा अनेतिक आचरण के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति

^१ The theory is that the Procurator General alone bears the procuratorial power. All the other procurators possessing such power only in so far as it is delegated to them by him. —Golitsky *The Supreme Soviet of the U.S.S.R. and the Organs of Justice* p. 92

^२ The Procurator General is the official guardian of public property and the stat in my of graft or sabotage by administrative departments and individuals alike. —Harper and Thompson *op cit* p. 236

का पता लगाने और उन्हें दब दिला देने के लिए सभी देशों में गुप्त पुलिस रखी जाती है। अधिकांश देशों में असाधारण महत्व के मामलों के लिए सामान्य न्याय व्यवस्था और अतिरिक्त विशेष व्यवस्था भी हैं, यथा बिना मुकदमा चलाए नजरबंदी का व्यवस्था। परंतु किसी प्रजातान्त्रिक देश में न तो गुप्त पुलिस की कार्यवाहियां ही इतनी अधिक होती हैं जितनी सोवियत सभ में और न विशेष व्यवस्थाओं का इतना व्यापक प्रयोग ही होता है।

सावियत राजनीतिक पुलिस का इतिहास—सावियत राजनीतिक पुलिस का निमाण सत्रप्रथम सन् १९१८ में चेका (Cheka) का नाम से हुआ। इसका कार्य क्रान्तिनिरोधी कार्यवाहियां, सावियत राज्य का नष्ट करने के प्रयत्न, तथा छिपे हुए वैयक्तिक व्यापार करने वालों का पता लगाना तथा उन्हें दब देना था। राजनीतिक पुलिस के विशेष कार्यालयों में उपरोक्त अपराधों के आरोप पर गिरफ्तार व्यक्तियों के मुकदमों पर सक्षेप में विचार किया जाता था तथा उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था। आग और निकलने के चेका का कार्यवाहियां का उल्लेख करते हुए लिखा है— 'बिना किसी छापाने के इन आयोगों का निर्देशन पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) के सक्रिय सदस्यों को सौंपा जाता था तथा उन्हें किसी व्यक्ति को बंदी बनाने, परीक्षण करने, मुकदमा चलाने, सजा देने का पूर्ण अधिकार था। बहुत ज़रूरत में उन्होंने शासन के शत्रुओं अथवा सदेहयुक्त शत्रुओं को सीधा गोलियों से उखाड़ा था।' २ सावियत सभ अपनी राजनीतिक पुलिस को क्रान्ति की नग्न करवाल (Unsharbed punishing sword of the Revolution) कहते थे। उस समय राजनीतिक पुलिस ने जो कुछ किया उस का संबंध यह

The initials CHEKA stand for the Russian equivalent of the ordinary Commissions to Combat Counter-Revolution, Sabotage and Speculation

२ The commissions were invariably placed under the direction of active members of the party and had full right to arrest, examine, convict, sentence and punish. In many instances they simply executed the orders of the regime of suspected enemies to be shot.—Ogg & Zink op cit p 879

कना जा सकता है कि यह युद्ध तथा ग्राह्य देशों के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न पाठ्य विषयों में संशय करना आवश्यक था। परन्तु राजनीतिक पुलिस की कार्यक्षमता यह युद्ध और बाह्य हस्तक्षेप के समाप्त होने के बाद भी जारी रही।

सन् १९२२ में चेका (Cheka) का स्थान ग्याग (OGPU) में ले लिया। इसकी स्थापना चेका की शक्तियाँ की तुलना में कुछ सीमित थीं। जिस समय सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२८-३२) पर काम आरम्भ हुआ तथा "कुलकों" (Kulaks) का अर्थ कर कृषि की सामूहिकीकरण किया गया उस समय ग्याग का शास्त्रता में पराजित होना बड़ा दुःखदायक था। शासन का नाश का विरोध करने वालों को राजनीतिक पुलिस बना बना कर नष्ट किया गया। भय डेती थी जहाँ उन से फटोर परिश्रम कराना जाता था। कृषि के सन्तुष्टि करण का राजना पूरा होने पर राजनीतिक पुलिस की कार्यक्षमता में कुछ कमी हुई। सन् १९३६ में एक अलग अलग के रूप में इसका अर्थ कर लिया गया और इसे आन्तरिक मामलों के मन्त्रालय (Commissariat of Internal Affairs) के अधीन कर दिया गया। इसका नाम प्रदान के वी एन (N. K. V. D.) हो गया।

राजनीतिक पुलिस की कार्यक्षमता में अन्तर्गत कमी हुई ही नहीं कि एक ऐसा घटना हुआ जिसने इसकी कार्यक्षमता में अन्तर्गत बहुत बढ़ि कर दी। जिसमें १९४४ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रमुख नेता क्रिस्तोव (Kriстов) का हत्या करवाया गया। सोवियत शासन ने इस घटना के बाद एक विशाल पुनः संयोजन का हाथ लगाया। सरकार के समा प्रमुख विचारों पर मुक्त चर्चा करने तथा प्रथम उच्च राजनीतिक पुलिस के अन्तर्गत में न शक्ति में मजबूत किया गया। जिस शक्तियों का एक पद्धत में सम्मिलित करने का प्रयत्न में सुरुवात किया गया उनमें लेनिन के कई प्रमुख साथियों तथा के पूर्वज पालक का नाम उल्लेख के सम्बन्ध में थे। यह मामला - प्रथम वर्ष पर १९४४ में ही का विपुल और सम्पन्न किया गया। सन् १९४८ में अन्तर्गत में अन्तर्गत पर वापस (L. P. D. ४४) को नियुक्त किया गया।

* The initial letters O G P L stand for the Russian equivalent of the State Political Administration

द्वितीय महायुद्ध के काल में राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में पुनः पर्याप्त वृद्धि हुई। "देशद्रोहियों, 'निदेशों के जासूसों तथा "समाजवादी सम्पत्ति को नष्ट करने वालों का षड्यंत्रों का भाजन बनना पड़ा। युद्ध की समाप्ति पर राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में फिर कमी हुई परन्तु यह निवृत्तमान रहा। सन् १९४३ में गृह कमिसरियता का गृह तथा राज्य-सुरक्षा नामक दो कमिसरियता में पारवर्तित कर लिया गया। सन् १९४६ में कमिसरियता का नाम मन्त्रालय (Ministries) कर दिया गया। तब से राजनीतिक पुलिस के दो विभागों का एम वी डी (M V D) और एम जी बी (M G B) कहते हैं। एम वी डी के कमचारा समान पोशाक (Unifom) पहनते हैं जब कि एम जी बी के कमचारा बिना किसी पोशाक के पुत्र रूप से कार्य करते हैं। सन् १९५२ में स्लाविन की मृत्यु के पश्चात् गृह मन्त्रालय के प्रधान बरिया को देशद्रोह प्रारंभ 'क्रांति विरोधी कार्यों के लिए प्राणदायक' दिया गया और उनका स्थान पर नवीन प्रधान मंत्री मालेन्कोव के एक विश्वासपात्र व्यक्ति को नियुक्त किया गया।

राजनीतिक पुलिस के कृत्य तथा शक्तियाँ—राजनीतिक पुलिस का मुख्य कार्य अभी भी वही है जो सन् १९१७ में उसकी स्थापना के समय था। परन्तु उसकी शक्तियाँ कम हो गई हैं। प्रो. हार्पर और टामसन के कथनानुसार उसे अभी भी 'क्रांति की नग्न करवाले माना जाता है। विध्वंसकारी कार्यवाहियों, देशद्रोहियों विदेशों के एजेंटों और गुप्तचरों तथा राज्य सम्पत्ति को नष्ट करने या चुराने वालों के समस्त षड्यंत्रों का पता लगाना तथा उन्हें निष्फल करना ही उसका प्रधान कृत्य मताया जाता है। यद्यपि ऐसे सन्देहयुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है परन्तु यह उन्हें पायवादी (P curato) की आज्ञा से गिरावट कर गिरावट शिविरों में भेज सकती है। व्यवहार में ऐसे सभी मामलों पर जिनमें वर्तमान शासन के प्रति निद्रोह या किसी राजनीतिक पक्ष के आभाव मिलता है, अभियुक्त सामान्य न्याय व्यवस्था का लाभ उठाने से वंचित रख जाते हैं। ऐसे मामलों

पर समन्वित कार्यवाही करना राजनीतिक पुलिस का कार्य है 'पायालवा का नहा ।'^१

राजनीतिक पुलिस का दूसरा मुख्य कार्य शम शिपिरों का संचालन करना है। यह कार्य राय सुरदा मालय (M V D) के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। प्रारम्भ में यह शिपिर अपराधियों तथा राजनीतिक व्यक्तियों का उनसे काम करा कर उन्हें "सुगरन" के लिए स्थापित किए गए थे। इन शिपिरों के प्रदियों के श्रम से बड़ा बड़ा नगर तथा गांध आदि बनाए गए। इन शिपिरों के प्रदियों की सत्ता तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में सोवियत सरकार की चार स काइ सूचना प्रकाशित नहीं की जाती। इसलिए विभिन्न लेखकों ने विभिन्न कोला स प्राप्त कराएँ उद्धृत की हैं। साम्यवादी विरोधी लेखक इनके प्रदियों का सत्या एक तम दो करो के अन्तर्गत बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र का आधिक तथा सामाजिक परिषद सत्र १९५६ में भाषण देते हुए ब्रिटिश प्रतिनिधि ने इनका वर्णन लगभग एक करो बताये थे।^२ डाकी सख्या के नियम में कुछ निश्चित बताया कम्पनि है परन्तु अतना

प्रचारिका के प्रमुखार राजनीतिक पुलिस ने नरल नागरिकों को शम शिपिरों में ही भेज सकता है, वरन् उन पर गुन रूप से मुकदमा चला कर अथवा मुकदमा चलाने की औपचारिकता के बिना ही प्राणद तक दे सकता है। उन्होंने किया है "Its ubiquitous agents free from the restraint of law are vested with extra judicial powers which allow them not only to deport citizens suspected of disloyalty to the regime to the penal labour camps that dot the bleak wilderness of Russia's northern and eastern regions, but also to impose death sentences after a trial in camera or without the formality of trial Floinsky M T, op cit p 7601 परन्तु अत्र लेखक के कथन में उनका इस कथन की पुष्टि नहीं है।

^२ Statment by British delegate Corley Smith as quoted by Floinsky

कहा जा सकता है कि यह कई मिलियन (millions) है। यह तथ्य कि सोवियत संघ में जितनी बड़ी संख्या में नागरिकों को बिना कोई मुकदमा चलाए राजनीतिक पुलिस द्वारा संचालित श्रम शिविरों में धरी रखा जाता है, स्वयं ही राजनीतिक पुलिस के महत्त्व को स्पष्ट कर देता है।

सहायक पुस्तकों की सूची

(Bibliography)

Buell—*A Government in Europe*

Bailey V de—*Russia and the Soviet Revolution*

Carr, E H—*The Bolshevik Revolution (1917-1931) Vol I*

Finer Herman—*The Theory and Practice of Modern Government*

Florinsky M T—*The Political System of the U S S R*
in the *Governments of Continental Europe* edited by James T
Shotwell

Hant R N C—*Theory and Practice of Communism*

Hippen & Thompson—*Government of the Soviet Union*

Kapinsky V—*The Social and State Structure of the U S S R*

Laski Harold J—*Law and Liberty in Soviet Russia*

Lenin, V I—*The State and Revolution*

Lenin, V I—*Selected Works*

Marx K—*The Capital*

Marx K & Engels F—*Selected Works of the Communist Party*

Marx K—*Selected Works*

McBarn & Roger

Munro W B & ^

Mitra R K

Ogg F

Polansky — *The Stalin Constitution on the Judiciary in the Procurator's Office*

Rothstein, Andrew — *A History of Soviet Union*

Stalin J V — *On the Draft Constitution of the U S S R*

Stalin J V, — *Communism*

Stalin J V — *Selected Works*

Sloan Pat — *How the Soviet State is Run*

Sloan Pat — *Russia without Illusions*

Tainin I — *The Stalin Constitution*

Towster, Julian — *The Political Power in the U S S R*
(1941-1944)

Umansky Y — *The Constitutional Rights of Soviet Citizens*

Vyshinsky, A Y — *The Law of the Soviet State*

Vyshinsky A Y — *The Electoral System of the U S S R*

Wobbs Sydney & Battic — *Soviet Communism A New
Criticism*

Wheeler — *Federal Germany*